खण्ड-377, अंक-1
बुधवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(19 मार्च, 1986 ई0)

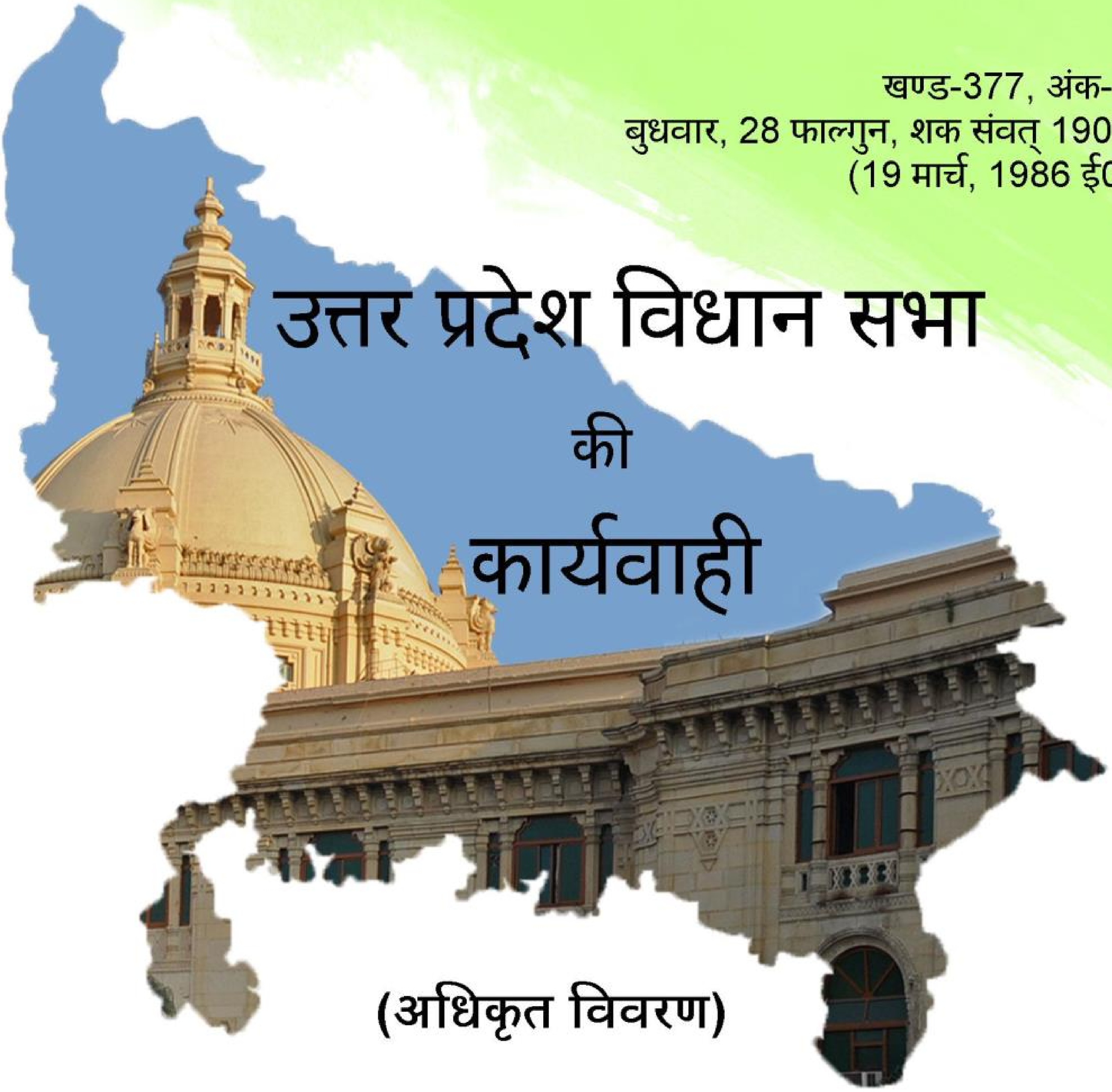

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 377 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	2–41
भूतपूर्व सदस्य श्री शिब्बन लाल सक्सेना तथा श्री भुगनाथ चतुर्वेदी के निधन पर शोकोद्गार	41–45
पुलिस चौकी इन्चार्ज परेड, कानपुर द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में दिनांक 17 मार्च, 1986 को हुए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण हेतु आज की कार्य सूची में न सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	45–46
विधान सभा क्षेत्र दातागंज, बदायूं के बाढ़ पीड़ितों को गृह अनुदान दिये जाने में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46
प्रदेश में मिट्टी के तेल की आपूर्ति में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46–47
फिरोजाबाद, आगरा के कतिपय ग्रामों में यमुना नदी की कटान किसानों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
निर्वाचन क्षेत्र मांट, मथुरा में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	48
जनपद कानपुर देहात में मद्रदूपुर तथा भौंसाना राजबाहों में पानी की कमी से किसानों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
प्रदेश के जिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में की गयी नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण आदेश की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	48–49
बागपत, मेरठ में यमुना नदी के कटान से हजारों बीघा जमीन हरियाणा प्रदेश में चले जाने से कृषकों में भय व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	49
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	49
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	49–50
उत्तर प्रदेश शोरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 .. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	50
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	50

विषय

ग्राम सोंगर तहसील शाहगंज, जौनपुर एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) .. 50

हरिद्वार को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) 50

जनपद गाजियाबाद के कस्बा लोनी को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) .. 50

जनपद बस्ती के टेढ़री सोहांस के जनुआर मार्ग नाले पिठनी घाट पर पुल बनाये जाने तथा पिचरोड कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) 51

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 51–59

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या—20, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या—21, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या—27, गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या—29, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) अनुदान संख्या—30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या—39, नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या—42, न्याय विभाग, अनुदान संख्या—45, प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या—82, सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या—83, सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या—86, सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या—87, सार्वजनिक उद्यम विभाग (जारी) 60–104

वित्तीय वर्ष 1985–86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किया गया) 104

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या—20, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या—21, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या—27, गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या—29, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या—30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या—39 नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या—42, न्याय विभाग, अनुदान संख्या—45, प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या—82 सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या—83, सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या—86, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या—87, सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) 104–118

चार्ल्स शोभराज के तिहाड़ जेल से भाग जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास 118

विषय	पृष्ठ-संख्या
1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या--38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ..	119
अनुदान संख्या--40 नियोजन विभाग....(स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या--41 निर्वाचन विभाग....(स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या--46 प्राविधिक शिक्षा विभाग....(स्वीकृत)	119-120
अनुदान संख्या--52 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग....(स्वीकृत)	120
चार्ल्स शोभराज के तिहाड़ जेल से भाग जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	120
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	120
भदोही ऊलेन्स मिल्स लि0 वाराणसी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गबन के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	121-125
कु0 कृष्णा रावत, सदस्य विधान सभा को क्षेत्राधिकारी मोहनलाल गंज, श्री महेन्द्र सिंह राठौर द्वारा अपमानित किये जाने के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	125-126
तत्कालीन परिवहन मंत्री, श्री संजय सिंह के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	126
प्रशासन द्वारा दिनांक 1-10-85 को सचिवालय का गेट बन्द करके सदस्यों को उनके विधायिकी कार्य में बाधा पहुंचाये जाने के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	126-127
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	127-130
नस्थियां	131-143

विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।—

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किशन लाल, श्री (पीलीभीत)
किशन लाल दिलेर, श्री (अलीगढ़)
किशन सिंह तड़ागी, श्री (नैनीताल)
गौरी शंकर भइया, श्री (बलिया)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
जयराम वर्मा, श्री (फैजाबाद)
देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
नरेन्द्र देव, श्री (मिर्जापुर)
नरेश चन्द्र, श्री (लखनऊ)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री (कानपुर)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बसन्त सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
बालेश्वर, श्री (देवरिया)
बैजनाथ, श्री (देवरिया)
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री (फर्रुखाबाद)
महराज सिंह, चौधरी, (इटावा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मैनेजर सिंह, श्री (बलिया)
रणजीत, श्री (देवरिया)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजा मोहम्मद अमीर (सीतापुर)
मोहम्मद खां, श्री
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राजेन्द्र शर्मा, श्री (मेरठ)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
राजेश कुमार खेरा, श्री (ललितपुर)
राम आसरे, श्री (सुल्तानपुर)
राम औतार मिश्र, श्री (शाहजहांपुर)
(उर्फ ननकू)
रामगोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
राम चन्द्र बक्स सिंह, श्री (बाराबंकी)
रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री (गोंडा)
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री (बलिया)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव बख्श सिंह राठौर, श्री (मैनपुरी)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शेर बहादुर सिंह, श्री (फैजाबाद)
सन्तन घड़थ्वल, श्री (चमोली)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सुरेश चन्द्र, श्री (नैनीताल)
हरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हर्ष वर्धन, श्री (गोरखपुर)

नोट :—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पशुधन विकास सहायकों के अवकाश प्रकरण पर पशुधन निदेशक से मांगी गई आख्या

**1--डाक्टर बंगाली सिंह--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पशुधन (1) अनुभाग निदेशक, पशुपालन विभाग से पशुधन विकास सहायकों के अवकाश प्रकरण पर पत्र संख्या 4255/12-ई-1-13-16 (34)/78, दिनांक 28 अक्तूबर, 1980 के द्वारा कोई आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पशुधन निदेशक द्वारा अभी तक उक्त आख्या शासन को नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो लगभग 5 वर्षों तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

जी हां ।

निदेशक, पशुपालन विभाग की उक्त आख्या शासन में दिनांक 10 मार्च, 1986 को प्राप्त हुई है ।

श्री पडलिया से वेतन सहित अवकाश को वेतन-सहित अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रकरण निदेशक के कार्य क्षेत्र में होने के कारण श्री पडलिया का प्रत्यावेदन निदेशालय में प्राप्त कर विचारोपरान्त पत्र दिनांक 14 जनवरी, 1983 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था । श्री पडलिया के पुनः निवेदन पर प्रकरण पर पुनरावलोकन के उपरान्त निदेशक के पत्र संख्या--7491/स्था0(ब), दिनांक 8 अक्तूबर, 1984 द्वारा प्रत्यावेदन पुनः अस्वीकृत कर दिया गया । श्री पडलिया द्वारा निदेशक के निर्णय, दिनांक 8 अक्तूबर, 1984 के पश्चात् शासन में पुनः दिनांक 10 दिसम्बर, 1984 को प्रत्यावेदन की अग्रिम प्रति भेजी जिस पर निदेशक की आख्या, दिनांक 10 मार्च, 1986 को प्राप्त हुई जो परीक्षणाधीन है । श्री पडलिया के मामले में निदेशालय स्तर पर कार्यवाही चल रही थी, अतः कार्यवाही न किये जाने हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं प्रतीत होता ।

डा0 बंगाली सिंह--

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1978 में प्रार्थी ने जो अभ्यावेदन दिया था, 1986 में उसकी आख्या प्राप्त हुई है, तो इन 8 वर्षों में यह अभ्यावेदन कहां रहा, कहां पड़ा रहा ? इसकी छानबीन क्या की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

यह पशुधन विकास सहायक के 4 सप्ताह की छुट्टी के मामले को नियमित करने का मामला है । इसकी पृष्ठभूमि यह है कि इनका स्थानान्तरण अल्मोड़ा कर दिया गया, किन्तु यह गये नहीं, इन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया और यहां पर प्रभाव डलवाते रहे । उसके बाद कुछ परिस्थिति देखकर इनका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया और इन्होंने यहां ज्वाइन कर लिया । इस बीच में यह न छुट्टी पर रहे न कहीं काम ही किया । तब इनसे कहा गया कि बीच के समय को नियमित कराना चाहते हैं तो डाक्टरी प्रमाण-पत्र दे दीजिये और इस हेतु इनका फार्म भी दिया गया । लेकिन इन्होंने कोई डाक्टरी प्रमाण-पत्र नहीं दिया । इसलिये तीन बार इन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया और तीनों बार से निरस्त कर दिया गया । इन्होंने प्रार्थना-पत्र 17 अप्रैल, 1978 को और 14 अप्रैल, 1984 को दिया

और आगे दिया, सभी निरस्त होते रहे। यह निदेशक के अधिकार क्षेत्र की बात थी वह अपने यहां से उनका निस्तारण करते रहे।

डा० बंगाली सिंह--

क्या यह सही है कि श्री पडलिया को बिना वेतन का अवकाश दिया गया। इसका क्या औचित्य है? जबकि वित्त नियमावली खंड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 85(ए) के अनुसार वेतन रहित विशिष्ट अवकाश तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि उसके खाते में कोई भी अवकाश अवशेष न हो। श्री पडलिया के खाते में जुलाई, 1977 को 53 दिन का अर्जित अवकाश शेष था और उक्त अवधि में उन्होंने चिकित्सा अवकाश की मांग की थी? क्या शासन श्री पडलिया को उक्त अवधि का अर्जित अथवा चिकित्सा अवकाश स्वीकार करने का निर्णय लेगी?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने वह पढ़ दिया जो श्री पडलिया ने अपने आवेदन-पत्र में दिया है। इसमें आप देखें कि एक कर्मचारी ने छुट्टी लिया उसके बाद वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है और जब अनुपस्थिति को रेगुलराइज करने के लिये कहा जाता है कि आप मेडिकल प्रमाण-पत्र दे दीजिये तो उसका पालन वह नहीं करते हैं। ऐसे में क्या विकल्प रह जाता है सिवाय उसके आवेदन-पत्र को निरस्त करने के अलावा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, दो बार उनका प्रमाण-पत्र निदेशक के कार्यालय से निरस्त हुआ। तीसरी बार उसने शासन को दिया जो विचाराधीन चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह क्या बिन्दु थे जिनके आधार पर उनके पहले प्रार्थना-पत्रों को निरस्त किया गया। जब उनका ट्रान्सफर कर दिया गया और उनका अर्जित अवकाश शेष है तो उसको न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसमें एक रूप-पत्र होता होता है जिसके आधार पर प्रार्थना-पत्र दिया जाता है। उसको उन्होंने दाखिल नहीं किया। इस आधार पर उनका आवेदन-पत्र निरस्त किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिये मैं पहाड़ पर जाने के लायक नहीं हूं। मुझे यहां रोक दिया जाय। इस पर उनको रूप पत्र दिया गया और कहा गया कि मेडिकल कराकर दे दीजिये, जो उन्होंने नहीं दिया। आप उससे कराकर दे दीजिये तो हम कर देंगे। कोई आधार तो हो करने का।

डा० बंगाली सिंह--

मान्यवर, श्री पडलिया ने 10-12-84 को आवेदन पत्र दिया था और उसके बाद स्मरण-पत्र भी भेजे लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो इस संबंध में सदन को गुमराह करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह--

कार्यवाही पडलिया के खिलाफ करें या किसके खिलाफ करें।

बंधुआ मजदूरों की पुनर्वासन योजना

**2--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी तथा श्री सरदार सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो वह क्या है?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

उत्तर प्रदेश में बन्धुआ श्रमिक पुनर्वासन योजना चलाई जा रही है। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत प्रति बन्धुआ श्रमिक को जीवनयापन हेतु 4000 रु0 की आर्थिक सहायता वस्तुओं के रूप में प्रदान की जाती रही है। अब आगामी वित्तीय वर्ष से यह धनराशि बढ़ाकर 6250 रु0 प्रति बन्धुआ श्रमिक की जा रही है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बन्धुआ मजदूरों का पता करने के लिये शासन ने किस तंत्र की स्थापना की है और अब तक कितने जिलों में बंधुआ मजदूरों का पता लगा है ? उनको कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में दी गयी है इसके बारे में बताने की कृपा करें ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इस समस्या के निवान हेतु प्रत्येक जनपद में एक सतर्कता समिति का निर्माण किया गया है। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें दो सामजिक कार्यकर्ता होते हैं जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जाते हैं। जिला स्तर के ग्राम विकास के 3 अधिकारी जो उसी जिले में कार्यरत हों, होते हैं, इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं का एक प्रतिनिधि जो उसी जिले में कार्यरत हो, होता है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य होते हैं। तो यह जिला स्तर पर कमेटी होती है और सब डिवीजन स्तर पर भी एक कमेटी होती है जिसके अध्यक्ष एस0 डी0 ओ0 होते हैं या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होते हैं। माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते हैं कि क्या कार्यवाही की गयी है, तो इन विजिलेंस कमेटियों से कहा गया है कि आप बन्धुवा मजदूरों का जहां कहीं हों उनका पता लगायें और यह कारण है कि अभी तक इन कमेटियों के सहयोग से और स्क्रीनिंग कमेटी जो प्रदेश स्तर पर है उसके डायरेक्शन में मार्च, 1985 तक 12709 लोगों को सहायता प्रदान की गयी है।

अब यह संख्या 28-2-86 को बढ़कर 15,907 हो गये हैं। इस तरह से मैंने उसको पुनर्वासित किया है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मैंने तीन प्रश्न किए थे, उनका उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बंधुआ मजदूर घोषित करने का आपका माप दण्ड क्या है और अभी तक कितने बंधुआ मजदुर शेष हैं और उनकी आप क्या मदद करने जा रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर—

बंधुआ मजदूरों की संख्या जानने के लिए जैसा कि मैंने अभी भी कहा था जिलाधिकारियों के माध्यम से सर्वे करा-कर इनकी जानकारी कराते रहते हैं, और जहां-जहां से सूचना मिलती रहती है, उनसे कान्टेक्ट कर उनका फिर आईडेंटीफिकेशन होता है और जब आइडेंटीफाई हो जाता है तब उन्हें मुक्त कराया जाता है और फिर उन्हें पुनर्वासित किया जाता है।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि प्रदेश के कितने जिलों में बंधुआ मजदूरों का अब तक पता लगा है और नं0 2 यह कि इन बंधुआ मजदूरों की परिभाषा क्या है ? जो आपकी कमेटी बनी है, उनका माप-दण्ड इस सम्बन्ध में क्या रहा है ? या केन्द्र सरकार के किसी निर्देशन पर आप इन्हें बंधुआ मजदूर मान लेते हैं अर्थात किस आधार पर आप बंधुआ

मजदूरों का चयन करते हैं, इसे बताने की कृपा करें ?

श्री गौरी शंकर—

बंधुआ मजदूर की जो परिभाषा है वह यह है कि "ऐसे श्रमिक जिनसे सेवा योजक द्वारा ऋण की धनराशि वापस न चुकाने का बहाना बनाकर बलपूर्वक बिना मजदूरी दिए या नगण्य मजदूरी देकर कार्य लिया जाता है और उसको अन्यत्र रोजगार पाने की स्वतंत्रता से एवं स्वच्छन्दता से जहां वह चाहे घूमने से वंचित रखा जाता है, बन्धुआ श्रमिक की श्रेणी में आते हैं।" और दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है कि कहां-कहां से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुयी है, वह 17 जिले हैं जैसे बांदा (मानिकपुर), इलाहाबाद (शंकरगढ़), मिर्जापुर, वाराणसी, फतेहपुर, बांदा, हरदोई, इलाहाबाद, झांसी, शाहजहांपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर-खीरी, हमीरपुर, मेरठ, रायबरेली तथा सीतापुर आदि जनपद हैं, यह तो मैदानी क्षेत्र के हैं और यदि आप पहाड़ी क्षेत्र की सूचना चाहें तो वह देहरादून, उत्तरकाशी और टेहरीगढ़वाल आदि जनपदों से बन्धुआ-मजदूरों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और भारत सरकार ने जिस प्रकार से आदेश दिए हैं, उसी हिसाब से उन्हें पुनर्वासित किया जा रहा है।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, अभी भी बन्धुआ मजदूरों की जो परिभाषा माननीय मंत्री जी ने बतायी है, तो उधर जितने लोग भी बैठे हैं, उनकी स्थिति को ही इन्होंने परिभाषित कर दिया है (हंसी)। अब मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपका बन्धुआ मजदूर मानने का मानक क्या है ?

श्री गौरीशंकर—

मान्यवर, इनके बन्धुआ मजदूर माने जाने का मानक वही है परिभाषा वही है जो मैंने अभी सदन के समक्ष परिभाषित किया है कि इसकी सूचना जिलाधिकारियों द्वारा किए गये सर्वे के आधार पर एकत्रित कर आईडेंटीफाई हो जाने के बाद, उन्हें पुनर्वासित किया जाता है।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। मान्यवर, यह बड़ी विडम्बना की बात है कि अभी प्रदेश में कई जगहों पर बन्धुआ-मजदूरों से इस प्रकार के कार्य लिये जा रहे हैं, और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, सर्वे हो रहा है और इस ओर बहुत कार्य हो रहा है। मैंने अपने जनपद उन्नाव के सम्बन्ध में, जहां बहुत से बन्धुआ मजदूर हैं, इनके बारे में मैंने लिखित रूप से शासन को व वहां जिला प्रशासन को भी सूचना दे चुका हूं। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरी उस सूचना पर उन्नाव जनपद के उन बन्धुआ मजदूरों को रिहा करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैंने अभी जिन जनपदों का संदर्भ दिया है, उनकी सूचना तो मेरे पास है। इसके अतिरिक्त भी यह जानकर कि कदाचित अन्य जनपदों में भी ऐसी समस्या हो सकती है, तो 21 सितम्बर, 1985 को श्रम विभाग की ओर से एक शासनादेश गया जिला मजिस्ट्रेट, बांदा, बस्ती, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, रायबरेली और मैनपुरी को कि आपके यहां इस तरह की बात है लेकिन अभी इनके यहां से सूचना नहीं आयी है। माननीय सदस्य ने उन्नाव की सूचना दी। अगर वहां पर भी कोई बांडेड लेबर कार्यरत हैं, तो उनको भी वह सुविधा उपलब्ध करा दी जायगी।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मंत्री जी ने जिन 17 जिलों का उल्लेख किया है कि बन्धुआ मजदूर का पता 17 जिलों में चला है। यह 1977 के सर्वेक्षण के आधार पर

हूं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शेष जिलों का भी सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ? मेरी सूचना को सही मानकर कि टेहरी बांध पर कार्यरत चहल इंजीनियरिंग कम्पनी, मिलगना नदी को खोदने वाली थापर कम्पनी और पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत कांटीनेन्टल कंस्ट्रक्शन कम्पनी में बन्धुआ मजदूरों की बड़ी संख्या है, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरीशंकर--

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता हमारी भी चिन्ता है । मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि टेहरी बांध पर इस तरह के बन्धुआ कार्यरत हैं । मान्यवर, इसकी जांच करवा ली जायगी । मान्यवर, जिलाधिकारी को यह निर्देश गये हैं कि वह यह सूचना भेजें कि बन्धुआ मजदूर कहां-कहां पर हैं । उनको यह सूचना भेजना चाहिए ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

मान्यवर, टेहरी बांध परियोजना में जिन कम्पनियों के मजदूर हैं, उनके सम्बन्ध में भूतपूर्व जिला जज श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल ने एक रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को भेजी और उस पर उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार को जांच करने के लिए लिखा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह जांच की गयी और यदि की गयी, तो इसमें क्या तथ्य पाये गये हैं ?

श्री गौरीशंकर--

मान्यवर, अभी जो टेहरी बांध परियोजना में जांच कराई गयी, तो वहां पर कोई ऐसी सूचना नहीं मिली । मान्यवर, इसको पुनः दिखवा लिया जायगा । अभी तक जो अद्यतन स्थिति है, वहां पर कोई बन्धुआ मजदूर से काम नहीं लिया जा रहा है । बांडेड लेबर की तरह से वहां पर कोई काम नहीं कर रहा है ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, जनपद गाजियाबाद और मेरठ के अन्तर्गत भट्ठों पर ईंटा पाथने का काम जो मजदूर करते हैं, क्या वह भी बन्धुआ मजदूर में आते हैं ।

श्री गौरीशंकर--

मान्यवर, आइडेंटीफाइड जब बन्धुआ मजदूर नहीं होगा । ऐसा मजदूर जिनसे सेवायोजक द्वारा ऋण की धनराशि वापस न चुकने का बहाना बनाकर बलपूर्वक बिना मजदूरी दिये या नगण्य मजदूरी देकर कार्य लिया जाता है और उसको अन्यत्र रोजगार पाने की स्वच्छन्दता एवं स्वतंत्रता से जहां वह चाहे घूमने से वंचित रखा जाता है बन्धुआ मजदूर की श्रेणी में आते हैं ।" तब तक उसको पुनर्वासित नहीं किया जा सकता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] ।

*श्री कनक सिंह --

[दिनांक 12-3-86 को ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

शारदा सहायक खंड नं0 32, आजमगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र के सम्बन्ध में जांच

*2--श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री बलराम यादव--

विधान सभा के प्रथम पत्र 1986 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित श्री भीखाराम के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के ग्राम्य विकास विभाग की जांच कराये जाने के बाद प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा पुनः जांच कराने का औचित्य क्या था

और यह किसके आदेश से किया गया था ? दोनों जांचों में विरोधाभास के बाद विशेष सचिव सिंचाई विभाग को ही अध्यक्षता में ही समिति गठित करने का प्रयोजन क्या है ? क्या सिंचाई मंत्री जी इस समिति का वित्त विभाग के अन्तर्गत गठन करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)--

ग्राम्य विकास विभाग की संस्तुति के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु विस्तृत छानबीन करने के लिए प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को शासन द्वारा निर्देश दिया गया था। ग्राम्य विकास विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा की गई जांचों में परस्पर विरोधी संस्तुतियां की गई थी, अतः इस परिस्थिति में इस मामले में अन्य स्तर से जांच कराना आवश्यक था जिसके लिए एक समिति का गठन शासन के आदेशों द्वारा किया गया, जिसमें सिंचाई विभाग के विशेष सचिव वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण अध्यक्ष थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को दिनांक 12 मार्च, 1986 को प्रस्तुत कर दी है। अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, यह जो माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है, लगभग यही उत्तर उस प्रश्न का भी था जिस पर यह पूरक प्रश्न हम लोगों ने किया है जब ग्राम्य विकास विभाग की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई फिर सिंचाई विभाग से उसकी जांच कराई गई और दोनों में विरोधाभास हो गया तो फिर उसकी जांच किसी दूसरे विभाग से या वित्त सचिव से क्यों नहीं कराई गई और जो जांच समिति गठित की गई उसमें कौन-कौन से सदस्य थे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, शासन ने चूंकि इन दोनों में विरोधाभास थे इसलिए यह जांच हाई लेबिल कमेटी से कराई। उसमें श्री महेश चन्द्र, विशेष सचिव, सिंचाई, श्री कैलाश चन्द्र वार्ष्णेय, मुख्य अभियन्ता (गंडक) तथा श्री जंग बहादुर सिंह, निदेशक, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पीरपुर हाउस, बटलर पैलेस थे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, एक जांच की गई उसमें दोनों में विरोधाभास हुआ इसलिए एक समिति गठित की गई। यह समिति वित्त विभाग के माध्यम से क्यों नहीं गठित की गई ? मैंने पहले भी यही प्रश्न किया था परन्तु उसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया। मैं पुनः उस पर बल देता हूं। फिर सिंचाई विभाग के ही अन्तर्गत जांच क्यों की गई उसमें ग्राम्य विकास के किसी अधिकारी को क्यों नहीं रखा गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि दोनों रिपोर्टों में विरोधाभास था इस लिए शासन ने यह उचित समझा कि एक हाई लेबिल कमेटी का गठन किया जाय और वह किया गया। मान्यवर, जो माननीय सदस्य की आपत्ति है कि सिंचाई विभाग के ही अधिकारियों को क्यों रखा गया तो उसमें एक गैर सरकारी सदस्य भी रखा गया था और वह इसी लिए रखा गया था कि वह देखेगा कि समिति सही जांच कर रही है या नहीं।

श्री बलराम यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक खन्ड 32 द्वारा यह कार्य किया गया और इसमें 18 लाख रु0 के धन के दुरुपयोग का मामला था। इस मामले की श्री भीखाराम विधायक तथा श्री रामरतन एडवोकेट ने शिकायत की थी और जब इसकी जांच ग्राम्य विकास विभाग के सचिव द्वारा की गई तो उसमें सिंचाई विभाग के एक्जीक्यूटिव

इंजीनियर को दोषी पाया गया तो यह कौन सा औचित्य था कि केवल सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा इसको जांच करवाई गयी, यह केवल एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को बचाव के लिए दूसरी बार जांच की आवश्यकता पड़ी। यह किसके आदेश से और किसके निवेदन पर पुनः सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच कराने का प्रश्न उठा ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जांच रिपोर्ट आती है तो नियमानुसार विभागाध्यक्ष से आख्या मांगी जाती है। सभी बिन्दुओं की जांच कराई गई जो पहली जांच थी ग्राम्य विकास विभाग की और जो सिंचाई विभाग की जांच रिपोर्ट थी दोनों में विरोधाभास था, इसी लिए शासन उच्च स्तरीय समिति से जांच कराना आवश्यक समझा।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यह एन0 आर0 ई0 पी0 का पैसा था। ग्राम्य विकास विभाग ने किन बिन्दुओं पर जांच की, उच्च स्तरीय समिति ने किन-किन बिन्दुओं पर जांच किया और सिंचाई विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग की जांच रिपोर्ट में किस-किस बिन्दु पर विरोधाभास था ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

4 बिन्दूओं की जांच कराई गई। शारदा सहायक खन्ड 32 द्वारा फूल चन्द, रजबहा नहर के 13 किलोमीटर सर्विस रोड को चौड़ा करके सोलिंग करके ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित की गई 18.63 लाख रुपये की धनराशि के विरुद्ध किये गये मिट्टी के सभी कार्य...

श्री मोहम्मद मसूद खां--

हमने यह नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी इन्होंने पूछा है कि किन-किन बिन्दुओं पर जांच कराई गई, दूसरा सिंचाई विभाग और ग्राम्य विकास विभाग से जांच दो बार क्यों कराई गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

नहीं मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि ग्राम्य विकास विभाग की जांच रिपोर्ट में और सिंचाई विभाग की जांच रिपोर्ट में किन-किन बिन्दुओं पर विरोधाभास है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

4 बिन्दुओं पर जांच कराई गई थी। जो आख्या आयी उस पर हेड आफ डिपार्टमेन्ट से कार्यवाही करने के लिये कहा गया, उन्होंने कार्यवाही करने के लिये पुनः जांच कराई सिंचाई विभाग से और जो रिकमेन्डेशन सिंचाई विभाग ने किया, उसमें और ग्राम्य विकास विभाग की संस्तुति में विरोधाभास था। इसलिए शासन ने उचित समझा कि इन 4 बिन्दुओं पर उच्च स्तर की समिति से जांच करा ली जाय।

श्री सुखपाल पान्डे--

ग्राम्य विकास विभाग की रिपोर्ट, सिंचाई विभाग की जांच रिपोर्ट और उच्च स्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट को मन्त्री जी सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

ग्राम्य विकास विभाग ने जो जांच की थी उसमें उसने अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता को दोषी पाया था लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा जो जांच की गई, उसमें दोनों अधिकारियों को दोषोन्मुक्त किया गया था। इसीलिए शासन ने हाई लेबिल कमेटी से इसकी जांच कराना उचित समझा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जो हाई लेबिल कमेटी बनी उसमें ग्राम्य विकास विभाग के हाई लेबिल अधिकारी को क्यों नहीं रखा गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

यह शासन के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किसको रखे किसको न रखे।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, जो अंतिम रिपोर्ट आयी है उसमें कौन-कौन से दोष सिद्ध पाये गये और कौन-कौन लोग दोषी पाये गये ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, 12 मार्च को जो रिपोर्ट आयी है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है और उसके उपरान्त ही कहा जा सकता है कि कौन अधिकारी दोषी है ।

मथुरा में खारा पानी समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

*3--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में खारा पानी की गम्भीर समस्या व्याप्त है जिसके कारण उक्त जनपद में राजकीय नलकूप नहीं लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो शासन इस समस्या के समाधान के लिए क्या-क्या वैकल्पिक व्यवस्था सिंचाई हेतु कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन मांट ब्रांच, गंगा कैनाल व अपर आगरा कैनाल की सिंचन क्षमता दुगुनी करने की कृपा करेगा जिससे रबी जायद की फसलों के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मथुरा जनपद के कुछ भाग में भूगर्भीय जल सामान्यतः खारी है । इन क्षेत्रों में प्रायः नलकूप सफल नहीं है ।

वर्तमान सिंचाई साधनों के अतिरिक्त यद्यपि ऐसी कोई भी वैकल्पिक सिंचाई योजना इस समय निर्माणाधीन नहीं है जिससे निकट भविष्य में वर्तमान स्थिति में सुधार हो सके । गंगा घाटी में कतिपय जलाशय परियोजनायें निर्माणाधीन तथा विचाराधीन हैं जिनके पूरे होने पर रबी व जायद की फसलों की सिंचाई के समय नदी में पानी की कमी की पूर्ति व मांग के अनुसार नियोजित एवं नियंत्रित ढंग से छोड़ा जा सकेगा व पानी की कमी की स्थिति में सुधार होने की आशा है ।

नदियों में जल मात्रा सीमित होने के कारण गंगा नहर की मांट शाखा व आगरा नहर की क्षमता दुगनी करना सम्भव नहीं है ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के प्रथम भाग में यह स्वीकार किया है कि मथुरा जनपद में कुछ हिस्सों में खारी पानी है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि मथुरा के जिन हिस्सों में मीठा पानी है, जिससे सिंचाई हो सकती है, क्या सरकार उन हिस्सों में नलकूप लगाने की कृपा करेगी ? दूसरी बात यह कि जैसा कि आपने अपने उत्तर के अंतिम भाग में कहा है कि मांट ब्रांच और आगरा कैनाल की क्षमता दुगनी नहीं कर सकते हैं, तो क्या मथुरा जनपद की समस्या को देखते हुए उसकी क्षमता कुछ बढ़ाकर ड्योढ़ी या सवाई करने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, अब तक इस जनपद में 36 नलकूप लगाये गये, इनमें से से 20 नलकूप खारी पानी के निकल गये और पांच नलकूप और खारी पानी के निकल गये । इस तरह से केवल सिपाऊ ब्लाक के 11 नलकूप ही मीठे पानी के हैं । शासन भूगर्भ जल सर्वेक्षण से इसका पूरा सर्वेक्षण करा रहा है, उसके बाद जो परिणाम होंगे उसके अनुसार शासन कार्यवाही करेगा ।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, माननीय सदस्य सरदार सिंह ने आगरा के बारे में सवाल किया । यह पूरे प्रदेश का प्रश्न है । ऐसे बहुत से इलाके प्रदेश में हैं जहां पानी इतना खारी है कि लोग पी नहीं सकते । उसमें मैनपुरी, बदायूं तथा और भी प्रदेश के इलाके हैं । मैं माननीय मंत्री जी से

जानना चाहूंगा कि क्या वे प्रदेश के ऐसे सभी इलाकों को सर्वे कराकर ऐसी योजना बनाएंगे ताकि आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान हो सके और प्रदेश के नागरिकों के लिये पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था हो सके ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, शासन को इसकी बहुत चिंता थी, इसलिये शासन ने इस पर पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण कराने के आदेश दिये । उसमें कुछ सर्वेक्षण हो गया है । पूरा सर्वेक्षण शीघ्र हो जायगा और जो योजना भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत की जायगी उस पर शासन विचार करेगा ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आगरा और मथुरा दोनों जिले खारे पानी से प्रभावित हैं । सृजन क्षमता आप नहरों की बढ़ायेंगे नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों से होकर जो नहरें जाती हैं, क्या इन नहरों के किनारे ट्यूबवेल लगवायेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, जो उथले ट्यूबवेल इन नहरों के किनारे पहले लगवाये गये थे, वह खारे पानी के निकले ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि मथुरा जनपद में अधिकांश जो नलकूप लगे, वह खारे पानी के निकल गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां जो स्टेटा नलकूप का ड्रेन किया गया, कितना किया गया है ? क्या यह सही है कि उससे भी नीचे गहराई पर स्टेटा पर, मीठा पानी प्राप्त होता है । यदि हां, तो क्या मथुरा जनपद में गहरे नलकूप लगवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, यह परीक्षण चल रहा है । जो अभी तक हमने 350 फिट तक गहरे नलकूप लगवाये, वहां खारा पानी निकला गहरे नलकूप लगाने के लिये भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन परीक्षण कर रहा है । परीक्षण के उपरान्त जो परिणाम निकलेंगे, उस पर शासन विचार करेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जनपद मथुरा में कितना भूमिगत जल है और उस भूमिगत जल में कितना खारा पानी है ? और, उस खारे को दूर करने के लिये शासन क्या कदम उठाने जा रहा है ? मान्यवर, यह जो सांख्यकीय डायरी उपलब्ध हुई है इसके पृष्ठ 148-149 पर दिया है कि मथुरा में कितना भूमिगत जल है । सरकार द्वारा यह डायरी छपवायी गयी है । मंत्री जी को यह मालूम है या नहीं यह मैं नहीं जानता मैं यह जानना चाहता हूं कि मथुरा जनपद में कितना भूमिगत जल है और उसमें कितना प्रतिशत खारा पानी है ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो डायरी में दे ही दिया है ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, इसके अन्तिम भाग में यह उल्लेख है कि आगरा नहर की क्षमता दुगनी करने में यह असंभव है । मान्यवर, माननीय लक्ष्मी नारायण जी के कुछ दिन पूर्व पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने यह कहा था कि आगरा नहर का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, 4 हजार तक उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं । तो, इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही समझा जाय ।

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, मेरे दोनों उत्तर सही हैं । पहले उत्तर में मध्य गंगा कैनाल में खरीफ में जो पानी हमारा होगा, वह देंगे और आगरा कैनाल को आधुनिकीकरण खरीफ के लिये किया जा रहा है ।

श्री प्रदीप माथुर--

मैं यह जानना चाहता हूं कि मथुरा और आगरा जनपद में कहां-कहां सर्वेक्षण कराया गया और क्या वहां गहरे नलकूप लगवाने का आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो कह चुके हैं कि इतने फिट तक गये हैं ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर में यह दिया है कि मथुरा जनपद के कुछ भाग में भू गर्भ जल सामान्यतः खारा है, यह बताने का कष्ट करें कि कितना प्रतिशत खारा है और कितना प्रतिशत मीठा पानी है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, जो मथुरा जनपद की ब्लाक वाइज स्थिति है, उसके अन्तर्गत नन्दगांव ब्लाक में यह 50 प्रतिशत जो पानी है, खारा निकला है उथले नलकूपों में ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

विसुनपुरा परसिया देवरा रोड बांध को जनपद आजमगढ़ तक निर्माण कराकर सूर्यपुर बांध में मिलाने की योजना

*1--विष्णु देव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरहज बाजार देवरिया में घाघरा नदी के दक्षिण बिसुनपुरा देवरा से बहरज घाट के पास तक नये बांध का निर्माण हुआ है, परन्तु उसे दक्षिण पश्चिम, नसरुल्लाहपुर, जनपद आजमगढ़ होते हुए सरंगापुर सेमरा के पास सूर्यपुर बांध में नहीं मिलाया गया है, जिससे इस नये बांध की उपयोगिता व्यर्थ सिद्ध हो रही है ? यदि हां, तो क्या उस बांध से नसरुल्लाहपुर, सांरगपुर व सेमरा जनपद आजमगढ़ तक बांध का निर्माण कराकर सूर्यपुर बांध में मिलाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक संभव हो जायेगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

बिसुनपुरा परसिया देवार रोड कम-बन्धा का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, देवरिया द्वारा किया गया है । उपरोक्त बांध को सुरजपुर बांध से मिलाने के बारे में आवश्यक विचारोपरान्त तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं पाया गया । अतः इस प्रकार की कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

श्री विष्णु देव--

मान्यवर, यह मामला घाघरा नदी और सूरजपुर के बीच की दूरी में बांध बनाने का है । नदी की ओर तो 2/3 बांध बन गया है और 1/3 बांध बनना शेष है । माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि तकनीकी कारणों से इस बांध को बनाना उचित नहीं है । नदी की ओर जबकि 2/3 बांध बन गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में जिन अधिकारियों ने आपको गलत सूचना दी है, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे । मेरी जानकारी को सच मानते हुये कि जो बांध बना है, उससे आधी फसल की बचत हो गई है । क्या सरकार इस बात की दृष्टि में रखते हुये शेष बांध को बनाने की कृपा करेगी ।

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, जिला योजना के अन्तर्गत जो डी0 आर0 डी0 ए0 की कमेटी होती है और जो एन0 आर0 ई0 पी0 की योजना होती है, उसके अन्तर्गत इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया था

दूसरा आपने कहा कि शेष बांध को बनवा दिया जाय । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह फ्लड प्लेन में आता है, इसलिये इसे बनाना ठीक नहीं है ।

श्री विष्णु देव—

मान्यवर, नदी की ओर तो बांध बन गया है और उसमें तो एसे तकनीकी कारण नहीं थ लेकिन शेष बांध को बनाने में क्या तकनीकी कारण आ गये हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि यह क्षेत्र बाढ़ में है, इसलिये वहां पर बांध नहीं बनाया जा सकता है ।

राजकीय नलकूपों पर लगी पूंजी से अधिकाधिक सिंचाई तथा लाभ प्राप्त करने हेतु की गई कार्यवाही

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आज के मूल्यों पर, राजकीय नलकूपों पर लगभग 10 अरब रुपये की पूंजी लगी हुई है ? इस पूंजी से अधिकाधिक सिंचाई तथा लाभ प्राप्त करने के लिये सिंचाई मन्त्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जी नहीं । राजकीय नलकूपों पर 3/85 तक लगभग 5.22 अरब रुपये की पूंजी लग चुकी है ।

इस पूंजी का अधिक से अधिक सदुपयोग करने के लिये निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं—

1—अब नलकूपों पर पक्की गलों के स्थान पर भूमिगत पी0 वी0 सी0 पाइप लाइन बिछायी जा रही है जिससे दूरस्थ स्थानों तक कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सके ।

2—गत वर्षों के अधूरे नलकूपों को पूरा करने के लिये उपलब्ध धनराशि का 70 प्रतिशत अंश व्यय किया जा रहा है जिससे नलकूप पूरी क्षमता से पानी वितरण कर सकें ।

3—निर्माण खंडों से अनुरक्षण खंडों को यथा सम्भव अलग कर दिया गया है ताकि अनुरक्षण खंडों के अधिकारी नलकूपों के समुचित रख-रखाव पर अधिक ध्यान दे सकें ।

4—विश्व बैंक द्वारा निर्मित अधिकांश नलकूपों को स्वतन्त्र फीडर से जोड़ दिया गया है जिससे नलकूपों पर अधिक से अधिक विद्युत् उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा अधिक सिंचाई सुलभ करायी जा सके ।

5—विभिन्न दोषों से बन्द नलकूप बन्दी की नियमित समीक्षा की जाती है और बन्दी कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है ।

6—नलकूपों पर चालक की उपस्थिति में सुधार हेतु अब नलकूपों पर अंशकालीन नलकूप चालक रखे जा रहे हैं जो नलकूप के ग्राम के होते हैं । इससे नलकूपों के रख रखाव एवं उपयोगिता में सुधार होगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि नलकूपों की संख्या लगभग 25 हजार है जिन पर लगभग 5 दशमलव कुछ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है । जबकि मान्यवर, एक ट्यूबवेल में 6 लाख रुपये लगते हैं । अगर सरकार अपनी सम्पदा की कीमत कम आंके तो मुझे कोई एतराज नहीं है । मान्यवर,

इनके उत्तर के संदर्भ में नम्बर एक जो दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि अब नलकूपों पर पक्की गूलों के स्थान पर भूमिगत पी0 बी0 सी0 पाइप लाइन बिछायी जा रही है, तो क्या यह पाइप लाइन मात्र निर्माणाधीन नलकूपों पर बिछा रहे हैं या पुराने नलकूप, जिनकी नालियां टूट-फूट गयी हैं और खराब हो गयी हैं, उन पर भी पी0 बी0 सी0 पाइप लाइन बिछाने के आदेश देंगे ।

श्री भोला शंकर मौर्य--

अभी तक जो अवशेष कार्य हैं हमारे 5280 नलकूप ऐसे हैं, जिन पर 5698 पक्की गूलें या बी0 बी0 सी0 पाइप लाइनें बिछानी हैं । अभी तो इन्हीं पर कार्य करेंगे, इसके बाद यदि धन उपलब्ध होगा तो टूटी-फूटी नालियों की भी मरम्मत करायेंगे । जो हमारे पास अनुरक्षण के लिये बजट होता है, उसमें टूटी-फूटी नालियों को तो सुधारते ही रहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिये अंश-कालिक नलकूप चालक रखे जा रहे हैं । इस बात को देखते हुये कि उनका काम भी ठीक है, क्या सरकार, जो निर्धारित अवधि तक काम कर चुके हैं, उनका स्थायीकरण एवं उनको अन्य सुविधायें देने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री अशोक बाजपेयी--

जैसा माननीय मन्त्री जी ने बताया कि राजकीय नलकूपों पर 5.22 अरब रु0 की पूंजी लग चुकी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इनकी सिंचन क्षमता क्या है और कुल सिंचाई कितनी है ? सिंचन क्षमता के अनुरूप सिंचाई न होने का क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

इनके 27.2 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता अर्जित की जा चुकी है । कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यह सिंचन क्षमता का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं । उसमें से मुख्यतः जो बिजली है, वह 8 घंटे के आसपास मिलती है, जिसके कारण अपनी पूरी क्षमता से सिंचाई नहीं कर सकते हैं । जहां तक रख-रखाव का प्रश्न है और दूसरी बातें हैं, उनके लिये जरूर सुधार किया है और प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सिंचन क्षमता अर्जित करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

जैसा माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 8 घंटे बिजली मिलती है, तो क्या इनके लिये इनडिपेण्डेंट फीडर की व्यवस्था करेंगे, जैसा विश्व बैंक के नलकूपों का है ? दूसरी बात, जो 250 एकड़ रकबा रखा है सिंचन क्षमता का, इतनी सिंचाई नहीं हो पाती है, क्या उसको घटाकर 150 एकड़ करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जैसा हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, हम परीक्षण के लिये दो जिलों में, इस वित्तीय वर्ष में इनडिपेण्डेंट फीडर लगाने जा रहे हैं । जहां तक रख-रखाव की बात है, इसमें भी बहुत जल्द सुधार कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान--

जो ट्यूबवेल 78 से 80 के बीच बने हैं, उसमें आज तक नाली न बन सकने का क्या कारण है ? यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

ये धनाभाव के कारण नहीं बनायी जा सकीं अब जो 30 प्रतिशत नये

कामों के लिये और 70 प्रतिशत पुराने कामों के लिये किया गया है, उम्मीद की जाती है कि तीन-चार साल में जितनी अवशेष नालियां हैं, उनको पूर्ण कर लगे ।

श्री प्रधान प्रभुदयाल--

जो ये नालियां बनायी जायेंगी, ये अन्डरग्राउन्ड बनेंगी या ऊपर बनेंगी ताकि सीमेन्ट वगैरह की चोरी न हो सके ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता बड़ी स्वाभाविक है, उसको देखते हुए ही हम भूमिगत पी0 वी0 सी0 की नालियां बना रहे हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक 1986-87 जो कि सदन में वितरित की गयी है इसके पृष्ठ 270 के परिशिष्ट 2 में लिखा हुआ है कि वर्ष 1984-85 में वार्षिक मरम्मत हेतु 13, 20, 28 रु0 दिये गये और मंत्री जी के विभाग ने यह धन आरक्षित किया था । इसके आधार पर 5,684 रु0 करीब-करीब प्रति नलकूप के रखरखाव के लिये 1984 85 में आवंटित किये गये थे। वर्ष 85-86 में 7, 63, 04 रु0 कर दिया गया जब कि नलकूपों की संख्या बढ़कर 23,85,01 हो गयी । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप के संसाधन के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इसके अनुरक्षण के धन को कम किया जा रहा है । पुराने नलकूप जिनकी नालियां टूट फूट गयी हैं और बहाना बिजली का किया जा रहा है, तो क्या मंत्री जी इसकी मरम्मत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

इसी परिपेक्ष्य में शासन ने अब अनुरक्षण की धनराशि को बढ़ाकर 5,000 रु0 प्रति वर्ष कर दिया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

जो राजकीय नलकूप हैं इनको दो श्रेणी में बांट दिया गया है । एक विश्व बैंक वाले जिनमें कि पी0 वी0 सी0 की नालियां होंगी और बिजली भी 18 घण्टे दी जायेगी । दूसरे वे हैं जिनको बिजली केवल 7 घण्टे दी जायेगी । तो क्या मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि इस बात को देखते हुए कि पुराने नलकूप जो राज्य सरकार के हैं वे जनहित में लगे हुए हैं और विश्व बैंक वाले भी जनहित में ही लगाये जा रहे हैं । तो दोनों प्रकार के नलकूपों को समान विद्युत सप्लाई दी जाय ? यदि नहीं, तो विश्व बैंक के नलकूपों को अधिक समय तक बिजली देने के क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मैं इसके परिप्रेक्ष्य में निवेदन कर चुका हूं कि परीक्षण के आधार पर दो जिलों में इनडिपेन्डेन्ट फीडर की योजना लागू करने जा रहे हैं । माननीय सदस्य जो विश्व बैंक के संबंध में जानना चाहते हैं तो उससे हमने ऋण लिया है और हमारा उनसे करार है कि हम उनके लिये 18 घण्टे बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

कतिपय तहसीलों में खेती योग्य भूमि को बढ़ते हुए कटाव से हो रही राजकीय हानि को बचाने के उपाय

*3--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद, बाह, फतेहाबाद, आगरा, एत्मादपुर, खैरागढ़ में जमुना चम्बल उदगम सिरसा, सेंगर नदियों के क्षेत्र में खेती योग्य भूमि के लगातार बढ़ते कटाव से हो रही राजकीय हानि से बचाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

प्रश्नगत तहसीलों में प्रश्न में उल्लिखित नदियों द्वारा कृषि योग्य भूमि का कोई कटाव नहीं हो रहा है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को क्या मालूम है कि सेविन्थ फाइव ईयर प्लान शीर्षक भूमि और भूमि उद्योग तथा समस्याओं नामक शीर्षक में लिखा हुआ है कि 42 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि जंगलों के कटान और अन्य भमि के कटान से ग्रसित है। क्या माननीय मंत्री जी जो 42 प्रतिशत जमीन कटान से ग्रसित है क्या इसे इसी सन्दर्भ में आगरा की तहसीलों की जो भूमि कटान से ग्रसित है, इस प्रतिशत में उनका भी हिस्सा है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, मुझे जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है उसमें यह स्पष्ट है कि कोई कटान नहीं हो रहा है नदियों से।

श्री बदन सिंह--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह बिल्कुल असत्य है, नदियों की भूमि कटती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कटान नदियों के किनारे की भूमि की नहीं हो रही है तो राम गंगा परियोजना के अन्तर्गत जमीन को समतल करने की योजना क्यों चल रही है ? यह कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

उसका कृषि विभाग से ताल्लुक है।

श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इससे पहले माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनके पास संसाधन नहीं हैं कि वह इस कटान को रोक सकें। प्रदेश में कटान हो रहा है और उसको रोकने के लिये 20 हजार से 25 हजार किलोमीटर प्रति वर्ष आप बन्धे बनवाते हैं और पेड़ लगवाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से लखनऊ और जौनपुर में बन्धे बनवाये जा रहे हैं, आप बड़े-बड़े शहरों को छोड़ दीजिये छोटे-छोटे शहरों में भी कटान को रोकने के लिये बन्ध बनवा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात को ध्यान में रखते हुए कि इस बाढ़ से करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, तो क्या आप दूसरी जगह से कटौती करके इस 20 हजार और 25 हजार किलोमीटर की सीमा को और अधिक बढ़ायेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

हमारे संसाधन जितने हैं, उसी में कार्यवाही करते हैं और निरन्तर करते रहेंगे। दूसरे कार्य भी प्रायरिटी के हैं, उनमें किसी प्रकार की कटौती करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, 7वीं प्लान की यह पुस्तक है, उसी में है कि 12·3 लाख हैक्टेयर जमीन नदियों की कटान में आ गयी है और बाढ़ और वाटर लागिंग की प्राब्लम में हमारे प्रदेश की 11·41 लाख हेक्टेयर जमीन का कटान है। तो क्या इन आंकड़ों को सही मान कर और मेरी जानकारी को सही मान कर आगरा में पुनः सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी के प्रश्न के सन्दर्भ में जांच कराई गयी थी और जो सूचना मिली है, उसमें कोई नदी का कटान नहीं हो रहा है। अगर माननीय वर्मा जी कोई स्पेसिफिक बता दें और लिखकर दे दें तो मैं उसका सर्वेक्षण करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि आप लिखकर दे दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, भूमि कटान के बारे में आधार बिन्दु दे दिये गये हैं कि इतनी जमीन कट रही है । भूमि कटान से रोज खेती की जमीन का कटाव हो रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसका सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो कह ही रहे हैं कि लिखकर दे दें, सर्वेक्षण करा लिया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैंने लिखकर दे दिया है ।

श्री भोला शंकर मौर्य--

आपकी ही सूचना पर सूचना मंगाई गयी थी । तहसीलदार आगरा ने लिखकर दिया है कि वहां पर कोई भूमि का कटाव नहीं हो रहा है । तहसीलदार, फतेहाबाद और एस0 डी0 एम0, फतेहाबाद ने भी लिखकर दिया है कोई कटान नहीं हो रही है । तो सूचना उपलब्ध है, उससे जाहिर है कि कोई कटान नहीं हो हो रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कई तहसीलदारों का हवाला दिया, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी किसी अधिकारी को जो सिंचाई विभाग का हो, को भेजकर जांच और सर्वेक्षण करायेंगे और कार्यवाही करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

अगर माननीय सदस्य की यह चिन्ता है तो हम सिंचाई विभाग द्वारा ही सर्वेक्षण करा लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में जिसमें आगरा के तहसीलदार की रिपोर्ट का हवाला दिया गया । मान्यवर, मैं स्पैसिफिक गांव बता रहा हूं मऊ, गहलाना, ककरेठा, नगला-तलफी और सिकन्दरापुर आदि हैं ये सारे गांव जमुना के किनारे से 2-3 किलो-मीटर दूर थे लेकिन जमुना का कटाव होते होते गांव तक आ गया है आप कहते हैं कि तहसीलदार ने रिपोर्ट नहीं दिया । इन गांवों के जो नाम मैं बता रहा हूं इनको खाली कराना पड़ा और दूसरी भमि वन विभाग से लेकर इन गांवों को बसाया गया है । मैं यह स्पेसिफिक प्रमाण दे रहा हूं क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, लिख कर दे दें मैं जांच करा लूंगा ।

[बुधवार दिनांक 19 मार्च, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री सरदार सिंह--

[छब्बीसवें मंगलवार के ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

साधन सहकारी समिति पिथनापुर एवं अमैयापुर द्वारा चीनी वितरण में की गयी अनियमितता की जांच

*2--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में मई, जून, जुलाई सन् 85 में सम्पन्न हुई बीस सूत्रीय कार्यक्रम की बैठकों में साधन सहकारी समिति पिथनापुर एवं अमैयापुर के द्वारा शंकर वितरण में की गयी घोर अनियमितता एवं चोर बाजारी का मामला फर्रुखाबाद के बीस सूत्रीय कार्य-क्रम के प्रभारी मन्त्री की उपस्थिति में

उठाया गया ? क्या इस सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट सदर की जांच आख्या प्राप्त हो जाने और उनके द्वारा उक्त संस्थाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की स्पष्ट संस्तुति के उपरान्त माननीय राज्य मन्त्री खाद्य, श्री मानपाल सिंह जी ने अविलम्ब प्रथम सूचना रपट अंकित कराने के आदेश दिये थे। उक्त आदेश के बाद भी प्रथम सूचना अंकित न कराये जाने का क्या कारण है और दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह--

साधन सहकारी समिति, पिथनापुर द्वारा चीनी वितरण में की गयी अनियमितता का मामला माह मई तथा जुलाई 1985 की 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक में उठाया गया था। लेकिन साधन सहकारी समिति अमैयापुर का मामला नहीं उठाया गया था। माह जून 1985 की बैठक में इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं हुई।

जी हां।

माननीय राज्य मन्त्री खाद्य द्वारा दिनांक 4-7-85 की बठक में साधन सहकारी समिति पिथनापुर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने के निदेश दिये गये थे।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30-7-85 को अंकित करायी जा चुकी है।

*3--श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)--

[दिनांक 26-2-86 के ता0 प्र0 सं0 4 द्वारा उत्तरित।)

बांसी नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर बन्ध बनाने पर विचार

*4--श्री बालेश्वर यादव (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के पडरौना और सेबरही विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव और हजारों एकड़ भूमि 1980 से 85 तक लगातार बिहार के पश्चिमी चम्पारन के पिपरासी पिपराघाट तटबन्ध के टूटने से तबाह हो गयी है ? क्या उपरोक्त दोनों क्षेत्रों की जनता को बचाने के लिये सरकार बांसी नदी के किनारे किनारे उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर बन्धा बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र सहायक अभियन्ता-2 शारदा नहर बाराबंकी को प्राप्त धनराशि व मदवार व्यय

*5--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय चेक संख्या 59/184004, दिनांक 4-7-84 वास्ते 1,15,115'40 रुपये स्टेट बैंक आफ इंडिया बाराबंकी से सहायक अभियन्ता-2 शारदा नहर बाराबंकी को दी गयी थी ? क्या तत्कालीन सहायक अभियन्ता जिन्हें यह चेक दी गयी थी का स्थानान्तरण हो गया था और दिनांक 7-7-84 को कार्य मुक्त हो गये थे ? यदि हां, तो क्या चार्ज देते समय उन्होंने अपने स्थान पर पद भार ग्रहण किये हुये सहायक अभियन्ता को चेक या धनराशि दी थी ? क्या यह सही है कि उक्त चेक का भुगतान पूर्व सहायक अभियन्ता द्वारा बैंक से दिनांक 9-7-84 को कराया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त चेक का धन किसके द्वारा कब और किस मद में खर्च किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। श्री कृष्ण चन्द्र, सहायक अभियन्ता-2 शारदा नहर, बाराबंकी को रु0 1,15,115'40 स्टेट बैंक आफ इन्डिया का चेक सं0 59/184004, दिनांक 4-7-1984 अस्थायी अग्रदाय के

रूप में दिया गया था। उनका स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 7-7-1984 को वे कार्य मुक्त हो गये थे। अपने पद का कार्यभार देते समय उन्होंने उक्त चेक अथवा उसकी धनराशि अवमोचक अधिकारी को नहीं दी। उन्होंने दिनांक 9 जुलाई, 1984 को बैंक से भुगतान लेकर दिनांक 10 जुलाई, 1984, 11 जुलाई, 1984, 12 जुलाई, 1984 तथा 13 जुलाई, 1984 को मजदूरों को मजदूरी वितरित की। उक्त धनराशि दरियाबाद नहर के कि0 मी0 2 पर दिनांक 12 फरवरी, 1983 को हुई खांदी तथा तट के धंसने (बैंक के स्लीप) के मरम्मत में व्यय की गयी।

गोरखपुर एवं मेरठ मंडल के जिलापूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति में असंगति हेतु निर्देश

*6—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—(अनुपस्थित)

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1973 में गोरखपुर एवं मेरठ मंडल के जिला पूर्ति कार्यालय में प्रधान लिपिकों एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिकों की नियुक्ति हुई थी? यदि हां, तो नियुक्त पद पर लगातार पांच वर्ष कार्य करने के बाद गोरखपुर में कार्यरत कर्मचारियों को पदावनति कर दी गयी जबकि मेरठ मंडल के कर्मचारी अभी भी प्रधान लिपिक एवं ज्यष्ठ लेखा लिपिक पद पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या इस विसंगति को दूर करने के लिए शासन ने कोई निर्देश दिया? यदि नहीं, तो क्यों और इस आशय के निर्देश कब तक निर्गत किये जायेंगे?

श्री हुकुम सिंह—

गोरखपुर में प्रधान लिपिक एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर वर्ष 1973 में तथा मेरठ मण्डल में ज्येष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर वर्ष 1974 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गयी थी। उपर्युक्त नियुक्तियां नियमानुसार नहीं थी। जानकारी होने पर गोरखपुर में नियुक्त प्रधान लिपिकों तथा ज्येष्ठ लेखा लिपिकों को एक मास की नोटिस देकर सेवायें समाप्त कर दी गयी तथा कर्मचारियों की लिखित सहमति से उनकी लिपिक के पद पर पुनः नियुक्ति कर दी गयी। मेरठ मण्डल में नियुक्त उपर्युक्त ज्येष्ठ लेखा लिपिकों की सेवा समाप्त हेतु एक माह का नोटिस दिया गया था, जो बाद में उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के पूर्व ही वापस ले लिया गया था। मेरठ मण्डल में की गयी उपर्युक्त अनियमित नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही प्रक्रिया में है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

*7—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[9वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

टेहरी बांध के विस्थापितों द्वारा मांगों को लेकर किया गया आन्दोलन

*8—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि टेहरी बांध से विस्थापित अपनी समस्याओं को लेकर आन्दोलन पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं? इन विस्थापितों की मुख्य क्या-क्या मांगें हैं? सरकार ने इनके समाधान के लिए क्रमशः क्या-क्या प्रयास किये हैं? कब तक उपरोक्त विस्थापित पूर्णरूपेण पुनर्वासित कर दिये जायेंगे? इस हेतु अनुमानित व्यय कितना है?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जी हां। टिहरी बांध के विस्थापित समय-समय पर अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन करते रहते हैं। विस्थापितों

की पुर्नवास से सम्बन्धित मुख्य मांगे निम्न प्रकार हैं :—

1—पुर्नवास स्थलों पर भूमि विकास, सड़क, बिजली व पानी की सुविधा दिया जाना ।

2—विस्थापित अनुदान में वृद्धि ।

3—भवन निर्माण हेतु भण्डार निर्गत दर पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराना ।

4—दो एकड़ कृषि भूखण्ड के बदले देय न्यूनतम प्रतिकर की धन-राशि बढ़ाना ।

5—खोखो व ठेलियों पर सामान बेचने वाले व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध कराना ।

6—भवन का न्यूनतम प्रतिकर बढ़ाना ।

7—पुनर्वास स्थलों पर सार्व-जनिक सुविधाओं का रख-रखाव ।

8—विस्थापित भत्ता बढ़ाया जाना ।

9—बांध प्रभावित परिवारों को सरकारी सेवा में प्राथमिकता । उपरोक्त मांगों से सम्बन्धित शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

टिहरी बांध परियोजना हेतु मांग के अनुसार धन व भूमि उपलब्ध होते रहने पर यह कार्य वर्ष 1993-94 तक पूरा होने की आशा है । पुनर्वास कार्यों पर रु0 29.65 करोड़ व्यय होने का अनुमान है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि प्रश्न का उत्तर जिस तरह से दिया गया है, इसमें बिलकुल लापरवाही बरती गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, यह बात कहनी बहुत आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष—

यह मुनासिब नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि उनकी मुख्य मांगों को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह शासनादेश क्या है और क्या इन शासनादेशों में जैसा कि आपने एक से लेकर नौ तक मद यहां उल्लिखित किये हैं ? क्या यह मद कवर होते हैं ? इन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? क्या इन शासनादेशों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, जो मुख्य मांगे थी उसके सम्बन्ध में मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि शासनादेश जारी कर दिया गया है और अगर माननीय सदस्य इसको चाहते हैं तो मैं सदन के पटल पर इनको रख सकता हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1986-87 में टिहरी बांध परियोजना के लिए कितना धन आवंटित किया जाना है और इस बांध को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है तथा जो गांव इन्होंने विस्थापित करके रायवाला में बसाया है वहां राजाजी पार्क बनने वाला है । जिन लोगों को वहां से विस्थापित किया गया है उनको बसाने की भविष्य में क्या व्यवस्था है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत 1986-87 में 5 करोड़ रुपये का सिंचाई

विभाग में प्राविधान है । जो पुनर्वासित किये जाने की बात है उसमें रायवाला और भानियाला में पथरी ब्लाक देहरादून म जिन लोगों को बसाया है उसमें 12 परिवार अभी तक विस्थापित किये जा चुके हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि किस लापरवाही से जवाब दिया गया है, मैं उसके बारे में उदाहरण देना चाहता हूं । मैंने पूछा था कि क्या-क्या उपाय आपने किये हैं और कब तक उपरोक्त विस्थापित पुनर्वासित कर दिये जायेंगे ? इसका यह जवाब दिया गया है कि टिहरी बांध परियोजना हेतु मांग के अनुसार धन व भूमि उपलब्ध होते रहने पर यह कार्य वर्ष 1993-94 तक पूरा होने की आशा है । तो मैंने यह पूछा था कि कब तक विस्थापित पुनर्वासित कर दिये जायेंगे और यह जवाब दिया जा रहा है कि परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और वह भी तब जब कि संसाधन उपलब्ध होंगे । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को क्या आशा है कि उनको पुनर्वासित किये जाने का जो कार्यक्रम है वह 1993-94 तक पूरा होगा या इनकी योजना 1993-94 तक पूरी हो जायगी ? यदि धन और संसाधन उपलब्ध नहीं हुये और परियोजना पूरी नहीं हुई तो पुनर्वासित उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी जमीन तो ले ली गई है । तो इस सम्बन्ध में आपकी क्या योजना है और क्या जब आपकी परियोजना पूरी होगी तब आप पुनर्वासित करेंगे ? इसलिए क्या माननीय मंत्री जी, जब उनकी जमीन ले ली गई है, पहले उनको पुनर्वासित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप तो राय पूछ रहे हैं । आप प्रश्न पूछें । यह बहस का समय नहीं है ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के अन्तर्गत कितने लोग विस्थापित हुये और उनके पुनर्वासन के लिये आपने क्या-क्या व्यवस्था की है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, पुनर्वासित जो परिवार हैं उनकी संख्या 1572 है ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, मैंने पूछा है कि कितने विस्थापित लोग होंगे और उनके पुनर्वासन के लिये शासन ने कौन-कौन सी व्यवस्था की है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि 1572 परिवार हैं जो कि इस योजना के अन्तर्गत पुनर्वासित किये जाने हैं । इन परिवारों को हम भूमि देते हैं, नकद भी प्रतिकर अनुग्रह अनुदान के रूप में देते हैं, उनको वहां पर जमीन भी दे दी गई है, निजी भवनों के लिये भी प्रतिकर दे रहे हैं और जो नया टिहरी नगर है उसमें आवास बनाने के लिये भू-खन्ड भी दे रहे हैं ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में तीन सवाल पूछना चाहता हूं । पहला यह है कि टेहरी बांध के विस्थापितों के लिये भानि-वाला डोईवाला के पास जो हवाई पट्टी से लगा हुआ चौलेगांव है वहां पर अभी तक कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है । दूसरा सवाल यह है कि जिन लोगों को हवाई पट्टी के पास बसाया गया है, उनके विस्तार के समय उनको पुनः विस्थापित किय जाने के लिये सरकार के पास क्या योजना है और तीसरा सवाल यह है कि जहां पर इन लोगों को बसाया गया है वहां पर एक राजा जी पार्क बनाने की सरकार

की योजना है तो उस स्थिति में उन लोगों को कहां बसाया जायेगा ? इन सवालों का जवाब माननीय मंत्री जी दे दें ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, इसकी अभी मेरे पास सूचना नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में किला मोहम्मदी नगर ड्रेन की सफाई

*9--श्री शारदा प्रताप--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में किला मोहम्मदी नगर ड्रेन जिसमें लखनऊ शहर के आलमबाग तक का पानी जाता है, की सफाई कब से नहीं करायी गयी ? क्या इसकी सफाई की कोई रूप रेखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

प्रश्नगत ड्रेन की सफाई धन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष कराई जाती रही है और चालू वित्तीय वर्ष (1985-86) में भी कराई गई है। इस ड्रेन का लम्ब छिन्नक स्वीकृत है, जिसमें दी गई रूप रेखा के अनुसार सफाई की जाती है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, जिस ड्रेन के सम्बन्ध में यानी किला मोहम्मदी नगर ड्रेन के सम्बन्ध में जो प्रश्न किया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रेन है, लखनऊ शहर का पानी इसी ड्रेन से बहता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस ड्रेन की लम्बाई क्या है और 1985-86 में जो इसकी सफाई कराई है उस पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, इस ड्रेन की लम्बाई 39 कि0 मी0 है और वर्ष 1985 में इस पर 3 लाख 53 हजार 29 रु0 व्यय हुआ।

श्री शारदा प्रताप--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस ड्रेन को चौड़ा कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यह ड्रेन किस नदी में गिरता है ?

श्री अध्यक्ष--

यह जानकारी तो आपको होनी चाहिये। आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह ड्रेन जो सई नदी में गिरती है उसमें 6 कि0 मी0 अभी खुदाई नहीं हुई है। तो क्या इसे चौड़ा कर 6 कि0 मी0 खुदाई कर सई नदी में गिराने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, इसका हमने एल0 सेक्सन बना लिया है इसका शेष कार्य बरसात से पहले पूरा करा देंगे।

*10--श्री विजय सिंह राणा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

हरदोई जनपद में सरकारी क्रय केन्द्रों द्वारा धान की खरीद

*11--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में धान की खरीद सरकारी क्रय केन्द्रों द्वारा किये जाने के आदेश किये गये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में जनपद में कुल कितने क्रय केन्द्र खोले गये तथा अब तक कितना धान इन क्रय केन्द्रों द्वारा खरीदा गया ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह एडवोकेट)—

जी हां, प्रदेश के जिन स्थानों पर धान के बाजार भाव निर्धारित समर्थन मूल्य 142 रु0 प्रति कुन्तल से नीचे आ जायं वहां सरकारी एजेंसियों को निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुसार धान की खरीद करने के लिये निर्देशित किया गया है ।

वर्ष 1985-86 में जनपद हरदोई के विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 14 क्रय केन्द्र खोले गये और अब तक कुल 905·689 मी0 टन धान की खरीद की गयी ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, हरदोई में धान की खेती का क्षेत्रफल गेहूं की खेती के क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा है और धान की पैदावार गेहूं से अधिक होती है इसीलिये हरदोई के कई ब्लाक राइस प्लान के अन्तर्गत लिये गये हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सदर्भ में जानना चाहता हूं कि गेहूं के कितने क्रय केन्द्र हरदोई में खोले गये थे और कितना गेहूं पिछले वर्ष क्रय केन्द्रों द्वारा खरीदा गया था और धान के मात्र 14 क्रय केन्द्र खोलने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, प्रश्न धान के बारे में पूछा गया है और अब गेहूं के बारे में पूछ रहे हैं, वह भी हम बता देंगे क्योंकि रबी की फसल आ गयी है । आपने औचित्य पूछा है तो औचित्य मूल उत्तर में दिया गया है । धान के क्रय केन्द्र केवल इसलिये खोले जाते हैं कि किसानों को निर्धारित मूल्य से कम पर धान न बेचना पड़े । जहां कहीं पर इस तरह की शिकायतें आती हैं और जनप्रतिनिधि कहते हैं कि कम मूल्य पर धान किसानों को बेचना पड़ रहा है तो वहां पर हम धान के क्रय केन्द्र खोल देते हैं ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को विद्वान मंत्री मानता हूं लेकिन वे इतने मोटे प्रश्न को नहीं समझ पाये । पृष्ठ भूमि में मैंने कहा कि हरदोई में गेहूं से धान का क्षेत्रफल अधिक है और पैदावार भी अधिक होती है । तो गेहूं की खरीद के लिये कहीं अधिक क्रय केन्द्र खोले गये । आपने उत्तर में कहा है कि धान के लिए 14 क्रय केन्द्र खोले गये जिसमें 905.689 मी0 टन धान खरीदा गया . . .

श्री अध्यक्ष—

आप तो भाषण दे रहे हैं, आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री अशोक बाजपेयी—

वह समझ नहीं पा रहे हैं इसलिये बताने की कोशिश कर रहा हूं ।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब धान खरीद के लिये 142 रुपये समर्थन मूल्य निर्धारित था तो कृषकों की आवश्यकता को देखते हुये जहां-जहां गेहूं क्रय केन्द्र थे तो वहां-वहां धान के क्रय केन्द्र क्यों नहीं खोले गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, विद्वान सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि धान और गेहूं दोनों में अन्तर है । गेहूं सारा का सारा खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है जब कि धान की सामान्य खरीद मिल मालिकों द्वारा की जाती है और वहां से कुछ लेवी में हम लेते हैं । हरदोई में जितने क्रय केन्द्र धान के खोले गये हैं उनमें 905 मैट्रिक टन धान उपलब्ध हुआ, पूरे जिले में, जबकि प्रदेश में 97 हजार मेट्रिक टन खरीदा है । इस लिए हरदोई में उपलब्धता धान की कम थी जिसके कारण कम केन्द्र खोले गये । यदि अधिक धान की पैदावार होगी तो अधिक क्रय केन्द्र खोले जायेंगे ।

जनपद मैनपुरी के शिकोहाबाद नगर में जन शिकायतों पर वनस्पति विक्रेताओं के नमूने का परीक्षण

*12--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी के नगर शिकोहाबाद में क्या वर्ष 1983 में परगनाधिकारी, शिकोहाबाद ने वनस्पति विक्रेताओं के यहां जन शिकायतों पर "कि वनस्पति में गाय की चर्बी की मिलावट है" छापा मारा और छापे के दौरान वनस्पति विक्रेताओं के यहां से 7 नमूने लिये ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उन 7 नमूनों को परीक्षण हेतु जिलापूर्ति अधिकारी, मैनपुरी को भेजा गया, लेकिन उन्होंने वनस्पति विक्रेताओं को बचाने हेतु उन नमूनों का परीक्षण नहीं कराया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा लिये गये सातों नमूने विश्लेषण हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से राजकीय जन विश्लेषण लखनऊ को भेजे गये थे परन्तु फूड इंसपेक्टर के समक्ष उक्त नमूने न लिये जाने तथा अन्य आपत्तियों के कारण नमूनों को राजकीय जन विश्लेषण, उ0 प्र0 द्वारा वापस कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि परगनाधिकारी ने जब 7 नमूने लिये जिसमें बनस्पति में गाय की चर्बी मिली थी और नमूने लेते समय परगनाधिकारी, शिकोहाबाद के साथ फूड इंस्पेक्टर भी था । मेरी जानकारी को सही मानते हुये परगनाधिकारी ने फूड इंस्पेक्टर से उस पर हस्ताक्षर नहीं कराये, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख को नमूने लिये गये और कब मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजे गये ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, 25 नवम्बर को नमूने लिये गये और 29 तारीख को जिला पूर्ति अधिकारी के पास भेजे गये हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो फूड इंस्पेक्टर सेम्पिल लेता है क्या वह विभागाध्यक्ष, डी0 एस0 ओ0 के थ्रू जांच के लिये जाता है । और सी0 एम0 ओ0 के थ्रू भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी और डी0 एस0 ओ0 ने भेजने में विलम्ब किया, उन दुकानदारों से पैसा लेकर सी0 एम0 ओ0 के पास भेज दिया था ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह तो आरोप लगाया गया है ।

जहां तक फूड इंस्पेक्टर द्वारा नमूने लेने की बात है और सीधे भेजना चाहिये, इससे मैं सहमत हूं ।

जो प्रश्न किया, इसमें कमी रही है कि नमूने फूड इंस्पेक्टर द्वारा नहीं लिये गये हैं । यदि शिकायत आती तो जांच होती । परगनाधिकारी ने नमूने लिये हैं । धारा 10, 11, 12 को देखें तो कोई अधिकार फूड इंस्पेक्टर को नहीं है चूंकि परगनाधिकारी द्वारा लिये गये नमूने उसके क्षेत्र के बाहर के थे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि नमूनों का परीक्षण आपके विभाग की लेबॅ में कराया जाता है, फिर परगनाधिकारी के साथ फूड इंस्पेक्टर वहां मौजूद थे, तो नमूनों को सी0 एम0 ओ0 के पास भेजने का क्या औचित्य है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार परगनाधिकारी के साथ फूड इंस्पेक्टर नहीं थे । आपत्ति भी यही रही है कि फूड इंस्पेक्टर द्वारा नमूने नहीं लिये गये हैं । मेरी निश्चित जानकारी है कि फूड इंस्पेक्टर उनके साथ में नहीं थे, सप्लाई इंस्पेक्टर हो सकते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

तो क्या इसकी जांच आप फिर अपने विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

जांच कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे कोई प्रयोजन निकलने वाला नहीं है, जब तक कि हमें कोई विशिष्ट जानकारी न मिल जाए। माननीय सदस्य अपनी जानकारी के अनुसार लिखकर दे दें कि फूड इंस्पेक्टर साथ थे तो हम उसकी जांच करा लेंगे ।

जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर के चयनित कर्मचारियों को लिपिक के पद पर नियुक्ति

*13-श्री त्रियुगी नरायण मिश्र--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलापूर्ति कार्यालय, गोरखपुर में वर्ष 1973 में प्रधान लिपिक एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिकों की सीधी भर्ती की गई थी ? यदि हां, तो 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त उपरोक्त पदों पर चयनित कर्मचारियों को किन आरोपों में लिपिक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह--

जी हां ।

जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर में वर्ष 1973 में 2 प्रधान लिपिक व 2 ज्येष्ठ लेखालिपिक की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई थी । उक्त नियुक्तियां नियमानुसार नहीं थीं, अतः जानकारी होने पर उक्त नियुक्तियां समाप्त करके संबंधित कर्मचारियों को उनकी स्वयं की सहमति लेकर लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था प्रत्यावर्तित नहीं ।

*14--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[दिनांक 5-3-86 को ता0 प्र0 संख्या 2 द्वारा उत्तरित] ।

*15--श्री श्याम बिहारी सिंह--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ में दोहरीघाट के निकट घाघरा के कटाव से बचाव

*16--श्री मोहम्मद मसूद खां--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में दोहरी घाट के निकट घाघरा नदी कटाव कर रही है ? यदि हां, तो उसकी जानकारी सरकार को कब हुई ? तथा कटान को रोकने की क्या व्यवस्था की गई ? यदि, नहीं, तो क्यों ? क्या जहां से इस वक्त घाघरा का पानी जा रहा है, कटान के पास से और कब से जाना प्रारम्भ हुआ और इसके रोकने की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । जनपद आजमगढ़ में दोहरी घाट के निकट घाघरा नदी माह नवम्बर, 1985 में कटान कर रही थी । कटान की जानकारी माह नवम्बर, 1985 में दी गई थी । कटान को छोटे-छोटे स्टड बनाकर रोका गया । घाघरा नदी में एक धारा अधिक विकसित होकर महुला गढ़वल बांध की तरफ नवम्बर, 85 से कटान करने लगी जहां पर एड बनाकर कटान को रोका गया ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*17--श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मेसर्स सर्वोदय पेपर मिल सिकन्दराबाद में तालाबन्दी एवं श्रमिकों के वेतन का भुगतान

*18--श्री किरनपाल सिंह तथा--
श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर स्थित सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में सर्वोदय पेपर मिल में गत एक वर्ष से अघोषित तालाबन्दी जारी है तथा उक्त मिल के कर्मचारियों को कई महीनों का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मेसर्स सर्वोदय पेपर मिल लि0, सिकन्दराबाद में नवम्बर, 1984 से आर्थिक कठिनाइयों के कारण, उत्पादन कार्य बन्द है। श्रमिकों को माह फरवरी, 1985 से वेतन नहीं दिया जा रहा है।

श्रमिकों को वेतन भुगतान हेतु सेवायोजकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अधिनियम के अन्तर्गत माह फरवरी, 1985 से जनवरी, 1986 तक की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। वेतन भुगतान न करने के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के न्यायालय में प्रभियोजन भी दायर कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

दून स्कूल समारोह में सरकार द्वारा सस्ती शराब उपलब्ध कराने हेतु कर में छूट

*19--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री राकेशधर त्रिपाठी--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून में स्कूल मे जो समारोह मनाया गया था उसमें प्रदेश सरकार ने सस्ती शराब उपलब्ध कराने के लिए कर में छूट दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुरेना माइनर के निर्माण हेतु ग्राम कोटवा तप्पा विरेचा, जिला गोरखपुर में किसानों की भूमि के मुआवजे का भुगतान

*20--श्री सैय्यद जावेद अली--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद में मधुबनी डिवीजन गंडक नहर निर्माण खंड, देवरिया द्वारा पुरेना माइनर निर्माण के लिये ग्राम कोटवा तप्पा विरेचा, प्र0 हवेली, तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में किसानों की भूमि का मुआवजा दस वर्ष बीतने पर भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन गरीब किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पुरेना माइनर के निर्माण हेतु प्रश्नगत ग्राम में ली जाने वाली भूमि की अध्याप्ति सम्बन्धी कार्यवाही चकबन्दी की धारा 52 में विज्ञप्ति के प्रकाशन के कारण अवरुद्ध रही।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रतिकर का भुगतान किया जा सकेगी ।

अतारांकित प्रश्न

डाकनवीस के पद का वेतनमान का पुनरीक्षण

1—श्री गया प्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1979 के वेतन कमेटी ने सिंचाई विभागों में कार्यरत डाकनवीस का वेतन निर्धारण नहीं किया गया ? जबकि यह वेतन निर्धारण 1-7-79 से होना था ? क्या वेतन-निर्धारण अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग में डाकनवीस के पद का वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने हेतु वेतन आयोग (1979-80) द्वारा संस्तुति नहीं की गयी थी । अब इस पद का वेततमान शासन द्वारा 1 जुलाई, 1979 से पुनरीक्षित किये जाने के आदेश, दिनांक 19 फरवरी, 1986 को जारी कर दिये गये हैं ।

2—श्री अवधेश प्रसाद—

[9वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

3—श्री अवधेश प्रसाद—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राजबाहा शाखा बहादुरगढ़ व राजबाहा किठौर में पानी की मांग

4—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजवाहा शाखा बहादुरगढ़ व राजबाहा किठौर (कैनाल डिवीजन मेरठ) को गत चार महीने में कितने समय और कितने डिस्चार्ज पर पानी दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गत चार महीनों में राजवाहा किठौर का हेड से 17 मील तक का भाग व राजवाहा बहादुरगढ़ 29 दिन तथा राजवाहा किठौर के 17 मील से टेल तक का भाग 32 दिन चला है । इस अवधि में पानी की मांग अनुसार राजवाहा किठौर को औसत 197 क्यूसेक्स व राजवाहा बहादुरगढ़ को औसत 43 क्यूसेक्स पानी दिया गया ।

देवकली राजवाहा से निकाली गई मटियारी-माइनर के निर्माण हेतु कार्यवाही

5—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार को जानकारी है कि ब्लाक जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर में शारदा सहायक खंड-28 के अन्तर्गत देवकली रजवाहा के कुलावा नम्बर 12 से निकाली गयी मटियारी माईनर वर्ष 1982 में मात्र एक किलोमीटर खोदने के पश्चात् कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद उक्त अधूरा कार्य पूरा न किये जाने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवकली राजवाहा के कि0 मी0 4.00 पटरी बाई से 2.8 कि0 मी0 लम्बी मटियारी माइनर निर्माणाधीन है । माइनर के शीर्ष से 2.0 कि0 मी0 तक लम्बाई ग्राम कचनांव में एवं शेष लम्बाई ग्राम नसीराबाद में पड़ती है । ग्राम कचनांव में चकबन्दी से भूमि विभाग को प्राप्त हो गयी थी जिसमें निर्माण लगभग पूर्ण है । केवल 0.76 कि0मी0 से 1.0 कि0मी0 तक भूमि चकबन्दी से नहीं प्राप्त हुई जिसके लिये नियमानुसार भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति में है । ग्राम नसीराबाद में पड़ने वाले भाग का निर्माण कार्य भी उपरोक्त उल्लिखित अवशेष कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् किया जायेगा ।

किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

6--श्री राम सजीवन--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अधूरा कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भूमि का अधिकार प्राप्त होते ही नहर का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ।

मेसर्स जगदीश प्रसाद, सरकारी सस्ते गल्ले के बिक्रेता स्याना बुलन्द-शहर के लाइसेंस का निलम्बन

7--श्री किरन पाल सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स जगदीश प्रसाद, सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रता स्याना, जिला बुलन्दशहर का लाइसेंस एवं अनुबन्ध 15-10-85 को एकतरफा कार्यवाही करके निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो अब लाइसेंस बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह--

मेसर्स जगदीश प्रसाद, सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रता स्याना, जिला बुलन्दशहर का लाइसेंस एवं अनुबन्ध एक तरफा कार्यवाही करके निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत इनके विरुद्ध दर्ज किये गये अपराध एवं विभाग द्वारा पायी गयी कतिपय अनियमितताओं के आधार पर इनका लाइसेंस एवं अनुबन्ध पत्र आदेश दिनांक 15-10-85 के अन्तर्गत निलम्बित किया गया है । अतः वर्तमान स्थिति में लाइसेंस की बहाली सम्भव नहीं है ।

8--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[दिनांक 19-2-86 को अता0 प्र0 0 25 द्वारा उत्तरित]

9--श्री मोहम्मद आजम खां--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़, जसरा आदि में विश्व-बैंक नलकूप योजना अन्तर्गत गांवों का चयन

10--श्री रमाकांत मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के वि0 खं0 शंकरगढ़, जसरा, कोछियारा, चाका एवं करछना में विश्व बैंक नलकूप योजनान्तर्गत किन-किन गांवों का चयन किया गया है तथा किन-किन गांवों में नलकूप छिद्रित कर दिए गए हैं तथा स्वीकृत नलकूप कब तक पूर्णतया बनकर चालित हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड जसरा एवं करछना में विश्व बैंक नलकूप द्वितीय चरण योजनान्तर्गत चयनित गांवों का विकास खण्डवार विवरण संलग्न है । विकास खण्ड शंकरगढ़, कोछियारा व चाका में कोई विश्व बैंक नलकूप प्रस्तावित नहीं है ।

विश्व बैंक प्रथम योजनान्तर्गत विकास खण्ड करछना में 6 नलकूप पहले से ही चलित हैं । उपरोक्त विवरण में निर्दिष्ट सभी ग्रामों में नलकूप छिद्रित कर दिये गये हैं तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

वर्ष 1986-87 में नलकूपों को उच्चीकृत कराकर चलाना प्रस्तावित है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 131 पर)

आजमगढ़ जनपद में महुला और चयूटीडाड रिगबांध के बीच घाघरा के तेज कटाव से भूमि कट जाने की जांच

11—श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री बालेशर—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद में नवम्बर, 1985 में महुला और चयूटीडाड के बीच का घाघरा नदी के तेज कटाव व धारा परिवर्तन की विषम स्थिति से लगभग 1700 एकड़ भूमि कट जाने के बाद भी सिंचाई विभाग आजमगढ़ के संबंधित अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता ने जनता की मांग को अनसुनी कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार उन दायित्व से भागने वाले अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की घोषणा करते हुए संदर्भित घोटाले की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराने जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद में माह नवम्बर, 1985 में महुला तथा चयूटीडाड रिग बांध के बीच घाघरा नदी के तेज कटाव व धारा परिवर्तन की विषम स्थिति से लगभग 800 एकड़ भूमि, जो नदी के किनारे स्थित तटबांध तथा नदी के धारा के बीच की थी, प्राकृतिक आपदा के कारण कटी थी। प्रश्नगत भूमि नदी व बांध के बीच बाढ़ परिक्षेत्र में होने के कारण उसके बचाव का प्रश्न नहीं उठता। अतएवं कोई घोटाले का प्रकरण नहीं है एवं किसी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध जांच का प्रश्न ही नहीं है।

12—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के ग्राम सरई गुन्दौली में लोनी नाला के पुल का निर्माण

13—यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ब्लाक गोसाईंगंज, तहसील मोहनलाल गंज, जनपद लखनऊ के ग्राम सरई गुन्दौली में लोनी/नाला का पुल तोड़वा कर नया बनवाया गया है ? यदि हां, तो कब तक बनवाया गया और इस पुल के निर्माण में कितनी लागत आयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नरायनपुर पम्प नहर का निर्माण तथा सिंचाई सुविधा

14—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरायनपुर गंगा के पम्प कैनाल मिर्जापुर जनपद का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा उससे प्रत्येक वर्ष में वाराणसी, मिर्जापुर जनपदों में रबी और खरीफ में कितनी भूमि की सिंचाई की जायेगी ? क्या मिर्जापुर जनपद के सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिये उक्त नहर से गांव रायकुड़िया कुलऊन व कमालपुर, बहादुर-पुर, प्रतापपुर फतहपुर, नियामतपुर कलां, काशीपुर, सहसपुरा, पचेबहरा, बयही, गाजपुर, तकिया पासी तक मार्ग 1986 तक सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नरायनपुर पम्प नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1989-90 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

वाराणसी एवं मिर्जापुर जनपदों में उससे 33·2 हजार हे0 रबी में तथा

47·2 हजार हेक्टेयर खरीफ में सींच प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

ग्राम रेपुसिया, कुलउल, कमालपुर, बहादुरपुर, प्रतापपुर, फतहपुर, नियामतपुर कला, सहसपुरा, पचेहवरा, बगही आदि ग्राम नरायनपुर, पम्प नहर के कमाण्ड में नहीं आते हैं । उक्त ग्राम बधेड़ी लिफ्ट नहरराम रायपुर लिफ्ट नहर व नलकूपों द्वारा पोषित क्षेत्र में आते हैं । अतः नरायनपुर पम्प नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र, जहांगीरगंज में माइनरों की लम्बाई व सफाई पर व्यय

15—श्री कृष्ण कुमार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, जहांगीरगंज (फैजाबाद) में कितनी माइनर हैं तथा उनकी कुल कितनी लम्बाई है तथा वे कहां से निकल कर कहां समाप्त होता है ? वर्तमान समय में किस माइनर की कितनी सफाई की गई है और इस कार्य पर कितना व्यय आया ? क्या किसी माइनर में टेल तक पानी पहुंचता है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वांछित *विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

जहांगीरगंज राजबाहे के अतिरिक्त समस्त माइनरों में टेल तक पानी पहुंचता है । इस राजबहे की 62·74 कि० मी० लम्बाई में से केवल अन्तिम दो कि० मी० में पानी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि यह राजबहा अधिकृत डिस्चार्ज से नहीं ले पाता है ।

*(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 132 पर) ।

16—श्री कृष्ण कुमार—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

17—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

18-19—श्री अवधेश प्रसाद—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा के बदौसी तथा करारी गांव में लिफ्ट सिंचाई योजना के सम्बन्ध में सर्वे

20—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष जनपद की नरैनी क्षेत्र में बागे नदी में बछेड़ा नेदुवा गांव के पास एवं बदौसा तथा करारी गांवों के पास लिफ्ट सिंचाई योजना के सम्बन्ध में कोई सर्वे होना था ? यदि हां, तो क्या सर्वे हुआ ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट क्या है और शासन ने इस पर क्या निर्णय लिया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

सर्वेक्षण में यह पाया गया कि जनपद बांदा के ग्राम निधवा, वरछा (बदौसा) एवं कुरारी ब्लाक नरैनी क्षेत्र में क्रमशः बागेन नदी, बान गंगा एवं बाधेन पर तीन पम्प नहरें क्रमशः 5 क्यूसेक, 10 क्यूसेक एवं 10 क्यूसेक के लिए क्षेत्र उपलब्ध है । वर्तमान नीति 25 क्यूसेक से कम को पम्प नहरें बनाय जाने के विरुद्ध है । इसके अतिरिक्त नई पम्प नहरों के निर्माण हेतु नदी में पर्याप्त जल भी उपलब्ध नहीं है फलस्वरूप कोई कार्यवाही वांछित नहीं है ।

बांदा जनपद के असिंचित क्षेत्र फतेहगंज एव कालिंजर क्षेत्र में राजकीय नलकूप न लगने का कारण

21—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी तहसील के असिंचित क्षेत्र फतेहगंज एवं कालिंजर क्षेत्र में राजकीय नलकूप न लगने के क्या कारण हैं ? क्या पत्थर तोड़ने वाली मशीन भी इस क्षेत्र में असफल रही है ? यदि नहीं, तो क्या नलकूप लगाने के लिए पत्थर तोड़ने वाली मशीन का प्रयोग करके नलकूप (राजकीय) लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

इस क्षेत्र में पर्याप्त भू-गर्भ जल धारक स्ट्रेटा उपलब्ध न होने के कारण शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राजकीय नलकूप लगाये जाने की सम्भावना नहीं है ।

पत्थर तोड़ने वाली मशीन के प्रयोग से भी निर्धारित मानक के अनुसार राजकीय नलकूप बनाये जाने की सम्भावना नहीं है । अतः पत्थर तोड़ने वाली मशीन का प्रयोग विभाग ने नहीं किया है, न ही विभाग ने पत्थर तोड़ने वाली मशीन प्राप्त की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के कतिपय असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा हेतु योजना

22—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, नरैनी तहसील के कालिंजर एवं फतेहगंज असिंचित क्षेत्र में शासन की सिंचाई योजना की व्यवस्था क्या है ? इस असिंचित क्षेत्र के लिए अभी तक कौन-कौन सी योजनायें सिंचाई के लिए बनायी गयी हैं ? यह योजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस जनपद के अन्तर्गत कालिंजर तथा फतेहगंज असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 में मसौनी पम्प कैनाल योजना स्वीकृत की गई थी । वर्ष 1984-85 तक डी० पी० ए० पी० एजेन्सी से प्राप्त धनराशि में से इस परियोजना पर कार्य किया गया । कार्य अभी अपूर्ण है । शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अब राज्य योजना से धन उपलब्ध होने के प्रयास हैं । धन के उपलब्ध होने पर शेष कार्य दो वर्ष में पूर्ण किये जाने का अनुमान है ।

23—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[दिनांक 12-2-86 के तारांकित प्र० सं० 12 द्वारा उत्तरित]

24—श्री यदुनाथ सिंह—

[8 वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

25—श्री कुशल पाल सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

आजमगढ़ में घाघरा नदी के कटान की सुरक्षा हेतु योजना

26—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी के कटान से लगभग दो हजार एकड़ भूमि कटकर घाघरा की गोद में दिसम्बर, 1985 तक जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त जमीन तथा गांवों के बचाव के लिए सरकार ने किस-किस प्रोजक्ट पर कितना-कितना 31 दिसम्बर, 1985 तक किस-किस योजना के अन्तर्गत खर्च

किया और अगली सुरक्षा के लिए वर्ष 1985-86 में कितना रुपया स्वीकृत करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद में ग्राम महुला के सामने घाघरा नदी नवम्बर/दिसम्बर, 1985 में अपने दाहिने किनारे को काटते हुई महुलागढ़वल बांध के निकट आ गयी जिसके परिणामस्वरूप बांध व नदी के बीच की लगभग 800 एकड़ भूमि (2000 एकड़ नहीं) कट गई थी जिसे असुरक्षित क्षेत्र होने के कारण बचाने की शासन की नीति नहीं है । उक्त असुरक्षित क्षेत्र की जमीन नहीं बल्कि गांव, महुला गढ़वाल बांध एवं आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग को बचाने के लिए 31 दिसम्बर, 1985 तक 289 मद में कुल 36.90 लाख रुपया व्यय किया गया । अगली सुरक्षा के लिए एक योजना (लागत लगभग 10.00 करोड़ रु0) विचाराधीन है जिसको शीघ्र स्वीकृत करने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

बांदा जिले की लिफ्ट योजनाओं एवं राजकीय नलकूपों पर बकाया विद्युत् भुगतान

27—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की सभी लिफ्ट योजनाओं एवं राजकीय नलकूपों पर विद्युत् चार्ज का दो करोड़ तीस लाख रुपये नवम्बर, 1985 तक का बकाया है ? क्या यह भी सही है कि उन सभी योजनाओं में विद्युत् कनेक्शन काट दिये जाने से सिंचाई की सुविधा खत्म होने और फसलें सूख जाने का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो बकाया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद देवरिया में जमुनियां राजबाहा पर अवरुद्ध यातायात को ठीक करने की कार्यवाही

29—श्री माता प्रसाद पाण्डे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के पडरौना स्थित जमुनियां राजबाहा पर ग्राम श्रीपति खण्ड-जमुनियां के बीच बनी पुरानी पुलिया क्षतिग्रस्त होने तथा राजबाहा का जल पुलिया के बगल से होकर बहने से अवरुद्ध यातायात को ठीक कराने के सम्बन्ध में शासन को संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा का पत्र दिनांक 11-1-86 प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्नगत राजबहा पर ग्राम श्रीपति खण्ड में बने गूल कलवर्ट को अतिरिक्त पाइप लगाकर तथा रैम्प पर मिट्टी डालकर ठीक करा दिया गया है । यातायात चालू है ।

30—श्री माता प्रसाद पाण्डे—

[दिनांक 12-2-86 को अता0 प्र0 सं0 85 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा में मसौनी पम्प कैनाल का निर्माण

31—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में मसौनी पम्प कैनाल का निर्माण लगभग आधा हो चुका है ? यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मसौनी पम्प कैनाल परियोजना वर्ष 1977-78 में रु0 29.44 लाख की डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी जिसकी अब पुनरीक्षित अनुमानित लागत 79.10 लाख रुपये है। इसके विरुद्ध वर्ष 1984-85 तक रु0 14.89 लाख व्यय किया जा चुका है। इस प्रकार अभी तक केवल लगभग 20 प्रतिशत कार्य हुआ है।

पुनरीक्षित परियोजना का परीक्षण किया जा रहा है और स्टेट सेक्टर से स्वीकृति एवं आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध होने के बाद ही यह कार्य पूर्ण हो सकेगा।

32-33—श्री राम नरेश यादव—

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

जनपद वाराणसी के तहसील चकिया में खोले गये धान के क्रय केन्द्र तथा समर्थन मूल्य पर खरीद

34—श्री राज किशोर सिंह—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के तहसील चकिया में धान के कितने क्रय केन्द्र खोले गये और कितना क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया ?

श्री हुकुम सिंह—

वाराणसी जनपद के तहसील चकिया में इस वर्ष 6 धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं और इन पर अब तक कुल 2284 कुन्तल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है।

वाराणसी जनपद की चकिया तहसील की बुढगांव गांव की भूमि की सिंचाई हेतु विचाराधीन योजना

35—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के चकिया तहसील की बुढगांव की असिंचित भूमि के लिये जो कर्मनाशा नदी के तट पर ऊंचाई पर आबाद है लिफ्ट कैनाल या अन्य कोई सिंचाई का साधन लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी जनपद के चकिया तहसील की बुढगांव गांव की भूमि की सिंचाई के लिए कोई लिफ्ट कैनाल विचाराधीन नहीं है। राजकीय नलकूप के बारे में जनपद स्तर पर निर्णय होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

ड्रेनेज खंड, गोरखपुर के अन्तर्गत श्रीनगर ताल से खरीफ व रबी की सिंचाई

36—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड के अन्तर्गत श्रीनगर ताल से पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष खरीफ व रबी की फसलों के कितने रकबे की सिंचाई हुयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ड्रेनेज खंड, गोरखपुर के अन्तर्गत श्रीनगर ताल से पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष सिंचाई की स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	खरीफ एकड़	रबी एकड़
1980-81/1388 फ	177	968
1981-82/1389 फ	147	652
1982-83/1390 फ	240	396
1983-84/1391 फ	150	641
1984-85/1392 फ	289	565

अधिशासी अभियंता द्वितीय श्री रमेश चन्द्र के विरुद्ध जिलाधिकारी, देवरिया को दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही

37—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री रामबली यादव तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के अध्यक्ष श्री राम त्रिपाठी को 23 अप्रैल, 1985 को गिरफ्तार करने का क्या कारण था ? क्या उन मांगों के समर्थन में 24 अप्रैल, 1985 को सिंचाई विभाग तथा अन्य समस्त कार्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल कर अधिशासी अभियंता द्वितीय श्री रमेश चन्द्र के विरुद्ध जिलाधिकारी, देवरिया को कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में धान की खरीद हेतु खोले गये क्रय केन्द्र

38—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में धान खरीद हेतु कितने क्रय केन्द्र खोले गए तथा अब तक कितना धन क्रय किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा सीधे खरीद न करके बिचौलियों द्वारा धान की खरीद की गई ? यदि हां, तो सरकार ने कितने और किन-किन क्रय केन्द्र के कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की ?

श्री हुकुम सिंह—

इस वर्ष प्रदेश में धान खरीद हेतु एजेंसियों द्वारा कुल 873 क्रय केन्द्र खोले गये और उन पर अब तक कुल 97,877·5 मी० टन धान खरीदा गया । चूंकि धान की खरीद सीधे किसानों से की गयी है बिचौलियों से नहीं, अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के खेसरहा ब्लाक में मिट्टी के तेल के फुटकर दुकानदारों तथा उनको आपूर्ति हेतु सम्बद्ध थोक विक्रेताओं की दूरी

39—हरिशचन्द्र (हरीश जी)—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के खेसरहा वि० खं० के मिट्टी के तेल के दुकानदारों को किन स्थानों के किन स्टाकिस्टों द्वारा मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जाती है तथा सम्बन्धित विकास खंड से उनकी दूरी क्या है ?

श्री हुकुम सिंह—

बस्ती जिले के खेसरहा ब्लाक के मिट्टी के तेल के फुटकर दूकानदारों तथा उनको आपूर्ति हेतु सम्बद्ध मिट्टी के तेल के थोक बिक्रेता का नाम, स्थान तथा सम्बन्धित विकास खंड से फुटकर मिट्टी तेल के दूकानदारों तथा उनको आपूर्ति हेतु सम्बद्ध थोक विक्रेताओं की दूरी का *विवरण संलग्न है ।

*(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 134 पर) ।

देवरिया जनपद के सिंचाई खंड द्वितीय के ड्राफ्टमैन श्री अछेबर प्रसाद द्वारा की गयी आत्महत्या के कारणों की जांच

40—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जनपद के सिंचाई खंड द्वितीय

के ड्राफ्टसमैन श्री अछैबर प्रसाद ने वर्ष 1985 में अपने वेतन, एल० टी० सी० तथा व्यक्ति अभिलेख अधिशासी अभियंता से अपने स्थानान्तरण के बाद प्रेषित न किये जाने, भविष्य निधि से धन की स्वीकृति न दिये जाने के कारण उन्होंने ट्रेन से कट कर आत्महत्या कर ली ? क्या यह भी सत्य है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने उक्त आत्महत्या के परिणामस्वरूप एक सप्ताह तक आन्दोलन चलाया और आत्महत्या के कारणों की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच करायी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ललितपुर जनपद में बनने वाले बांधों से हटाये गये कृषकों को पुनः बसाने तथा उनके जीविकोपार्जन हेतु योजना

41--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में बनने वाले बांधों से हटाये गये किसानों को पुनः बसाने की तथा उनके जीविकोपार्जन की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस पर विचार शासन द्वारा किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ललितपुर जनपद में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन सजनम, रोहिणी एवं शहजाद बांध निर्माणाधीन है । इन बांधों के बनने के फलस्वरूप किसानों की कुछ आबादी व उनकी भूमि तथा वन विभाग की आरक्षित भूमि डूब क्षेत्र में आया है । बांध के निर्माण हेतु ली गयी भूमि तथा आबादी को पुनः बसाने एवं जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सामान्य शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा गठित बेतवा नदी परिषद् के नियन्त्रण में ललितपुर जनपद में राजघाट बांध परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है । इस परियोजना से जो परिवार विस्थापित होंगे, उनके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित बेतवा नदी परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

ललितपुर जनपद के गोविन्द सागर तथा जामनी बांध क्षेत्रों में जल रिसाव से ग्रामों में रबी की फसल को क्षति

42--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के गोविन्द सागर तथा जामनी बांध क्षेत्रों में जल रिसाव से ग्राम मेलोनी लोध, बार, तोड़ी सहना-बम्होरी गदयाना तथा भंरा, नेगुवा, गुढ़ा आदि ग्रामों की सैकड़ों एकड़ भूमि में पानी भरने से रबी की फसल को हर वर्ष क्षति होती है ? क्या इसे रोकने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्रामों में रबी की फसल को जो क्षति होती है वह गूलों के अभाव एवं ठीक रख-रखाव न होने की वजह से होती है । नियमानुसार गूलों के निर्माण एवं रख-रखाव की सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित कृषकों की ही है । जल रिसाव से कोई क्षति नहीं होती अतः इसे रोकने के लिये किसी योजना के होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर के चिगलउआ तालाब की क्षमता बढ़ाने एवं माइनर के निर्माण की योजना

43—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के चिगलउआ तालाब को पूर्ण करने के लिए 2 लाख रुपया शासन के पास जमा है ? यदि हां, तो इस योजना को पूर्ण करने के लिए उक्त धन का कब तक उपयोग किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के पुराने तालाबों की मरम्मत करके उनसे कृषि हेतु सिंचाई के लिए पानी लेने का शासन का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ललितपुर जनपद के चिगलउआ तालाब की क्षमता बढ़ाने एवं एक माइनर के निर्माण करने के लिए जिला परिषद्, ललितपुर से रुपए 1,95,354.00 चेक द्वारा सिंचाई विभाग को दिनांक 17-3-80 को प्राप्त हुआ था। इस कार्य में रुपए 94,998.10 मार्च, 1981 तक व्यय किया जा चुका है जिसमें तालाब के बंध का सुदृढ़ीकरण एवं स्लूस तथा स्केप का कुछ निर्माण कराया गया है। मई, 1985 में परियोजना निदेशक (चेक डैम्स ललितपुर) ने सिंचाई विभाग से रुपए 60,000 का सीमेंट प्राप्त किया एवं जिसे उनके निवेदन पर इस कार्य में पड़ी अवशेष धनराशि में समायोजित किया है तथा अब विभाग के पास मात्र रु0 40,355.90 उपलब्ध है जिससे तालाब के अवशेष कार्यों को कराना सम्भव नहीं है। प्रस्तावित कार्यों के लिए सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है जिसके पश्चात ही यह ज्ञात हो सकेगा कि शेष कार्यों को कराने में कितना धन लगेगा जिसके उपलब्ध होने पर अवशेष कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

सिंचाई विभाग के पास ललितपुर जनपद में 40 तालाब हैं जिनकी देख-रेख एवं मरम्मत इत्यादि का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। शेष तालाब ग्राम समाज के पास हैं जिसका सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है।

ग्राम बरोहा, जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के कटाव से उजड़े हुए परिवारों को बसाने हेतु की गई कार्यवाही

44—श्री विष्णु देव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ग्राम बरोहा, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के घाघरा नदी के कटाव से उजड़े हुए 3/4 परिवारों को बसाने के लिए बांध के उत्तर घर पटाई सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-8-85 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद जनपद के सोहावल, मसौधा एवं पूरा विकास क्षेत्रों के राजबहे व माइनरों की सिल्ट सफाई तथा ड्रेनों की खुदाई

45—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित विकास क्षेत्र सुहावल एवं विकास क्षेत्र मसौधा एवं विकास क्षेत्र पूरा स्थित नहर से निकलने वाली कितनी माइनरों की एवं राजबहों की सफाई अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1985 में हुई और इन विकास क्षेत्रों में कितने माइनर ऐसे हैं जहां पर आज भी सिल्ट जमा है और सिंचाई में बाधा हो रही है ? इसकी सफाई कब तक हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

फैजाबाद जनपद के सोहावल मसौधा एवं पूरा विकास क्षेत्रों में तीन राजबहा तथा 43 माइनर हैं जिसमें से 2 राजबहे व 30 माइनरों की सिल्ट सफाई प्रश्नगत अवधि में कराई गयी है। 5 अन्य माइनरों की सफाई सितम्बर, 1985 में कराई गयी। शेष एक राजबहा व 8 माइनरों में सिल्ट सफाई की विशेष आवश्यकता नहीं थी। अतः उनमे सफाई नहीं कराई गयी है। चूंकि सिल्ट के कारण सिंचाई में कोई बाधा नहीं हो रही है अतः इनमें फिलहाल सफाई कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

46--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित विकास क्षेत्र, सोहावल एवं विकास क्षेत्र, मसौधा एवं विकास क्षेत्र पूरा में कितनी नयी ड्रेनों की खुदाई तथा कितनी ड्रेनों की सफाई का काम माह नवम्बर, दिसम्बर, 1985 व जनवरी, 1986 में शुरू किया गया और कितनी ड्रेनों की खुदाई और सफाई करने का लक्ष्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विकास क्षेत्र सोहावल, मसौधा और पूरा में प्रश्नगत समय में 5 नालों पर निर्माण कार्य तथा 8 नालों पर सफाई कार्य शुरू किया गया। इस वित्तीय वर्ष में 14 नालों की सफाई एवं 10 नालों पर नवीन कार्य कराने का लक्ष्य है।

बस्ती जिले के कोल एजेन्टों के विरुद्ध कार्यवाही

47--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के कोल एजेन्टों के विरुद्ध नियम 301 के अन्तर्गत माननीय माता प्रसाद पाण्डे, विधायक ने सूचना मांगी थी ? यदि हां, तो माननीय राज्य मंत्री जी खाद्य एवं रसद विभाग ने अपने पत्र सं0 6096/उन्नीस-9-15 ए0 85/85, दिनांक 23 दिसम्बर, 1985 के द्वारा स्वीकार किया है कि 1982-83, 1983-84, 1984-85 में जो लाइसेन्स दिये गये हैं उसमें तीन कोल एजेन्टों को कोयले का फर्जी वितरण प्रस्तुत करने के आधार पर लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये और सम्पूर्ण जमीन जप्त कर लिया गया तथा इसके अतिरिक्त 3 लाइसेंसियों के जो लाइसेंस कोयले का वितरण का हिसाब न प्रस्तुत करने के कारण निरस्त किया गया, जमानत की धनराशि जप्त कर ली गयी है ? प्रत्येक लाइसेंसियों ने प्रत्येक वर्ष कितना-कितना कोयला लिया एवं लाइसेंस निरस्त करना एवं जमानत जप्त करना ही क्या समुचित कार्यवाही है ? यदि नहीं, तो संबन्धित व्यक्तियों के नाम व पता क्या हैं तथा उनके विरुद्ध धारा 3/7 का मुकदमा कायम कराकर कार्यवाही करने के लिए क्या सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

जी हां, वर्ष 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में जिन कोल एजेन्टों को जिला पूर्ति कार्यालय, बस्ती से लाइसेंस जारी किये गये उनमें से 3 के लाइसेंस कोयले की बिक्री का फर्जी विवरण प्रस्तुत करने के आधार पर और 3 के लाइसेन्स क्रमशः वितरण सूची न प्रस्तुत करने, आयात एवं वितरण की अपूर्ण सूचना देने तथा आवंटित कोयले के आयात एवं वितरण की सूचना न प्रस्तुत करने के कारण निरस्त कर दिये गये। उक्त लाइसेंसियों की जमानत की धनराशि भी जप्त कर ली गई थी। इस प्रकार जिन कोल एजेन्टों ने कोयले के आयात वितरण में गड़बड़ी की थी उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही, जो लाइसेन्सिंग प्राधिकारी द्वारा आवश्यक एवं उचित पाई गई, की गई।

उपर्युक्त 6 कोल एजेन्टों के नाम व पते तथा उन्हें वर्ष 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में दिये गये कोयले की मात्रा के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है ।

ऊपर पैरा-1 में दिये गये उत्तर को देखते हुये प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 136 पर)

48--श्री सुख लाल पाण्डे--

[8वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के जगनेर ब्लाक में ग्रामीण श्रमिक शिक्षा योजना लागू करने सम्बन्धी पत्र

49--श्री बदन सिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के जगनेर ब्लाक के कई प्रधानों द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 1985 को लिखा हुआ तथा प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत किया गया ग्रामीण श्रमिक शिक्षा योजना जगनेर में लागू करने के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । भविष्य में जब योजना का प्रसार किया जायेगा तब जगनेर विकास खंड को इस योजना में आवृत्त करने पर विचार किया जायेगा ।

50--श्री किरनपाल सिंह--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

ग्राम बगहा, तहसील मेजा, इलाहाबाद में नलकूप विभाग से सम्बन्धित नालियों का निर्माण

51--श्री अवधेश प्रसाद श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बगहा, तहसील मेजा, इलाहाबाद में नलकूप विभाग से सम्बन्धित नालियों का निर्माण अव्यवस्थित ढंग से किया गया है जिससे प्राविधानित नालियों को क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

ग्राम बगहा में कोई नलकूप नहीं है

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मरकही ग्राम सभा में बनियानी ड्रेन पर सिंचाई विभाग का कथित अधूरा पुल

52--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि श्री राम विलासी सिंह, एडवोकेट कचेहरी, फैजाबाद के टांडा से बिडहर राजमार्ग पर बनियानी ड्रेन का मकरही गांव सभा में रुके हुए पुल का टेन्डर आमंत्रित करने विषयक पत्र के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद द्वारा अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक, खंड-43 फैजाबाद को सम्बोधित पत्र आ० लि०/एन० आर० ई० पी०-84-85, दिनांक 31 जनवरी, 1985 के सम्बन्ध में घाघरा की बाढ़ से कृषकों को राहत दिलाने हेतु क्या

उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मरकही ग्राम सभा में बनियानी ड्रेन पर सिंचाई विभाग का कोई रुका हुआ (अधूरा) पुल नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सरयू नहर परियोजना की गोला शाखा के निर्माण के सम्बन्ध में मांगी गयी आख्या

53—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के सचिव सिंचाई से सम्बन्धित गोरखपुर जनपद के ग्राम धन रज्जेपुर तथा चांदपुर में स्थापित लाल बहादुर शास्त्री एवं माध्यमिक विद्यालयों के गाटा संख्या 91 तथा 93 के मध्य से सरयू पम्प नहर परियोजना की गोला शाखा निकाले जाने विषयक पत्र 3-12-85 के क्रम में संयुक्त सचिव सिंचाई के प्रेषित पत्र दि0 20 दिसम्बर, 1985 के सम्बन्ध में किन-किन बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी है तथा अब तक की प्रगति रिपोर्ट क्या है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सरयू नहर परियोजना की गोला शाखा के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र, दिनांक 3-12-85 में दर्शाये सभी बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई थी। शासन में आख्या प्राप्त हो चुकी है।

सिंचाई निर्माण खंड गाजीपुर के अन्तर्गत शाही कन्स-ट्रक्शन द्वारा पक्का कार्य कराने हेतु हुआ अनुबन्ध

54—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण खंड गाजीपुर के अन्तर्गत शाही कान्सट्रक्शन कम्पनी के साथ जमानियां हैड वर्क्स पर पक्का कार्य कराने हेतु कोई अनुबन्ध हुआ था तथा जिसमें डामर, गिट्टी तथा सोन बालू के प्रयोग करने की शर्त थी ? यदि हां, तो शाही कम्पनी द्वारा निम्न स्तरीय बिरोही गिट्टी तथा कर्मनाशा बालू प्रयोग किये जाने विषयक प्रकरण का क्या औचित्य एवं मामला है ? शाही कम्पनी द्वारा घटिया मैटेरियल प्रयोग कर क्या अनुबन्ध शर्त का उल्लंघन एवं घोर वित्तीय अनियमितता नहीं की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

मेसर्स शाही कान्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा निम्नस्तरीय बिरोही गिट्टी तथा कर्मनाशा बालू प्रयोग किये जाने विषयक कोई प्रकरण या मामला नहीं है।

जी नहीं।

55—श्री सत्यपाल सिंह—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

बस्ती जनपद में कोल अभि-कर्ता व उनको आवंटित कोयला

56—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कुल कितने और कौन-कौन कोयले के लाइसेन्सी हैं ? 83-84 व 1985 तथा 85-86 में किन-किन लाइसेन्सियों को कितना-कितना कोयला आवंटित किया गया ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

बस्ती जनपद में वर्तमान में कुल 17 कोल अभिकर्ता हैं जिनका विवरण अनुलग्नक एक में संलग्न है।

वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (31 दिसम्बर, 1985 तक) में जिन-जिन लाइसेन्सियों को जितना जितना कोयला आवंटित किया गया उसकी सूचना अनुलग्नक दो में संलग्न है ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 137 पर)

जिला चयन समितियों द्वारा रोजगार देने हेतु अभ्यर्थियों का चयन

57—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या श्रम मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला चयन समितियों द्वारा रोजगार देने हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के उपरान्त निर्दिष्ट विभाग उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश के जिला रोजगार कार्यालयों में ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की सूची मंगाकर उनकी नियुक्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जो मामले शासन के समक्ष आए हैं, उन पर निर्णयोपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

इलाहाबाद जनपद में भी कुछ कार्यालयों द्वारा चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां न किए जाने की शिकायत शासन को मिली है । इस मामले पर भी शासन द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरान्त ही कोई कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

58—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

बाढ़ कार्य खण्ड, फैजाबाद में मस्टर रोल पर रखे गये कर्मचारियों/मजदूरों की संख्या व उन पर व्यय

59—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद स्थित बाढ़ खंड विभाग में माह जनवरी व फरवरी, 1984 तथा जुलाई व अगस्त, 1985 में मस्टर रोल पर कितने कर्मचारी विभाग में काम किए, उन पर कितना वेतन अथवा मजदूरी के रूप में कितनी धनराशि व्यय की गई ? उन मस्टर रोल पर रखे मजदूरों अथवा कर्मचारियों के नाम व पते क्या हैं ? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाढ़ कार्य खंड, फैजाबाद में माह जनवरी व फरवरी, 84 तथा जुलाई व अगस्त, 1985 में मस्टर रोल पर रखे कर्मचारियों/मजदूरों द्वारा सृजित मानव दिवसों, उनकी प्रतिदिन औसत संख्या तथा व्यय की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है ।

मस्टर रोल पर रखे मजदूरों/कर्मचारियों के नाम व पते देना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 140 पर ।)

ग्राम तुलापुर बहादुरान, विकास खंड भदोही, जनपद वाराणसी के ग्रामवासियों का वहां के नलकूप चालक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

60—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम तुलापुर बहादुरान, विकास खंड भदोही, जनपद वाराणसी के ग्रामवासियों

का वहां के नलकूप चालक के विरुद्ध गम्भीर शिकायती-पत्र दिनांक 12-6-84 मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा जिलाधिकारी, वाराणसी को दिनांक 6-7-84 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता भदोही (वाराणसी) द्वारा उक्त नलकूप चालक का स्थानान्तरण दिनांक 26-6-1984 को कर दिया था ? यदि हां, तो वह स्थानान्तरण कब और क्यों निरस्त कर दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ?

मध्य गंगा निर्माण मण्डल प्रथम, मेरठ के अधीनस्थ खंडों में मस्टर रोल पर रखे गये कर्मचारी एवं उनका भुगतान

61--श्री मयंकर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा निर्माण मण्डल प्रथम, मेरठ के खंडों में वर्ष 1984 से अब तक कितने कर्मचारी मस्टर रोल पर रखे गये एवं उनका भुगतान किस अस्थायी अग्रदाय द्वारा किया गया और वह कुल कितने धन के थे व प्रत्येक माह में कितने टी0 आई0 का भुगतान किया गया है ? क्या इनकी स्वीकृति ली जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल प्रथम मेरठ के अधीनस्थ खंडों में 1/84 से 12/85 तक संलग्न विवरण के अनुसार मस्टर रोल पर कर्मचारी रखे गये तथा उनका अस्थायी अग्रदाय द्वारा भुगतान किया गया जिनकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 141 पर ।)

62--श्री यदुनाथ सिंह--

[दिनांक 4-8-86 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित ।]

भूतपूर्व सदस्य श्री शिवबन लाल सक्सेना तथा श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी के निधन पर शोकोद्गार

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, बड़े खेद के साथ सम्मानित सदन को यह सूचित करना पड़ता है कि इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य और सांसद श्री शिवबन लाल सक्सेना का

[12 बजकर 20 मिनट]

20 अक्तूबर, 1985 को लखनऊ में निधन हो गया है । उनकी आयु 79 वर्ष थी । श्री सक्सेना का जन्म 13 जुलाई, 1906 को जनपद आगरा में हुआ था । उनकी शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल, क्राइस्ट चर्च इंटर कालेज, डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर, एवं इलाहाबाद तथा आगरा विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई थी । श्री शिवबन लाल सक्सेना, 1937 से 1946 एवं 1964 से 1967 की अवधि में जिला गोरखपुर से उत्तर प्रदेश विधान सभा के कांग्रेस दलीय सदस्य रहे । वर्ष 1946 से 1950 तक भारत की संविधान सभा, 1950 से 1952 तक अस्थायी संसद के सदस्य रहने के साथ ही वे 1954 से 1957, 1957 से 1962, 1971 से 1977 एवं 1977 से 1980 तक की अवधि में वे लोकसभा के सदस्य रहे थे । मान्यवर, श्री शिवबन लाल सक्सेना का राजनीति के साथ साथ शिक्षा जगत में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से आप उनके शोक-संतप्त परिवार को हमारी श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी का निधन 22 नवम्बर, 1985 को लम्बी

बीमारी के बाद हो गया। इस समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। उन्होंने एम0 ए0, एल0 एल0 बी0 की उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में विजय पाकर आपने प्रथम बार उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रवेश किया, 1967-69, 1974 से 77 तथा 1980 से 85 की अवधि में भी इस विधान सभा के जिला गोरखपुर से कांग्रेस दलीय सदस्य रहे। श्री चतुर्वेदी 1947 से 1952 तक जूडिशियल आफिसर, 1957 से 1967 तक सरकारी काउन्सेल (सिविल), जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा ए0 आई0 सी0 सी0 के सदस्य रहे। वह अनेक बार जेल गये और उनको आर्थिक दण्ड भी मिला। वह एक स्वतन्त्रता सेनानी थे और केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों से उनको एक-एक सौ रुपया राजनीतिक पेंशन मिलती थी। श्री चतुर्वेदी के निधन से जनपद गोरखपुर ने और प्रदेश ने एक श्रेष्ठ समाजसेवी एवं स्वतन्त्रता सेनानी खो दिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से उनके शोक-सन्तप्त परिवार को हमारी श्रद्धांजलि भेजने का कष्ट करें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, अभी स्वर्गीय शिवबनलाल सक्सेना के निधन के सम्बन्ध में यहां शोक-प्रस्ताव आया, सबसे पहले मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि शिवबन लाल सक्सेना जैसे महान् नेता को, जो उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के नेताओं में से थे, 20 अक्टूबर को निधन के बाद इतनी देर से उनके निधन का प्रस्ताव यहां आया है। मान्यवर, वह आजादी से 12 साल पहले तक विधान सभा के सदस्य रहे हैं और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे और संविधान सभा के वाद-विवाद और बहस में जो उन्होंने हिस्सा लिया, वह चाहे उच्च सदनों का विरोध किया हो और चाहे निरोधक नजर बन्दी कानून का विरोध किया हो उन्होंने शानदार भूमिका देश-सेवा में अदा की थी। 4 बार वह लोक सभा के सदस्य रहे और कांग्रेस पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी के वह सदस्य रहे। इसके साथ ही साथ अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिये वह विदेश गये। दुनियां के कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया। उनके निधन से आज न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे देश की क्षति हुई है। इतने लम्बे समय तक वह सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहे और लगातार देश और प्रदेश की सेवा करते रहे। उनकी हमारे बीच में बड़ी आवश्यकता थी लेकिन आज वह हमारे बीच से उठ गये हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी तरफ से और हमारे दल की तरफ से और विपक्ष के सभी दलों के माननीय सदस्यों की ओर से उनके परिवार तक उनके शुभचिंतकों तक, उनके मित्रों तक शोक-सम्वेदना का संदेश पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, इसी प्रकार से स्वर्गीय भृगुनाथ चतुर्वेदी के बारे में सारा सदन जानता है कि वे कितने सौम्य स्वभाव के थे और शिक्षा में उनकी विशेष रुचि थी। स्वर्गीय चतुर्वेदी जी ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा लिया और इस विधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उन सारी समितियों के वह मेम्बर रहे। अपने जीवन में सबसे ज्यादा उन्होंने शिक्षा के प्रसार में हिस्सा लिया। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में शानदार भूमिका निभायी आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। उनके निधन से हम सारे लोग दुखी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके परिवार तक तथा उनके सम्बन्धियों तक हमारी सम्वेदना हमारे सभी माननीय सदस्यों की सम्वेदना का संदेश पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा माननीय श्री शिब्बन लाल जी सक्सेना और माननीय श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी जी के बारे में जो सम्वेदनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री शिब्बन लाल जी सक्सेना हमारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और महान देश भक्तों में से थे। उत्तर प्रदेश की विधान सभा और भारतवर्ष की लोक सभा में रहकर उन्होंने श्रमिकों का जो प्रतिनिधित्व किया वह स्मरणीय रहेगा। श्रमिकों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो उन्होंने वेदना प्रकट की और श्रमिकों के लिये उनकी जो सेवायें रहीं थीं उनके निधन से आज श्रमिकों को बहुत क्षति पहुंची है। उनके निधन से जो क्षति हुयी है उससे मजदूर जगत में आज बहुत ही वेदना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे तथा मेरे दल की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार तक सम्वेदना संदेश भिजवाने की कृपा करें।

मान्यवर, श्री चतुर्वेदी जी गोरखपुर से इस विधान सभा में अनेक बार सदस्य होकर आये। उन्होंने यहां पर किसानों का प्रतिनिधित्व किया। उनका देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है। उनके निधन से हम सब लोग दुखी हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी तरफ से तथा मेरे दल की तरफ से उनके परिवार तक हमारी सम्वेदना भेजने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री शिब्बन लाल सक्सेना और पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं। मान्यवर, हमारी पुरानी पीढ़ी के वह लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में देश का मार्गदर्शन किया और सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की, जिनके त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ, उससे आज भी हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जब ऐसे लोग हमारे बीच से चले जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें अति पीड़ा होती है।

स्व0 शिब्बन लाल सक्सेना और स्व0 भृगुनाथ चतुर्वेदी जी की जो सेवाएं हमारे देश और प्रदेश के प्रति रही हैं, उनको कदापि भुलाया नहीं जा सकता है। हमारा आपस का राजनैतिक विरोध होने के बावजूद, मैंने उन्हें बड़े नजदीक से देखा है खासतौर से मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में और पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में विशेष रुचि वह रखते थे और उनसे इन लोगों को सदैव लाभ मिलता रहता था। आज उनके न रहने से इस क्षेत्र में क्या पूरे प्रदेश को क्षति हुई है। पं0 भृगुनाथ चतुर्वेदी जी भी आज हमारे बीच में नहीं रहे और इनका व्यक्तित्व हम सभी के लिए सदैव अनुकरणीय रहा है, उनका कई क्षेत्रों में प्रदेश की जनता के साथ योगदान रहा है, हम सभी लोगों को उनके विचारों से हमेशा प्रेरणा मिलती रही है, इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन दोनों शोक-संतप्त परिवारों को हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से श्रद्धांजलि भेजवाने का कष्ट करें।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, स्व0 श्री शिब्बन लाल सक्सेना और स्व0 श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी जी के निधन के अवसर पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार रखे हैं मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए दोनों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महानुभावों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री सक्सेना जो भारत के समाज वादी दल और सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, उनके साथ काम करने का मौका और सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। वे बहुत ही कर्मठ जीवन के व्यक्ति थे। श्री शिवन लाल सक्सेना ने किसानों के लिए विशेषकर गन्ना किसानों के लिए और देश और प्रदेश के मजदूरों के लिए जो भी सेवाएं की हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता है। स्व0 भृगुनाथ चतुर्वेदी हमारे बहुत ही पुराने जो संसदीय पद्धति में पूर्ण विश्वास करने वाले थे जो कई वर्षों तक इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे, मान्यवर, उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इन दोनों के शोक संतप्त परिवारों तक मान्यवर, हमारी सम्वेदनाएं भिजवाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, श्री शिवन लाल सक्सेना आज हमारे बीच नहीं रहे। वे एक समाजवादी विचारधारा के ऐसे व्यक्ति थे, जिनका उसमें बहुत बड़ा नाम था। हमारा उनका बहुत ही करीब का सम्बन्ध रहा है और आजादी की लड़ाई के वक्त वह लखनऊ सेण्ट्रल जेल में हमारे साथ रहे, और भी बहुत से अवसर हम लोगों के एक दूसरे के मिलने के प्राप्त हुए, मैंने उनसे बहुत-सी बातें सीखी थीं। उत्तर प्रदेश में स्व0 शिवन लाल सक्सेना जैसा कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं रहा उनके समय में, वह बहुत ही गतिशील व्यक्तित्व के पुरुष थे। आज उनके निधन से हमारे प्रदेश में समाजवादी आन्दोलनों के लिए और जनवादी आन्दोलन के लिए, जो उनकी विचारधारा थी, वह अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने देश की सेवा की, चाहे किसी भी पार्टी में रहकर काम किया, परन्तु उन्होंने ऐसे संगठनों को भी बहुत बल दिया है, जो जनता से सीधे सम्बन्धित हुआ करते थे। यही कारण है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष पद को भी स्वीकार दिया था और बाखूबी उन्होंने उस पद का निर्वहन भी किया। मान्यवर, उनके निधन से, जो देश और प्रदेश को क्षति हुई है, उसके लिए हम सभी लोग आज बहुत दुखी हैं, इन्हीं शब्दों के साथ में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्व0 भृगुनाथ चतुर्वेदी भी हम लोगों के बीच से उठ गये। वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए बहुत सी सेवाएं की हैं, उनके निधन से भी हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, मैं इनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मान्यवर, आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी सम्वेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवारों तक भिजवाने का कष्ट करें।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, इस सदन के दो भूतपूर्व सम्मानित सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी माननीय शिवन लाल जी सक्सेना और माननीय भृगुनाथ चतुर्वेदी के निधन पर जो संसदीय कार्य मंत्री ने, नेता विरोधी दल ने और दूसरे नेताओं ने जो अपने शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं भी अपने को और अपने दल, समता पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, शिवन लाल सक्सेना जी का जन्म आगरा में जरूर हुआ था, लेकिन वह आगरा के ही नहीं रहे, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के रहे। विशेष रूप से संविधान सभा में जो डिबेट में उन्होंने भाग लिया, हर एक प्रश्न पर जो अपने विचार उन्होंने व्यक्त किये, वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा। वह इस सदन के सदस्य रहे और लोक सभा के भी सदस्य रहे। वह किसान मजदूर प्रजा दल के अध्यक्ष के साथ ही विभिन्न संस्थाओं, निगमों के सदस्य भी थे। वह गन्ना किसान की समस्याओं के प्रति बराबर संघर्ष करते रहे। हमारे बीच से आज वह महामानव, संघर्षशील व्यक्तित्व उठ कर चला गया। मान्यवर, उनके निधन से जो हमारे देश और प्रदेश को क्षति हुई है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मान्यवर, इसी तरह से भृगुनाथ चतुर्वेदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान इस देश और

प्रदेश के प्रति रहा है । जो परम्परा वह आज इस पीढ़ी के लिए डाल गये हैं, वह बहुत ही प्रेरणादायक है । इन शब्दों के साथ मैं दोनों नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक सम्-वेदना उनके परिवार तक भिजवाने की कृपा करें ।

*श्री हरि शंकर तिवारी--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल, वर्मा जी, गुप्ता जी, कौशिक जी, माननीय राज किशोर सिंह जी, माननीय राम नरेश यादव जी ने स्वर्गीय शिब्बन लाल सक्सेना और स्वर्गीय भृगुनाथ चतुर्वेदी के बारे में जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनसे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, किसानों के सम्बन्ध में जो सेवायें माननीय शिब्बन लाल सक्सेना ने पूर्वांचल में की हैं, वह आज भी स्मरणीय है । उनके द्वारा स्थापित तमाम विद्यालय चल रहे हैं, जो उनकी सेवाओं के प्रतीक हैं । वह आज हमारे बीच में नहीं रहे । परन्तु उनके द्वारा किये गये संसदीय कार्य एवं अन्य तमाम कार्य हमारे लिए अनुकरणीय रहेंगे । स्वतंत्रता संग्राम में, जो उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था, वह सदा-सदा के लिए स्मरणीय रहेगा । मैं चाहूंगा कि आप उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी सम्वेदना भिजवाने की कृपा करें । मान्यवर, भृगुनाथ चतुर्वेदी जी इस सदन के कई बार सदस्य रहे हैं । उसी विधान सभा क्षेत्र से मैं भी चुन कर आया हूं । मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम में 13 साल तक जेलों में अपने जीवन के उन क्षणों को उन्होंने व्यतीत किया था, जब कि उन्हें तमाम कार्यों को करने का अवसर था । इस देश की सेवा में और समाज के लिए उनके द्वारा उस क्षेत्र में, उस जनपद में चलाये गये विद्यालय आज भी सेवा के प्रतीक बने हुए हैं । आज उनके द्वारा दी गयी संसदीय प्रणाली के प्रति विश्वास और इस विधान सभा की कार्यवाही में उनके द्वारा विद्वतापूर्ण भाषण देखने को मिलते हैं । आज वह इस सदन में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किये गये काम और उनके द्वारा की गयी सेवायें सदैव अमिट रहेंगी । मान्यवर, उनके निधन से जो इस देश और प्रदेश को क्षति हुई है, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है । आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारी सम्वेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक भिजवाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

आज हमारे बीच में आजादी के दो बड़े सिपाही नहीं रहे । माननीय शिब्बन लाल सक्सेना जी और माननीय भृगुनाथ चतुर्वेदी जी । उनकी जगह पूर्ति करना मुश्किल है । अपने-अपने दायरे में, जो उन्होंने काम किया, उसकी कोई मिसाल नहीं है । जो विचार सदन में व्यक्त किये गये में अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और सदन की सम्वेदनायें उन दोनों के परिवार को भेजवा दी जायेंगी। अब हम उनके सम्मान में दो मिनट के लिए मौन खड़े होते हैं ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए ।)

पुलिस चौकी इंचार्ज परेड, कानपुर द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में दिनांक 17 मार्च, 1986 को हुए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण हेतु आज की कार्य सूची में न सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मनोहर लाल---

मान्यवर, 5 मार्च को मैंने एक सूचना दी थी और उस सूचना पर आपने कृपा कर वक्तव्य देने की मांग को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वीकार किया था दिनांक 17 मार्च, 1985 उस पर वक्तव्य था । कानपुर में लोहा सिंह, कुत्ते वाला दरोगा है उसके ऊपर वक्तव्य था । वह दिनांक 17 मार्च की कार्य सूची में मद संख्या 10 पर वक्तव्य था परन्तु उस समय गृह राज्य मंत्री मौजूद नहीं थे इसलिए आपने व्यवस्था दी थी कि इस पर बाद में स्पष्टीकरण हो जायेगा और उसके बाद यह आज के लिए तय हुआ था कि बुधवार को स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार मिलेगा लेकिन आज की कार्य सूची में कहीं पर भी यह दर्ज नहीं है तो जो आज के लिए तय हुआ था उस वक्तव्य पर स्पष्टीकरण के मेरे ही अधिकार के बारे में आप व्यवस्था दें और मुझे यह अधिकार प्रदान करें कि मैं उस पर स्पष्टीकरण कर सकूं ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने और नेता विरोधी दल ने बात करके कल इसको लगाया है । यह कल आयेगा ।

विधान सभा क्षेत्र दातागंज, बदायूं के बाढ़ पीड़ितों को गृह अनुदान दिये जाने में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 में 29 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से मैंने 7 स्वीकार किया है, जिनके नाम हैं :

1—श्री अवनीश कुमार सिंह ।

2—श्री किरनपाल सिंह ।

3—श्री रघुवर दयाल वर्मा ।

4—श्री कुशलपाल सिंह ।

5—श्री नेक चन्द्र पाण्डेय ।

6—श्री कर्नल केशरी सिंह ।

7—श्री रिछपाल सिंह बंसल ।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जनपद बदायूं के दातागंज विधान सभा क्षेत्र में पिछले वर्ष रामगंगा नदी में आयी भीषण बाढ़ से हजारों मकान बह गये अथवा गिर गये थे । शासन द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में दिये गये गृह अनुदान का वितरण कार्य इस समय चल रहा है जिसमें कि घोर अनियमिततायें हो रही हैं । लेखपालों द्वारा जो सूचियां ग्रामीणों को गृह अनुदान वितरण के लिए बनाई हैं, वे अधिकांश गलत हैं जिसके कारण हजारों पात्र ग्रामीण गृह अनुदान से वंचित होता हैं । अतः ग्रामीणों में निराशा एवं क्षोभ व्याप्त है ।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि दातागंज विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से कटे अथवा गिरे मकानों के पात्र निर्धन स्वामियों के नाम गृह अनुदान की सूची में सम्मिलित कराने हेतु प्रशासन शासन को कठोर निर्देश दिये जायं जिससे कि उन्हें गृह अनुदान उपलब्ध हो सके । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं । मैं चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय ।

प्रदेश में मिट्टी के तेल की आपूर्ति में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किरन पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल की आपूर्ति मथुरा स्थित तेलशोधक कारखाने से की जाती है । तेलशोधक द्वारा मिट्टी के तेल की आपूर्ति थोक विक्रेताओं को अपने डिपो पर की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाती है जब डीजल व पेट्रोल कम्पनी स्वयं पेट्रोल पम्पों पर पहुंचाती है तथा डीजल और पेट्रोल पर होने वाला परिवहन व्यय भी स्वयं कम्पनी ही उठाती है। मिट्टी के तेल पर होने वाला परिवहन व्यय थोक विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। थोक विक्रेता द्वारा दिया गया परिवहन व्यय आदि को सम्मिलित कर मिट्टी के तेल का थोक मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है जिसके लिये शासन ने जिलाधिकारी को अधिकृत किया हुआ है। तेल कम्पनियों द्वारा 10,000 लीटर डीजल अथवा पेट्रोल मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने से बुलन्दशहर जनपद स्थित विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर पहुंचाने का 1.68 रु0 प्रति कि0 मी0 की दर से देकर स्वामियों का भुगतान किया जाता है जबकि मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता 10,000 लीटर मिट्टी के तेल के 6 रु0 प्रति कि0 मी0 की दर से परिवहन व्यय दिखाकर तेल का मूल्य निर्धारित करवाते हैं।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 10,000 लीटर डीजल अथवा पेट्रोल पर कम्पनी लगभग 500 रुपये व्यय करती है वहीं मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता 10,000 मिट्टी के तेल का लगभग 2000 रु0 परिवहन व्यय वसूल करते हैं। इसी प्रकार से समूचे उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं का थोक विक्रेताओं द्वारा भारी लाभ अर्जित कर शोषण किया जा रहा है जनपद गाजियाबाद व जनपद अलीगढ़ में क्रमशः 6.50 रु0 6 रु0 प्रति कि0 मी0 की दर से मिट्टी के तेल पर परिवहन व्यय वसूला जा रहा है। इस शोषण पर अंकुश तभी लग सकता है जब तेल कम्पनी डीजल व पेट्रोल की भांति मिट्टी के तेल की आपूर्ति भी थोक विक्रेताओं के गोदामों पर की जाने की व्यवस्था करें।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से आवश्यक कदम उठाये जाने की मांग करता हूं।

फिरोजाबाद, आगरा के कतिपय ग्रामों में यमुना नदी की कटान से किसानों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आपके माध्यम से माननीय सदन को अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये निवेदन है कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के यमुना नदी के किनारे बसे सैकड़ों साल के ग्राम नादन चंदवार, माली पट्टी, कबीरपुरा, उसमानपुर, रामदासपुरा, अलादीपुरा, मडुआ, गढ़ीदेवहस कौडरा, नगरिया आदि के मकान व खेती की जमीन यमुना नदी के कटान से ढहने लगे हैं और गत सालों की बाढ़ उपजाऊ भूमि में बालू छोड़ गयी है जिससे खेती योग्य भूमि बर्बाद हो गयी है।

मान्यवर, ग्रामीण जनों को ऊंचे स्थानों पर बसने को वन विभाग से भूमि दिलायी जावे और बालू रखो खेती का मुआवजा तथा बालू हटवाने का काम सरकार करे। यमुना नदी के कटान की इस भीषण विभीषिका से ग्रामीणजन भाग खड़े हुये हैं और भूखों मरने लगे हैं।

अस्तु, मांग करता हूं कि यमुना नदी के कटान को रोकने और ढहे मकानों को बनवाने को सरकार सहायता प्रदान करे और उन्हें बसने की भूमि वन विभाग से उपलब्ध करायें।

निर्वाचन क्षेत्र मांट, मथुरा में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 से अन्तर्गत सूचना

*श्री कुशल पाल सिंह--

मान्यवर, मेरे क्षेत्र मांट के नौहझील, छाता, चौमुहां व मांट ब्लाक के जमुना किनारे के सैकड़ों गांवों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण से कुंये पूरी तरह सूख गये हैं। तालाब सूखे पड़े हैं। जानवरों व मनुष्यों के पेयजल की गम्भीर समस्या अभी से पैदा हो गई है। पिछले वर्ष भी इस क्षेत्र में सूखा के कारण गम्भीर स्थिति हो गई थी। पानी की भारी कमी के कारण यहां पर जनता में अभी से त्राहि-त्राहि मची हुई है। जानवर भी प्यासे मर रहे हैं। जो कहीं-कहीं पर हैण्ड पम्प हैं वह खराब पड़े हैं, उनसे पानी की पूर्ति असम्भव है। इससे जनता में भारी असन्तोष है।

मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सम्मानित सदन व सरकार के संज्ञान में लाते हुये अविलम्ब पेयजल अभावग्रस्त गांवों में हैंड पम्प लगवाने की मांग करता हूं।

जनपद कानपुर देहात में मदूपुर तथा भौंसाना राजबाहों में पानी की कमी से किसानों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद कानपुर देहात में मदूपुर तथा भौसाना, राजबाहों में विगत चार वर्षों से टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। वर्तमान में दोनों रजबहों के किनारे की हजारों एकड़ खेती में खड़ी गेहूं आदि की हरी फसल सूख गई है। किसानों से जबरन आबपासी वसूल की जा रही है जबकि उन्होंने राजबाहों के पानी का प्रयोग ही नहीं किया है उक्त राजबाहों के किनारे के गांवों में जानवरों को पानी पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है अतः जानवर प्यासे मर रहे हैं।

किसानों की गम्भीर समस्या को लेकर कंजती, देववली, बाचीपुर, तकीपुर, बिकरु भोटी, पूराबुजुर्ग, बसेन, जादेपुर, दिलीपनगर, बोझा, डिब्बा निवादा, सुज्जा निवादा भौसाना, मुनोह, रोड़कपुर, महराजनगर, निगोहा, करतरिया आदि के अनेक गांवों के किसानों ने हजारों की संख्या में जनपद मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।

इसलिये सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि उक्त मामले की गम्भीरता को देखते हुए शासन तुरन्त उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रदेश के जिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में की गयी नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण आदेश की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कर्नल केशरी सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं।

नेशनल बैंक आफ एग्रीकल्चर एण्ड रूलर डेवलपमेंट के अन्तर्गत स्थापित प्रदेश के प्रत्येक जिले में खोले गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा की गई सन् 1984 से फरवरी, 1986 तक करीब 3,000 नये कर्मचारियों की नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित श्रेणी II एवं III में क्रमशः 8 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया है। इन बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है जो केन्द्रीय और प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नीतियों एवं आदेशों की साफ अवहेलना है। सामान्य श्रेणी में चयनित भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति पत्र तक भी नहीं दिया जाता है। मुजफ्फर-नगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा केवल एक चयनित भू0 पू0 सैनिक जून, 1985 से अभी तक नियुक्ति-पत्र नहीं पा सका है जबकि उसके साथ चयनित 18 अभ्यर्थी नियुक्त किये जा चुके हैं।

अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया सरकार को इसकी पूर्ण जांच कराने एवं भूतपूर्व सैनिकों को देय आरक्षण पूरा करने के निर्देश दें ताकि भूतपूर्व सैनिकों को न्याय मिल सके।

बागपत मेरठ में यमुना नदी के कटान से हजारों बीघा जमीन हरियाना प्रदेश में चले जाने से कृषकों में भय व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन एवं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम सिसाना तहसील बागपत, जनपद मेरठ की अत्यन्त उपजाऊ भूमि यमुना नदी के कटाव से हजारों बीघा हरियाणा में चली गयी है। यह कटाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है जिससे उक्त ग्राम को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे ग्राम के निवासियों में भारी भय व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि यमुना नदी के कटाव को रोकने हेतु चार ठोकरों का निर्माण निवाड़ा से बागपत सीमा तक कराया जाय।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो (1) माननीय शारदा नंद अंचल, (2) माननीय हृदय नारायण दीक्षित, (3) माननीय हरिश्चन्द्र, हरीश जी, (4) माननीय शारदा प्रताप, (5) माननीय मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, और (6) माननीय सूर्य प्रताप शाही की हैं। ये सभी सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आतीं। अतः अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप--

[× × ×]

श्री सूर्य प्रताप शाही--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं लिखा जायगा, आप सब बैठें।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शोरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शोरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 मार्च, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 मार्च, 1986 को प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन जो टेहरी बांध परियोजना के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

ग्राम सोंगर, तहसील शाहगंज, जौनपुर में एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका††

श्री दीप चन्द्र सोनकर--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ग्राम सोंगर, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में ऐलोपैथिक अस्पताल खोलने विषयक श्री अब्दुल अली तथा अन्य निवासीगण जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

हरिद्वार को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री महाबीर सिंह राणा--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से हरिद्वार को जिला बनाने विषयक श्री योगेन्द्र पाल सिंह चौहान, निवासी हरिद्वार तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद गाजियाबाद के कस्बा लोनी को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री रिछ पाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के कस्बा लोनी को तहसील घोषित किये जाने विषयक श्री राशिद अली तथा अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

†† छापी नहीं गयी ।

†छापी नहीं गयी ।

जनपद बस्तीके तेतरी सोहांस मार्ग के जमुआर नाले पिठनी घाट पर पुल बनाये जाने तथा पिचरोड कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बस्ती के तेतरी सोहांस मार्ग के जमुआर नाले पिठनी घाट पर पुल बनाने तथा उक्त मार्ग के निर्माण में तेजी लाकर उसे पिचरोड कराये जाने विषयक श्री पियारे भगत तथा अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 24 सूचनायें आज प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं—(1) सूचना श्री हरीश चन्द्र हरीश जी की है (2) यही सूचना श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (3) डाक्टर दिनेश जौहरी (4) श्री सत्यपाल सिंह (5) श्री गोपाल दास यादव व श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की लखनऊ में डाक्टरों की फर्जी डिग्री देनेवाले गिरोह के सम्बन्ध में है (6) सूचना श्री यदुनाथ सिंह, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की है जो मिर्जापुर में विशेष जाति के अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है (7) सूचना श्री विजय सिंह राणा, श्री किरन पाल सिंह व श्री रघुबर दयाल वर्मा की है, जो आगरा में जवाहर पुल टूटने से यातायात ठप्प होने के सम्बन्ध में है । (8) सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है, जो दशमोत्तर कक्षाओं के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में है (9) सूचना श्री सरदार सिंह की है, जो छाता (मथुरा) के पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा आतंक के सम्बन्ध में है । (10) सूचना श्री राम नरेश की है जो कि रामपुर जनपद में हरिजन के मकानों को जलाये जाने के सम्बन्ध में है । (11) सूचना श्री मनोहर लाल की है जो कि मोती लाल नेहरू गर्ल्स कालेज के लिपिक द्वारा लाखों रुपये की हेराफेरी के सम्बन्ध में है । (12) सूचना श्री पारस नाथ यादव की है जो कि विरोधी दल की जन सभाओं में पुलिस द्वारा अवरोध उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है । (13) सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है जो बलिया में पूर्वान्चल विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में है । (14) सूचना श्री बदन सिंह, श्री दिवाकर विक्रम सिंह की है जो कि आगरा में मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप के सम्बन्ध में है । (15) सूचना श्री फजलुल बारी की है जो कि गोंडा जनपद के सांसद के सम्बन्ध में जासूसी के आरोप के सम्बन्ध में है । (16) सूचना श्री शारदा प्रताप की है जो कि विभिन्न उद्योगों में व्याप्त श्रमिक अशान्ति के सम्बन्ध है । (17) सूचना श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री भगवानदीन कुशवाहा, श्रीमती रामानन्दिनी वर्मा की है जो कि उत्तर प्रदेश महाविद्यालय के तदर्थ शिक्षकों के सेवा समाप्त के सम्बन्ध में है । (18) सूचना श्री सूर्यप्रताप शाही की है जो इटावा में विचाराधीन कैदी की जेल में पिटाई के सम्बन्ध में है । (19) सूचना श्री चन्द्र भान मौर्य व श्री गया प्रसाद वर्मा की है, जो कि जनपद मैनपुरी में सामूहिक हत्याकांड के सम्बन्ध में है । (20) सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की है, जो शक्ति भवन लखनऊ पर कर्मचारियों के धरने के सम्बन्ध में है । (21) सूचना श्री किशन लाल दिलेर की है, जो कि जनपद उन्नाव में दो युवकों की हत्या के सम्बन्ध में है । (22) सूचना श्री अशोक बाजपेयी की है जो कि व्यापारियों द्वारा सरचार्ज न जमा करने की घोषणा के सम्बन्ध में है । (23) सूचना श्री सुरेश प्रताप सिंह गौधी व श्री जगबीर सिंह की है जो कि

†छापी नहीं गयी ।

ग्राम सभाओं द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में धांधली के सम्बन्ध में है।

(24) सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की है, जो कि प्रदेश की मंडी समितियों में घोटाले के सम्बन्ध में है।

(पहली सूचना के सम्बन्ध में श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी, डाक्टर दिनेश जौहरी व श्री जौहरी लाल द्विवेदी के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक दल से एक ही व्यक्ति बोले।

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, लखनऊ में दो ऐसी संस्थाओं का पता चला है जिनका बहुत बड़े-बड़े गिरोहों से सम्बन्ध है। यह संस्थाएं पिछले 28 वर्षों से फर्जी डाक्टर की डिग्रियां बेते आ रहे हैं। इतने लम्बे वर्षों से ये संस्थायें चल रही हैं, स्वाभाविक है कि इन संस्थाओं में बहुत बड़े-बड़े लोग भी शामिल होंगे। इनमें से एक संस्था का नाम है आल इंडिया प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टीशनर्स एसोशिएसन, रानीगंज लखनऊ और दूसरी का नाम है--आल इंडिया प्राइवेट प्रैक्टीशनर्स एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन 15, मकबरा रोड, लखनऊ। ये दोनों संस्थायें रजिस्टर्ड भी हैं। पुलिस ने जब आल इंडिया प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टीशनर्स एसोसिएशन, रानीगंज, लखनऊ पर छापा मारा तो इस संस्था का जो प्रमुख डाक्टर अजय कुमार चौधरी है, उसकी एक फोटो वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के साथ मिली है। मान्यवर, ऐसा लगता है कि यह मामला केवल यहीं तक नहीं है बल्कि दिल्ली तक का है। छापे में ऐसे प्रमाण मिले हैं इनके प्रमुख केन्द्र दिल्ली में हैं और उत्तर प्रदेश में जो शाखा चल रही है उसने अब तक 46573 व्यक्तियों को प्रदेश के अन्दर व 42139 व्यक्तियों को प्रदेश के बाहर फर्जी डाक्टर की उपाधि दी है। इस मामले के प्रकाश में आने से सम्पूर्ण जनमानस में एक खलबली सी मच गई है।

भगवान के बाद प्राणों की रक्षा करने वाला दूसरा डाक्टर होता है लेकिन उसमें इस प्रकार का जाल-फरेब हो रहा है। आज लोगों में अपने जीवन रक्षा के प्रति बड़ा भय व्याप्त हो गया है मान्यवर, अगर पढ़ाई-लिखाई और योग्यता के आधार पर डिग्रियां दी गई होती तो कुछ दूसरी बात होती लेकिन स्पष्ट है कि न तो कोई पढ़ाई-लिखाई और न ही कोई योग्यता, मात्र 500 से 1,000 रुपया चुकता करने पर और 200 रुपए दलाल को देने पर ये फर्जी डिग्रियां मिलती चली आ रही हैं। बहुत बड़े तादाद में यह गिरोह पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और इन संस्थाओं द्वारा जिन व्यक्तियों को फर्जी डाक्टर की उपाधियां दी गई हैं, वे फैले हुए हैं। ऐसे डाक्टर सुईयां लगाते हैं और लोग मरते जा रहे हैं। यह एक अहम् प्रश्न है। इसलिए मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत आज आप सदन की सारी कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार करवाने की कृपा करें। आज पूरे प्रदेश में जन मानस का जीवन खतरे में है, मौत उनके सामने खड़ी है। इस नाते आप इस पर तुरन्त स्तरीय जांच करवा कर इन दोनों संस्थाओं पर बैन लगवाया जाय और जिन व्यक्तियों को इन संस्थाओं द्वारा फर्जी डाक्टर की डिग्रियां वितरित की गई हैं, उन पर भी तुरन्त प्रतिबन्ध लगवाया जाय।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले ये फर्जी डाक्टर उत्तर प्रदेश में लखनऊ और सरकार की नाक के नीचे अवैध ढंग से काला धंधा कर रहे हैं और आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग का इतना बड़ा स्वास्थ्य निदेशालय मौजूद है, इसके बावजूद भी यहां के अधिकारी फर्जी लोगों के साथ सांठ-गांठ करके अपना फर्जी धन्धा चला रहे हैं। आज यहां पर नाका क्षेत्र में रानीगंज मुहल्ले में जिस तरह से प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन जो कि एक आल इंडिया संस्था है जिस तरह से काला धन्धा कर रहे हैं

सरकार की नाक के नीचे, स्वास्थ्य निदेशालय में राजपत्रित अधिकारी हैं, उनकी सांठ-गांठ से फर्जी धन्धा चल रहा है, जिस तरह से ये मौज-मस्ती ले रहे हैं, यहां के लोगों की आम धारणा हो गयी है कि पहले नकली दवायें मिलती थीं, अब नकली डाक्टर भी हैं। जनता में भय और तनाव व्याप्त हो गया है। इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को देखते हुए, इससे ज्यादा एहम सवाल नहीं हो सकता। मेरी मांग है कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

(स्वास्थ्य मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री सत्यपाल सिंह--

मुझे भी सुन लीजिये, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बुला लिया है।

(श्री सत्यपाल सिंह द्वारा खड़े होकर बिना अनुमति बोलते रहने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

वे लोग गिरफ्तार हो गये हैं, प्रदेश की स्थिति भयावह नहीं है। यह नियम 56 के अन्तर्गत मानने योग्य नहीं है। मामला अदालत में भेज दिया गया है, पुलिस उसकी पैरवी कर रही है।

(श्री यदुनाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सत्यपाल सिंह--

मुझे भी सुन लीजिए।

(श्री सत्यपाल सिंह, डाक्टर दिनेश जौहरी तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जब माननीय सत्यपाल सिंह व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सुन लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था की आड़ में वही बात आयेगी। मैं आपके ही निर्णय पर चल रहा हूं, अगर आप कह दें तो मैं पूरे विरोधी दल को सुनने के लिये तैयार हूं। आप अपना सुझाव दे दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेरा सुझाव यह है कि व्यवस्था पर बोलें तो बोलने दीजिये। अगर अलग-अलग जाते हैं तो आपको अधिकार है, रोकने का। आप पहले से कल्पना कैसे कर लेते हैं?

*श्री सत्यपाल सिंह--

अगर मैं इस विषय पर बोल भी दूंगा तो बहुत बड़ा पद नहीं मिल जायेगा। आपने व्यवस्था रखी है कि जितने भी विरोधी दल हैं, उनसे एक-एक सदस्य बोलेंगे। जिस समय नियम 56 की सूचना आपने बोली थी, पार्टी की तरफ से पहला नाम मेरा था, मैं समझता हूं कि मुनासिब था कि मेरा नाम पहले पुकारा जाता, आप मुझे बुलाते, लेकिन आपने मुझे न बुलाकर श्री गोपाल दास यादव का नाम पुकारा। इसके अतिरिक्त हमारे दल के 85 लोग हैं, उस आधार पर भी आपको मुझे सुनना चाहिये था। आप ग्राह्यता, अविलम्बनीयता और लोकमहत्व पर सुनते हैं, लेकिन जिस समय आप सुनते हैं भाषण सुनते चले जाते हैं दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट तक और हम अगर एक मिनट लेना चाहें तो लेने नहीं देते हैं, इसलिये मेरे जैसे पुराने सदस्य के लिये भी गुस्सा होने का मौका आ जाता है। मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिये था, इसलिये मैं समझता हूं कि आपकी अनुमति है, अब मैं इस विषय पर कुछ कहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया है। इस तरह तो माननीय अनुग्रह नारायण सिंह भी खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं भी बोलना चाहूंगा।

इनके दल से पहले हरीश जी बोले उसके बाद डा0 दिनेश जौहरी का नाम था तो इस हिसाब से मुझे सबको बुलाना चाहिये था? माननीय अनुग्रह नारायण सिंह आप कैसे खड़े हैं? नेता विरोधी दल ने कह दिया है तो आपका अब खड़ा होना कोई जरूरी नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा निवेदन यह है कि इस महत्व-पूर्ण विषय पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि इस विषय पर दो घंटे की चर्चा आप स्वीकार कर लें तो सभी के विचार सामने आ जायेंगे।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डाक्टर अशोक चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला अदालत में चला गया है। अब आप अदालत का निर्णय आने दीजिये। इसमें अब विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डा0 दिनेश जौहरी--

यह पूरे प्रदेश का मामला है कि फर्जी डिग्रियां मेडिकल की दी जा रही हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप बोलिये ना।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 दिनेश जौहरी--

यदि आप हम लोगों को नहीं सुनेंगे तो हम सदन छोड़ कर चले जायेंगे।

(डा0 दिनेश जौहरी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

यदुनाथ सिंह जी, आप अपना बोलिये। अनुग्रह नारायण सिंह जी, आप मेहरबानी करके बैठें।

श्री यदुनाथ सिंह--

मिर्जापुर जनपद में करीब-करीब एक जाति विशेष होने के नाते....

(घोर व्यवधान)

श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, [× × ×] यह दूसरे विषय पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं प्राप्त सूचनाओं में आगे बढ़ गया हूं। अब जब हम निर्णय देंगे तब आप कहियेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप लोग जो कुछ बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यदुनाथ सिंह, आप अपना बोलिये।

(सर्वश्री सत्यपाल सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, गोपाल दास यादव निरन्तर खड़े-खड़े बोलने का प्रयास करते रहे।)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सत्य पाल सिंह--

अध्यक्ष जी, आप हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं और हमारी बात को नहीं सुनना चाहते हैं, अतः हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री सत्यपाल सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव तथा श्री जौहरी लाल त्रिवेदी सदन त्यागकर चले गये।)

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं बोल रहा था कि बड़ी अव्यवस्था हो गयी। मैं कह रहा था कि मिर्जापुर जनपद एनअदर टेरीटरी हो गयी है, एनअदर राज्य हो गया है। मार्च, 1985 में जब चुनाव हुए तब से आज तक लगातार रविदास जयन्ती पर दो हरिजनों को मारा गया। द्विवेदी के घर हमला बोला गया और उनके परिवार के साथ और उनकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया था। फिर पं0 लोकपति जब चुनाव लड़े थे तो उनके भाई की हत्या हो गयी थी। लेकिन 90 और 95 प्रतिशत अधिकारी वहां पर ब्राह्मण पोस्ट किये गये हैं। डी0 एम0, एस0 पी0 और थानें तक में और किसी जाति का आदमी नहीं है। ए0 डी0 एम0 और जिलाधिकारी हैं, सभी ब्राह्मण हैं। इस प्रकार से लगातार संविधान के अनुच्छेद 193 का उल्लंघन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को तो मान्यवर, सेकुलर होना चाहिये। किसी जाति विशेष को महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर एक ए0 डी0 एम0 थे, हरदेव सिंह, वह बड़े इमानदार थे, वहां पर चुनाव हुआ और उसमें कुछ गड़बड़ी की उन्होंने कहा कि रिपोल करायेंगे, तो पंडित जी नाराज हो गये और उनका ट्रान्सफर करा दिया और वह अलीगढ़ चले गये। जो अच्छे अधिकारी होते हैं उनको बदल देते हैं। एक विशेष जाति के कारण जलालपुर थाने में दो दरोगा आपस में लड़ गये। इस प्रकार से वहां पर एक जाति का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की जो सरकार है, वह मिर्जापुर में नहीं है। मिर्जापुर में लोकपति त्रिपाठी की सरकार है। वही वहां के स्वास्थ्य मन्त्री हैं, वही गृह मन्त्री हैं, वही वहां के मुख्य मन्त्री हैं। वही सब विभागों को देख रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए आप सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करा दें। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं आगरा अनपद के जवाहर पुल की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आगरा में एक नेशनल हाई वे है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था और एक स्टेट हाई वे और 10 सड़कों का यातायात इसी पुल से गुजरता है। आगरा उत्तर प्रदेश को दूसरे जिलों से जोड़ता है और आवागमन जो दिल्ली से आता है और दिल्ली को जाता है, वह सब इसी पुल होकर जाता है। मान्यवर, इस पुल पर बहुत अधिक भार है, इस कारण यह पुल टूट गया है। माननीय नेता विरोधी दल भी अभी वहां पर हो आये हैं, पुल का स्लेब टूट गया है और यातायात की दोनों तरफ कतारें लग जाती हैं और ट्रैफिक बुरी तरह से जाम हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिय ताजमहल के निकट समीगर गांव के पास एक पीपे का पुल बना दिया जाये तो बहुत सा ट्राफिक डाइवर्ट किया जा सकता है। अम्मार रिजवी साहब जब यहां पर मन्त्री थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहां पर एक पीपे का पुल बनवा दिया जायेगा, उसके लिये जिला समिति से प्रस्ताव आया, लेकिन अभी तक पीपे का पुल नहीं बनाया गया है ताकि ट्राफिक का कन्ट्रोल हो जाये। यह भयंक समस्या है। अगर आप आगरा में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दल्ली को हरियाना को या राजस्थान को जाये तो आपको यहां पर कम से कम 10 घंटे खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आज तक शासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिये मान्यवर इस लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा करा दें, दो घंटे की चर्चा की मांग करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आगरा में जवाहर पुल बीच-बीच टूट गया है और आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ट्राफिक को दोनों साइड खड़ा कर दिया जाता है। अगर आपको दिल्ली से आना है तो आपको इसी पुल से गुजरना पड़ता है और पुल के टूट जाने के कारण ट्राफिक को 11-11 और 12-12 घंटे खड़े रहना पड़ता है, इसलिये आवश्यक है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये ताजमहल के पूर्व में ग्राम समोगर गांव के निकट एक पीपे का पुल बनाया जाये जिससे कि ट्राफिक को इस पुल से डाइवर्ट कर दिया जाये। जवाहर पुल इतना कमजोर हो गया है कि किसी भी दिन वह गिर सकता है और उसमें अनेकों लोगों की जानें जा सकती हैं।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब जब यह पुल बीच में टूटा हुआ था जब इसकी मरम्मत हुई थी, दोनों तरफ से भाड़ा रुका हुआ था। जब इस पुल से कोई गाड़ी गुजरती है तो यह पुल कम्पन करता है और ऐसा मालूम पड़ता है कि यह नीचे जा रहा है राष्ट्रीय मार्ग शेरशाह सूरी पर यह पुल है जिस पर भाड़े का भारी दबाव है। मेरा निवेदन है कि इस लोकमहत्व के प्रश्न पर आप चर्चा करायें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, सरकार को निर्देशित करें कि समोगर पर पुल का निर्माण करायें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, वैसे तो माननीय विजय सिंह राणा, माननीय रघुवर दयाल वर्मा और किरन पाल जी ने इस पर कहा है। एक तो आगरा ताजमहल की वजह से इतना दर्शनीय है कि आपके हिन्दुस्तान के ही नहीं दुनिया के लोग आते हैं। वैसे मुझे भी एक दिन करीब 3 घंटे साढ़े तीन घंटे रुकना पड़ा। तो कोई राजनैतिक सवाल नहीं है यह जनता का सवाल है। पीपे के पुल को बनाने को आप तैयार नहीं हैं या तो मान्यवर, पीपे के पुल की मांग की गयी है उसकी घोषणा कर दें वरना 2 घंटे की चर्चा करा दीजिये। यह सवाल जनता का है कोई राजनैतिक सवाल नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहां विदेशी लोग यात्रा करने आते हैं। हमारे देश का आगरा ताजमहल के कारण दर्शनीय नगर है। यह तो एक साधारण सी मांग है इसको मान लेना चाहिए।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, जहां तक आगरा के महत्व का प्रश्न है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है, यातायात भी उस पर भारी है लेकिन कार्यस्थगन के माध्यम से आज पुल की मांग की जा रही है और इसके लिए माननीय राणा जी जो नियम के ज्ञाता हैं उनको पता होगा कि इन सारी समस्याओं को लेकर एक दिन सार्वजनिक निर्माण विभाग पर बहस हुई और एक दिन सिंचाई विभाग पर हुई, अच्छा होता कि पुल की बात भी वहीं कही गयी होती और पीपे के पुल की मांग करते। जहां तक जवाहर पुल का सम्बन्ध है, उस पर यातायात चल रहा है जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत तीरती है

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, 10-10 घंटे लाइन लगी रहती है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, गाड़ियां और यातायात तो वहां भी रुक जाती हैं जहां लाइट लगी होती है। जो प्रश्न यहां उठाया जा सकता है उसी स्टेज पर उठाना सही है। कार्यस्थगन के रूप में इसका प्रश्न नहीं उठता। चर्चा इस पर काफी हो चुकी है और कोई चर्चा की बात नहीं है

(व्यवधान)

मान्यवर, आगरा का जहां और बातों का महत्व है।

(व्यवधान के मध्य)

मेरा आपसे आग्रह है कि कोई नियम 56 के अन्तर्गत सूचना की आवश्यकता नहीं है।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, यह आगरा के पुल का जो मामला रखा गया है इस पर एक मिनट का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—

फिर तो इधर भी इजाजत देनी पड़ेगी।

(व्यवधान के मध्य)

डा0 साहब मुझे माफ करना। मैं आपका आदर करता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके बाद देख लीजिएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सरकार की ओर से हरिजनों के हितों की बात की जाती है लेकिन आज मैंने एक विषय की सूचना कार्यस्थगन के माध्यम से दी है जिसमें स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियां हरिजन हितों के विरोध में हैं। दर्जा 10 के ऊपर के छात्रों की सरकार द्वारा घोषणा है, वचनबद्ध रूप से कि उनको छात्रवृत्ति दी जायेगी लेकिन उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है मान्यवर, पिछला जो बजट था 1984-85 का उसमें सरकार की ओर से उसमें 9 करोड़ 84 लाख 60 हजार 800 रुपया आयोजनेतर का था और 4,33,99,000 रुपया प्लान का यानी आयोजनागत का था जिसे केन्द्रीय सरकार देती है। कुल 14,10,59,800 रुपया इस हेतु प्राविधानित किया गया था। समझा यह गया था कि 1985-86 में यह धनराशि बढ़ेगी लेकिन राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की नीति की बिना सोचे 1985-86 के बजट में 9,94,60,800 रुपये आयोजनेतर में तय कर दिया कि बाकी पैसा केन्द्र सरकार दे देगी। इस सरकार को मालूम होना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार ने फारमूला बनाया है कि 1984-85 में प्लान और नान-प्लान में दोनों के खर्चे का दायित्व राज्य सरकार का होगा। वह पूरा होना चाहिए था। 1985-86 में यहां पर छात्रवृत्ति देने के लिए लगभग 15/16 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी और 14,10,59,800 रुपया की ही व्यवस्था की गई। 5 करोड़ रुपया इस सरकार को और देना था, जिसके लिये वह वचनबद्ध थी। लेकिन केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। यहां पर कुल ढाई लाख छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए थी लेकिन एक डेढ़ लाख विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट में, बी0 ए0 में एम0 ए0 में, इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज में पढ़ते हैं उनको इस वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिल सकेगी।

हमारा प्रमाण यह है कि यह बजट सत्र जो चल रहा है उसके लिये अब 12 दिन शेष रह गये हैं और अभी तक इस सरकार ने कटेन्जेन्सी से रुपया नहीं दिया है। और जब तक राज्य सरकार नहीं देगी, केन्द्र सरकार से नहीं मिल पायेगा जिसका परिणाम यह हुआ कि हरिजन छात्रों में असंतोष की

भावना पैदा हो गई है। जिन स्कूलों को नान-रिकरिंग ग्रान्ट मिलती है उन स्कूलों की भी यही स्थिति है। इसलिये समाज कल्याण विभाग द्वारा जो स्कूल चलाये जा रहे हैं, जिनको नान-रिकरिंग ग्रान्ट का पैसा मिलता है, उनको भी छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल रहा है। इससे सम्पूर्ण प्रदेश में असन्तोष की भावना पैदा हो गई है। यह सरकार हरिजन विरोधी नीति अपना रही है और अब उसका पर्दा-फाश हो गया है यह प्रदेश व्यापी समस्या है, समस्त हरिजनों को स्पर्श करने वाली है। इसलिए मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं और मेरा आग्रह है कि आप इस पर चर्चा करा दें और यदि चर्चा न करावें तो सरकार से वक्तव्य दिला दें जिससे सरकार की नीति का पता चल सके। मैं पुनः बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इस पर आपको कुछ कहना है ?

श्री हुकुम सिंह—

बाद में कह लूंगा, मान्यवर।

(समाज कल्याण मंत्री के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

जब मैं आपको बुलाऊं, तब आप बोलियेगा।

*श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, आपने बृज की होली का नाम तो सुना ही होगा। यह होली का समय है। शाम को वहां पर लोक इकट्ठा होते हैं और होली गाते हैं। मान्यवर, 7 मार्च की बात है, वहां पर एक कस्बा है जहां पर लोग बैठ कर होली गा रहे थे। उसी बीच उस क्षेत्र के सी0 ओ0 जो हैं, वे आ गये और होली गाने वालों के ऊपर लाठी-डंडा बरसाना शुरू कर दिया। चूंकि वह सादी वर्दी में थे, लोगों ने भी धक्का-मुक्की की होगी। सी0 ओ0 थाने में गये और अपने उप-निरीक्षक श्री जयन्त के नाम से फर्जी रिपोर्ट दफा 307 के अन्तर्गत दर्ज कर दी कि मैं सरकारी काम के लिये जा रहा था और 6/7 लोगों ने मेरे ऊपर कट्टा, बन्दूक, हाकी और चाकुओं से वार किया जिससे मुझ सरकारी काम में बाधा पहुंची। दूसरे दिन वहां पी0ए0सी0 भेज दी और 5 थानों की जी0 डी0 रोक दी। मान्यवर, इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, महिलाओं को, बच्चों को पीटा गया। लोगों के खेतों और हरिजनों के छप्पर जला दिये गये। पुलिस उनको जबरन पकड़ कर ला रही है। और थानों में ले जा रही है वहां उनको पीट रही है। इस तरह से मान्यवर, होली की हमारे वहां जो संस्कृति है वह नष्ट कर दी गयी है। कल वहां पर नन्दगांव बरसाना की होली होने वाली थी किन्तु वहां पर लोग नहीं आये। हजारों की संख्या में पी0 ए0 सी0 और पुलिस पहुंच गयी है। एक सी0 ओ0 के इगों को संटिसफाई करने के लिये यह सब हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। होली हमारे यहां की बहुत इंपार्टेंस है। चारों तरफ से करीब 100 लोग विधायकों के पास आकर रुके हुये हैं। सी0 ओ0 और एस0 पी0 ने विधायकों और सांसदों के यहां भी पुलिस लगा दी है जिससे लोग उनसे मिल न सकें। बड़ी मुश्किल से हमारे यहां लोग आ सके हैं। कल वे नेता विरोधी दल से मिले और आज माननीय मुख्य मंत्री से भी मिलेंगे। इसलिए इसके महत्व को देखते हुये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर सदन का सारा काम रोक कर चर्चा करा दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय सरदार सिंह जी ने जो कहा कि यह 7 ता0 की घटना है जिसको आज कार्यस्थगन के रूप में उठाना चाहते हैं। आज 19 ता0 है। मेरा आग्रह है इस बीच में यदि यह इतनी महत्वपूर्ण सूचना थी तो सरदार सिंह जी जैसे सजग सदस्य यहां तुरन्त उठाते। फिर भी आपने जानकारी दी है जिसके आधार पर मैं पता कर लूंगा और उसमें सत्यता मिलती है तो आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री सरदार सिंह--

वहां लोगों की कुर्की हो गयी है एक आतंक वहां बना है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह--

इसमें स्टेटमेन्ट दिलवा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

मैंने इतने गंभीर आरोप लगाये हैं कम से कम जांच के निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष--

वहां तो माननीय यदुनाथ सिंह जी आप का राज्य है किसी और बिरादरी का नहीं है।

(व्यवधान)

शांति से सुनें।

सूचना नम्बर 1 से 5 तक एक घंटे की चर्चा मैंने स्वीकार की है, जो श्री हरीश चन्द्र हरीश जी तथा अन्य चार माननीय सदस्यों की है जो लखनऊ में डाक्टरों की फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह के सम्बन्ध में है।

सूचना नम्बर 7 पर एक घंटे की चर्चा जो श्री विजय सिंह राणा, श्री किरन पाल सिंह एवं श्री रघुवर दयाल वर्मा की आगरा में जवाहर पुल टूटने से यातायात ठप्प होने के सम्बन्ध में है।

सूचना नम्बर 8 में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की दशमोत्तर कक्षाओं के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में है।

सूचना नं0 9 वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं जो श्री सरदार सिंह की छाता, मथुरा के पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा आतंक के सम्बन्ध में है।

सूचना नं0 10 में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं जो श्री रामनरेश की रामपुर जनपद में हरिजन के मकानों को जलाने के सम्बन्ध में है।

सूचना नम्बर 11 से 13 तक अस्वीकार हैं।

सूचना नम्बर 14 सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं जो श्री बदन सिंह एवं श्री दिवाकर विक्रम सिंह की आगरा में मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप के सम्बन्ध में है।

सूचना नम्बर 15 और 16 अस्वीकार हैं।

सूचना नम्बर 17, 18 सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं जो श्री कमलेश पाठक, श्री भगवान दीन कुशवाहा, तथा श्रीमती राम नन्दिनी वर्मा की उ0 प्र0 महाविद्यालय के तदर्थ शिक्षकों के सेवा समाप्त करने एवं सूचना नं0 18 श्री सूर्य प्रताप शाही की इटावा में विचाराधीन कैदी की जेल में पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में है।

शेष सूचना नं0 19 से 24 तक अस्वीकार हैं।

(व्यवधान)

अस्वीकार हैं।

संख्या 16 बजट मांगों पर चर्चा। माननीय कौशिक जी बोल रहे हैं।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या 30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 39--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग, अनुदान संख्या 45--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 82--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 83--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 86--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक उद्यम विभाग (क्रमागत)†

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग आदि की मांगों के सम्बन्ध में, जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका म समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी, जब कल भाषण दे रहे थे तो मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना और एक बिन्दु पर उन्होंने बड़ा जोर दिया है कि वह अपने प्रदेश में अमन और चैन कायम करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और इस संकल्प की पूर्ति के लिए उन्होंने गिरोहबन्दी निवारण कानून का पारण कराया। मान्यवर, जो व्यवस्था, जो पुलिस, जो प्रशासन भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, गुन्डा निवारण कानून, रा0 सु0 का0 के रहते हुए अपने प्रदेश में अमन चैन कायम नहीं करा सके। वह सिर्फ गिरोह बंदी निवारण कानून के जरिये से कैसे अमन-चैन करा पायेंगे यह संदिग्ध बात है। चूंकि मान्यवर, आम प्रशासन और गृह विभाग का, जो काम है, हमारे समाज के जो दूसरे काम और पहलू हैं उनसे अलग नहीं है। आप बेरोजगारी की समस्या दूर करेंगे नहीं, लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे नहीं लेकिन लोगों में ऐसी भूख आप जरूर जगा रहे हैं जिससे पूरा समाज भ्रष्टाचार में डूब जाय। आप अपने प्रदेश में अपने नियोजन के जरिये ऐसी संस्कृति को अपनायेंगे जिससे उपभोग की ज्यादा लालसा लोगों में पैदा हो और ऐसी भूख जगायेंगे कि किसी भी प्रकार हमें आज इस समय अच्छे साधनों और सुविधाओं को उपलब्ध करें। ऐसी भूख आपने अपने समाज में जगा दिया है। इन सारी चीजों के रहते हुए आप गिरोह बन्दी निवारण कानून के जरिये अपने प्रदेश में शान्ति व्यवस्था, अमन-चैन को सुधार पायेंगे, यह असम्भव है।

मैं यह नहीं कहता कि आपकी नियोजन और प्लानिंग के जरिये अपने प्रदेश में तरक्की नहीं हुई है, तरक्की हुई है और तरक्की करते ऐसे चन्द लोगों को आपने पैदा किया है जो रईसी के मामले में, सुख-सुविधा और सम्पन्नता के मामले में विश्व के मालदार से मालदार व्यक्ति का मुकाबला करने में सक्षम हैं, यह सही है। मान्यवर, यह भी सही है कि पिछले 30-35 सालों के नियोजन में हमारे समाज में एक ऐसा तबका जो मिडिल क्लास है उसका आकार बढ़ा है, यह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यह भी सही है कि आपके गलत नियोजन के कारण घिनौनी गरीबी पैदा हुई है और 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले पैदा हुए हैं और पूरा समाज भ्रष्टाचार में धस गया है। इस लिए जब तक आप इस नियोजन को नहीं सुधारेंगे, जब तक आप यह नहीं करेंगे कि

(इस समय 1 बजकर 33 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए।)

† दिनांक 18 मार्च, 1986 की कार्यवाही से।

आप समाज के प्रत्येक अंग को ऊपर उठाते हुए ले चलें तब तक आप भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते हैं और जब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करते उस समय तक आप अपने प्रदेश में अमन चैन नहीं पैदा कर सकते हैं चाहे आप गिरोह बंदी निवारण जैसे कितने ही कानून बना लें ।

मान्यवर, पुलिस के प्रशिक्षण की व्यवस्था आप करेंगे नहीं । आपकी पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था पुरानी ही अभी तक चली आ रही है । गोरे कमेटी की संस्तुतियों को आज तक लागू नहीं किया गया है । पिछले सत्र में आपने प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सिंघल कमेटी का गठन किया किन्तु आज तक उसने क्या किया है, क्या प्रशिक्षण की व्यवस्था किया है, क्या उसकी संस्तुतियां हैं उसको आप बताने की स्थिति में नहीं हैं । मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल के सत्र में शासन के जरिये जो तय हुआ था, शासन ने जो घोषणा किया था उसका आपने अपने भाषण में कोई जिक्र नहीं किया । सिंघल कमेटी ने पुलिस प्रशासन में सुधार के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिए उनको बतायें । मान्यवर, पुलिस प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था है कि जिस थानेदार से कोई नाराज होता है जिस इंसपेक्टर को अयोग्य माना जाता है, जिसको शासन के कुछ लोग मानते हैं कि उससे ठीक से काम नहीं हो सकता है तो उसको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है, थानेदार और सिपाही को ट्रेनिंग देने के लिए भेज दिया जाता है, तो यह आपका दृष्टिकोण है ।

मान्यवर, आप 50 थाने इस वर्ष बढ़ा देंगे उनसे आपके समाज में अमन-चैन कायम हो जाये यह जरूरी नहीं है ।

मान्यवर, मैं यह निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि शासन को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए थाने खुल या न खुलें, यदि आपके तरक्की के सोचने का नजरिया ही गलत हो गया है, तो क्या आप अपने प्रदेश में अमन चैन कायम किए हुए हैं ? उसके सबूत में मैं कुछ कहना चाहता हूं, 50 थाने खुले हैं और 75 और खोले जाएंगे, लेकिन जो अमन चैन कायम है, वह आपके आंकड़ों से नहीं लगता है और जो हम रोज की जिन्दगी में देख रहे हैं, उससे पता नहीं चलता है । आज गांवों और शहरों में जो स्थिति है वह बड़ी ही खराब है । यदि किसी को अपनी सुरक्षा करनी है तो उसे अपने आप अपनी सुरक्षा करनी होगी, सरकार की पुलिस की तरफ से उसकी सुरक्षा नहीं होगी । किसी को अपने धन की सुरक्षा करनी है तो भी उसे अपनी ओर से सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी, पुलिस के बल पर सुरक्षा नहीं होगी ।

मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं । वहां गांव-गांव में निजी ट्यूब वेल्स लगे हुए हैं, उसमें उनके पम्प और मोटर आदि लगे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ट्यूब वेल नहीं है, जहां आदमी उसको रखाने की व्यवस्था स्वयं न करता हो । यदि चोरी हो जाय तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपकी पुलिस के जरिये से उसे वह पुनः प्राप्त कर सके । चोरी गए सामान को प्राप्त करना है तो उसे अपने आप व्यवस्था करनी पड़ेगी । चाहे फिरौती के जरिये हो या अन्य किसी जरिये से हो । यही आपके यहां अमन चैन की व्यवस्था है । फिर भी आपके यहां पुलिस प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । गोरे कमेटी और सिंघल कमेटी की रिपोर्ट आप बताते नहीं हैं और प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाता है, जिनको सिविल पुलिस में अयोग्य समझा जाता है और जिनको आप सजा देना चाहते हैं । आप प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पूरे के पूरे नजरिये को बदलिए, उसका पूरा कैडर बदलिए । इसको बदलकर प्रशिक्षण करायेंगे और प्रशिक्षण में नागरिक शास्त्र विषय की विशेष शिक्षा प्रदान करते हुए, उनके कर्त्तव्यों के प्रति उनमें जागरुकता पैदा करेंगे, तभी अमन चैन कायम होने में सफलता मिल सकती है । गिरोहबन्दी कानून के द्वारा यह होने वाला नहीं है ।

मुख्य मंत्री जी ने नियुक्तियों के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें बताई हैं ।

फिर में, पिछले वर्ष के जो आपके फैसले थे, जो आपकी घोषित नीतियां और निर्देश थे, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

आपने पिछले वर्ष यह घोषित किया था कि हम लोक सेवा आयोग में एक दूसरे आयोग का गठन करने जा रहे हैं, जो निचले वर्ग की नौकरियों में चयन करने का काम करेगा, लेकिन वह आज तक नहीं हुआ है । तो आपकी घोषणा के क्या मायने हैं । यदि आप अमल नहीं करते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं, तो प्रदेश की जनता को कैसे विश्वास हो कि जो सरकार की घोषित नीतियां हैं, उन पर विचार होगा, उनका कार्यान्वयन होगा । इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए । जो हमने प्रशिक्षण के पृथक् कैडर की बात कही है, उसके साथ ही आपकी जो अपराध अनुसन्धान शाखा है, उसका कैडर भी आप अलग से बनाइये । यदि अलग नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर से जो कार्य आप अपराध अनुसन्धान शाखाओं को सौंपते हैं, किसी भी वजह से तो निश्चित रूप से आप उनसे वह काम नहीं करा सकते हैं, जिसके लिए वह रखे गये हैं । आप अपराध अनुसन्धान शाखा के मामले में बिलकुल अलग से कैडर बनाइये । मैं वह बात फिर नहीं दोहराना चाहता, लेकिन वहां पर अपराध अनुसंधान शाखा में भी आप उन्हीं लोगों को भेजते हैं जिन लोगों को अयोग्य मानते हैं । तो इस नीति को आपको बदलना होगा । आप स्वच्छ प्रशासन देने की बात करते हैं तो वह तभी सम्भव है जब इन सारी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में आप काम करें । शिक्षा का मामला भी सामान्य प्रशासन से जुड़ा है । अगर शिक्षा नहीं ठीक होगी तो निश्चित रूप से ला-एंड-आर्डर की प्राब्लम होगी और वह प्राब्लम आज है । नियुक्तियों के सम्बन्ध में आपने कहा है कि इसमें हमारी समदृष्टि है । हम भेदभाव नहीं करना चाहते हैं । लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो आपकी घोषित नीतियां हैं नियुक्तियों के मामले में उसका खुला उल्लंघन हो रहा है ।

आप सचिवालय की बात देखिये । सचिवालय में टंककों के लिये इंटरमीडिएट अर्हता रखी गयी । लेकिन आपके किसी अधिकारी ने उसको बदल कर, सेवायोजन कार्यालय को अपने निहित स्वार्थों के कारण, उनके कोई अभ्यर्थी रहे होंगे जो बी० ए० पास होंगे तो सुनियोजित तरीके से सेवायोजन कार्यालय को लिख दिया गया कि बी० ए० पास लोगों के नाम भेजिये । तो आपकी समदृष्टि कहां गयी । इंटरमीडिएट के बाद व्यवसायिक प्रशिक्षण वालों को वरीयता देनी चाहिये और शासन ने जो नियमावली बनायी है उसमें कहा गया है कि इंटरमीडिएट लोगों को लेंगे । उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि जो इंटरमीडिएट हैं उनको नहीं लेंगे । लेकिन कुछ अधिकारी इस बात के इच्छुक हैं कि उनके रिश्तेदार आ जायं इसलिये ऐसा किया गया है । तो इस दृष्टि को बदलना होगा और जो आपकी घोषित नीति है उसे लागू करें । इसी प्रकार से और भी बहुत जगहों पर आपकी जो घोषित नीतियां हैं उनका उल्लंघन हो रहा है । आपने कहा है कि हम मंडलीय कमिश्नर्स को कुछ अधिकार दे रहे हैं जिससे विकेन्द्रीकरण होगा । तो इससे विकेन्द्रीकरण होने वाला नहीं है । माननीय नेता विरोधी दल ने राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कही थी उस पर जरा गौर करें । विशेष रूप से जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनको आप प्रशिक्षित करें । उनके लिये एक संहिता बनाये । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लोग किसी भी काम को या तो ठेकेदारी के रूप में लेते हैं या हर बात को अपने सम्मान के साथ जोड़ते हैं । किसी राजनैतिक पार्टी के लोगों के लिये यह उचित नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कौशिक जी समाप्त करें ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, आपने कितना समय निर्धारित किया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नेताओं के लिये 15 मिनट का समय निर्धारित किया है ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, हमेशा 20 मिनट मिलते आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें । समय कुछ कम है इसलिये 15 मिनट का समय निर्धारित किया है । 20 मिनट का समय नहीं हो पायेगा ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि विकेन्द्रीकरण की जो नीति है उसको आप सही ढंग से लागू करें । आपने कमिश्नर्स को कुछ अधिकार दिये हैं इसका मैं स्वागत करता हूं । इससे कुछ गति आयी है लेकिन विकेन्द्रीकरण की नीति उचित तरीके से लागू होनी चाहिये । आप जरा देखें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आम चुनाव नहीं करायेंगे, ग्राम सभाओं को कोई अधिकार नहीं देना चाहते हैं, ग्राम सभाओं को अपनी आय बढ़ाने के साधन बढ़ाने के लिये व्यवस्था करना नहीं चाहते हैं । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आय के साधन बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो विकेन्द्रीकरण की नीति सफल कर ही नहीं सकते । मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि थोड़ा-बहुत 2 खंभों पर हमारे राज्य का प्रशासन टिका है, दिल्ली और लखनऊ पर, तो वह बना रहे । 'कि इसमें भी खतरा है । मात्र एक 'भे वाला राज्य आपकी पार्टी लाना चाहती है । एक राजनीतिक संहिता न सिर्फ अपने जिले के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि सभी दलों के कार्यकर्ताओं के लिए एक संहिता बननी चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं को कार्य करने का ढंग मालूम हो सके । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह विश्वास करता हूं कि जो मैंने इतने छोटे से भाषण में बातें रखी हैं, सुझाव दिए हैं, उन पर अवश्य विचार करेंगे और कटौती का प्रस्ताव जो माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कल प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मान्यवर, मैं अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग द्वारा जो विशेष उपलब्धियां हुयी हैं, उनकी ओर इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, इस वर्ष न्याय विभाग के बजट में लगभग 5 करोड़ रु0 का अधिक प्राविधान रखा गया है । मान्यवर, इसी चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 94 सिविल कोर्ट्स खोले गए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी मामलों का निस्तारण हो सके । मान्यवर, यही नहीं बल्कि इस वर्ष अर्थात् आने वाले वित्तीय वर्ष में दो फैमिली कोर्ट्स भी खोले जायेंगे । एक कानपुर में और दूसरा लखनऊ में और इन कोर्ट्स में मान्यवर मामलों का निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जायेगा और एक विशेषता इन कोर्ट्स में जो होगी वह यह कि इनको अलग स्थानों पर खोला जायेगा जो कचहरियों से दूर होंगे, और इनके माहौल से दूर होंगे और इनमें जो वकील दोनों पक्षों की तरफ से होंगे वह वकील ऐसे नहीं होंगे जो इन कचहरियों में होते हैं, बल्कि वह वकील होंगे जिनका 10 वर्षों का अनुभव ऐसे कार्यों में होगा, उन्हें ही यहां रखा जायेगा । ज्यादातर इस कोर्ट्स में पति-पत्नी और गार्जियन शिप के जो झगड़े होते हैं, उन्हीं को यहां सुलझाया जायेगा । इसके अलावा अन्य परिवारिक विवाद भी होंगे ।

जैसा पिछले वर्ष भी इसका जिक्र आया था कि काफी समय से जिला जजों की स्टाफ कार की मांग चली आ रही है, और उन्हें अभी तक कार नहीं मिल सकी है तो आगे आने वाले वर्षों में हम पूरे प्रदेश के जिला जजों को स्टाफ कार दे देंगे और मान्यवर इसी के तहत 13 जिला जजेज को स्टाफ कार प्रदान की गयी है। वर्ष 1987-88 में और 12 जिला जजेज को यह स्टाफ कारें उपलब्ध करा दी जायेंगी इसी प्रकार से 1989 तक सभी जिला जजेज पर एक स्टाफ कार होगी। यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रांतीय सरकार की ओर से।

इसके अलावा मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारी लोक अदालतों ने जो कार्य किए हैं थोड़े ही समय में, यह कार्यक्रम हमारे एक प्रकार से जन आन्दोलन बन गये हैं और जनता ने हर जगह इसको बड़े हृदय से स्वीकार किया है जिसके परिणाम स्वरूप लगभग एक लाख तीन हजार वादों का निस्तारण हुआ है और मान्यवर यही नहीं इन लोक अदालतों के माध्यम से करीब 3 लाख रु0 का जुर्माना वसूल हुआ है, जो सरकारी खजाने में दाखिल हुआ। और मान्यवर इसके अलावा जो 13 लाख विभिन्न प्रकार के दावेदार थे मोटर दुर्घटनाओं के, उन्हें इन लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाया गया और यही नहीं मान्यवर, एक जीता जागता उदाहरण फतेहपुर के किसानों का 8 लाख रु0 का बकाया कोल्ड स्टोरेज पर था, जो इसी लोक अदालत द्वारा फैसला करके उन किसानों को दिलवाया गया तो मान्यवर इस प्रकार से हमारी यह अदालतें बहुत ही पापुलर हो गयी हैं और एक प्रकार से जन-आन्दोलन बन गयी हैं।

मान्यवर, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस, ला मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई थी, जिसमें मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला था। चीफ जस्टिस भगवतों ने यह कहा था कि "इट इज गेटिंग रुट्स इन यू0 पी0 एन्ड बिकमिंग मास मवमेन्ट।" यह जन आंदोलन फैल रहा है और जन-मानस में, गांव-गांव में पहुंच रहा है। हमारे जूडिशियरी के लोग वहां पर गरीब लोगों के झगड़े को जाकर निपटाते हैं। यह मुंसिफ मजिस्ट्रेट को अब तक स्टोनोग्राफर्स नहीं मिलते थे। अब दो साल के जितने मुंसिफ मजिस्ट्रेट की सेवायें हैं, उनको स्टेनो-ग्राफर्स का प्राविधान कर दिया गया है। इसके अलावा वादकारियों को बैठने-उठने की बड़ी दिक्कत होती थी, इसके लिये 325 लाख रु0 का इस प्रकार से प्राविधान किया गया है कि आगे आने वाले समयों में वादकारियों को बैठने के लिए स्थान मिल सके और हमने ऐसा भी प्राविधान किया है हम ऐसे शेड्स तैयार करायें, ताकि वहां पर हम कूलर्स वगैरह भी लगा सकें। यह मान्यवर, विशेष उपलब्धियां हैं।

मान्यवर, कुछ बातें जो उधर से उठाई गयीं गृह विभाग के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने हरिजनों के ऊपर बड़ी दुहाई दी। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि बड़े अत्याचार हो रहे हैं। हरिजनों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि हम कह सकते हैं कि केवल दो-तीन घटनाएं हुई। एक तो बलिया में हुई, जिसमें कुछ हरिजन मारे गये। लेकिन वह इस तरह से घटना नहीं हुई थी कि कोई अनायास उनको मार दिया हो। वहां पर मान्यवर, भूमि का विवाद अर्से से चला आ रहा था। उस भूमि के झगड़े में कुछ लोग मारे गये। इसी तरह से एटा में एक जगह पर दो भाइयों का झगड़ा था। वहां पर व्यक्तिगत रंजिश थी और व्यक्तिगत विवादों के कारण वहां पर वह घटना हुई। मान्यवर, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से ऐसी हत्यायें नहीं हुई हैं जैसा कि इस सदन में विरोधी पक्ष की ओर से कहा जाता है। मान्यवर, सर्विसेज में आरक्षण का

कोटा पूरा होने की बात कही गयी। मान्यवर, जब देश आजाद हुआ, तो विशेष रूप से हरिजन कितने शिक्षित थे? मान्यवर, बहुत कम तादाद में इस समय हरिजन लोग शिक्षित थे? इसी कारण से सर्विसेज में हरिजन वर्ग के लोग नहीं आ सकते थे। माननीय चौधरी चरण सिंह ने लोक सभा में जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, वह लोक सभा की प्रोसीडिंग में है। उन्होंने कहा था कि "अब यह कहा जाय कि यह बुराई दो साल में मिट जायेगी, पांच साल में मिट जायगी मैं कहता हूं कि यह हरगिज नहीं होगा" अब यह कहा जाता है कि अगर यह गवर्नमेन्ट ईमानदार है और इस पाप को मिटाना चाहती है तो उसको आज ही सुप्रीम कोर्ट में जजेज का जो कोटा है, उस कोटे के मुताबिक जजेज को मुकर्रर करा देना चाहिए। मैं उनसे जो व्याख्यान करने वाले हैं, पूछता हूं कि आप कितने नाम दे सकते हो जो थोड़ा बहुत हाई कोर्ट की जजी का तजुर्बा रखते हों ताकि वे सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकें।

यह कहना बहुत आसान है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बना देना चाहिये वरना यह गवर्नमेन्ट ईमानदार नहीं है। यह पूछा जाता है कि आज तक यह कोटा पूरा क्यों नहीं हुआ? जब यह मुल्क आजाद हुआ देश में शिक्षित बहुत कम थे। 15-16 परसेन्ट शिक्षित होंगे आज तीस परसेन्ट लोग शिक्षित हैं। लेकिन उस वक्त जब यह मुल्क आजाद हुआ, हमारे कितने हरिजन भाई शिक्षित थे? जो हरिजन भाइयों के बच्चे सन् 1950 के आस-पास पैदा हुए, वे धीरे-धीरे बढ़ कर अब जवान हुए हैं। अब बी0 ए0, एम0 ए0, डाक्टर्स और इंजीनियर्स बने हैं, लेकिन मैं यह इतने सालों से सुन रहा हूं कि यह कोटा पूरा क्यों नहीं हुआ? मैं आपको एक मिसाल दूं। जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था यू0पी0 में कंसालिडेशन आफिसर्स की एक सेलेक्शन कमेटी मुकर्रर करनी थी मैंने उसे ये आर्डर्स दिये कि सवर्ण जाति के लड़के जो लिये जायं वे तो फर्स्ट क्लास और सेकेन्ड क्लास हों, लेकिन अगर कोई लड़का हरिजन घर में पैदा हुआ है, और वह थर्ड क्लास भी हो तो उसे आंख मूंद कर मुकर्रर कर लो और कर लिये गये। लेकिन अब भी कोटा पूरा नहीं हुआ। 1953 में सब पटवारियों को निकाल दिया गया। पटवारियों की नई नियुक्ति की गयी। गवर्नमेन्ट की तरफ से हरिजनों के लिए 18 परसेन्ट कोटा मुकर्रर था। मैंने आर्डर दिया कि 36 परसेन्ट पटवारी हरिजनों में से भरती करो लेकिन नहीं हो सके। 36 परसेन्ट तो क्या 18 परसेन्ट भी अप्लीकेशन्स नहीं आयीं। लिहाजा पांच परसेन्ट ही हरिजनों में से पटवारी हो पाये।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब वह बैठ नहीं रहे हैं, तो व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठ सकता है?

(गृह राज्य मन्त्री के बैठ जाने पर)

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि चौहान जी केवल सदस्य नहीं हैं, यह अपने विभाग के मन्त्री हैं जिस विभाग की मदों के ऊपर यहां चर्चा हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है। अभी उन्होंने एक बात कही कि माननीय नेता विरोधी दल ने ऐसा कहा और उसका वह उत्तर दे रहे हैं या उस पर टिप्पणी कर रहे हैं तो मान्यवर, इनको कोई बात आंकड़ों के साथ कहनी चाहिये, तथ्यों के साथ कहनी चाहिए, प्रमाण के साथ कहनी चाहिए। माननीय नेता विरोधी दल ने आंकड़े दिये थे।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने घटनाओं के आंकड़े दिये हैं उसका जवाब आंकड़ों से देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी इन्टरवीन कर रहे हैं गृह विभाग की मांगों पर और यह मन्त्री जी का उत्तर भाषण नहीं है। मन्त्री जी कोई बात अपने भाषण में कह रहे हैं तो वह भाषण कर रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं। उत्तर तो माननीय मुख्य मन्त्री जी को देना है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मन्त्री जी कह रहे हैं अपराध नहीं हुए हैं, चोरियां नहीं हुई हैं। उन्हें यह बात आंकड़ों के साथ कहनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक कह रहे हैं, उन्हें पूरा अधिकार है कहने का।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि यह सिर्फ सदस्य के रूप में नहीं बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्हें अपने विभाग के सम्बन्ध में भी चर्चा का पूरा अधिकार है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जो बात माननीय राणा जी ने कही उस सम्बन्ध में आप तसल्ली रखें, धैर्य रखें, शाम को आपको उत्तर मिल जायेगा। मान्यवर, जो रिजर्वेशन की बात कही गई, वह आर्टिकिल 335 में दिया हुआ है। आर्टिकिल 335 में पढ़ देता हूं।

"दि क्लेम आफ दि मेम्बर्स आफ दि शिड्यूल्ड कास्टस एन्ड दि शिड्यूल्ड ट्राइब्स शैल बी टेकेन इन टू कन्सीडरेशन, कान्सिसटेन्टली विद दि मेन्टीनेन्स आफ इफीसिएन्सी आफ ऐडमिस्ट्रेशन, इन दि मेकिंग आफ अप्वाइन्टमेन्ट्स टू सर्विसेज एण्ड पोस्ट्स इन कनेक्शन विद दि अफेयर्स आफ दि युनियन आर आफ ए स्टेट।"

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसकी हिन्दी कर दीजिये।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इनका भाषण पढ़ा हुआ मान लीजिए।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, इनकी तो आदत है आधा हिन्दी और आधा अंग्रेजी बोलने की जब कि सच्चाई यह है कि इनको न हिन्दी आती है, न अंग्रेजी।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

राणा जी, आप मुझे हिन्दी तो कर लेने दीजिये। आपको भी मौका मिलेगा तब आप बोलियेगा।

मान्यवर, भारत का संविधान के आर्टिकिल 335 का कहना है कि हमको सेलेक्शन करने में, चयन करने में देखना पड़ेगा योग्यता, कार्यक्षमता इस कारण से कभी-कभी बहुत सी रिक्त स्थानों के एडवरटीजमेन्ट होते हैं, उसका अखबारों में विज्ञापन निकलता है लेकिन तो मापदंड तय किया गया है तो उसे भी पूरा करना ही पड़ेगा। शिक्षा के कारण के लिए तो मैंने माननीय चौधरी साहब का भी सन्दर्भ दिया। मान्यवर, इसके अतिरिक्त हम बड़े गर्व और फख्र के

साथ कह सकते है कि हमारे पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी पूरे इतने बड़े उत्तर प्रदेश में किस तरह से शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम हुए हैं। विघटनकारी शक्तियों ने किस तरह से प्रयास किया कि यहां पर साम्प्रदायिक सद्भाव खत्म किया जाय। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां पर 57 जिले हैं और एक लाख से ऊपर गांव हैं और इस पूरे प्रदेश की विभिन्न लोकल भाषायें हैं, विभिन्न मजहब हैं इस समूचे का एक साथ लेकर चलना कोई आसान और मामूली काम नहीं है। मैं पूरे प्रदेश के जवानों और अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था और अमन चैन स्थापित रखा। वह बधाई के पात्र हैं। जहां तक कमी की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, इसके लिये पूरे समाज को देखना होगा, हम सबको अपनी अन्तरात्मा को देखना होगा। हमारे समाज का नैतिक स्तर और मान्यता क्या रह चुकी है। आज के इसी समाज से डेढ़ लाख जवान उत्तर प्रदेश की फोर्स में लगे हैं। 12-13 करोड़ की आबादी से निकल कर गये हैं। हम सदन में जो मर्यादापूर्ण कार्यक्रम दिखाते हैं, पुलिस से उम्मीद करते हैं कि अच्छे और आदर्शवान हों। चौधरी चरण सिंह ने खुद कहा है जब वह मुख्य मंत्री और गृह मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था। आप दिल थाम कर बैठें, आपको तकलीफ होगी। 1967-68 में उन्होंने कहा है, "लेकिन यह नहीं हो सकता कि आपने नोटिस दे दिया, हमने वाकयात कुछ मालूम कर लिए, बस उसको फांसी पर चढ़ा दें।" आचार्य साहब का कहना है कि "पुलिस वालों को सबको ईमानदार समझते हैं और पब्लिक में सबको बेईमान समझते हैं। हरगिज नहीं।

मैं पुलिस वालों को बेशक बिना जांच के हर एक को ईमानदार मानता हूं। यह ठीक है और किसी भी पब्लिक वाले को बेईमान नहीं समझता हूं।" आचार्य दीपंकर जी यह कहते कि "मेरे सामने सब-इन्सपेक्टर ने पीटा-और मैं ऐलान किए देता हूं कि कोई माननीय मंत्री यह कहें कि हमारी आंखों के सामने पुलिस वालों ने ज्यादती की है तो मैं पहले उसको सस्पेन्ड कर दूंगा और उसके बाद तहकीकात करूंगा। लेकिन यह तो नहीं, कि आपको इत्तला कहीं से मिल गयी, आप मौके पर मौजूद नहीं थे, जिन्होंने इत्तला दी वह भी मौजूद नहीं थे।"

मान्यवर, यह इनके नेता का बयान है। लोकतंत्र में एक प्रक्रिया निर्धारित है, उसी के अनुसार काम किया जाता है। डी0 जी0 पी0 के बारे में कहा गया कि उनके लड़के के यहां चोरी हो गई थी उन्होंने अवैध ढंग से धन कमाया था, इसलिए उसने एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखाई। ऐसी बात नहीं है। डी0 जी0 पी0 के लड़के ने घटना की सुबह ही थाने में एफ0 आई0 आर0 लिखा दी थी। जहां तक यह कहा गया कि डी0 जी0 पी0 कभी फील्ड में नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूं कि यह एस0 पी0, देहरादून, एडीशनल एस0 पी0 लखनऊ, एस0 पी0, आजमगढ़ रहे, डेपुटेशन पर जब दिल्ली में थे तो दिल्ली में एक जिले के एस0 पी0 थे। मैं सम्मानित नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि इस सम्मानित सदन में जब कोई तथ्य रखें, तो उसको भली प्रकार से प्रमाणित कर लें, उसकी पुष्टि करलें। नेता विरोधी दल की बहुत अधिक जिम्मेदारी है सदन में। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को पास करें, धन्यवाद।

श्रीमती सरोज वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया और मैं माननीय नेता, विरोधी दल मुलायम सिंह जी के

कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुना लेकिन उसमें कहीं भी देश की कानून व्यवस्था को सुधारने की तरफ कोई ठोस कदम उठाने या नीति निर्धारण करने का संकेत भी नहीं मिला। हां, अपने छोटे से भाषण में उन्होंने कई बार यह दोहराया कि जबसे मैं मुख्य मंत्री बना हूं, इस प्रदेश में अमन चैन कायम है और जब उनको प्रदेश की जनता चैन से जिंदगी गुजर-बसर करती दिखाई दे रही है तो सुधार की आवश्यकता ही क्या है? अब मुख्य मंत्री की नजर को क्या कहा जाय। एक कहावत है कि सावन के अंधे को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। माननीय वीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री बनकर चैन की बंसी बजा रहे हैं तो उनको हमारे उत्तर प्रदेश में, जनता में राम राज्य दिखाई पड़ रहा है। उनको यह नहीं दिखाई देता है कि उनके निरंकुश पुलिस वाले और भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से जनता को तबाह कर रहे हैं। किस तरह से उनका खून चूस रहे हैं।

इस प्रदेश की गरीब जनता दोहरी मार से मारी जा रही है। एक तो प्रधान मंत्री ने महंगाई को इस उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है कि आम जनता का, सारे लोगों का जीवन दूभर हो गया है। दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की सरकार आज सरकार नहीं रह गयी है। आज लोकतंत्र नहीं रह गया है, यह पुलिस तंत्र है, डंडातंत्र है, यह गुण्डों का राज है, लोकतंत्र इसको हम नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ आपने गिरोहबन्दी का काला कानून बनाया है। यह काला कानून पुलिस वालों को निरंकुश बना रहा है। उनके हाथ में वह सारे अधिकार और हथियार रख दिये हैं कि सिर्फ कहने को ही यहां लोकतंत्र है। पहले इंदिराजी ने प्रदेश में इमरजेंसी लगाई थी, उसी प्रकार आज प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगाई गयी है। आज इस गिरोहबन्दी कानून के अन्तर्गत मामूली पुलिस वाला भी किसी भी संभ्रांत नागरिक, गरीब और बेगुनाह को किसी भी जुर्म में फंसा कर बन्द कर सकता है और उसको अपनी रक्षा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो यह भ्रष्टाचार और जो यह कानून व्यवस्था चल रही है, इसका सबसे बड़ा कारण जिससे देश और प्रदेश की हालत बदतर होती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार।

आज हमारे प्रदेश का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां छोटे से छोटे स्तर से बड़े से बड़े स्तर तक जब तक पैसा न दिया जाय फाइल खिसकने का नाम नहीं लेती। आखिर यह सब क्या है? एक बात मैं कहना चाहती हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया। जहां वह अपना मतलब देखते हैं, उनकी बात को तोड़-मरोड़ कर रखते हैं और खुश होते हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिया है। लेकिन अफसोस है, आपको शर्म आनी चाहिए कि उन चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर आप बेइमानों की रक्षा करने का काम करते हैं। उन्होंने किसी भी बेइमान को, चाहे अधिकारी हो और उनकी पार्टी का कोई आदमी हो, उनकी बात साफ हो जाय, प्रकट हो जाय, प्रूफ हो जाय, तो उनको कभी भी नहीं छोड़ा। यह आप क्यों भूल जाते हैं। हम विरोधी दल के लोगों ने यह कभी नहीं कहा कि पुलिस वाले बेइमान हैं यह सारे राजनीतिक लोग बेइमान हैं या सत्ता पक्ष के लोग बेइमान हैं, लेकिन जहां बेइमानी उजागर हो जाती है, हमें शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आप उनको भी दण्डित नहीं करते हैं। मैं हजारों उदाहरण बता सकती हूं कि चौधरी चरण सिंह ने कब बेइमानों को सजा दी और कब ईमानदार को उठाया आप सिर्फ अपने मतलब के लिये, उनके बयानों को तोड़-मरोड़ के, दूसरे परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, बदनाम अफसरों को संरक्षण दिया जाता है और ईमानदार अफसरों को सताया जा रहा है। आज बदनाम अफसरों का स्थायीकरण, प्रोन्नति आदि कोई काम हो तो कभी उनके काम

में कोई रुकावट नहीं आती है । यदि कोई रुकावट आती भी नियमों के अन्तर्गत, तो उन नियमों को ताक पर रख दिया जाता है और उनका हर काम हो जाता है । आप कहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन कायम है, भ्रष्टाचार नहीं है, अत्याचार नहीं हो रहे हैं कहीं कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि जब से यह सदन चल रहा है, रोज कोई न कोई इस तरह का मामला--भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, उत्पीड़न का, अपहरण का, बलात्कार का-इस माननीय सदन में उठता है । हमारे सत्ता पक्ष के लोग उसको रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और जब कोई चारा नहीं होता तो होता क्या है छोटे कर्मचारियों को सजा मिल जाती है और जो बड़ी भ्रष्टाचार रूपी मछलियां हैं, वह साफ बचा ली जाती हैं । इस तरह से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, हमारे देश के बाली राजस्थान के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के शब्दों में यह है कि आज न्याय न्यायालय में नहीं, पुलिस की मुट्ठी में बन्द है । उसको खोलने के लिये, उसको गर्म करना आवश्यक है । यह एक न्यायिक मजिस्ट्रेट का कहना है । यह कितने शर्म की बात है । पूरे देश के लिए नहीं तो हमारे प्रदेश के लिये तो यह एक सच सी बात है, यह एक तथ्य सा बन चुका है । मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है । इससे कोई विभाग अछूता नहीं है और इसको भुगतना पड़ रहा है गरीबों को जिनकी बात कोई सुनता नहीं । जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, वही इसमें पिस रहे हैं । मान्यवर, पहले इस प्रदेश में एक इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस हुआ करते थे । अब एक के बजाय दो डी0 जी0 हो गये हैं । करीब 19-20 आई0 जी0 हैं, उसके अलावा तमाम डी0 आई0 जी0 हैं इस तरह से कितनी बड़ी फौज पुलिस की आपने खड़ी कर दी है । लेकिन, आप क्राइम रेट उठाकर देखें । जब एक आई0 जी0 था, आज जो स्थिति है, उसकी तुलना करके देखें तो पायेंगे कि क्राइम बढ़े हैं ।

माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय डी0 जी0 के बारे में कहा था । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं कि अधिकारी कितने तत्परता से काम करते हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र छपरौली के गांव बासोली का एक नवयुवक जो थाना ज्वालापुर, सहारनपुर में हेड कांस्टेबिल की ड्यूटी पर से गायब हो गया । उसकी पत्नी है, तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्रीमती सरोज वर्मा--

तमाम उनके परिवारजन ने शासन और पुलिस विभाग से पत्र व्यवहार किया, लेकिन कहीं कोई असर नहीं हुआ । जब मुझे यह बात मालूम हुई तो मैंने 20 दिसम्बर, 1985 को यहां के डी0 जी0 को स्वयं एक पत्र लिखा कि वह एक पुलिस कर्मी है, राजकीय कर्मचारी है, ड्यूटी पर से गायब हो गया है, उसका आप पता लगवायें । लेकिन, मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उस पत्र का कोई भी जवाब मुझे नहीं मिला । मान्यवर, यदि वह मृत हो गया है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलनी चाहिये, नौकरी में लिया जाना चाहिये । यह इनके अधिकारियों की तत्परता का नमूना है ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल अमन चैन की कल्पना के संसार में विचरण कर रहा है । लेकिन, उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि खत्म हो जाती है वह तख्त हुकूमत, वहां जुल्म होता है, इंसाफ नहीं होता ।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके प्रति आभार

प्रकट करते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन करती हूं ।

[2 बजकर 20 मिनट]

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल सामान्य प्रशासन, गृह आदि का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं । मैंने कल माननीय मुख्य मंत्री जी को भी सुना और माननीय नेता विरोधी दल को भी सुना और आज भी कई माननीय सदस्यों को सुना । हमारी बहिन श्रीमती सरोज वर्मा जी ने अभी एक कहावत कही कि "सावन के अन्धे को हर जगह हरा-हरा ही दिखाई देता है ।" उन्होंने बहुत ही सही कहावत कही । मान्यवर, हमारे सामने में जो विपक्षी बैठे हुए हैं, उन पर यह सटीक उतरती है । पता नहीं ये लोग कौन सा चश्मा पहनते हैं, पता नहीं वह कौन से लेन्स का बना हुआ है और किस डाक्टर ने बनाया है जिसमें अच्छा काम भी खराब दिखाई देता है । मान्यवर, मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं—

"हम आह भी भरते हैं तो हो
जाते हैं बदनाम,
वे कत्ल भी करते हैं तो
चर्चा नहीं होती ।"

मान्यवर, कल माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में रिश्वत और भ्रष्टाचार का जिक्र किया और उसी संदर्भ में उन्होंने चौधरी साहब का भी जिक्र किया । मान्यवर, हम चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, इसमें कोई दो-राय नहीं कि वह देश के बड़े ईमानदार नेता हैं और देश और प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं इसके साथ ही इसमें भी कोई दो-राय नहीं कि उनके समय में रिश्वत कम हुई थी । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल से जब यहां पर भ्रष्टाचार की बात आई थी, रिश्वत की बात आई थी और हरिजनों के उत्पीड़न की बात आई थी तो उस समय वह एक बात कहना भूल गये । जनता पार्टी का जो ढाई-तीन साल का शासन रहा, उस समय कितनी रिश्वत बढ़ी और कितना भ्रष्टाचार बढ़ा, इसका उन्होंने अपने भाषण में कोई जिक्र नहीं किया ।

हरिजनों के उत्पीड़न की बात यहां पर कही गई । मैं आगरा से सम्बन्ध रखता हूं और माननीय नेता विरोधी दल उस समय मंत्री थे । वहां पर जनता पार्टी के शासन में हरिजनों पर और जाटवों पर अत्याचार हुए और उनको बे-मौत सुला दिया गया था । इसका कोई जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में नहीं किया । मेरा निश्चित मत है कि आज के वक्त में, जहां तक हरिजनों के सुरक्षा की बात है और उनको 20 सूत्रीय कार्यक्रम में राहत देने की बात है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सुविधायें उनको पहले कभी नहीं दी गई थी और न ही इससे ज्यादा सुविधायें उनको कोई दिला सकता है मिल सकती हैं । मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को और अपने शासन को बधाई देना चाहता हूं । अभी जो गिरोह बन्दी बिल यहां पर पास किया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । आज चाहे ठेका आबकारी का हो, चाहे, इंजीनियरिंग विभाग का कोई ठेका हो, जिस तरह से आतंक मचा रखा था, उन सब पर निश्चित रूप से इस विधेयक के आने के बाद अंकुश लग सकेगा ।

मान्यवर, मैं प्रदेश के पुलिस विभाग को बधाई देना चाहता हूं । अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत और विषम परिस्थितियों के रहते हुए भी इस प्रदेश के पुलिस कर्मियों ने जिस प्रकार से कर्तव्यनिष्ठा और सत्य निष्ठा से, चाहे वह साम्प्रदायिक तनाव खत्म करने की

बात हो, चाहे वह दैवी-आपदा में राहत कार्य की बात हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में सुचारु रूप से परीक्षायें कराने की बात हो, चाहे दहेज उन्मूलन की बात हो, चाहे आतंकवादियों से निपटने की बात हो और चाहे प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी देने की बात हो, अपने दायित्वों का निर्वहन कर एक इतिहास ही कायम नहीं किया है वरन् एक गरिमामय परम्परा को कायम किया है ।

मान्यवर, मुझे दुख तब होता है जब हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि फर्जी इनकाउन्टर हुए हैं । अगर फर्जी इनकाउन्टर हुए होते तो हमारे पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी देते हुए इस प्रदेश में एक इन्सपेक्टर, 13 सब-इंसपेक्टर, 13 हेड-कान्सटेबल और 50 कान्सटेबिल वीरगति को प्राप्त न हुए होते , अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो ग । इन विषम-परिस्थितियों में हमारे पुलिस कर्मी काम कर रहे हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि इस विभाग को और चुस्त और दुरुस्त किया जाय । आज उनको और ज्यादा सुविधायें देने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण देने की बात है । किस प्रकार से समाज के जो सभ्रान्त नागरिक हैं, उनसे सही व्यवहार हो और अपराधियों को वह काबू कर सकें । इसके लिये उन्हें आधुनिकतम प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त जीप, मोटर साइकिल, टेलीफोन, वायरलैस ये सारी सुविधाएं भी होनी चाहिये । आज अगर आप देखें तो किसी थाने का टेलीफोन काम करता हुआ नहीं मिलेगा । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों को आवास की समस्या एक बहुत ही गम्भीर समस्या है । वे अपने घर से दूर रहते हैं, उनके लिये आवास की व्यवस्था की जाय । इसके साथ-साथ जो भोजन की व्यवस्था है, वह भी असंतोषजनक है । यह आवश्यक है कि उन्हें सही और पौष्टिक भोजन मिले तथा उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था हो । आज उत्तर प्रदेश में 3 डायरेक्टर जनरल हैं, 53-54 डी0 आई0 जी0 हैं, 23-24 आई0 जी0 हैं । मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन निवेदन करना है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जो छोटे स्तर के पुलिस कर्मी हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाय जैसे कांस्टेबिल हैं, हेड कांस्टेबिल हैं, उसके बाद सब-इन्सपेक्टर्स हैं, फिर इन्सपेक्टर्स हैं तथा उसके बाद डिप्टी एस0 पी0 रैंक के अधिकारी हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाय ताकि जो विषम परिस्थितियां विकासशील देश म या प्रदेश में पैदा होती हैं, जो हमारे सामने हैं, उन पर काबू पा सकें ।

माननीय नेता, विरोधी दल ने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को नौटंकी की संज्ञा दी थी, मुझे पता नहीं कि गोरखपुर में नौटंकी होती है या नहीं, लेकिन इटावा की नौटंकी मशहूर है ।

(हंसी)

जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो सुना करते थे कि इटावा की नौटंकी मशहूर है, कानपुर की नौटंकी मशहूर है ।

(हंसी)

एक बात माननीय नेता, विरोधी दल ने कही, उसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि जो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो है, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है । अगर आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है तो सार्वजनिक उद्यमों ने, न इनके बजट पर यहां चर्चा कर सकते हैं और न उनकी रिपोर्ट को देख सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक निगम का बजट वहां पर पेश हो और उस पर चर्चा करने का मौका मिले ताकि उन पर प्रभावी अंकुश लग सके ।

यह जो हमारा सी0 आई0 डी0 और विजिलेंस का कैडर है, इसको अलग करना बहुत जरूरी है । पहले सिविल पुलिस, सिविल पुलिस से

सी0 आई0 डी0 और फिर सी0 आई0 डी0 से विजिलेंस । आपकी अच्छी बात की निश्चित रूप से ताईद करूंगा और बधाई दूंगा । इन विभागों का कैडर अलग होना जरूरी है ताकि सही तरीके से काम हो सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और हमारे पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री मित्रसेन--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता, विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय कौशल जी के भाषण को सुनकर ताज्जुब हुआ, पता नहीं वे अन्दर से बोले थे या बाहर से । अभी तक चर्चा यही है कि माननीय मुख्य मंत्री, वीर बहादुर सिंह, नाम तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उनके कामों की जो चर्चा रही है, वह यह है कि यह शासन चला पायेंगे या नहीं और यह भी रही है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख्य मंत्री हुए हैं, उन सब में सबसे निम्न कोटि के मुख्य मंत्री यह हैं । उनकी जो मान्यता है प्रदेश के अन्दर वह यह है कि ये ऐसे मुख्य मंत्री हैं कि आज तक जितने मुख्य मंत्री इस प्रदेश में हुए हैं उन सबमें ये घटिया हैं । यह चर्चा इनके ही दल में ही है ।

जहां तक सवाल इसका है कि प्रदेश के अन्दर अमन-चैन कायम हो, यह तो हम सब लोग भी चाहते हैं कि प्रदेश के अन्दर अमन और चैन कायम रहे । लेकिन यह अमन चैन होगा कहां ? जब पेड़ की जड़ में पानी डाला जायेगा तभी पेड़ हरा रहेगा ।

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

यह यहां घटिया शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि असंसदीय है, इसे निकलवा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है । इसे देखना पड़ेगा कि किस सन्दर्भ में यह बात कही गयी है ।

श्री मित्रसेन--

यदि कोई असंसदीय बात निकल गयी हो तो उसे हम वापस लिये लेते हैं । तो मैं कह रहा था कि हम सब लोग चाहते हैं कि प्रदेश में अमन-चैन कायम हो और शान्ति पैदा हो । लेकिन अमन-चैन कैसे हो और शान्ति कैसे पैदा हो ? इसमें देखना यह होगा कि अपराध की जड़ कहां है । जब तक देश में आर्थिक विषमता कायम रहेगी, गरीबी-अमीरी के बीच की खाई चौड़ी होती चली जायगी, जब तक प्रदेश के लोगों में असंतोष रहेगा तो कैसे यह सब सम्भव हो पायेगा ? आप कानून बनाते चले जा रहे हैं । कानून बनाने से अपराध नहीं रुक सकता है । आपने कानून बना कर अपराध को रोकने की कोशिश की तो किन पर इसका प्रभाव पड़ा ? जो लोग समाज की सेवा करते हैं वही इसकी गिरफ्त में फंस गये ।

आप देख लीजिये कि आपातकाल में कौन-कौन लोग इसके शिकार हुए ? कितने राजनैतिक नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था ।

हमारे लिये समय कम है इसलिये मैं ज्यादा इस पर नहीं कहूंगा । लेकिन हमारे फैजाबाद में तीन घटनायें ऐसी हुई हैं कि असगर को पेड़ में बांध कर मार दिया गया । दूसरी घटना यह है कि लल बहादुर वर्मा को मालीपुर की पुलिस ने जिन्दा जला दिया । तीसरी, थाना खड़ांसा में सुरेश मिश्रा नाम का लड़का था जो कि अपनी रिश्तेदारी में गया था, जो कि बेगुनाह था उसे पकड़ करके एक कोठरी में बन्द कर दिया गया और उसके बाद उसे भी जिन्दा जला दिया गया । यह घटना 22 या 23 दिसम्बर की है । इन सब घटनाओं को देखने से लगता है कि हमारे प्रदेश की सरकार का पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है । पुलिस के ऐसे आचरण को देखते हुए थाना कादीपुर

में चौकी सुरापुर है वहां पर एक दरोगा और उसके दो कांस्टेबिलों को केवट के यहां डकैती करते हुए पकड़ा गया। जब केवट थाने पर रिपोर्ट करने आया तो उसे डकैती में नहीं बल्कि दूसरे मुकदमें में पकड़ कर बन्द कर दिया गया।

इसी तरह से रामजानकी मन्दिर का जब दरवाजा खोलने की बात जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत हुई तो वहां के डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 ने कोर्ट में कहा कि हम शान्ति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश करेंगे। यह बात उन्होंने क्यों कही? इसका मतलब है कि शासन की तरफ से कोई इशारा था? इस आश्वासन के क्या माने होते हैं जो उन्होंने कोर्ट में दिया। उनके इस आश्वासन के देने के बाद ही पूरे प्रदेश में उपद्रव हुआ। इसके बदले में क्या वहां के डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? उन्होंने कैसे यह जिम्मेदारी ले ली? इसके अन्दर सिवाय शासन की मंशा और इशारे के अलावा और कोई बात नहीं थी।

(इस समय 2 बज कर 36 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

मान्यवर, मेरे जिले के अन्दर एक इन्स्पेक्टर थे, उनकी चर्चा करना चाहूंगा। राम बिलास बघेल थाना इन्चार्ज के खिलाफ जुडीशियल इन्क्वायरी की घोषणा हुई और उस आयोग के जो गवाह थे और जिनके थाने के सामने पुलिस को गोली लगी थी। उनको 15-16 मई, 1984 को गोली से मरवा दिया और उसका एक भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके परिवार के लोगों ने जब एक आदमी का नाम बताया तो उसको गिरफ्तार किया और बाकी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उस दरोगा ने आयोग के गवाहों को जिन्दा मरवा दिया। यह दूसरी घटना थी। कृष्ण केवल मिश्र जो कुमार गंज थाने का रहने वाला था, दिल्ली से आदमी बुलवाकर उसको कटवाकर दरिया में डलवा दिया और जब कांग्रेस के लोगों ने उसके विरुद्ध आवाज उठायी कि वह कांग्रेस का कार्यकर्ता था, तो बड़ी मुश्किल से उसका ट्रान्सफर हुआ। मुन्सिफ हवाली, फैजाबाद में उसके विरुद्ध धारा 395, 396 और 397 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज है। उसका जुर्म प्राइमा-फेसाई सिद्ध हो गया है, परन्तु उसको अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है।

मान्यवर, उसने 1068 रुपये की बिजली की चोरी की है। जूनियर इन्जीनियर को मार कर कनेक्शन ले लिया और जब मैंने सवाल किया तो उसका खम्भा उखाड़ा गया। थाना इन्चार्ज बिजली की चोरी करता हुआ पकड़ा गया। मान्यवर, जब पुलिस के लोग ऐसे कार्य करेंगे तो क्या अपराध रुकेंगे। मान्यवर, पुलिस के लोग जो अपराध करते हैं, उनकी जांच किसी दूसरी एजेन्सी द्वारा करायी जानी चाहिये। कानून की निगाह में सभी लोग बराबर हैं, इसलिये पुलिस विभाग के लोगों की जांच किसी निष्पक्ष एजेन्सी के द्वारा होना चाहिये। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबेआला, मैं मशकूर हूं कि मुझे मौका मिला, इस बजट पर बोलने का। मैं खड़ी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कल डिमान्ड्स पेश की हैं, उनके समर्थन के लिये और कटौती का जो प्रस्ताव है उसकी मुखालिफत करने के लिये। नेता विरोधी दल ने ढाई घन्टे की स्पीच दी और उधर के नेताओं ने भी अपनी-अपनी तकरीरें दीं कि कांग्रेस में कमियां हैं, उनको पूरा किया जाये और कोई बात नहीं की गयी। मैं खासतौर से उधर बैठने वाली अपनी बहनों से कहना चाहती हूं कि उन्होंने काफी एतराज किया है, तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि वह अपने मुल्क के इतिहास को पढ़ें तो उनको मालूम हो

जायगा कि औरतों के हकूक की रक्षा किसने की, औरतों को आगे किसने बढ़ाया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक इस देश की औरतें आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक आजादी नहीं हासिल हो सकती है। जो संविधान बनाया गया, उसमें औरतों को बराबरी का दर्जा दिया गया, तो इस प्रकार की बात कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और इस सरकार ने कुछ नहीं किया, यह बहुत ही गलत बात है।

जनाबेआला मैं उनसे यह भी कहना चाहती हूं कि यह तमाम हकूक जो औरतों को हमारी सरकार ने दिये, न ही सिर्फ औरतों को बल्कि पिछड़ी जातियों को, हरिजनों को, अकलियतों को, इन सबको रक्षा हमेशा कांग्रेस ने की है और कांग्रेस का इतिहास के मुल्क इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है जनाबेआला मैं यह कहना चाहती हूं एक तरफ औरतों को यह हकूक कांग्रेस ने दिये और दूसरी तरफ जब चौधरी चरण सिंह इस सूबे के मुख्य मंत्री थे तो सरकार द्वारा जितनी भी औरतों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी तरक्की के लिये स्कीमें बनायी गयी थी उसको चौधरी चरण सिंह ने खतम कर दिया और जब इनके पास हम डेपूटेशन लेकर गये तो उन्होंने कहा कि यह आपने क्या किया है, औरतों के लिए तो उनके घरों में रहना ही सबसे बेहतर बात है। यही वजह है कि जितनी हमारी सरकार ने नीतियां बनायी थी वह खतम कर दी गयी है और उससे हमारी तहरीर जो भी थी औरतों की तरक्की की, वह बहुत पीछे पड़ गयी।

"दिल ही तो सगेखिस्त, दर्द से भर न आये क्यों, रोयेंगे हम हजार बार, कोई हमे सताये क्यों।" जनाबेआला मैं अर्ज करना चाहती हूं कि कांग्रेस की जो कारगुजारियां हैं वह सारे मुल्क के सामने है। मैं यह बताना चाहती हूं कि जनता ने हमेशा कांग्रेस को वोट देकर जिताया। लेकिन एक बार मौका दिया था जनता पार्टी को भी वोट देकर जिताने का। आप लोग जो उधर बैठे हुए हैं, आपको मौका मिला था न कि यहां बल्कि केन्द्र में भी उसका नतीजा हमारे सामने है।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शान्त रहें।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबेआला, कांग्रेस में कोई शक्ति है, कोई ताकत है जिसकी वजह से जनता उसकी तारीफ करती है और वोट देकर जिताती है। उसने जब देख लिया कि जनता पार्टी ने जिसमें सभी विरोधी पार्टियां शामिल थी, वह कुछ न कर सकी तो उसने कांग्रेस को वोट दिया।

जनाबेआला,

"कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा"।

जनाबेआला, कांग्रेस की मुखालफत होती है, सब कुछ होता है लेकिन जनता फिर भी वोट देती है कांग्रेस को।

(व्यवधान)

पुलिस के बाबत मुख्य मंत्री ने बहुत से एशोरेंस दिये हैं। पुलिस का व्यवहार हमारे प्रदेश में अच्छा नहीं है मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि गुण्डा ऐक्ट जो पास हुआ है उसकी शिकायत जरूर होगी क्योंकि उसमें बहुत से बेगुनाह लोगों को रखा जायेगा। मेरा यह सुझाव है कि एक सेल खासतौर से गुण्डा ऐक्ट के मुतालिक बनाया जाय हर जिले में। ताकि जो शिकायतें हैं, जिसको भी पुलिस गलत फसाती है, उसमें शिकायत कर सकें। जनाबेआला मुख्य मंत्री को मुबारक बाद देती हूं कि उन्होंने एकान्त में शासन के जरिए से बहुत सी स्कीमें चलाई है और शासन को जाग्रत किया है जिसकी वजह से हालात बहुत बेहतर हो गई।

इन अल्फाज के साथ में अपनी बात खत्म करती हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा

मान्यवर, माननीय नेता सदन, गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान और हमारे माननीय मित्र डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल जैसी महान विभूतियों को मैंने सामान्य प्रशासन और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश में सुदृढ़ बनाने पर उनके विचारों को गम्भीरता से सुना । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के सामान्य प्रशासन को स्वच्छ और कानून की गिरती हुई स्थिति को सुधारने का जो वायदा प्रदेश की जनता को चुनाव में किया था और चुनाव के बाद सरकार यह संकल्प लेकर प्रदेश की जनता का जो आह्वान किया था उसमें माननीय सदस्य सत्ता-पक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पूरा हुआ और जब आप अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो तीन बातों से बहुत दुखी रहते हैं । थानों पर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती और रिपोर्ट लिखने में जो आपत्तियां पैदा होती हैं उनसे आप भी अवगत हैं कि क्या परेशानियां थानों में जाने से होती हैं । दूसरी बात में निवेदन करना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों में पुलिस की जो स्थिति है एक-एक जनता का आदमी इस बात से त्रस्त और दुखी है कि पुलिस का प्रशासन देश की सामान्य और वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहा है । उसमें बदलाव और सुधार की अपेक्षा है ।

जब इन महान विभूतियों को मैंने सुना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन महानुभावों के पास पुलिस मुहकमे के पास जनता की अपेक्षाओं के अनुकूल कोई सुधारने का कोई कार्यक्रम नहीं है इसी-लिये आज आप पुलिस व प्रशासन की हिमायत करने वाले लोगों में बन गये क्यों कि आप को शासन पुलिस की बैसाखी पर चलने की आदत पड़ गई है । देश में आपात-कालीन घोषणा होने पर हमारे प्रदेश में यह स्थिति आ गई थी कि नेताओं को घर से पकड़कर झूठे मुकदमों में बन्द करने की जो प्रवृति पुलिस में पैदा की गई है उसी समय से फर्जी इन्काउन्टर दिखाकर और झूठे मुकदमें में लोगों को बन्द करने की प्रवृति आज पैदा हो गई है । माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में कल डी0 जी0 के बारे में कहा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रदेश के डी0 जी0 आगरा पधारे थे तो किसी पुलिस विभाग के अध्यक्ष के पहुंचने पर, प्रदेश के किसी कोने में उनके पहुंचने पर कानून और व्यवस्था की जो अपेक्षा की जाती है कि उस दिन वहां पर अमन-चैन होगा लेकिन आगरा में जब वे पधारे तो उसी दिन कौशल साहब के आगरा में बाई पास रोड के आम चौराहे पर एक व्यापारी को लुटेरे दिन दहाड़े 11 बजे लूटकर उसका 1 लाख 80 हजार रुपया ले गये और उसके चाकू भोंक दिया मर गये समूची पुलिस व्यवस्था डी0 जी0 की रखवाली में लगी रही । यहीं, नहीं जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री के आगरा में दौरा पड़ा, वे आगरा में पधारे उसी के बाद बैंक में भयानक डकैती पड़ी । इस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उस पर जितना कहा जाय कम है ।

आपने पुलिस दल को इतना बढ़ा दिया है । आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 के पदों में बढ़ोत्तरी कर दी है जिससे इन पदों की जो गरिमा थी वह समाप्त हो गई है । दूसरी तरफ इन पदों में वृद्धि करके पुलिस प्रशासन में शिथिलता पैदा हो गई है । इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है । आज के परिप्रेक्ष्य में मेरी प्रार्थना है कि पुलिस थानों के बढ़ने, डी0 वाई0 एस0 पी0 के स्तर के 156 पदों का सृजन करने के अलावा कानून व्यवस्था में क्या-क्या आमूल-चूल परिवर्तन करने की

आवश्यकता है, इसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा माननीय सुरेन्द्र सिंह जी चौहान जो हैं वे तो डी0 जी0 की प्रशंसा करने में लगे हैं। वे इसलिये उनकी प्रशंसा में खड़े हो गये, क्योंकि डी0 जी0 को देखकर कांपते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रदेश की कानून की विगड़ती हुई स्थिति को देखते हुये भी वे उनकी तारीफ करने के लिये खड़े हुये हैं। आज प्रदेश में अपराधों की क्या स्थिति हैं, इसको उन्होंने नहीं देखा। भारतीय दंड विधान की संहिता के अन्तर्गत हस्तक्षेपनीय अपराध जो सन् 85 में हुये हैं वह 1,73,492 हुये हैं। यह वृद्धि विगत वर्ष से हुई है। में बलात्कार के संबंध में कहना चाहता हूं कि आज महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अभी माननीय गृह राज्य मंत्री बोल रहे थे पुलिस की बड़ी तारीफ कर रहे थे तो में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 1985 में 489 केस बलात्कार के हुए जिसमें महिलाओं की इज्जत लूटी गयी। यह आंकड़े 15 जून 85 तक के हैं उसके बाद कितनी ही और महिलाओं की बेइज्जती हुई होगी यह आकड़ा अभी नहीं है। (लालबत्ती होने पर) थोड़ा समय और दे दीजिये हमारे यहां से कोई नेता नहीं बोले हैं।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में समाप्त करें। कल बोस साहब बोले हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

में एक बात निवेदन करना चाहता हूं हरिजनों की बड़ी बात की जाती है तो 180 हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है इसी तरह 223 हरिजन लोगों की हत्या हुई है। माननीय राज्य गृह मंत्री बड़ी तारीफ कर रहे थे। इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधों की स्थिति में बराबर वृद्धि हो रही है।

फर्जी इन्काउंटर के बारे में कहना चाहता हूं कि दो आदमियों की रोजाना हत्या फर्जी इंकाउंटर में हो रही है। मेरे क्षेत्र फिरोजाबाद में कानून व्यवस्था की बड़ी भयंकर खराब स्थिति है। एक श्रीमती लच्छो देवी की दिनदहाड़े थाना खदौली के अन्तर्गत हत्या कर उसका सिर उठा ले गये अभी तक उसमें किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह फिरोजाबाद में एक घर के दो भाइयों में से एक भाई को गोली मार दी और दूसरे का अपहरण कर ले गये जहां से डी0 वाई0 एस0पी0 का कार्यालय पास में है लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर में घुसकर उसके एक मात्र, पुत्रको गोली मार दी जहां से सी0 ओ0 का दफ्तर मात्र 100 गज पर है। तो आज किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। उसके यहां से 5 लाख का माल लूट ले गये उसका पिता लड़के का दिल्ली में अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। तो कानून और व्यवस्था की स्थिति भयंकर है। फिरोजाबाद की स्थिति खराब है। ऐसी दशा में क्षेत्राधिकारी पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तारियां हुई उसके बाद गुंडा विरोधी कानून में लोगों को पकड़ा है और फिर 9 जिलों में विशेष अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं उससे भी कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। अब गिरोह बन्दी निवारण विधेयक लाई गई है। अभी भी बड़े-बड़े गिरोहबन्द लोग अपराध कर रहे हैं जिनके सामने यह सरकार विकलांग बनी हुई है। यह सरकार खुद विकलांग है और अपनी रक्षा के लिये विकलांग पुलिस को लेकर गिरोहबन्दी एवं समाज विरोधी अध्यादेश लाकर प्रदेश की हालत में सुधार लाने का दावा करती है। तो यह कैसी विडम्बना है।

श्री अधिष्ठाता--

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मथुरा के एक सांसद हैं वह और उनके भाई वगैरह क्षेत्र में डकैतियां डालने का काम कर रहे हैं ऐसी शिकायतें हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुधारना है तो सामान्य प्रशासन में अभी बहुत कुछ और करना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, गृह विभाग पर चर्चा हो रही है इसमें गृह विभाग और सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित कोई मन्त्री मौजूद नहीं है ।

श्री राम नरेश शुक्ल--

मैं मौजूद हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शांत रहें । आपस में बात न करें ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं सामान्य प्रशासन के बजट का समर्थन करते हुये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । बहुत सारे सदस्यों को कल और आज मैंने सुना । कई विपक्ष के माननीय सदस्यों को सुनने का मुझे मौका मिला । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिन नपे-तुले शब्दों में यह बजट रखा और सारे सदन के सम्मानित सदस्यों को समझाने का प्रयास किया । मुझे अफसोस है कि नेता विरोधी दल हमारे मुख्य मन्त्री जी के नपे-तुले शब्दों को नहीं समझ पाये । इसलिये मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक सरदार जी आफिस के बाद घर पहुंचे, दिन भर काम करने के बाद, तो सरदारनी ने कहा-रोज दफ्तर जाते हैं और आकर सो जाते हैं लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि पिक्चर चलोगी कि नहीं । तो इस तरह से सरदार जी बोले आज चलो तुमको पिक्चर दिखा कर लाते हैं । पिक्चर देखते समय कभी सरदार जी सरदारनी से कहें-यह सीन बड़ा चंगा है । कभी सरदारनी सरदार जी से कहें-गल सुनो जी एह सीन तो और भी चंग है । मान्यवर, जब पिक्चर समाप्त हुई और परदे पर जब दि एन्ड आया तो सरदार जी बोले सरदारनी पिक्चर तो चंगी है पर एह थिन्ड समझ नहीं आया की है । इसी प्रकार हमारे नेता विरोधी दल मुख्य मन्त्री जी की बात को नहीं समझ पाये और नेता विरोधी दल ने और तीन घंटे अपनी बात को यहां रखा लेकिन सदन को वह है कि वह नहीं समझा पाये कि वह कहना क्या चाहते हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से मैं बहुत छोटा था तो आलमबाग, लखनऊ में एक स्कूल में पढ़ता था । तो कई बार सुना था कि मोहल्ले में एक डमरू वाला भालू आता है और बहुत अच्छा नाच दिखाता है । तो एक बार मैंने भी कोशिश की कि उस डमरू वाले भालू का नाच देखूं और देखा भी उसके बाद जिस दिन से मैं यहां सदन में आया हूं, यहां आने के पहले कल्पना करता था कि हाउस में अच्छे वक्ता होते होंगे शायद मैं न बोल पाऊं । उसी तरह भालू के नाच की कल्पना करता हूं तो मुझे यहां पर भी एक डमरू वाला भालू देखने को मिला कि जब राम शरण दास जी सदन में खड़े होकर नाचते हैं तो उस डमरू वाले भालू की याद आ जाती है ।

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन को आ

बढ़ाने का प्रयास किया है, यह बात सही है कि आजादी के बाद से आज तक जितनी तेजी से हम और आप आगे बढ़ रहे हैं यह कल्पना नहीं कर सकते थे। मान्यवर, आज प्रत्येक थाने पर, मुख्य मन्त्री जी ने पुलिस फोर्स को तेजी से काम करने के लिये, जीप की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। पुलिस थानों और चौकियों पर वायरलेस सेट लगाने का प्राविधान इस बजट में किया गया है। मान्यवर, जहां तक पुलिस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है उसमें यह सही है कि आज चाहे ईद या दीवाली या होली का त्योहार हो शान्ति व्यवस्था के लिए पुलिस बहुत तेजी से आगे बढ़कर काम करती है। लेकिन यह सही है कि बहुत जगहों पर यह देखने को मिलता है कि पुलिस कुछ लोगों को झूठे केस में फंसाकर बन्द करती है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरह का एक सेल बनाया जाये जो पुलिस के कार्यकलापों पर निगरानी रखे और चेक कर सके।

इसलिये मेरा सुझाव है कि विजिलेन्स और सी0 आई0 डी0 में पुलिस विभाग से ट्रान्सफर न किये जायं। विजिलेन्स व सी0 आई0 डी0 का विभाग अलग बनाया जाये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है। अब नहीं आप बैठें।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मेरा एक यह भी सुझाव है कि प्रत्येक एस0 पी0 आफिस में एक शिकायत पेटिका रखी जाए, ताकि यदि कोई नागरिक थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है और थानेदार उसके साथ गलत व्यवहार करता है या रिपोर्ट नहीं लिखता है तो उस नागरिक द्वारा उसकी शिकायत लिखकर उस बन्द पेटी में डाल दी जाया करे और सभी शिकायतों को पेटी से निकालकर थानेदार या सिपाही के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, कल मैंने मुख्य मन्त्री जी को बहुत ही ध्यान से सुना और माननीय सदस्य श्री के0 के0 शर्मा जी के मुताबिक उनका नपा-तुला भाषण सुना। उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे विधिशास्त्र को उन्होंने उलट दिया है। क्योंकि कल वह बोल रहे थे कि अपराधियों के साथ अपराधी जैसा सलूक किया जाएगा और शरीफ के साथ शरीफ जैसा व्यवहार किया जाएगा। हमारे संविधान में लिखा है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। किसी भी आधार पर उनमें कोई विभेद नहीं किया जाएगा। विधि का राज्य होगा और विधि सम्मत ही सारे कार्य होंगे। विधि के सामने चाहे अपराधी हो और चाहे शरीफ हो, बड़ा हो या छोटा हो, अपना हो या पराया हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, सबके सामने कानून का ही राज्य होगा। कानून के सामने सब बराबर हैं। मगर मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे कि अपराधियों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार उनकी सरकार करेगी और शरीफों के साथ शरीफ जैसा व्यवहार करेगी। आज से 100 साल पहले जब सामन्तवादी शासन था, साम्राज्यवादी शासक थे, उस समय जैसे को तैसा का कानून चला करता था। लेकिन आप आज का कानून देख लें, जब कानून का राज्य रहेगा और जब कानून का राज्य रहेगा तो चाहे कोई अपराधी हो और चाहे कोई शरीफ हो, कानून कहेगा तो उसको सजा दी जाएगी और नहीं कहेगा तो नहीं दी जाएगी। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने अपनी बहादुरी के सन्दर्भ में, क्योंकि वह वीर हैं, बहादुर हैं और सिंह भी हैं, विधि, कानून और लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को एक दम ही तिलांजलि दे दी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ।

कोई किसी कानून को तोड़ता है तो कानून ही उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा । क्या अब राज्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री यह फैसला करेंगे कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है । यह तो अदालत ही फैसला करेगी । जनता की तमाम समस्याएं हैं, उसके सामने बेरोजगारी और महंगाई की भीषण समस्या है, उनकी सबकी ओर से मुंह फेरकर केवल जनता का ध्यान बटाने के लिए यह किया जा रहा है । मैं तो कहना चाहता हूं कि यदि सूबे में कोई अपराधी है तो यह कांग्रेस सरकार ही अपराधी है । यह सरकार सबके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करती है । इस सरकार ने राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री में भेद कर दिया है, उनमें भेद करती है । जब प्रधान मन्त्री आयेंगे सूबे में, दून स्कूल में जायेंगे तो उनकी अगवानी के लिए मुख्य मन्त्री ही जाएंगे ।

श्री नेक चन्द्र पांडेय--

मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री जी पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

बैठिये, यह सन्दर्भित है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह लोकतन्त्र है, जरा दिल कड़ा कर सुनिये । प्रधान मन्त्री क्या उससे भी बड़ा कोई हो तो वह आलोचना का पात्र बन सकता है । तो मैं कह रहा था कि प्रधान मन्त्री सूबे में आयेंगे तो मुख्य मन्त्री ही उनके स्वागत में जाएंगे और उनके मुस्कराहट में जरा सी कमी आ गई तो जिला अधिकारी, देहरादून का तबादला कर दिया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था में कमी रह गई और देहरादून में, कुम्भ मेला में जब महामहिम राष्ट्रपति जाते हैं, जो भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो उनके स्वागत में, शिष्टाचार में सूबे का कोई भी समझदार मन्त्री वहां नहीं भेजा जाएगा, मुख्य मंत्री की कौन कहे ? उनके आने पर कोई भी बड़ा मंत्री और अधिकारी उनके लिए नहीं भेजा जायेगा और उनके साथ उचित सलूक और व्यवहार भी नहीं किया जाएगा । इस समय ऐसा लगता है कि नौकरशाही का बोलबाला हो गया है । 56 विभाग मुख्यमंत्री जी के पास हैं । जिसके चलते आज सदन की हालत यह हो गई है कि राज्य मंत्री यहां पर अनुदान पेश कर रहे हैं ।

मान्यवर, जब राज्य मंत्री अनुदान पेश करते हैं तो इस प्रदेश के हमारे वरिष्ठ अधिकारी इज्जत के साथ यहां पर आना नहीं चाहते हैं । एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्य मंत्रियों की हालत चपरासी से भी बिगड़ गई है । कोई भी सचिव या संयुक्त सचिव उनके भेजे हुए पत्रों पर ताकने की जुर्रत नहीं करता है उन पर विचार करने की बात छोड़ दीजिए । राज्य मंत्री जो कैबिनेट दर्जे के मंत्री नहीं हैं उनको चपरासी भी इज्जत देने की बात नहीं करता है । आज नौकरशाही का बोलबाला हो गया है । मंत्रि परिषद् का नियंत्रण बिलकुल नहीं रह गया है । लगता है कि जैसे अफसर राज्य चल रहा है ।

अफसर चाहेंगे तो सब कुछ होगा और मंत्री चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता । इस बात को माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं । बहुत से सत्ता पक्ष के सदस्य जानते हैं, अफसरों के दरवाजे पर जाते-जाते जूते रगड़ जाते हैं लेकिन राज्य मंत्री के आदेशों का पालन नहीं होता क्योंकि वह बेअसर हो गये हैं । पूरी की पूरी सरकार के मंत्रियों का कोई कहना मानने के लिए तैयार नहीं है । मैंने यह सामान्य प्रशासन की किताब पढ़ी है । इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह मानसिक गुलामी की सरकार है । 37 साल हो गए हैं प्रदेश की राजभाषा

हिन्दी है । अंग्रेजी में काम नहीं हो सकता है लेकिन आप चले जाइये जिलाधिकारी के यहां और तहसीलदार के यहां वहां पर अगर कोई किसान प्रार्थना-पत्र देता है तो कलेक्टर साहब रोमन लिपि में अंग्रेजी में आदेश करेंगे । लगता है कि जैसे अंग्रेजी का बोलबाला फिर से शुरू हो गया है ।

आज केवल अफसरों का बोलबाला है । हिन्दी में कहीं पर काम नहीं हो रहा है । साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अंग्रेजी में काम करेगा तो उसको अनुशासन हीनता समझा जायगा । मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, जमीन की सरकार है, किसानों की सरकार है, लोकभाषा की सरकार है, लोकतन्त्र की सरकार है तो अंग्रेजी में रात दिन आदेश पारित करने का काम क्यों हो रहा है । आपने किसी के खिलाफ अनुशासन हीनता की कार्यवाही की, इसलिए कि उन्होंने राजभाषा के नियमों का उल्लंघन किया है, राजभाषा के सम्बन्ध में जो शासनादेश हैं उनका उल्लंघन किया है । लगता है कि अपना देश मानसिक रूप से आजाद नहीं है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार राजनीतिक सरकार बन कर रह गयी है । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो फैसले लिए थे उनमें से एक का भी पालन नहीं किया गया है । उन्होंने कहा था कि हम विकास परियोजनाओं का परीक्षण करायेंगे, उनकी जांच करायेंगे । हम किसी एक विकास खंड को नमूने के तौर पर लेंगे और वहां विकास योजनाओं का परीक्षण किया जायगा । लेकिन एक भी विकास खंड नहीं लिया गया है । वह भी उसी समय कहा गया था कि लोक सेवा आयोग की तरह से एक आयोग और बनाया जायगा लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है ।

(लाल बत्ती होने पर ।)

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश की समस्या है ।

पूरे प्रदेश में 5 साल से 10 साल के बच्चों के प्रवेश हीने हैं लेकिन पैसा लेकर प्रवेश किया जाता है । गरीब लोग जो पैसा देने में, अपने बच्चों के दाखिले के लिए, असमर्थ हैं, फीस देने में असमर्थ हैं उनके बच्चों का प्रवेश नहीं हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को इस समय तत्काल रोकने का काम करें। मैं अब पुलिस संगठन के बारे में कहना चाहता हूं । एक पिरामिड बन गया है । ऊपर ज्यादा हो गये हैं और नीचे लोग कम हो गये हैं । मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा इस समय गुण और मात्रा का भेद शुरू हो गया है । पुलिस संगठन के बारे में कोई बात कही जाती है तो गुण की बात न कहकर मात्रा की बात कही जाती है कि संख्या कम है । गुणों की बात नहीं होती है । लियाकत मात्रा में नहीं होती है । अकल बड़ी या भैंस वाली जो कहावत है तो भैंस को बड़ा मानकर और अक्ल को छोटा मानकर सरकार काम कर रही है ।

धन्यवाद ।

इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद--

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट कल रखा है उस पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं ।

मान्यवर, जिस देश या प्रदेश में शांति की व्यवस्था नहीं होगी वह देश या प्रदेश वाकई में तरक्की नहीं कर सकता है आज देश और प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की जरूरत है । समाज में ऐसे तत्व हैं, जो समाज से अलग रहकर समाज अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्व बाहर की ताकतों के सहारे देश और प्रदेश में काम कर रहे हैं । आज हमारा देश और प्रदेश उन्नति कर रहा है, उन्नति की ओर अग्रसित हो रहा है और हम सफर कर रहे हैं उस मंजिल की तरफ जिसको हमने चाहा है गरीबी

की रेखा को दूर करने के लिए, शान्ति व्यवस्था को कायम करने के लिए, और इस भारतवर्ष का पूरी दुनियां में नाम पैदा करने के लिए मगर ऐसे ताकतें, जिनको समाज विरोधी तत्वों के नाम से जाना जाता है, आड़े आ रही हैं और वह नहीं चाहते हैं कि यह हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान का हर सूबा खास कर उ0 प्र0 किसी प्रकार से आगे बढ़ सके। वही तत्व आज बाहरी ताकतों से पैसा लेकर इस देश और प्रदेश की सरकार को मजबूर कर रहे हैं हर क्षेत्र में आगे न बढ़ने से, लेकिन हमारी यह सरकार एवं कांग्रेस पार्टी उनकी इस चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं और यह सरकार हमेशा ऐसे तमाम समाज विरोधी तत्वों से मुकाबला करने के लिए तैयार है, और इसका वह समय समय पर जवाब भी देती रही है। मान्यवर, कल जो हमारे नेता विरोधी दल बोल रहे थे, मैंने उनके भाषण को गौर से सुना भाषण में उन्होंने केवल आलोचनाएं की हैं, आलोचनाओं के अलावा उन्होंने कोई ठोस और कारगर सुझाव नहीं दिए और ना आए उनकी तरफ से ? तो मैं मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसी तस्वीर को खराब कहता है तो उसको उस तस्वीर के बनाने की पहले सलाहियत होनी चाहिए और अगर उसमें यह सलाहियत नहीं है तो फिर उसे इसको किसी भी तरह से खराब कहने का हक भी नहीं है। लेकिन मान्यवर आलोचनाओं के अलावा यह कर भी क्या सकते हैं, इनके पास सुझाव के लिए कुछ है ही नहीं ?

एक सदस्य—

तो आप ही कोई कीमती सुझाव दे दीजिए।

इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

हां, सुझाव तो उधर से ज्यादा आने चाहिए थे, मगर इस तरफ से ही सुझाव आए हैं और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो संकल्प लिए हैं वह उसे अवश्य ही उन्हें पूरा भी करेंगे और मान्यवर, यही नहीं जिस दिन से माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की है, उसी दिन से हर जगह पर ऊपर से लेकर नीचे के पदों तक के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में एक डर और खौफ पैदा हो गया है और खासतौर से उन लोगों में यह डर पैदा हुआ है जो काम न करने के आदी थे और देश व प्रदेश को आगे बढ़ाने में बाधक थे। मान्यवर, सचिवालय के गेट बंद हुए और सचिवालय ही क्या प्रत्येक दफ्तरों में कार्य की दृष्टि से सुधार आया, लोग वक्त से आने लगे और काम को सही ढंग से करने लगे, और जहां ऐसा नहीं पाया गया, वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कड़ी कार्यवाही हुयी और कुछ के प्रति अभी भी कार्यवाही हो रही है, जिसने किसी भी प्रकार की कोई गलती की उसको छोड़ा भी नहीं गया। इसी सिलसिले में कई लोग सस्पेन्ड और निकाले भी गये इसलिए मैं कहना सिर्फ यह चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो कहते हैं, वह पूरा करते हैं और अब जो कहा है उसे आगे पूरा करेंगे। मान्यवर, मैं आपके सामने अपनी एक बात की ओर इशारा करना चाहता हूं जो रुबाई में है, इस पर आप गौर कर लें कि..

"लम्हों का निशाना कभी होता ही नहीं,
वह सईदा जमाना कभी होता ही नहीं।
हर उम्र में देखा है, दमकता वह बदन,
सोना तो पुराना कभी होता ही नहीं।।"

यह वही कांग्रेस है, जो सदियों से चली आ रही है और इसमें कोई तब्दीली जल्दी जाने वाली नहीं और जो भी लोग इस देश की तरक्की में बाधक बनते हैं तो बने रहें अगर गौर कर रहे हैं, तो करते रहेंगे और यह देश और प्रदेश अपनी मंजिल को तो एक दिन पहुंचेगा ही। इसी कांग्रेस पार्टी द्वारा इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य मंत्री के रखे बजट का समर्थन करता

हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, कितना समय निर्धारित किया है मेरे लिए, यह बता दीजिए, ताकि उसी हिसाब से संक्षेप में अपनी बात को कहने का प्रयास करूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेताओं के लिए पहले 15 मिनट का समय निर्धारित था, पर अब समय की कमी को देखते हुए, 10 मिनट ही कर दिए गये हैं । इसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, आज इस सदन के अन्दर अनेक महत्वपूर्ण अनुदानों पर चर्चा हो रही है, सामान्य प्रशासन उनमें से सर्वाधिक प्रमुख है । मुझे सम्मानित सदन में आने का यह पांचवां अवसर है और अनेक बार मैंने सदन की बहसों को सुना है । आज भी मैं बड़े ध्यान से बहस को सुन रहा हूं, प्रक्रिया कुछ ऐसी बन गयी है कि जब-जब लोग सत्ता पक्ष की बेंचों पर बैठते हैं, तब उन्हें हर चीज अच्छी नजर आने लगती है, भले ही वह कितनी बुरी हो क्यों न हो और जब विपक्ष की बेंचों पर बैठने का मौका आता है, तो हर चीज बुरी नजर आती है, भले ही वह कितनी ही अच्छी क्यों न हो और इसीलिए सत्ता पक्ष के लोग हर बुरी चीज का भी समर्थन करते हैं और कई बार विपक्ष भी कई अच्छी बातों का भी विरोध कर जाता है । परिणाम यह होता है कि जो लड़ाई अच्छी और बुरी के बीच होनी चाहिए थी, वह लड़ाई सिमट कर सत्ता और विपक्ष के बीच सीमित हो जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि सर्वसामान्य जनता के व्यापक हितों की सच्ची लड़ाई बहुत पीछे छूट जाती है और यही कारण है कि सदन में अनेक वाद-विवादों के बावजूद सही अर्थों में जनता का भला नहीं हो पाता है । हम सभी को दलगत धरातल से ऊपर उठकर हर अच्छी बात का समर्थन और हर बुरी बात का विरोध करना चाहिए । इसी प्रक्रिया से जनता की समस्याओं का सही समाधान सम्भव होगा । सामान्य प्रशासन के बारे में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाता चला आ रहा है । यदि अपराधों की संख्या कुछ कम हो जाती है, तो सत्ता पक्ष दावा करता है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है और यदि अपराधों की संख्या कुछ बढ़ जाती है, तो विपक्ष आलोचना करता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिलकुल ध्वस्त हो गयी है । मेरा कहना यह है कि कुछ अपराधों के घट जाने से कानून-व्यवस्था की स्थिति को अच्छी नहीं कहा जा सकता और परिस्थितिवश मात्र कुछ अपराधों के बढ़ जाने से कानून-व्यवस्था की स्थिति के ध्वस्त हुआ परिभाषित नहीं किया जा सकता । कानून-व्यवस्था की स्थिति को परखने की स्थिति यह होनी चाहिए कि सर्वसामान्य जनता में यदि अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्ति है, तो कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक कही जायेगी, भले ही किसी कारण से अपराधों की कुछ संख्या बढ़ ही क्यों न गयी हो । इसी प्रकार यदि सर्वसामान्य जनता अपने को भयाक्रान्त आतंकित और असुरक्षित महसूस करती है, तो कानून-व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त ही समझी जायगी, भले ही अपराधों की संख्या में कुछ घटोत्तरी ही क्यों न आ गयी हो । मूल प्रश्न है, समाज के मनोविज्ञान का और इस कसौटी पर वर्तमान उत्तर प्रदेश प्रशासन को कस करके देखा जाय, तो यह स्पष्ट हो जाता कि आज भले ही हर व्यक्ति की हत्या न की जा रही हो और भले ही हर गांव में अपहरण की घटनाएं घटित न हो रही हों, तो भी आज हर व्यक्ति को अपनी जान-माल और आबरू का हर समय भारी खतरा महसूस होता है, कोई अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा

है और इस कसौटी पर वर्तमान शासन और उसका प्रशासन पूरी तरह विफल सिद्ध हो चुका है। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। ध्यान देने की बात यह है कि जब कभी एक अपहरण का केस होता है, तो हजारों लोग आतंकित हो जाते हैं, किन्तु सरकार कहती है कि चूंकि पिछले वर्ष अपहरण के सौ मामले हुए थे और इस वर्ष मात्र 95 हुए हैं, इसलिए कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रश्न 100 अपहरण और 95 अपहरण का नहीं है, प्रश्न सामाजिक जीवन में एक-एक अपहरण के कारण उत्पन्न आतंक और भय का है। क्या आज प्रदेश में कानून के राज्य के बजाय दरोगा राज कायम नहीं हो गया है? क्या यह सच नहीं है कि आज तीन की तिकड़ी से जन-जीवन आतंकित और भयाक्रान्त है? मान्यवर, इन तीन की तिकड़ी में तीन शक्तियां एक साथ मिल कर जनता के साथ गहरी साजिश कर रही हैं। उनमें से एक शक्ति सत्ताधारी पार्टी के अधिकांश लोगों की, दूसरी शक्ति पुलिस प्रशासन के अधिकांश अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की और तीसरी शक्ति है बदमाशों की। ये तीनों ही शक्तियां एक दूसरे को सहारा और संरक्षण दे रही हैं। पुलिस संरक्षण देती है, बदमाशों को और बदमाश सहारा और समर्थन देते हैं चुनाओं में सत्ताधारी पार्टी को, मतदाताओं को आतंकित करके और बूथ कैप्चरिंग करके और इन दोनों के बदले में सत्ताधारी पार्टी पुलिस के गलत कामों में भी पुलिस को संरक्षण देती है और दूसरी ओर उपहार स्वरूप बदमाशों को भी खुला समर्थन और संरक्षण देती है और इन तीन की तिकड़ी के शिकंजों की साजिश में प्रदेश की आम जनता पूरी तरह पिसी जा रही है और लूटी जा रही है। मैं जानता हूं कि पुलिस प्रशासन में भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, परन्तु ऐसे अच्छे और ईमानदार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्ता धारी पार्टी स्वतंत्रता और निर्भीकतापूर्वक काम नहीं करने देती। अभी बदमाशों के साथ हुई कुछ मुठभेड़ों में कुछ पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की शहादत की चर्चा हुई है, बदमाश से लड़ते-लड़ते शहीद होने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति हम श्रद्धावनत हैं। हम उनका अभिनन्दन करते हैं, परन्तु खेद है कि अब पूरा पुलिस प्रशासन जनता की ऐसी सराहना और ऐसे विश्वास का पात्र नहीं रह गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग बन्द किया जाय। जिस दिन यह हो जायेगा, उस दिन से प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार आना प्रारम्भ हो जायगा। क्या यह सच नहीं है कि आज राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है? अब तक मात्र इस बात की चिन्ता रहती थी कि पुलिस प्रशासन में राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, परन्तु अब और भी गहरी चिन्ता का विषय यह हो गया है कि आज कल राजनीति में पुलिस प्रशासन का खुला हस्तक्षेप बढ़ गया है। यह दोनों ही विकृतियां मात्र सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाती हैं, किन्तु इससे आम नागरिकों के हित का हनन हो रहा है और लोकतांत्रिक मान्यताओं को भारी खतरा पैदा हो रहा है। आज प्रदेश के अन्दर क्या यह

[3 बजकर 29 मिनट]

सच नहीं है कि पहले तो चिन्ता का विषय यह रहता था कि पुलिस प्रशासन में राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और विकृति अब दूसरी पैदा हो गई है कि राजनीति में पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। जब-जब पुलिस प्रशासन में राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ेगा, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी और जब-जब राजनीति में पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी और लोकतंत्र को भी भारी खतरा पैदा हो जायेगा आज मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता

हूं और हमारे कांग्रेस के मित्रों को बड़े ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए कि चुनाव राजनीति के लिए किया गया पुलिस का व्यापक दुरुपयोग और हस्तक्षेप आज जनता की आशाओं का हनन करने वाला है। इस प्रदेश से लोकतंत्र की जड़ों को खोदने वाला है। आगे आने वाली पीढ़ी न आपको माफ करेगी, न हमको माफ करेगी। आज राजनीति में पुलिस का हस्तक्षेप और पुलिस में राजनीति का हस्तक्षेप यह दोनों ही विकृतियां हैं। यह दोनों ही रुकना चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि आज राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया? क्या यह सच नहीं है कि आज तीन की तिकड़ी में जन-जीवन भयाक्रांत है? यह तीन की तिकड़ी हैं सत्ताधारी पार्टी के अधिकांश लोग, पुलिस प्रशासन के अधिकांश अफसर और कर्मचारी और बदमाश। इन तीनों तिकड़ी से पूरा जन-जीवन त्रस्त हो रहा है। यह मूल कारण है प्रशासन की शान्ति व्यवस्था को ठीक न होने देने के लिए इस घातक विकृति को दूर करना होगा।

मान्यवर, किसी भी शासन और प्रशासन की कामयाबी आंकी जाती है कि वह समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान किस सीमा तक कर पाता है। आज समस्या है गरीबी की, आज समस्या है बेरोजगारी की, आज समस्या है महंगाई की। क्या आज महंगाई रुकी है, क्या आज बेरोजगारी घटी है, क्या आज गरीबी घटी है। मान्यवर, हमारे एक मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं कि हां घटी है। यह चीज मैंने प्रारम्भ में कही थी कि कांग्रेस में बैठे सत्ताधारी पार्टी के लोगों को हर खराब बात भी अच्छी लगती है। यही समस्या का निदान नहीं निकलने देती है। जब हम उधर बैठते थे तो हमको भी हर चीज अच्छी लगती थी, यह प्रक्रिया है। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर जब तक आर्थिक नीति, आर्थिक नियोजन आर्थिक प्राथमिकता में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक इस प्रदेश के अन्दर से बेरोजगारी को, महंगाई को और गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर, गांव गरीब और किसान झोपड़ियों का इन्सान, बेरोजगार नवजवान और महिलाओं का सम्मान यह चार मूल भूत क्षेत्र हैं जिनकी जिन्दगी के जुड़े सवालों का समाधान किया जाना चाहिए। यही चार बिन्दु आज हमारी आर्थिक नीतियों, आर्थिक नियोजन और निवास की आर्थिक प्राथमिकताओं के केन्द्र बनाये जाने चाहिए। संविधान में संशोधन करके "काम के अधिकार" को "मौलिक अधिकार" माना जाय। सरकार या तो बेरोजगार को काम दे अथवा बेरोजगारी का दाम दे। इसी से बदलेगी आर्थिक नीतियां, आर्थिक नियोजन और विकास की आर्थिक प्राथमिकतायें। इनकी उन्नति होना प्रदेश की उन्नति के लिए होना अनिवार्य है। किसी भी शासन और प्रशासन के लिए इन सारी समस्याओं का समाधान निकालना आवश्यक है। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। कानून व्यवस्था के नाम पर ऐसे-ऐसे कानून बनाये जा रहे हैं जो लोकतन्त्र विरोधी हैं, जो नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने वाले हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुमत के आधार पर गिरोहबन्दी अधिनियम पारित कराया गया। कोई भी गिरोहबन्द का व्यक्ति हो, माफिया गैंग का व्यक्ति हो, कोई बदमाश हो, शासन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे। हम पैर से पैर बांधकर आपका समर्थन करने के लिये तैयार हैं। लेकिन आप कानून बना रहे हैं राजनीतिक दलों के लोगों को प्रताड़ित करने के लिये, मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिये, पत्रकारों को जेल भेजने के लिये। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्त्ताओं को जेल भेजने के लिये। अभी हाल में सुल्तानपुर में

एक पत्रकार भोलानाथ त्रिपाठी को इसके अन्तर्गत बन्द किया गया, गिरोह बन्द अधिनियम के अन्तर्गत। मेरठ के अन्दर मोहन लाल कपूर, जो भा0 ज0 पा0 के जिला अध्यक्ष हैं, दो बार विधायक रह चुके हैं एक इण्टर कालेज के प्रिंसिपल हैं, उनको रासुका के अन्दर 28 तारीख को बन्द कर दिया गया। उनके ऊपर 7 1/2 बजे उत्तेजक भाषण देने का आरोप था। लेकिन मान्यवर सच्चाई यह है कि प्रातः 7 बजे से शामको 8 1/2 बजे तक वह मेरे साथ थे। मेरठ में सुरेन्द्र रस्तोगी को बन्द किया गया, एक गोयल को बन्द किया गया। यह लोग राजनीतिक कार्य-कर्त्ता हैं। कानपुर में मजदूर संगठन के नेताओं को गिरोह बन्दी अध्यादेश के अन्तर्गत बन्द किया गया। गोण्डा में राम पाल और सुरेन्द्र प्रताप सिंह को इसमें बन्द किया गया। यह लोकतन्त्र विरोधी अध्यादेश आपने पारित कराया। मैं कहना चाहता हूं कि इंका की सरकारों की मौत के वारन्ट दो चीजें बनेंगी। उत्तर प्रदेश में गिरोह बन्द अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत महिला मुस्लिम संरक्षण विधेयक। राजीव गांधी ने घनघोर साम्प्रदायिकता के सामने घुटने टेक दिये। एक साम्प्रदायिकता दूसरी साम्प्रदायिकता को जन्म देती है। आज देश की आजादी, अखण्डता, एकता और लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। सत्ता पक्ष के हमारे मित्रों ने बन्धुआ मजदूर बनकर इस गिरोह बन्द विधेयक का समर्थन करके अपनी भी मौत के परवाने पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। लोकतंत्र की, भारत की आजादी की, इनको चिन्ता नहीं है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैंने सामान्य प्रशासन कार्मिक विभाग वगैरह जो 12 विभागों का बजट प्रस्तुत है, सदन में माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल को सुनने का प्रयास किया। श्रीमन् मैं समझता हूं 38 मिनट हमारे नेता सदन बोले। 38 मिनट में मैं समझता हूं कि प्रत्येक मिनट में, जो कार्यवाही अंकित है, घोषणायें ही नहीं बल्कि जो नये कार्यक्रम लागू कर दिये हैं, उसका पैंगास माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। इसी के साथ-साथ नेता विरोधी दल 2 घंटे 38 मिनट बोले। उन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसमें था कि विभागीय नीतियों की आलोचना करना और सुझाव देना। तो नेता विरोधी दल ने अड़तिसवें मिनट में तो सुझाव दिया लेकिन 2 घंटे 37 मिनट खोखली आलोचना करते रहे। नेता विरोधी दल ने 2 घंटे 37 मिनट के भाषण में कुछ नहीं कहा। श्रीमन् सामान्य परिस्थिति बनाए रखना शासन का कर्त्तव्य है और जो असामाजिक तत्व हैं, जो कानून को तोड़कर फायदा उठाते हैं उनका प्रयास होता है कि सामान्य परिस्थिति को असामान्य बनाया जाय ताकि वह नाजायज फायदा न उठा सकें। नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में ऐसी ही सामान्य परिस्थिति को असामान्य बनाने का काफी प्रयास किया और इसके बावजूद भी श्रीमन् कोई सफलता अपने भाषण में उनको नहीं मिली, और श्रीमन् दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे एक माननीय अवस्थी जी ने कहा कि उनको हमारे माननीय नेता विरोधी दल के भाषण से कोई सीख नहीं मिली। मैं उनसे, अपने दल के माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। बहुत से माननीय सदस्य बोलते हैं तो सीख प्राप्त होती है, सुझाव प्राप्त होते हैं। माननीय नेता विरोधी दल बोले तो भी सीख प्राप्त होती है। परन्तु अब तक उनसे सीख यह मिली कि 504, 506 की घटना के साथ झूठी फर्जी 452 को जोड़कर अपराध को संज्ञेय कैसे बना दिया जाय। कत्ल खुद करें और एफ0 आई0 आर0 किसी दूसरे के नाम लिखा दी जाय। श्रीमन् प्रदेश में किसी भी नागरिक की हत्या हो, तो दुख होता है और हरिजन

की हत्या का आरोप शासन पर लगे श्रीमन्, तो जिनके सहयोग से ये सामन्त-वादी लाठियों की ताकत से ये जीतकर आते हैं, यह खुद हरिजनों की हत्या के लिये जिम्मेदार हैं। यह शासन उसके लिये जिम्मेदार नहीं है। यह शासन एक बात के लिये जिम्मेदार है श्रीमन् कि इस कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसने हरिजनों के लिये आरक्षण का प्रबन्ध किया और जब उसकी अवधि समाप्त हुई तो उसको संविधान में संशोधन करके फिर बढ़ा दिया। यह श्रेय श्रीमन् इसी शासन को है। श्रीमन् हरिजनों की हत्याएं क्यों होती हैं। उनको जो दर्जा हमारी पार्टी के लोगों ने दिलाया, यदि उनको आजादी के पहले वाला दर्जा मिल जाय, जैसा कि ये चाहते हैं तो श्रीमन्, हरिजनों की हत्याएं बन्द हो जाएंगी। क्योंकि, हमने हरिजनों को आत्म दिया है, आत्म विश्वास दिया है, इसलिये जब वे इनके सामने खड़े होते हैं तो इनकी लाठियों और बन्दूक के सामने जरूर कुछ न कुछ अपना नुकसान करा लेते हैं। हम उनको भूमि आवंटित करते हैं। ये कब्जा लेते हैं तो इनके समर्थकों द्वारा हरिजनों की हत्या होती है। जब हरिजन बराबर बैठने की बात करते हैं तो उनकी हत्या होती है। ये हमें फर्ज सिखाते हैं? मैं कहना चाहूंगा इनके लिए एक शेर है कि "फर्ज की याद दिलाई गयी मुझको, लेकिन उनका वह तौर तरीकत, वह सताना न गया उनके अंदाजे सितम का जरा अंदाज करो, सैकड़ों खून किये, एक भी माना न गया।" मैं इनके भाषण के बारे में यह भी कहना चाहता हूं कि "यह कुकरताजी है जिसे आप सियासत कहते हैं, करते भी अय्यारियां हैं, बात बनाना न गया।" तो इनके साधारण भाषण में बहुत बनाई हुई बातें सुनने को मिली, लेकिन एक चीज नहीं मिली, मान्यवर, मैं आपका ध्यान उन घोषणाओं की ओर ले जाना चाहूंगा, जो अपने भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहीं। अहमदनगर प्रणाली लाने के बारे में शासन ने जो बात कही बजट खर्च की त्रमासिक अनुश्रवण की, उस पर माननीय नेता विरोधी दल या विपक्ष का कोई सदस्य बोला होता, जो डिवीजनल लेवल पर त्रैमासिक अनुश्रवण की बात कही गयी, उस पर कोई बोला होता, तो या उन्होंने कोई रचनात्मक सुझाव दिये होते तो मैं उनका समर्थन करता, इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण का समर्थन करता हूं।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी गृह विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांग प्रस्तुत कर रहे थे और उसके पश्चात् अपना भाषण भी कर रहे थे, मैंने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की और सुना भी और उधर भी जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत ध्यान से सुना। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इधर जो हमारे बांयी तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने मेजों को थपथपाकर इस बात को साबित कर दिया कि सचमुच में इस कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी और इनके मंत्रिमंडल में भी कितनी गुटबाजी है। इधर के लोग जब मेजें थपथपा रहे थे तो उधर के लोग मुस्करा रहे थे। इतनी ही नहीं उधर बैठे कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री वह लोग भी उस भाषण से इतने अप्रसन्न थे कि धीरे-धीरे एक-एक करके सदन को त्याग करके बाहर चले गये। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो नम्बर 2 पर अपना स्थान लगाये हुए हैं, क्योंकि बारी उनकी आने वाली है, वह भी उस समय बाहर चले गये थे। मान्यवर, उनके बाद से बराबर उधर से यह कहा जा रहा है कि शांति व्यवस्था की हालत प्रदेश में बड़ी ठीक है, अत्याचार नहीं हो रहे हैं सारे मामलों पर नियंत्रण है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम नरेश जी सामान्य प्रशासन पर बोलें।

श्री रामनरेश यादव--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और विकेन्द्रीकरण की चर्चा करते हुए आयुक्तों को अधिकार देने की बात करते हैं। आयुक्तों को यह अधिकार वे मंडलीय स्तर के कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिये और स्थानान्तरण करने के लिये दे रहे हैं। लेकिन, जब वे खुद ही अपने पास 66 विभाग रखे हुए हैं और यहां विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाने की बात कर रहे हैं यह मान्यवर, विरोधाभास है और यह इस बात को सिद्ध करता है कि सचमुच में विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाने नहीं जा रहे हैं।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कहा जाता है कि इतने प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, जिनका निस्तारण ठीक ढंग से तत्काल हो रहा है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी किसी भी पत्र पर, और जो विधायक के पत्र जाते हैं, अपने आदेश या हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। किसी भी विधायक के पास या नागरिकों के पास इस तरह की कोई सूचना नहीं जाती कि अन्ततोगत्वा उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई। इस तरह का कोई भी उदाहरण नहीं मिल सकता है जिसमें किसी नागरिक को किसी प्रकार की सूचना दी गयी हो। मान्यवर, जब यह स्थिति है तो शासन कैसे कार्य कर रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

मान्यवर, वह शासन कैसे ठीक होगा जब उनके आई0 ए0 एस0 अधिकारी और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों में आपस में ही संघर्ष होगा। पूरा सेक्रेटेरियट इनकी नीतियों से क्षुब्ध है। मान्यवर, यही नहीं नीतियों से क्षुब्ध होकर एक आई0 ए0 एस0 अफसर अपने कमरे में धरना देगा, वहां नारेबाजी होगी, मुख्य मंत्री को उसकी पहले से सूचना रहेगी। मुख्य सचिव को सूचना रहेगी, पहले से सूचना होने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि सचमुच में असंतोष की ज्वाला बड़ी तेजी के साथ फैलती जा रही है।

मान्यवर, जहां तक प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल है, हरिजन उत्पीड़न का सवाल है, तमाम साथी उधर से कह रहे थे कि शासन ने इस पर नियंत्रण पा लिया है। लेकिन, मान्यवर जबकि स्थिति कुछ और है। इस सम्बन्ध में कुछ मैं आंकड़े यहां प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, 1974 में हरिजन उत्पीड़न के जो मामले आये, वह कुल 8860 थे, 1979 में यह 5068 थे और 1985 में यह बढ़कर 12279 हो गये। यह है हरिजनों का उत्पीड़न।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री राम नरेश--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कि जितने सम्प्रदायिक दंगे इस शासन के काल में हुए हैं, इतने पहले कभी नहीं हुए थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गिरोह बन्दी अधिनियम लागू किया है इससे मान्यवर संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है, उसका हनन किया जा रहा है। तमाम निर्दोष लोग इस अधिनियम के तहत बन्द किये जा रहे हैं। वह इस बात को साबित कर रहा है कि सचमुच में आप लोग सत्ता को खत्म करने पर तुले हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त। आप बैठें। मैंने प्रवीण कुमार शर्मा को बुला लिया है।

श्री राम नरेश--

मान्यवर, जिस तरह से भीष्म पितामह नमक खाये थे कौरवों का, और

कुछ नहीं बोल सके, उसी तरह से मान्यवर, इधर के बैठे लोग भी राजीव जी का नमक खाकर कुछ भी न बोल सकने की स्थिति में हैं। जिस तरह से यह कार्य पद्धति अपना रहे हैं आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इनकी सत्ता समाप्त होगी इनके काले कारनामों की वजह से। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपकी अनुमति से, इस बजट की जो कुछ थोड़ी सी खूबियां हैं, उनको मैं इस आदरणीय सदन में और साफ करके रखना चाहता हूं। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें 50 नये थाने खोलने के लिए कहा है। 7 नगरों में फायर बिग्रेड खोलने की बात कही गई है। यह शिकायत रहती थी कि कैदियों को इधर से उधर पैदल लाने व ले जाने में काफी परेशानी होती है, इसलिए 37 गाड़ियां इसके लिए दी जा रही हैं, जिनसे इस समस्या का समाधान हो सके। कहीं-कहीं से यह शिकायत रहती थी कि पुलिस लाईन में पुलिस कर्मियों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है, इसलिए पुलिस लाईनों में पेयजल की व्यवस्था कि जा रही है। पहाड़ों पर यह शिकायत रहती थी कि जब कहीं गाड़ी बिगड़ जाती है तो वहां पर रिकवरी वैन नहीं थे, इसलिये कुमायूं मंडल के लिए एक रिकवरी वैन दिया गया है। यह शिकायत की जाती थी कि अदालतों में जो गवाह बुलाये जाते हैं, उनको खर्चा कम दिया जाता है, इसलिए अब वह खर्चा बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी थानों पर जीपें दी जा रही हैं और वायरलेस सेट दिये जा रहे हैं। महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल सके। रेलवे में अपराधों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इस पर काबू पाया जाय। इसके लिए नये पदों का सृजन किया जा रहा है। इसके लिए 2294 पद सृजित किये जा रहे हैं। यह भी शिकायत रहती थी कि गांव के चौकीदारों को वेतन कम मिलता है, उसमें भी वृद्धि कर दी गई है। यह भी कहा जाता था कि कैदियों का खुराकी भत्ता कम है, इसलिए उसे भी बढ़ाया जा रहा है।

मान्यवर, मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में जो सदस्यों का व्यवहार है और जो बोलने का तरीका है वह बहुत ही कायदे का होना चाहिए। मैं नाम लेकर नहीं कहूंगा। अक्सर यह सुनने में आता है कि हम देख लेंगे, हम नाम बता देंगे। हम इस्तीफा दे देंगे, हम ये कर देंगे और हम वह कर देंगे। इस प्रकार की बात करना अच्छा नहीं है। हमारे रवीन्द्र नाथ तिवारी जी हैं, श्री शतरुद्र प्रकाश जी हैं और श्री कल्याण सिंह जी हैं कितना अच्छा ये बोलते हैं। मुझे कोई शेर तो याद आता है नहीं, लेकिन मैं संस्कृत में एक श्लोक कहना चाहूंगा। मान्यवर एक बार जरा संध ने श्रीकृष्ण से कहा था कि मेरे पास 18 अक्षुणी सेना है। मैं यह कर दूंगा मैं वह कर दूंगा और मैं तबाह कर दूंगा। तब उस समय श्रीकृष्ण ने कहा था "नवैशुरा कथ्यन्ते, दर्शनतेव पौरुषम्" अर्थात् हे जरासंध, जो वास्तव में बीर होते हैं, वे वीरता का वर्णन नहीं करते हैं बल्कि उसका प्रदर्शन करते हैं। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

आज उस पक्ष के लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे राजनीति-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर लस्की का वह कथन

याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनतंत्रीय प्रणाली में एग्जीक्यूटिव तो करप्ट हो सकती है इसकी सम्भावना जुडिशियरी में भी करप्शन की गुंजायश हो सकती है, लेकिन जिस देश की विधायिका के स्तर में गिरावट आती है, वहां जनतन्त्र के भविष्य पर एक प्रश्न-चिन्ह लग जाता है। गिरोह बन्द अध्यादेश के नाम पर जिस तरह का कानून बहुमत के बूते पर पास कराया है सत्ता दल न, लगता है कि अंग्रेजों से भी ज्यादा पुलिस और नौकरशाही पर उनका विश्वास है। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इंडियन एवीडेंस ऐक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ है, वे पुलिस के भरोसे पर इस देश में शासन करते थे, लेकिन पुलिस पर इतना विश्वास नहीं किया था उन्होंने और उसी का परिणाम यह है कि एवीडेंस ऐक्ट में पुलिस अफसर के सामने जो अपराधी कनफेशन करता है, एवीडेंस में वह "इनएडमिसिबिल" माना जाता है, लेकिन जिस गिरोह बन्द अध्यादेश का बड़ा बखान किया, मुझे शर्म आयी जब माननीय कौशल सरीखे मित्रों ने भी, जो हमसे अलग से कुछ और कहते हैं, यहां उसकी प्रशस्ति में गुणगान करते हैं इस पर मुझे महाभारत का इतिहास याद आता है जैसा माननीय राम नरेश जी ने कहा। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आज नम्बर दो की सम्पत्ति सारी अर्थ व्यवस्था को चरमरा रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिये। लेकिन इसके लिए किसे अधिकार देंगे ? किसी जुडिशियरी का प्रोनाउन्समेंट हो और वह कहे कि फलां व्यापारी फलां नौकर-शाह ने गलत ढंग से सम्पत्ति अर्जित की है, जुडिशियरी के सामने, कोर्ट आफ लॉ के सामने अगर वह एकाउन्ट फार नहीं कर सकें, तो फोरफीट कर लेना चाहिये। उसकी सम्पत्ति को लेकिन क्या कलेक्टर को अधिकार देंगे, पुलिस अधिकारी को अधिकार देंगे कि गिरोह बन्द बता करके चालान कर दे किसी का ? आज हमारे नजरिये में गिरावट आयी है। बलात्कार हमेशा होते रहे हैं, लेकिन एक जमाना था एक सीता, एक द्रोपदी के सतीत्व की रक्षा के लिये महाभारत और रामायण की लड़ाइयां लड़ी गयीं, लेकिन आज हमारे देश में रोज एक सीता का हरण होता है लेकिन कोई बात नहीं होती है। यह इस बात का परिचायक है कि हमारे समाज में गिरावट आ रही है और वह निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिये हमको और आपको सभी पक्षों को दलों की दीवारें तोड़कर राष्ट्रीय समस्या के रूप में इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये और इसके निराकरण के लिये कुछ मिलजुल कर कदम उठाने चाहिये। मान्यवर, आज अभी हम अपने यहां की एक घटना बतायें कि बीकापुर तहसील में एक हैदरगंज थाना है वहां एक रोज रात में एक ठाकुर साहेब के दरवाजे को चीर कर उनकी लड़की को अपहरण कर लिया। हम लोग आल्हा-ऊदल की कहानियों में इस तरह की बात सुना करते थे लेकिन आज इस देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने वाली सरकार जिसके जमाने में लॉ एण्ड आर्डर की यह स्थिति है ? इसके बावजूद भी यदि हम कहें कि स्थिति बड़ी असन्तोषजनक है तो हम नहीं समझते हैं कि कौन सी स्थिति ऐसी होगी जिसको हम असन्तोषजनक कहेंगे और अब हम जागरुक होंगे ?

उधर के बैठने वाले भी मेरी बात से सहमत होंगे कि आज हिन्दुस्तान में कोई काउन्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पैसा दिये बिना कोई काम हो सकता हो। यदि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर हो असुरक्षा की भावना जो व्याप्त है, वह दूर हो, तो जो शक्तियां आज देश तथा समाज को बरबाद कर रही हैं उनको सही माने में स्वीकार करना होगा। सभी लोगों को मिल जुल कर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों को मिल-जुल कर इस स्थिति का निराकरण

करना होगा, इसके लिये कोई कारगर काम करना होगा ।

इस सम्बन्ध में मेरा एक ही सुझाव है कि आज पुलिस बल अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, इसका नये स्तर से पुनर्गठन करना होगा । मैं इसके लिये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचता हूं लेकिन नेशनल कांशस बना कर सारे लोग बैठ कर, एक नये सिरे से विचार करके इसको एक नया स्वरूप प्रदान करें तभी यहां ला एण्ड आडर की सच्युएशन सुधर सकती है और हम तमाम अवैध शक्तियों का मुकाबिला कर सकते हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री जय नारायण शर्मा--

श्रीमन्, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन पर बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन आज के राजनैतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण विषय है । चूंकि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां इस देश की शान्ति व्यवस्था को लीलना चाहती हैं इस दृष्टिकोण से भी यह विषय अत्यन्त गम्भीर है । मान्यवर, यह प्रदेश केवल प्रदेश ही नहीं है वरन् देश है ।

श्री अधिष्ठाता--

देखिये, जो नये सदस्य बोलते हैं उन्हें आप लोग शान्ति से सुनिये ।

श्री जय नारायण शर्मा--

उत्तर प्रदेश इतना विशाल है कि सारी दुनियां में मात्र 6 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या दहाई में है । उत्तर प्रदेश की भी जनसंख्या दहाई में है । इसकी भौगोलिक स्थिति गंगोत्री और जमुनोत्री से लेकर शक्तिनगर तक तथा किशूनगर से लेकर राजघाट तक है । इसकी जनसंख्या 12 करोड़ है और यहां पर 1,12,624 देहात हैं । इसके साथ ही साथ मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के सन्दर्भ में विचार थोड़ा गम्भीर होकर करना चाहिये । आप गौर से देखें कि कुछ शक्तियां, कुछ तरक्की याफ्ता देश, कुछ विकासशील देश, कुछ तरक्की पसन्द देश जो कि नये रूप से डेवलप हो रहे हैं तकनीकी, में, उनके क्राईम का ढंग यदि आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि संक्रामक रोग की तरह हमारे देश और प्रदेश में भी यह चला आया है और हमारे देश और प्रदेश को लीलना चाहता है ।

जिस तरह से सीमा की रक्षा के लिये सेना का महत्व है इसी तरह से देश और प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये, शान्ति व्यवस्था के लिये हमें पुलिस प्रशासन को वही महत्व देना है । मान्यवर, हमारे देश विकासोन्मुख होने के कारण, गरीब मुल्क होने के कारण, जो सुविधायें सेना के जवानों को हम दे पाते हैं, वह सुविधायें यहां के पुलिस के लोगों को नहीं दे पाते हैं । मान्यवर, पुलिस की मानसिकता क्या है, पुलिस प्रशासन जब अंग्रेजों के समय में लागू हुआ था, तो उनको मुट्ठी भर लोगों से इस देश पर शासन करना था । उसका यह विचारदर्शन, यह उसका आधार और उसकी मानसिकता को बदलना चाहिये । आज मान्यवर वह इस देश में हुकूमत करने के लिये नहीं हैं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिये हैं । मान्यवर, यह नव जागृति उसमें आनी चाहिये ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस को एक नयी दिशा मिलने वाली है, जिसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सन्दर्भ की चर्चा में यहां पर नहीं करूंगा । मान्यवर ऐसी ताकतें जो मरकन्टाइल हैं, जो फासिस्ट हैं, अलगाववादी हैं और विघटनकारी हैं, वह इस देश को तबाह कर देना चाहती हैं और हमारा पुलिस प्रशासन सक्षम नहीं है और जब तक उसमें गतिशीलता नहीं होगी तब तक हमारी तरक्की नहीं होगी हमारे सूबे की तरक्की नहीं होगी और हमारा प्रदेश और देश रसातल में चला जायेगा । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राविधान और जो सुविधायें और जो संसाधन दिये गये हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं । मान्यवर, एक जीप सी0 ओ0 को, एक जीप थानेदार को वायरलेस सेट और 50 मोटर साइकिलें दी गयी हैं, कि जो क्राइम हैं उनको रोका जाये, लेकिन मान्यवर शहर जो क्राइम हैं वह आधुनिक हो गये हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि इतनी सुविधायें देने के बावजूद भी पुलिस को और सुदृढ़ करें । मान्यवर, एक नया विश्वास जागृत करना होगा. . . .

(श्री फरीद महफूज किदवई का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें । मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री जय नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं, जिस तरह से विरोधी दल के सदस्य कभी शिक्षा के सन्दर्भ मे बोलते हैं, कृषि के सन्दर्भ में बोलते हैं, उद्योग के सन्दर्भ में बोलते हैं, इनके बारे में वह सिद्ध-हस्त हैं । इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री फरीद महफूज किदवई—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया मान्यवर, उधर के माननीय सदस्यों ने यह कहा कि प्रदेश में जुर्म कम हुये हैं, लेकिन यह सरासर गलत है और झूठ है । जुर्म की दर कम हुई है, इसका कारण यह है कि थाने में रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है और जब कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है, तो उसको मना कर दिया जाता है । इस प्रकार से जो कम्पलेन्ट रजिस्टर कराने थाने जाता है उसे भगा दिया जाता है इसीलिए दिखाई देती है तादाद कम है और वही आंकड़े यहां पर दिखाते हैं, और कहा जाता है कि जुर्म कम हुये हैं लेकिन हकीकत है कि जुर्म बढ़ रहे हैं जो हालात सूबे के हैं वह आपके सामने हैं । सन् 1947 में जो साम्प्रदायिक तनाव हुआ करता था, वही तनाव आज भी है और इस बात को आपको मानना पड़ेगा । इसकी वजह यह है कि सरकार ने यह समझा कि तनाव पैदा करने से ही शायद उसे फायदा हो जाय ।

मान्यवर, मैं आपको बाराबंकी की एक घटना बताना चाहता हूं आज से करीब 3 महीने पहले साढ़े तीन महीने पहले राम जानकी रथ पूरे यू0 पी0 में घूमता हुआ बाराबंकी पहुंचा और बाराबंकी पहुंचने पर जो वातावरण वहां पर राम जानकी रथ के घुमाने से पैदा हुआ वह यह था कि हिन्दू मुस्लिम में तनाव बढ़ाया गया । मैं वहां पर लगातार डी0 एम0 और एस0 पी0 से जाकर बताता रहा कि वहां पर जो भाषण हो रहा है उसको रुकवायें । वरना इसकी वजह से तनाव पैदा हो सकता है, अगर आप कहें तो मैं आपको टेप भी सुना सकता हूं जो वहां का भाषण था, रथ को लाने वालों का भाषण मैंने एस0 पी0 और डी0 एम0 को भी सुनाया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । यह भी मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हरिजनों के साथ बहुत अच्छा सुलूक हो रहा है । मैं इस सिलसिले में बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी है, वह कागजी कार्यवाही

है । ग्राम सभा के पट्टे जो हरिजनों के नाम पर किये जाते हैं यह वहीं जमीनें होती हैं जिसके ऊपर घास का एक तिनका भी नहीं उगता है और जो बेहतर जमीनें होती हैं वह गांव के मजबूत आदमी अपने पास रखते हैं। मैं लगातार वहां के अधिकारियों से यह उदाहरण देकर बताता रहा हूं कि अच्छी जमीनें गांव के मजबूत लोग अपने पास रखे हुए हैं लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । एक चीज और मैं आपके जरिये इस सदन में लाना चाहता हूं । इस बुकलेट में यह बताया गया है कि अल्पसंख्यकों की पुलिस में भर्ती के लिए कोई खास तरीका बनाया गया है । उसमें जो तरीका बताया गया है वह यह है कि उस कमेटी में एक अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी बैठेगा, मेरे खयाल में कोई यह सही तरीका नहीं है । मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर कोई आदमी खुले विभाग का हो, बेहतर आदमी हो, साफ-सुथरा आदमी हो तो वह साफ-तौर से इंसाफ करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा । लेकिन यह जो तरीका अपनाया गया है इससे जाति और धर्म की बात बढ़ेगी और मैं समझता हूं कि इससे मसला हल नहीं होगा । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक सरकारी मशीनरी को सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रहेगी तब तक यह जो ब्यूरोक्रेसी है वह हावी रहेगी । इसके साथ ही मैं एक बार फिर कटौती के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, धन्यवाद ।

*श्रीमती शशि शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका दिया...

*श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा हो रही है । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में चूंकि पर्वतीय विकास मंत्रालय आपका है....

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, आप सुन तो लीजिए । यह इतनी महत्वपूर्ण बहस यहां पर हो रही है । हमारे पर्वतीय क्षेत्र की परिस्थितियां यहां से भिन्न हैं, हमारे यहां का प्रशासनिक ढांचा यहां से भिन्न है लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने न सत्ता पक्ष के किसी माननीय सदस्य को और न ही इस तरफ के किसी पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठ । आप नियमों के अन्तर्गत ही व्यवस्था उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री भगवानदीन कुशवाहा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई नियम नहीं है, कुशवाहा जी आप बैठ जाइये ।

श्रीमती शशि शर्मा--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में एकता नहीं है । मान्यवर, मैं निश्चित रूप से बताना चाहती हूं कि हमारी पार्टी एक है हमारा दल एक है, हमारी नीतियां एक हैं, हमारा आदर्श एक है और वह हरिजनों और गरीबों को स्वच्छ प्रशासन देने के लिये कार्य कर रही है । चाहे मुख्य मंत्री यहां पर कोई भी हों, लेकिन हमारी नीतियां एक

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं, सबको लाभ पहुंचाने के लिये हैं, सामान्य व्यवस्था बनाये रखने के लिये कृत संकल्प हैं। इस प्रदेश में शांति-व्यवस्था बनी रहे, इसके लिये कारगर प्रयास इस सरकार द्वारा किये गये हैं। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं। साम्प्रदायिक दंगों में जिस सुरक्षा की भावना से प्रदेश की जनता के साथ शांति-व्यवस्था प्रदान की गई है, उसके लिये मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह बात आप भी मानेंगे कि लोक अदालतें जनता के लिये कितनी सफल हुई हैं। 157 सर्किल आफिसर्स बढ़े हैं। यह सब आम जनता की सुरक्षा के लिये और अमन-चैन के लिये व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक सुझाव की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। पुलिस के ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको अपनी ड्यूटी निभाने के लिये ट्रेनिंग दिये जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि उनको आधुनिकतम ट्रेनिंग दी जाय। इससे पुलिस में आत्म-विश्वास बढ़ेगा। आज आत्म-विश्वास पुलिस आफिसर्स से लोगों का समाप्त हो रहा है। जनता में वे विश्वास जगायें। स्थिति यह है कि पुलिस के लोग डकैती के मुकदमें को चोरी का मुकदमा लिखते हैं जिससे मिनिमाइजेशन आफ क्राइम हो रहा है। इसे समाप्त किया जाय। यदि जिस थाने में पांच डकैतियां पड़ती हैं तो उस थानेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, उसका तबादला कर दिया जाना चाहिए, बल्कि उनकी सर्विसेज बरखास्त करनी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ प्राइमा फैसाई केस बनता है तो उसको सख्त सजा देनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि एस0 पी0 एवं एस0 एस0 पी0 का एस0 ओ0 के ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया है, आज इन नीतियों की हमारे प्रशासन में आवश्यकता है। प्रशासनिक अफसरों में और सामान्य लोगों में आपस में एक तालमेल होना चाहिए। उससे नीचे के अफसरों में तालमेल होना चाहिए। इसलिये मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी उनको इस तरह के आदेश दें कि वे अनुशासन में रहें और आदेशों का पालन करें।

मान्यवर, जहां पर कार्यवाही में देरी होती है वहां पर जनता में असन्तोष होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई निर्णय लेने में देरी होती है, कार्यवाही में देरी होती है तो लोगों में असन्तोषक की भावना पैदा होती है। इसलिये तुरन्त निर्णय लिये जांय ताकि हम जनता की सुख और समृद्धि का काम कर सकें। साथ ही अन्य प्रदेशों के समान हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ सके। हमें अपने प्रदेश में बहुत से विकास के काम करने हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में जनता पार्टी के आतंक को कम करने के लिये बिहार सीमा पर पी0 ए0 सी0 की एक टुकड़ी लगा दी जाय और शासन में महिलाओं को पुलिस प्रशिक्षण में 50 प्रतिशत स्थान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री काजी कलीमुर्रहमान--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया.....

(व्यवधान)

(श्री सुखपाल पांडेय, श्री राज किशोर सिंह तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं। माननीय राज किशोर जी, आप तो सीनियर मेम्बर हैं, बैठ जायं....

(व्यवधान)

माननीय सुखपाल पांडेय जी, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं, कृपया बैठ जायं। मैंने कलीमुर्रहमान जी को बुलाया है।

श्री काजी कलीमुर्रहमान —

माननीय मुख्य मंत्री जी ने, नेता सदन ने अपने विचार रखे और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य विधायकों ने भी अपने अपने विचार रखे। सबको मैंने बड़ी गम्भीरता से सुना। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज चाहे हमारे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों सभी को पुलिस के अत्याचारों से परेशानी है। फर्क इतना है कि उधर के हमारे साथी पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटे भी जाते हैं तो सत्ता में होने के नाते अपने दर्द को नहीं कह पाते हैं लेकिन जो उद्गार उन्होंने व्यक्त किये हैं उससे स्पष्ट हो गया कि सत्ताधारी लोगों के साथ भी पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं है। यह जो कानून व्यवस्था का मसला है यह बहुत अहम है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि सरकार इस बीच को महसूस करे। आज पुलिस की वही स्थिति हो गयी है कि हम हुए, तुम हुए की काटे हुये एक ही जुल्फ के सब असीर हुये। आज पुलिस ने सबको परेशान कर रखा है। आम आदमी तो क्या माननीय विधायक और सांसद भी पुलिस से परेशान हैं जिसकी कोई मिसाल मिलना मुश्किल है। हमारे यहां जो सी0 आर0 पी0 सी0 और आइ0 पी0 सी0 में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि जो इनको सरकार गिरोह बन्द एवं समाजविरोधी कानून लाना पड़ा है। इस पर अभी राज्यपाल का अनुमोदन नहीं मिला है लेकिन लगभग दो सौ लोगों को इस गिरोहबन्द अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा चुका है। यह किन लोगों के इशारे पर हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों के इशारे पर हुआ है लेकिन इनको भी समझना (चाहिये) कि यही कानून इनके लिये मुसीबत बन सकता है। हमारे मंत्रीगण चाहे सुलतानपुर के हों या गोरखपुर के हों या कहीं और के हों वह अपनी दुश्मनी के तहत लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर नेता सदन और नेता विरोधीदल बैठे हुये हैं। इस प्रदेश के साम्प्रदायिक वातावरण को देखते हुये दोनों ने तथा अन्य दलों के नेताओं ने एक फैसला किया था कि किसी तरह का जलूस रथयात्रा आदि नहीं निकालने दिया जायेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नेता सदन जो मुख्य मंत्री हैं हमारे प्रदेश के इन्होंने अपने जिले में 7 मार्च को रथयात्रा निकालने की अनुमति दी। जो आपने फैसला लिया था उसका पालन नहीं किया। दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों/विधायकों को गिरफतार किया गया उन पर पाबंदी लगा दी गयी और अपने जिले में नेता सदन ने उस फैसले को तोड़ा तो इस तरह से प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

मान्यवर, अभी पिछले हफ्ते आजमगढ़ में तीन इनकाउन्टर पुलिस द्वारा हुए—अतरौलिया, आजमगढ़ में हुए जिसकी लिखित सूचना मैंने दी। बस्ती में बहोना देवी की हत्या का मामला आपके सामने आया, मैंने नियम 56 में भी उसे दिया था अब तक न सी0 आई0 डी0 जांच हुई और न दरोगा के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

मैं कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

—0 श्री 0 श्री।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह वर्ष उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौतियों का वर्ष है। हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों को देखते हुए इस देश और प्रदेश में जिस प्रकार से सम्प्रदायवाद और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है उसमें संकल्प लिया है कि शासन शान्ति व्यवस्था को कायम रखेगा। मैंने माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य कुछ माननीय नेताओं के भाषण सुने हैं। माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने कटौती प्रस्ताव में यह जिक्र किया कि प्रदेश में इतनी हत्यायें हुई, इतने बलात्कार हुए। लेकिन इसका जिक्र नहीं किया कि सन् 1980 में कितने बलात्कार, कितनी हत्यायें और कितने भ्रष्टाचार के मामले थे जब इनकी सरकार यहां थी हमारी सरकार को विरासत के रूप में बलात्कार, लूट, सामूहिक हत्यायें, भ्रष्टाचार का तोफा दिए थे उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया कि उनके शासन काल में कितने हरिजनों की हत्यायें की गयी और कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए और कितने भ्रष्टाचार थे। मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल को बताना चाहता हूं कि 1980 में इस प्रदेश में जब चौधरी चरण सिंह की सरकार थी तो मेरठ में उनके क्षेत्र में चुनाव में हरिजन वोट देने से किस तरह वंचित किए गए थे। इस सम्बन्ध में उन्हीं के पार्टी के एक हरिजन सांसद जो इलाहाबाद के हैं इसकी जांच करने के लिए गए थे तो यह चीज वास्तविक पायी गयी और उन्होंने इसको समाचार पत्रों में भी दिया था। मान्यवर, अभी चौधरी चरण सिंह की पुत्री सरोज वर्मा बोल रही थीं तो मेरठ में चौधरी चरण सिंह के जिले एवं अन्य स्थानों कु0 कमलेश व सतवीरी तथा एक हरिजन की पुत्री में कुमारी माया के साथ बलात्कार उन्हीं की जाति से सम्बन्धित लोकदल के जाट युवकों ने किया था। यह भी बताना चाहता हूं कि आपके शासनकाल के लोग कितने हरिजन विरोधी थे और आपके दल के श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, जो बैठे हैं, उन्होंने हरिजन विरोधी संकल्प प्रस्तुत किया है कि हरिजनों का आरक्षण एवं सुविधाओं के सम्बन्ध मेंउन्होंने प्रकट किया और हरिजनों में कांग्रेस के विरुद्ध भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और गजट की फोटो कापी दिखाया कि कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है। इसकी फोटो स्टेट कापी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है। आप बैठ जायें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि प्रदेश में चौकीदारों के वेतनमान जो अंग्रेजों के शासन के समय से जो 15 रुपया केवल है उसको बढ़ाकर 25 रुपये केवल प्रतिमाह किया गया है जबकि कुल को 150 रुपये से बढ़ाकर 325 रुपये किया गया है, कहारों का 100 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये किया गया है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि चौकीदारों का वेतन कम से कम 300 रुपये प्रतिमाह किया जाये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

नेता विरोधी दल आप बोलें।

(व्यवधान के मध्य कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिए समय की मांग करने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

अब किसी को मैं इजाजत नहीं देता हूं और माननीय नेता विरोधी दल को बुला लिया है।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का आपने समय नहीं दिया । इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री काशी सिंह ऐरी सदन त्याग कर चले गए।)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शान्ति बनाये रखें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने कल कटौती का प्रस्ताव पेश किया था उस पर माननीय सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने किसी न किसी प्रकार से हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद भी देता हूं ।

मान्यवर, माननीय डाक्टर कौशल का आभारी हूं और उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने जो सही चित्रण प्रदेश की स्थिति और आर्थिक स्थिति का चित्रण किया उसके सम्बन्ध में मैंने जो सुझाव दिए थे, उन्होंने उनका पूरी तरह से समर्थन किया । बाद में जब मुझसे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपके कई सुझावों से सहमत हूं ।

डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल--

आंशिक समर्थन किया है, पूर्ण समर्थन नहीं किया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मुझे विश्वास नहीं था कि डाक्टर कौशल जी इतना डरपोक हैं । डाक्टर कौशल ने जो कहा है वह रिकार्ड में है लेकिन यह कहने से आपको मुख्य मंत्री जी मंत्री नहीं बनायेंगे । मैं डाक्टर कौशल जी को बताना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में पद बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होती है । मुख्य मंत्री कोई बड़ा पद नहीं होता है, मंत्रिपद कोई बड़ी चीज नहीं होती है । जनता का प्यार सबसे बड़ा होता है और जिसको जनता का प्यार हासिल हो गया, उसकी दृष्टि में इन पदों से कोई अधिक महत्व नहीं होगा । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जब अपना भाषण आरम्भ किया था, तो सबसे पहले स्वच्छ प्रशासन की बात उन्होंने कही थी कि वह स्वच्छ प्रशासन लाने में अपना पुरजोर प्रयास कर रहे हैं । लेकिन स्वच्छ प्रशासन जब आप लाने की बात करते हैं, तो चार बातों को आपको अवश्य अपने ध्यान में रखना चाहिए, जो स्वच्छ प्रशासन के लिए आवश्यक हैं । सबसे पहले, जो आपकी मंत्रिपरिषद् के लोग हैं, वे कैसे लोग हैं, उनके क्रिया-कलाप क्या हैं ? और जब आपने मंत्रि-परिषद् का गठन किया था, तो क्या उस समय आपने उनके पुराने इतिहास को देखा था ? दूसरे, जहां तक ईमानदारी का सवाल है, ईमानदार हैं, अच्छे हैं, खुद न समझें, इससे काम नहीं चलेगा, जनता भी समझे कि मंत्रि परिषद् के लोग ईमानदार हैं । तभी ईमानदार माना जाएगा । तीसरी बात, जो आप नियुक्तियां करते हैं, स्थानान्तरण करते हैं, उनमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए और जब आप नियुक्तियां और ट्रांसफर करें तो आप लोग भी महसूस करें और माननीय सदन के सारे सदस्य महसूस करें कि पक्षपात नहीं हो रहा है । तब माना जाएगा कि आपका स्वच्छ प्रशासन है । चौथी और अन्तिम बात यह है कि आपके विभागाध्यक्ष हैं या सचिव हैं, इनको जनता के बीच में किस प्रकार की शोहरत है और जनता के प्रति अधिकारियों का व्यवहार इतना अच्छा हो ऐसा लगे हमारी सरकार है । इन आधार-भूत सवालों को लेकर आप देखेंगे तब आप अपने को स्वच्छ प्रशासन की कसौटी पर टेस्ट कर सकेंगे कि हमारा स्वच्छ प्रशासन है या नहीं ।

मैं अब एक-एक के बारे में बात कहना चाहता हूं । जहां तक मंत्रिपरिषद् का सवाल है, पिछले रिकार्ड्स के हिसाब से देखेंगे तो पता चल जाएगा--इनका

[4 बजकर 20 मिनट]

रिकार्ड मंगाकर देख लीजिए, आपके मंत्रि-परिषद् में ऐसे ऐसे लोग हैं, कि उनको मंत्रिपरिषद् में रखने के बजाए जेल में जाना चाहिए । मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता हूं । यदि आप नाम पूछेंगे तो मैं मय रिपोर्ट, मय पत्रावली मुख्य मंत्री के सामने प्रस्तुत कर दूंगा....

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

उनके नाम मुझे दीजियेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसी तरह से जो विभागाध्यक्ष हैं बहुत से विभागाध्यक्ष भी ईमानदार हैं । किन्तु कई ऐसे विभागाध्यक्ष हैं, जिनकी कार्य-कुशलता पर, जिनकी कार्य-क्षमता पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है । फिर भी वह बैठे हुए हैं, उनके चलते आप स्वच्छ प्रशासन कैसे दे देंगे। जहां तक नियुक्तियों और स्थानान्तरण का सवाल है, इस पर कल में विस्तार से बोल चुका हूं, लेकिन आज भी मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में एक निदेशक का पद है । यह पद, दिनांक 1 सितम्बर, 1984 से रिक्त है । लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से उस पर नियुक्ति होनी थी । 8 जून, 1985 को चयन की तिथि भी निश्चित हो गई, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया और माह अगस्त में नियुक्ति हेतु ऐसी नियमावली बनाई गई, ताकि उस व्यक्ति विशेष को उस पद पर बिठाया जा सके । यही नहीं, इसके कारण में आप जायेंगे और समझेंगे तो अब उस पद को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर निकालकर वित्त विभाग स्वयं ले रहा है । यह सुझाव मैंने आपके सामने दिये हैं आप इनके बारे में देखें। इसी तरह से आप देखें, आप स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं । दिल्ली से जो धन आता है या प्रदेश सरकार का जो धन है उसका सदुपयोग होना चाहिये ताकि प्रदेश की जनता समझे कि प्रदेश के विकास में वह लग रहा है । आपने कल कहा था, एलान किया था कि हम पैसे का सदुपयोग करायेंगे । अच्छा सीमेंट, अच्छा लोहा और सामान लगवायेंगे और किसी तरह से पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा । यह विधान भवन हिन्दुस्तान की सबसे खूबसूरत इमारत है । आज पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारी फर्जी भुगतानों के लिये और कमीशन के लिये रोजाना इसको तोड़ते-फोड़ते हैं और इस पर हथौड़ेबाजी की जाती है । अभी नया सेन्ट्रल हाल आपका बना है और आपकी नाक के नीचे है, आप वहां पर जरा जायें । जो दाहिनी लिफ्ट है उसके पास पत्थर उखड़े पड़े हैं । आपकी नाक के नीचे, सबके सामने यह हाल है कि सीमेंट खराब लगाया गया और पत्थर उखड़े पड़े हैं । जब यहां सीमेंट ठीक नहीं लगा तो उत्तर प्रदेश में और जगहों पर कहां ठीक लगा होगा । आप भाषण देने के बाद यहां जो दाहिनी लिफ्ट है उसके पास उखड़े पत्थरों को देखें पत्थर, गिरे पड़े हैं । यह हालत है और आप स्वच्छ प्रशासन की बात कर रहे हैं । मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर कार्यवाही करें तभी स्वच्छ प्रशासन होगा । इसी तरह से मैं पुलिस के रवैये के बारे में कहना चाहता हूं । कल जो मैंने भाषण दिया तो बहुत से सत्ता पक्ष के सदस्यों को गलतफहमी हो गयी, किसी तरह समझने में गलतफहमी हो गयी, मैंने सारी पुलिस को बेईमान कभी नहीं कहा है । मैंने केवल एक व्यक्ति को कहा है और उसकी क्षमता और योग्यता और काबलियत पर संदेह है और उसका प्रमाण भी मैंने दिया है । इसकी माननीय मुख्य मंत्री जी जांच करा लें और जांच कराने के बाद अगर साबित न हो तो पूरे सदन के सामने अपनी बात वापस लेने के लिये तैयार हूं । पुलिस के अन्दर अच्छे और कुशल अधिकारी भी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं लेकिन उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है । मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि 4 पुलिस कर्मचारी जो छोटे कर्मचारी थे, एक सुधर सिंह चौहान, सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबिल थे तो इन्होंने

4 मार्च को जब मुझ पर हमला हुआ था तो चारों पुलिस के कर्मचारियों ने बहादुरी के साथ वहां मुकाबला नहीं किया होता तो मैं सदन के सम्मुख जिंदा न खड़ा होता। ऐसे ईमानदार लोग हैं जिनको मौका कम मिलता है। आपकी पुलिस में अच्छे लोग हैं, उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह से मैं फैजाबाद के मामले को कहना चाहता हूं। एक जिम्मेदार सदस्य ने यहां पर यह मामला उठाया। माननीय गृह राज्य मंत्री ने कल प्रश्न के उत्तर में अवधेश प्रसाद जो जिम्मेदार सदस्य हैं, उन्होंने सवाल पूछा था, उसके उत्तर में माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने कहा कि 22 दिसम्बर, 1985 को एक सुरेश कुमार मिश्र को पुलिस ने पकड़ा और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गयी। उन्होंने यह भी कहा कि सुरेश कुमार के खिलाफ किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं है। मान्यवर, यह 18 साल का नौजवान लड़का था। मैं वहां पर मौके पर गया था। वहां कांस्टेबिल के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फैजाबाद के एस0 एस0 पी0 को वहां से तुरन्त हटाकर जहां महत्वहीन पद हो वहां उसे भेजें। इसके अलावा पूरे थाने के लोगों को मुअत्तल कीजिये और थानाध्यक्ष को 302 का मुल्जिम बनाकर जेल भेजिये। गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि 22 तारीख को पुलिस ने पकड़ा और संदिग्ध स्थिति में उसकी मृत्यु हो गयी जब कि सारा फैजाबाद जानता है कि उस लड़के को पुलिस ने जलाकर मार डाला है। वहां थाने के लोग मुल्जिम हैं और एस0 एस0 पी0 पूरे मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

(इस समय 4 बज कर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी निगाह तो छोटे लोगों पर है। मैंने सुना है कि आपने चौकीदारों को बर्खास्त किये जाने के आदेश दिए हैं और इनमें जो मर चुके हैं, उनके स्थानों को भरने की कार्यवाही आप कर नहीं रहे हैं, जबकि उनमें ज्यादातर हरिजन हैं, जिनके खिलाफ आपने आदेश दिए कार्यवाही के लिए, तो यह आपका स्वच्छ प्रशासन है, कैसे काम चलेगा, मेरी तो समझ में नहीं आता है। (यह बात हंस कर कही)। कुंवर पाल सिंह गांव उरिया, थाना ककवन, जिला कानपुर की हत्या 3 अक्तूबर, 1984 को हुयी जो गांव उरिया और थाना ककवन का मामला है, इसमें 302 में नामजद मुल्जिमों की रिपोर्ट लिखाई गयी। थानाध्यक्ष ककवन ने इस सम्बन्ध में 6 परचे काटे, एक 10 फरवरी को, दूसरा 19 फरवरी को, तीसरा 28 फरवरी को, चौथा एक मार्च को, इसी प्रकार से पांचवां एक अप्रैल, 1985 और छठा परचा काटा 12 अप्रैल, 1985 को। यह छः परचे कटे, तब दिनांक 17 अप्रैल, 1985 को सी0 जे0 एम0 ने अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की के वारंट जारी कर दिए, इतना होने के बाद मान्यवर, अब मुझे पता चला है कि वहां पर 30-40 हजार रुपया इस मामले में रिश्वत लेकर थानाध्यक्ष ककवन ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है, तो यह क्या हुआ? यह भी क्या आपके स्वच्छ प्रशासन का एक प्रतीक है करिए आप कार्यवाही। इसी प्रकार से उन्नाव खण्ड शारदा नहर में 20 लाख रु0 का गबन हुआ जिसके आप मंत्री भी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, इस उन्नाव खण्ड नहर के सहायक अभियंता ने 26 अक्तूबर, 1985 को इसकी लिखित सूचना मुख्य अभियंता को दी, विभाग द्वारा घपले को दबाने पर उस सहायक अभियंता ने एक मार्च, 1986 को कोतवाली उन्नाव में और थाना बांगरमऊ में अधिशासी अभियंता सहित 7 अधिकारियों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी। जब उसने ऐसा किया तो आपने उसका ट्रांसफर कर दिया तो यह भी एक स्वच्छ प्रशासन है कि जिस अधिकारी ने इतने लम्बे घपले को उजागर करने की कोशिश की, तो उसका आपने सजा के तौर पर ट्रांसफर कर दिया। सा ही दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि

कल माननीय मुख्य मंत्री जी अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास व्यवस्था की बात कर रहे थे, जब कि आज तक माननीय विधायकों के आवास की व्यवस्था आप नहीं कर पाये हैं, जब कि इसी प्रकार से 48 एम0 एल0 सी0 की जगह खाली हैं और इसके बाद भी तमाम आवास बन चुके हैं, फिर भी हमारे एक माननीय सदस्य श्री भोला सिंह जैसे न जाने कब से गोमती होटल में टिके हुए हैं और न मालूम ऐसे ही कितने सदस्य और होंगे जो कहीं अन्यत्र रह रहे होंगे, आज आप उनकी आवास व्यवस्था तो कर नहीं पा रहे हैं और आज माननीय उपाध्यक्ष जी तमाम पुराने मंत्रीगण और न मालूम कितने भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 आपके तमाम भवनों पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, तो ऐसे अवैध कब्जा करने वालों के प्रति आप गिरोहबंदी कानून के तहत क्या कार्यवाही करेंगे और करिए उनको गिरफ्तार गैंगस्टर अधिनियम के तहत और इसमें हम सभी लोग आपको देंगे सहयोग, करिए तो आप कोई कार्यवाही लेकिन मैं समझता हूं माध्यवर यह राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर इस्तेमाल होगा। पत्रकारों पर इस्तेमाल होगा, शिक्षकों पर इस्तेमाल होगा। मैंने कल ही कहा था कि भोला नाथ त्रिपाठी, जो स्वतंत्र भारत के पत्रकार हैं, उनको गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण विधेयक, 1986 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह जो आप गिरोहबन्द अधिनियम लाये हैं, जो भी आपके काली दास मार्ग पर, पार्क रोड, दारूलशफा में सरकारी मकानों पर कब्जा किये हुये हैं, उनको आप गिरोहबन्दी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे ? लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। मैं कहता हूं कि हिम्मत से काम कीजिए। इसी तरह से मैं आपको एक थाना मूसा नगर कानपुर देहात का उदाहरण देना चाहता हूं। थाना मूसा नगर कानपुर (देहात) के कुछ पुलिस कर्मियों ने 14 फरवरी, 1986 की रात 9 बजे इसी थाने के अन्तर्गत शेरपुर गुढ़ाग्राम में श्री सोहन लाल के यहां डकैती डाली। पुलिस डकैतों की गोली से एक भैंस की मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक थ्री नाट थ्री की गोली निकली। क्षेत्राधिकारी घाटमपुर ने जांच करके 16 फरवरी, 1986 को धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम कराया। मामले की जांच थानाध्यक्ष, मूसा नगर कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक, कानपुर (देहात) उक्त पुलिस कर्मियों को बचाना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक, कानपुर (देहात) के इशारे पर मुकदमें की धारा बदल कर 398 कर दी गयी है। गांव वाले लोगों पर बयान बदलने के लिए तरह-तरह के आतंक किये जा रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि खराब व्यवहार करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। क्या आप पुलिस अधीक्षक, कानपुर (देहात) को, जो पुलिस कर्मियों को संरक्षण दे रहा है, उसको गिरोहबन्दी अधिनियम में गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे ? पूरा का पूरा सदन आप का साथ देगा। इसी तरह से आजमगढ़ जिले में निजामाबाद थाने के अन्तर्गत फरीहा चौकी का इंचार्ज ए0 के0 श्रीवास्तव वहां के लोगों को लूट रहा है। इसके आचरण की शिकायत माननीय मोहम्मद मसूद खां ने एस0 पी0 से की, डी0 आई0 जी0 से की है। मेरे पास दरोगा के हाथ की लिखी हुई और उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक पर्ची है, जिसमें एक बोतल शराब लिखा है। हस्ताक्षरों की जांच करा लीजिए। यदि हस्ताक्षर मिल जांय, तो तुरन्त उसको दंडित कीजिए और गिरोहबन्दी कानून के तहत जेल भेजिये।

अब मैं पुलिस प्रशासन के बारे में बताना चाहता हूं। जुलाई, 1985 में 197 सब-इंसपेक्टर सिविल पुलिस से इंटेलीजेंस में भेजे गये। नियमानुसार पहले उनकी इच्छा जाननी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। कुछ ने इंटलीजेंस विभाग में ज्वाइन किया, कुछ सिफारिश करा कर वापस सिविल पुलिस में आ गये और कुछ ने आज तक

ज्वाइन नहीं किया। इस तरह से पुलिस में अनुशासनहीनता हो जायेगा, तो क्या आप पुलिस बल को अनुशासित रख सकेंगे? अब मैं फर्जी घोषणाओं के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी, मेरा कहना है, घोषणाएं कम करिये, काम अधिक करिये। आप हरिद्वार गये और हरिद्वार में एक इंजीनियर को ठेकेदार ने गोली मार कर हत्या कर दी और उसके लड़के को भी मार दिया। उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, वह बरदाश्त नहीं कर सकी, अपने पति और पुत्र के मृत्यु के शोक को। आप मौके पर गये। जब आप मौके पर गये, तो आपकी पार्टी का एक नेता मंच पर था। सारी जनता में असंतोष हो गया और बिना जनता की मांग के आपने एस0 डी0 एम0 के ट्रान्सफर की घोषणा कर दी। क्या जिसकी घोषणा आप करके आये थे उसका ट्रान्सफर हो गया। आप मुख्य मन्त्री हैं आपको जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री प्रधान मन्त्री के पद के बाद दूसरे नम्बर पर होता है इसलिए आप जो जवाब दें जिम्मेदारी के साथ दें। आप जब जवाब दें तो बता दें कि यह घोषणा आपने किस दिन की थी और आपने ट्रान्सफर का आर्डर कब किया। यह आप मुझको बता दीजियेगा। मान्यवर, आज हालत यह है कि आम जनता किस तरह के त्रासित है, आज विधायक असुरक्षित महसूस कर रहा है और आपके राज्य में जितनी विधायकों की पिटाई और अपमान हुआ है उतना किसी के राज्य में नहीं हुआ और अफसोस इस बात का है कि अभी तक किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है और मुख्य मन्त्री जी ने कल भी कहा था कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं और आज मुख्य मन्त्री जी जब जवाब दें तो बता दें कि किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध आपने कार्यवाही की है, आप जरूर घोषणा करें आप बुरा न माने मुख्य मन्त्री जी, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप घोषणा करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो इन अधिकारियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि आप एक को भी सजा देंगे, एक के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे तो उसके बाद पूरे प्रदेश के प्रशासन पर इसका प्रभाव पड़ेगा इस लिए मैं इस बात को रखना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 13 अगस्त के बाद से माननीय दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक कई बार आपसे मिल चुके हैं। उनका कोई परिवारिक झगड़ा रहा है और दुर्गा प्रसाद की हत्या किसी समय, किसी भी क्षण हो सकती है। जब नारायन दत्त तिवारी जी मुख्य मन्त्री थे, उनसे तथा आपसे मैं लगातार कह रहा हूं, एक दर्जन विधायक आपसे मिल चुके हैं आप इनको एक अंगरक्षक दे दीजिये, एक अंगरक्षक दे दीजिये क्योंकि जिस तरह से हथियार आदि ले जाने की मनाही हो गई है तो एक गार्ड दे दीजिए। एक अंगरक्षक देने में आपको क्या परेशानी हो रही है। आपने और भी लोगों को दिया है, उनको भी दे दीजिये। उनकी जान को खतरा है। आप नहीं माने इसलिए मैं चाहता हूं कि कार्यवाही में यह बात आ जानी चाहिए। परमात्मा ऐसा न करें, दुर्गा प्रसाद की किसी भी समय, किसी भी क्षण हत्या हो सकती है। आप क्यों शक की दृष्टि से सबको देख रहे हैं? अगर वह जेल से चुनाव जीत गये हैं तो आपका विचार क्यों ऐसा बन गया है कि वह भी अपराधी हैं। आप बतायें कि उनका क्या दोष है, क्या आरोप है उनके ऊपर उनका परिवारिक झगड़ा रहा है और आज भी है। मेरे बार-बार कहने पर आपने उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया, आप करिये। मान्यवर, आज जेल स्वर्ग बन गये हैं। मुख्य मन्त्री जी उत्तर प्रदेश की बहुत सी जेलें स्वर्ग बन गयी हैं। जेल में वह सुविधायें हैं जो बाहर नहीं हैं। गर्मी के दिनों में वहां पर कूलर लग रहे हैं। कई जेल के ठेके जेल में रहने वाले अपराधियों की इच्छा से, अनुमति से और स्वीकृति से ठेके हो रहे हैं। वहां पर ऐसे-ऐसे लोग हैं जो दिन भर शहर में रहते हैं

और रात को जेल में आ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जेल में रह कर कत्ल किये हैं। इस बात को कहकर मैं खतरा मोल ले रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को यह बात बता रहा हूं। अन्य भी कई माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं। जो जेल से निकल कर, जेल में रहते हुये, जेल से बाहर आते हैं और कत्ल करवाते हैं और रातों रात जेल में पहुंच जाते हैं। इसको आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायाधिकारियों को न्याय नहीं मिल रहा है। अखबारों में मैंने पढ़ा, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट (सिविल जज अतिरिक्त) जिला जज हैं, इनके सेलेक्शन ग्रेड में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। न्याय विभाग के लोग अगर आन्दोलन करने पर विचार करें तो यह अच्छी बात नहीं होगी। जो पक्षपात उनके साथ हो रहा है माननीय मुख्य मन्त्री जी उसको देखिये। अब मैं आकाश वाणी और दूरदर्शन के बारे में कहना चाहता हूं। समाचार पत्र, पत्रकार, आकाश वाणी दूरदर्शन इस लोकतन्त्र में जनमत बनाते हैं। यदि यह सही काम करें तो लोक तन्त्र मजबूत होगा। आज समाचारपत्र के पत्रकार आतंकित हैं। उन पर गिरोह बन्द कानून शुरू हो गया है। मैं उत्तर प्रदेश के आकाश वाणी और दूरदर्शन के बारे में कहना चाहता हूं, इनको पैसा और शराब पिला कर जो चाहो निकलवा लो। मुझे तो यहां तक सूचना है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिये जो खतरे हैं, उन लोगों से आकाशवाणी और दूरदर्शन के लोगों की सांठगांठ हो गई है। इनको पैसा और शराब चाहिए। उत्तर प्रदेश के आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत ध्यान से देखना होगा नहीं तो यह आपको बेच लेंगे। ऐसे लोग उनमें बैठे हैं, जिनको केवल शराब और पैसा चाहिए।

एक छोटी सी बात मैं विधान सभा रक्षक के बारे में कहना चाहता हूं, यह आपसे भी मिलते हैं और मुझसे भी मिलते हैं, इनको भी आप देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी चर्चा यहां न करें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय मुख्य मन्त्री जी आपने गिरोह बन्द अधिनियम बनाया और कहा कि जो आतंकित करने वाले ठेकेदार हैं उनको ठेका नहीं मिलेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप 31 मार्च को देखिये की पेमेंट किसने लिया। इस विधेयक के लागू होने से पहले किसने पेमेंट लिये और इसके बाद जब से यह अध्यादेश लागू हुआ किसने पेमेंट लिये, दोनों सूची मंगाकर देख लीजियेगा, पता चल जायेगा कि वही लोग पेमेंट ले रहे हैं। 20-21 मार्च को शराब का ठेका होने वाला है। उसकी सूची भी मंगा लीजियेगा। पिछले वर्ष किसने ठेका लिया था और इस वर्ष किसने लिया। जिन लोगों ने पिछले साल लिया था वही लोग इस साल भी ठेका लेंगे। किसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे। राजनीतिक लोगों, पत्रकारों और शिक्षकों के लिये आपने इसको बनाया है। जिन ठेकेदारों पर आपने रोक लगाई हो बतायें। 15 जनवरी को अध्यादेश जारी हुआ, उस दिन तक जिन्होंने पेमेंट लिया है, 31 मार्च को वही पेमेंट लिये हैं। 20, 21 मार्च को देख लीजियेगा कितना फर्क आया है। साम्प्रदायिकता के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। शका मत करिये। सम्भल में तनाव हुआ, वहां साम्प्रदायिक तनाव नहीं था, एक तिजारत का मामला था, कुछ गुन्डे उसको साम्प्रदायिकता का रंग दे रहे थे। हमारी पार्टी के सफीकुर्रहमान वर्क ने प्रयास करके दंगा बचा लिया मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वर्क साहब से दंगा नहीं हुआ। फिर वर्क साहब को जेल क्यों भेज दिया। एक्शन कमेटी किस बात के लिये थी ? संसदीय कार्य मन्त्री

ने एक्शन कमेटी की बात कही, तो बाबरी मस्जिद का मुकदमा चल रहा था। एक्शन कमेटी मुकदमे की पैरवी के लिये बनी थी, तो कह दिया गया कि एक्शन कमेटी दंगा फैलाने के लिये बनी थी। एक्शन कमेटी इसलिये बनी थी कि हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके लिये कमेटी बनी थी। उन लोगों ने तय किया था कि हाई कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो खर्च कौन करेगा। उसमें सुपुर्दगी करेंगे। लेकिन इसके लिये आपने वर्क साहब को जेल भेज दिया, सम्भल में। तो इसलिये आप शक मत कीजिये। पहली जनवरी को 450 किलो अफीम बाराबंकी में पकड़ी गयी। एक दरोगा ने पकड़ी और रिपोर्ट लिख दी अब उस दरोगा को हरेस किया जा रहा है और जो लोग कार्यवाही करना चाहते हैं, उनकी जान को खतरा हो गया है। बाराबंकी में आप पता लगा लें। अब मान्यवर, जो होमगार्ड के लोग हैं, उसके बारे में पहले भी आश्वासन दिया गया था। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन से अधिकारी चुनकर आते हैं। केन्द्रीय सरकार ने कहा कि साढ़े सात की जगह ज्यादा किया है। आप उस पर विचार कर लीजियेगा। इनकी मांग जायज है। उनको कुछ सुविधाएं दे दीजिये। एक बार माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने घोषणा की थी कि होमगार्ड का कोई आदमी अगर मारा जायेगा तो पुलिस के समान ही उसको सुविधाएं दी जाएंगी। आप भी इस पर विचार कर लीजिये। अब घाघरा नदी के बारे में कहना चाहता हूं। आपके पड़ोस के जिले आजमगढ़ का मामला है। हमारे सांगड़ी क्षेत्र के रामजन्म यादव विधायक हैं। मैं 17 जनवरी को गया था, हमारी मांग थी कि गांव का पैसा गांव के विकास में ही लगे। अच्छी मांग थी, लेकिन आपने गोली चलवा दी और लोगों को जेल में भिजवा दिया आप हर विधायक को पिटवाते रहते हैं। राणाजी को पिटवाया गया और 38 लोगों को जेल भेज दिया गया। जांच के समय गवाहों के बयान नहीं लिये गये और अदालत में चार्जशीट पहुंच गयी। तो मान्यवर, वह फर्जी मुकदमा है। माननीय विजय सिंह राणा पर जो मुकदमा है, उसको वापस लें। संसदीय कार्य मन्त्री जी आप दोस्ती भी रखते हो, लेकिन उन्हें जेल भेज रहे हो। इसी प्रकार माननीय बदन सिंह को मारा-पीटा। उसके बाद साबित हो गया कि गलती पुलिस की थी। मान्यवर, आरोप-पत्र लग गया है, आप आरोप-पत्र पर अनुमोदन हेतु 6 महीने से मा0 मुख्य मन्त्री के पास फाइल पड़ी हुई है। अभी तक जिन लोगों ने माननीय बदन सिंह जी को मारा-पीटा था, उन पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट लग गयी है, आरोप-पत्र बन गया, सरकार से अनुमति चाहिये, लेकिन आप अभी तक अनुमति नहीं दे पाए हैं और आप कहते हैं फाइलें बहुत चल रही हैं। आपकी फाइलें कैसे चल रही हैं, आप सुनें माननीय मुख्य मन्त्री जी फाइलें नहीं चल रही हैं। एक कक्षा 8 का विद्यार्थी था, वह इम्तहान देने गया। इम्तहान देकर जब घर वापस आया तो उस बच्चे के बाप ने कहा कि पर्चा कैसा रहा। लड़के ने जवाब दिया 10 सवाल आए थे, एक सवाल गलत हो गया, तो बाप ने पूछा कि बाकी 9 सवाल तो किये ही नहीं। आपकी फाइल पर दस्तखत नहीं हैं। फाइलें आती नहीं हैं। सिर्फ यह हो रहा है कि मुख्य मन्त्री जी यह चाहते हैं, यह कर दें, तो फाइलों की हालत तो उसी लड़के की तरह से है। एक गलत हो गया, नौ किये ही नहीं, यह आपकी फाइलों की स्थिति है।

आपकी सरकार के बारे में, आपके बारे में जन-सामान्य में क्या प्रतिक्रिया है, यह भी आप जान लें। मान्यवर, इसी परिपेक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूं एक बार पाकिस्तान के जनरल अयूब साहब ने एक फिल्म बनवायी और वह फिल्म थी राष्ट्रीय नेताओं के जीवन के

सम्बन्ध में । जब वह फिल्म चालू हुई तो वह अपनी प्रतिक्रिया जानने के लिये अयूब साहब भेष बदलकर फिल्म में चले गये । जब तमाम नेताओं की तस्वीरें उसमें आयीं, तो कुछ लोगों ने ताली पीटी, कुछ ने नहीं पीटी । जब कायदे आजम जिन्ना साहब की तस्वीर आयी, बहुतों ने ताली पीटी, बहुतों ने नहीं पीटी । जब जनरल अयूब साहब की तस्वीर आयी, तो वहां बैठे सारे लोग ताली पीटने लगे और हाल में तालियों की गड़गड़ाहट हो गयी । अयूब साहब चुपचाप बैठकर ताली नहीं बजायी बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने अयूब साहब से पूछा कि क्यों बे तुमने क्यों नहीं ताली पिटी । अगर अयूब साहब के आदमियों ने देख लिया तो तुझे मार दिया जायेगा इसलिए तू भी ताली पीटता । इसी तरह से मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके लोग भी ताली पीट रहे हैं और मेजें थपथपाते हैं ।

(मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, देख लें, कैसे ताली पीट रहे हैं ।

(हंसी)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि अपनी असली प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कीजिये । लेकिन, आपके ये बैठे हुए लोग असलियत आपको जानने नहीं दे रहे हैं मेजें पीट-पीट के ।

मान्यवर, कल जब मैंने अपना भाषण खत्म किया, तो तुरन्त माननीय सुखदा मिश्रा जी खड़ी हो गयीं और खड़े होकर बोलने लगी कि जनता पार्टी और लोकदल के राज्य में राज्य कर्मचारियों को खराब कर दिया अब हम लोग उनको क, ख, ग सिखा रहे हैं, उनको पढ़ाना पड़ रहा है ।

मान्यवर, 17 फरवरी, 1980 को लोक दल की सरकार खत्म हो गयी, 6 साल हो गये 6 साल में बच्चा चलता है, दौड़ता है और पढ़ने लायक भी हो जाता है । लेकिन, मैं माननीय सुखदा मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं वे बतलायें कि 6 साल में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह आये, उसके बाद श्रीपति मिश्र जी आये, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी आये, फिर नारायण दत्त जी आये और फिर माननीय वीर बहादुर सिंह जी आ गये—राज्य कर्मचारियों को यह हेड मास्टर क, ख, ग नहीं सिखा पाये, क्या ऐसे हेड मास्टर्स को रहने की इजाजत होनी चाहिये । ऐसे हेड मास्टर्स बरखास्त करने लायक हैं या नहीं, यह मैं माननीय सुखदा मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं ।

मैं कवि शिशुपाल सिंह शिशु की दो पंक्तियां यहां कहना चाहता हूं ।

"सर्वसाधारण के मंच से व्यक्तिगत
नाता मत जोड़ो,

पुराने हो, इस कारण हटो, नये
के लिये जगह छोड़ो ।

यह मैं आपसे कहना चाहता हूं । मान्यवर, मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि आपने विधायकों का बहुत अपमान किया है, लेकिन अब ज्यादा अपमान मत कीजिये । मान्यवर, हमने सुना है कि दिल्ली में रेजीडेन्ट के एक कमिश्नर की नियुक्ति कर रहे हैं । वह कमिश्नर चीफ सेक्रेट्री से सीनियर है । मुझे पता चला है ।

चीफ सेक्रेटरी उसके सामने सरन्डर कर रहा है । सारे अधिकार उसको दिये जा रहे हैं । पी0 डब्लू0 डी0 व आर0 आई0 एस0 का काम उसे दिया जा रहा है । आज तक विधायकों का

जो रिजर्वेशन यहां से ो जाता था, अब विधायकों को उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी अब आप विधायकों को ज्यादा अपमानित न कीजिए। इन सारी चीजों पर विचार किया इ त को आप तुरन्त वापस लें। यह पूरे सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान का सवाल है। ये आई० ए० एस० आफिसर बहुत तिकड़मबाज होते हैं, इनके तिकड़मबाजी से आप बचिये। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हुआ सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री उपाध्यक्ष—

पांच बजने में केवल आधा मिनट रह गया है, इसलिए पहले सप्लीमेन्टरी बजट पेश हो जाय तब उसके बाद मुख्य मंत्री जी बोलें।

वित्तीय वर्ष 1985-86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1985-86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

(अनुपूरक अनुदानों से संबंधित साहित्य की प्रतियां बांटी गई)

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या—21 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) अनुदान संख्या—27-गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या—29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) अनुदान संख्या—30 गोपन विभाग राजस्व विशिष्ट अधि-सूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय अनुदान संख्या—39 नियुक्ति विभाग अनुदान संख्या—42—न्याय विभाग, अनुदान संख्या—45—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या—82—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या—83—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या—86 सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या—87—सार्वजनिक उद्यम विभाग (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, अभी दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने और सभी दलों के नेताओं ने अपने जो विचार व्यक्त किए, वे ऐसे रहें, जो शासन का विचार है उसी से मिलते-जुलते रहे। एक बात जरूर है कि विरोध पक्ष से जब बोला जाता है। तो केवल विरोध करने के लिए बोला जाता है। विरोध पक्ष का यह अधिकार भी है और अपने उस अधिकार का वह पालन भी करते हैं। हम चाहे कोई अच्छा काम भी करेंगे। मान्यवर, मैं एक बात बता

हूं कि इस सरकार ने जितनी बातों की तरफ संकेत किया है, उस पर कहीं भी और किसी भी चीज में शंका नहीं करनी चाहिए। हमने अपने कार्यकाल में जो भी आदेश दिये हैं, जो भी घोषणायें की हैं और जो भी नीति संबंधी कार्य किए हैं। वे सब पूरा करने के लिये किये हैं। मैं यहां पर हाउस में खाली कहने के लिए खड़ा हुआ नहीं हूं। आप देखेंगे कि जो भी हमने बातें की हैं, वे सारे कार्य अवश्य पूरे होंगे। यह हमारी तरफ से निश्चय है और जो बात कही जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है कि उसमें किसी प्रकार की शंका हो, लेकिन विरोध पक्ष का कार्य है, जब कोई शासन कार्य करता है तो अपनी शंकायें व्यक्त करते हैं कि ये-ये शंकायें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके शंकायें व्यक्त करने से हम और भी सावधान हो जायेंगे कि कोई कमी न आने पाये और ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाय। जैसा मैंने कहा, जो कुछ भी कहा गया है, उस पर अमल भी किया गया है और पिछले 5 महीनों में आपने देखा होगा कि इस विधान सभा में जो बोला जाता है, खासतौर से विपक्ष से तो ऐसी बात कही जाती है जिससे मालूम होता है कि कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन जब गांवों में जाइएगा, तो जिसके लिये कार्य हो रहा है, वह जनता बतायेगी कि कार्य हो रहा है। यहां जो कार्य हम करते हैं जनता के लिये करते हैं, उनकी भलाई का काम करते हैं और वह काम हो रहा है।

जैसा कि कहा गया कि जो घोषणायें की गयीं, उस पर अमल नहीं किया गया, जब मैं कल बोल रहा था तो संक्षेप में उन बातों की तरफ इशारा किया था। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने विकेन्द्रीयकरण की पालिसी बनायी है, कार्य किया है, उस पर अमल कर रहे हैं। अभी तक तीन डिवीजनों में कुमायूं, मुरादाबाद और बरेली डिवीजन की मानीटरिंग मौके पर किया है। बरेली और मुरादाबाद की मानीटरिंग की गयी है तथा कुमायूं की मानीटरिंग पन्तनगर में की है। इसका बड़ा अच्छा असर पड़ा है। जो कार्य पहले 6 महीने में भी तेजी से नहीं चल रहे थे, उससे दूने काम 3 महीने में हो गये। 31 मार्च तक जब रिपोर्ट आयेगी तब आप देखेंगे कि कितना काम हुआ है मैं कहने में विश्वास नहीं करता हूं। काम करने में विश्वास करता हूं। यही कारण है कि काम हो रहा है। यह बात कार्य ही बतायगी कि क्या काम किये गये हैं।

भ्रष्टाचार के बारे में बड़ी चर्चायें की गयी हैं, भ्रष्टाचार की बात जब होती है तो कहा जाता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आप सब जानते हैं कि इसमें कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है कि जिसको जानकारी न हो कि स्थिति क्या है। आप देखते होंगे और आपने देखा भी होगा कि जो भी कदम उठाये गये हैं उनका असर अच्छा पड़ा है। जो भी गलत काम करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे, उनकी जांच-पड़ताल करके, मैं साफ कहना चाहता हूं कि किसी के शिकायत कर देने से अगर किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो जाय तो अच्छा नहीं है, किन्तु जांच पड़ताल करके अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई बात साबित हुई तो उसको बख्शा नहीं जायगा। हमने कर के दिखाया है और किया है। माननीय सदस्य जब कोई बात बतायेंगे, जैसे माननीय नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ विभागों के बारे में कहा कि गलतियां हैं, मैं उनकी जांच कराऊंगा। जांच के बाद जो भी गलत पाया जायेगा, किसी को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। आपका दिमाग साफ होना चाहिये कि हमें यह काम करना है, जब हमने तय कर लिया है कि करना है, तो किया जायगा।

यह बताया गया है कि स्वच्छ प्रशासन देने के लिये जो भी कदम उठाये गये हैं, उसमें काफी सफलता मिली है। और जैसा कि हमने कहा है कि हम

प्रशासन को ब्लाक स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हमारे कार्य जो होते हैं वह गांवों में होते हैं, ब्लाकों में होते हैं। तहसीलों में होते हैं, देहातों में होते हैं, अगर वहां हमने ठीक से कार्य नहीं किया तो सारा काम रह जायेगा और कार्य हम करना चाहते हैं वह नहीं हो पायेंगे।

नेता विरोधी दल ने कहा भवन बनाने की बात। मान्यवर, अगर कोई कर्मचारी ब्लाक में काम करेगा तो फिर वह कहां रहेगा ? उसके लिये हमें जिले में तहसील में और ब्लाकों में भवन बनवाने पड़ेंगे और उसके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैंने यह नहीं कहा बल्कि मैंने यह कहा था कि आप कहते हैं कि हम कर्मचारियों के लिये मकान बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन विधायकों के लिये मकान की तो व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं तो बेचारे कर्मचारियों के लिये क्या आप मकान की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सब लोग जानते हैं कि राजनैतिक लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करनी चाहिये और कहते हैं कि अध्यादेश लागू किया जायेगा विधायकों के खिलाफ। दोनों ही बातें कही जाती हैं।

(हंसी)

मान्यवर, आपने कहा कि स्थानान्तरण किये जा रहे हैं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि स्थानान्तरण करने के लिये हमने तय कर लिया है कि स्थानान्तरण करने का जो समय है उसमें ही स्थानान्तरण किये जायेंगे लेकिन जब कोई प्रमोशन होता है या कोई रिटायर्ड हो जाता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है या कोई नया प्रोजेक्ट खुला तो वहां किसी को भेजना पड़ा, तब ऐसा हो जाता है। लेकिन जिस अधिकारी या कर्मचारी के रहने से विभाग की कार्यक्षमता घटती है तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक स्थानान्तरण की पालिसी का प्रश्न है यह 30 जून के पहले ही हो जाया करेंगे।

नेता विरोधी दल यह भी कह रहे थे कि पक्षपात होता है। इसके लिये मैं साफ कहता हूं कि किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा और मेरिट के आधार पर ही सब काम होगा। जो लोग गलत काम करते हैं या करेंगे उनके प्रति कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, यहां बहुत भ्रष्टाचार और बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन न लेने की बात कही गयी। तो ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले हमने बड़े लोगों से ही शुरुआत की है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई।

अब हमने यह कहा है कि चाहे जो लोग हों, चाहे बड़े लोग हों या छोटे हों, जो गलत काम करते हैं और उसको नहीं वे छोड़ेंगे तो ऐसे गलत लोगों को विभाग में रखने से क्या फायदा है ? इसलिये हमने पालिसी बनायी है कि 50 वर्ष के जो अधिकारी हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। उसमें बड़े और छोटे सभी लोग आ जायेंगे। आपको समझना चाहिये कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार स्वच्छ प्रशासन चाहती है, यह सरकार चुस्त प्रशासन चाहती है, यह सरकार चाहती है कि सभी काम टाईम से हों और जो सदस्यगण शिकायत करते रहते हैं, वह न होने पायें। सब लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से पूरा करें और इसके लिये प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, और भी कार्य हो रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो एक चीज उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश कताई मिल में कर्मचारी लोग अपने

से चले गये और कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया। मान्यवर, वहां कुछ कर्मचारी ऐसे थे जिनके बारे में शिकायत थी, उनसे विभाग ने कहा कि या तो चले जायं या ठीक से काम करें। जो लोग नहीं गये तो उनके खिलाफ कार्यवाही में उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं। ऐसी रिपोर्ट नहीं है। जहां तक आप कहते हैं कि नाम बतायें तो नाम तो विभाग में रहते हैं, आप अधिकारियों से नाम पूछ लें, जो यह काम करते हैं, वहां आपको उनके नाम भी मिल जायेंगे। कभी भी जाकर नाम आप ले सकते हैं, तो इसमें छिपाने की बात नहीं है। दूसरी बात मान्यवर, यह कही गयी कि जो आर0 एल0 जी0 पी0, आई0 आर0 डी0 ई0 पी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं, उनकी मानीटरिंग नहीं की जाती है, उनकी समीक्षा नहीं की जाती है, वह ठीक से नहीं की जाती है। मान्यवर, इसके लिये वृहद् कार्यक्रम बनाया गया है और मंडलायुक्तों से कहा गया है कि वह कम से कम 100 लाभार्थी केसेज को देखें और यह देखें कि वह सही हैं या नहीं हैं। वह सरप्राइज चेकिंग करेंगे। इसी प्रकार से जिलाधिकारी को अपने जिले के 100 मामलों को देखना होगा, परगनाधिकारी को 180, खंड विकास अधिकारी, सहायक खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवकों को भी यह कार्य दिया गया है, उनके लिये भी संख्या निश्चित की गयी है। तो इसके लिये हम यह कर रहे हैं। ब्लाक में जितने लाभार्थी हैं उनको सुविधा पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसको जाकर देखें। वह देखें कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको इसी बात से मालूम हो जायेगा कि इस ओर सरकार कितनी सजग है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि एन0 आर0 ई0 पी0 और आई0 आर0 डी0 पी0 में वह जो पहले मुख्य मंत्री ने कहा था, वह नहीं हो रहा है, उस तरह से नहीं हो रहा है। मान्यवर, जो कहा गया था, वैसा ही हो रहा है, उसी समय के आदेश जारी हुये हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

कहां पर हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सभी जगह पर हो रहा है, जब आप जायेंगे तो वहां पर पता चल जायेगा। मान्यवर, कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिये बहुत से काम किये गये हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आज प्रशासन में काफी न्यायपालिका का महत्वपूर्ण स्थान है और यह देखा जा रहा है कि बहुत से झगड़े और विवाद बहुत दिनों से पड़े हुये हैं और उनका निबटारा नहीं हो पाता है। इसलिये इनमें शीघ्रता करने के लिये 94 सिविल जज के पदों को सृजित किया गया है, 50 अतिरिक्त जिला जज के पद और 1 जिला जज का पद कानपुर देहात के लिये सृजित किया गया है। स्पेशल न्यायालयों की स्थापना की गयी है। आज जो हरिजनों के बारे में शिकायतें आती हैं कि उनके मुकदमों को जल्दी से निबटाया नहीं जाता है। मैंने इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट को लिखा है कि विशेष अदालतों की स्थापना की जाये। मान्यवर, पुलिस प्रशासन के बारे में कहा गया, उसको और भी ठीक किया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि पूरा सब ठीक है, कोई भी नहीं कह सकता है। जहां पर इतना बड़ा स्टाफ हो, अधिकारी और कर्मचारी हों, तो वहां पर कुछ न कुछ गलतियां हो सकती हैं। मान्यवर, जहां पर गलतियां हैं, उनका सुधार किया जायेगा, और देखा जायेगा कि गलती क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। तो मान्यवर, उसको भी देखा जा रहा है और उसके लिये काम कर रहे हैं। मान्यवर हमारे जो अल्प संख्यक हैं, माइनारिटी के लोग हैं, उनमें इस तरह की भावना कैसे पैदा हो कि जितना भी प्रोटेक्शन के

लिये काम होना चाहिये, वह कितना हो रहा है, उसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं और पुलिस कर्मियों की भर्ती में यह प्रयास किया गया है कि माइनारिटी के लोगों की भर्ती हो, कहा गया है कि कम भर्ती हुई है, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कम भर्ती नहीं हुई है, 1983 में 4·3 प्रतिशत, 1984 में 5.4 प्रतिशत और 1985 में 7.1 प्रतिशत। तो जाहिर है कि इनकी भर्ती में वृद्धि होती जा रही है।

[5 बजकर, 20 मिनट]

यह है, मान्यवर, पी0 ए0 सी0 का और इसी प्रकार सिविल पुलिस का 1983 में 3.9, 1984 में 4.3 और 1985 में 5.5 है तो मान्यवर, हमारा यह प्रयास है कि इसको आगे बढ़ाया जाय। जहां पर साम्प्रदायिक तनाव की बात कही जाती है मान्यवर, यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इसे हमको देखना है कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। मैं कुछ वाक्यांश इसके बारे में करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसी प्रकार महिलाओं के साथ जो दुर्व्यहार की बात आती थी उसके बारे में काफी प्रयास किये जा रहे हैं खास तौर से दहेज सम्बन्धी मामले में, बहुत सी इस तरह की दिक्कतें होती हैं, बहुत जगह बहुत से केस हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं इस पर भी प्रयास किये जा रहे हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए महिला पुलिस कोष्ठक बनाया गया है। जिलों के कोतवाली थानों में ताकि उनकी शिकायतों को ठीक से देखा जा सके, महिलाओं की भरती करके इसमें रखा जा रहा है ताकि उनके सामने कोई दिक्कत न हो पाये।

मान्यवर, यह प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस का माडरेशन ठीक से किया जाय। जैसा मैंने कहा कि आज जैसा क्राइम का नेचर है इससे निपटने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम पुलिस को माईनाइज करें, अगर माई-नाइज नहीं करते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना नहीं कर सकते हैं इसलिए इसके प्रयास किये जा रहे हैं। जिलों को होटलाइन से जोड़ा जा रहा है। आपको भी मालूम होना चाहिए कि प्रतिदिन प्रयास किया जाता है, 57 जिलों की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। जो हमारे पास यहां आती है। रोज की रोज किस जिले में कौन सी घटना घटी उस पर क्या कार्यवाही की गयी, अगर कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्या करना है यह रोजाना की रोजाना रिपोर्ट हमारे यहां आती है और इनको हम देखते हैं। यह पूरे 57 जिलों से आती है। यह नयी बात शुरू की गयी है कभी ऐसा नहीं था कि रोज की रोज रिपोर्ट आ जाय और कार्यवाही हो जाय। इसी प्रकार मान्यवर, हमने कहा कि जो हमारे कम्यूनिकेशन है संचार की व्यवस्था है इसको ठीक कर रहे हैं।

मान्यवर, अब मैं माननीय नेता विरोधी दल और माननीय सदस्यों द्वारा जो बिन्दु उठाये गये हैं उसमें कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि एटा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हरदोई, बुलन्दशहर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर देहात और मैनपुरी अराजकता के लिए विख्यात हो गया है। मान्यवर, मुझे यह सुनकर दुख हुआ जबकि इन जिलों में आज स्थिति अच्छी है तब यह बात कही जा रही है। लोग वहां से आकर कहते हैं कि इन जिलों में अमन चैन है। शान्ति व्यवस्था अच्छी है लेकिन माननीय नेता विरोधी दल को मालूम हो रहा है कि अराजकता है। अभी बहुत से हमारे सदस्यों ने बताया कि हमारे यहां बहुत अच्छा है, अमन चैन है अब पता नहीं कैसे यह बता रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह कहा गया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से विफल हो गयी है तो मान्यवर, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मान्यवर, नेता विरोधी दल जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के नेता चौधरी साहब जब यहां मुख्य मंत्री थे तो उस समय मैं भी मंत्री था उसी मंत्रिमंडल में, तो मान्यवर, उन्होंने पुलिस के बारे में क्या कहा था वह मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं । "पुलिस की जो नुक्ताचीनी की गई है कि पुलिस वाले गलती करते हैं यह गलती करते हैं वह गलती करते हैं । गलती तो सब करते हैं, हमने यह कभी नहीं कहा और न मेरे सहयोगियों में से ही किसी ने कहा है कि पुलिस कोई गलती नहीं करती । हमारा ऐसा दावा न पुलिस वालों के लिए और न किसी अन्य विभाग के लिए न आज है और न कल होगा कि उनकी तरफ से कोई गलती कभी नहीं होती । 85 हजार आदमी पुलिस में काम करते हैं वे सब हमारे समाज के ही अंग हैं, अगर हमारे समाज में कोई किसी से गलतियां न हो और हमारा समाज देवताओं का हो जाय । तो पुलिस के लिये भी कहा जा सकता है कि उनसे कोई गलती नहीं होती या नहीं हो सकती । गलती होती है इससे कोई इन्कार नहीं, लेकिन शिकायत इस बात से है कि किसी सब-इंसपेक्टर की या एस0 पी0 की कोई गलती या दस-बीस गलतियां इतने बड़े फोर्स में से किसी की नोटिस में आई तो सारे सूबे की 85 हजार पुलिस के बारे में एक जनरेलाइजेशन कर देना और एक नतीजा निकाल देना कि ऊपर से नीचे तक सब बेइमान हैं, पुलिस वाले ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, मैं इसको हरगिज-हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं, ऐसा बिलकुल नहीं है । मैंने कभी यह नहीं कहा कि सब ईमानदार हैं । मैंने हमेशा कहा है कि पुलिस की जो शिकायतें हों वह मेरे नोटिस में लाई जाय तो उन पर ऐक्शन होगा और कार्यवाही की जायेगी । हो सकता है कि उसमें मेरी या मेरे किसी सहयोगी की कोताही हो जाय । लेकिन हमारा कभी भी कोई इरादा पुलिस को शील्ड करने का नहीं है । शायद यह शिकायत हो कि कार्यवाही करने में आम तौर से सजा नहीं दी जा सकती है । उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत होती है, सफाई का मौका दिया जाता है । जहां तक तहकीकात का सवाल है, न मैं तहकीकात करता हूं न माननीय सैटन साहब और न ही हमारे सचिव करते हैं । हम सीधे सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस को ही लिखते हैं । सीधा तरीका यह है कि मैं या उप-मंत्री सचिव को लिखते हैं, सचिव आई जी0 को लिखता है और आई0 जी0 सुपरिन्टेन्डेन्ट को तहकीकात के लिये लिखता है । इसलिये देर लग जाती है । तहकीकात के बाद जब रिपोर्ट आती है तो आमतौर पर उसके बारे में आई0 जी0 की रिकमन्डेशन होती है । तब हमारा फर्ज होता है कि अगर रिपोर्ट में कोई कमी रह जाती है या किसी पहलू की उपेक्षा की गई हो तो उसे हम देखें । तो इस सब में देर लग जाती है । लेकिन बेलगाम किसी फोर्स को एज ए रूल कन्डेम कर देने से तो दुनिया में कोई काम नहीं चल सकता है । गलतियां हम भी करते हैं । मेरे दोस्त मुझे माफ करेंगे, हम लोग पब्लिक में काम करते हैं । हम भी उन स्टैंडर्ड्स में पूरे नहीं उतरते हैं, जिन्हें हम लेकर चलते हैं । तो क्या इससे कहा जाय कि सब पब्लिक मैन खराब हैं, मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है । पुलिस वालों के सामने भी बड़ी कठिनाइयां हैं । उनको क्रिमिनल्स से, गुण्डों से वास्ता पड़ता है । इसलिये वे काबिले रहम हैं । काबिले मजम्मत नहीं हैं । सन् 1961 में भी मेरा पुलिस विभाग से सम्बन्ध रहा था और अब भी है । मैं कहता हूं कि हमारे पुलिस विभाग में आज भी ऐसे लोग हैं कि जो निहायत ईमानदार और जिनमें पट्रियोटिज्म किसी से भी कम नहीं है ।

आप जरा उनकी लिमिटेशन्स को तो देखिये ।

यह बातें चौधरी साहब ने पुलिस के बारे में कही थीं । मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं । जो चौधरी साहब ने कहा था तो माननीय सदस्य या माननीय नेता जब उधर बैठते हैं तो दूसरी आवाज निकालते हैं और जब इधर बैठते हैं तो आवाज बदल जाती है । तो यह आवाज नहीं बदलनी चाहिए । आवाज सही रहनी चाहिए । कोई गलत बात हो, तो उस गलत बात को कहिये । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके नेता चौधरी साहब ने यह बात कही थी तो क्यों उनके विरोध में यह बात आप कह रहे हैं, क्यों उनको सपोर्ट नहीं करते हैं । मान्यवर, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि हममें जहां कमियां हैं उनको ढूंढना है, उनको ठीक करना है । प्रशासन चलाने के लिये पुलिस को रखना पड़ेगा और पुलिस जितना काम करती है, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो साम्प्रदायिक तनाव था उसमें पुलिस ने जितना काम किया चाहे कोई आदमी आज कुछ भी कहे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतनी ईमानदारी और मेहनत से पुलिस ने काम किया है, जो बड़ा सराहनीय काम है । जो अच्छा काम उसने किया है उसको हम सराहेंगे नहीं और हरदम उसको कंडेम करेंगे तो यह बात अच्छी नहीं है । दूसरी बात यह कही जाती है कि. . .

मान्यवर, दूसरी बात यह कही जाती है कि राजनैतिक लोगों के लिये गिरफ्तारी अध्यादेश लाया गया है । यह बिलकुल नहीं है राजनीतिक लोगों के लिये, यह तो ऐसे लोगों के लिये लाया गया है जो समाज को बिगाड़ते हैं जिसकी आप शिकायतें करते हैं कि अमन चैन नहीं है ठेके जबरदस्ती लिये जा रहे हैं । अभी नेता विरोधीदल ने कहा शराब के ठेके होने जा रहे हैं बताइये कौन लोग ले रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि कड़ाई की जा रही है लेकिन आज भी कुछ लोग हैं तो अपने रास्ते से बाज नहीं आ रहे हैं इसलिये देखना पड़ेगा कि कैसे उन पर काबू पाया जाय । तो यह उन लोगों के लिये किया गया है ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी राजनीतिक लोगों के खिलाफ लाया गया है ।

चौधरी साहब ने जब वह गृह मंत्री थे 5 अप्रैल, 1961 में इसी सदन में उन्होंने कहा था कि जरायम पेशा लोगों को आज आश्रय मिलता है पोलिटीशियंस के जरिये से, बहुत से जिलों में मैं मानता हूं बहुत सी जगह जानबूझ कर और बहुत सी जगह अनजाने में मिलती है । स्वयं मैं अपने जिले के एक सज्जन को बहुत भला आदमी है करके जानता रहा हूं, बाद में मुझ को यह मालूम होता है कि वह बहुत गलत आदमी है । ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं लेकिन अधिकतर केसेज वह हैं जहां जानबूझ कर प्रश्रय दिया जाता है अब मैं नहीं समझता हूं कि हमारे देश में जनतंत्र कैसे चलेगा । पुलिस जब यह जानती है कि फलां क्रिमिनल को पोलिटिकल सहारा है या क्रिमिनल के अवंटर को सहारा है तो उसकी हिच-किचाहट होती है कार्यवाही करने में और हिचकिचाहट ही नहीं होती है कभी-कभी उसे खामोसी धारण करनी पड़ती है ।

तो जब यह बात कही जाती है किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिये है जो लोग राजनीतिक का रूप धारण करके अपराध करते हैं तो उनके लिये क्या किया जाय तो यह देखना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्तियों के लिये जो ऐसे कामों को करते हैं आज से नहीं पहले से जैसा कि आपके ही नेता चौधरी साहब ने कहा है, जो उन्होंने कहा वह ठीक कहा है, गलत नहीं कहा है । यह जरूरी है कि इस काम को हमें करना है अगर नहीं करते हैं तो समाज को सही माने में सहायता नहीं पहुंचा सकते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि कल माननीय नेता विरोधी दल ने तमाम चीजें बताई, बहुत लम्बी सूची बताई कि क्या-क्या हुआ । वे क्राइम

की रिपोर्ट दे रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि 1978 में जो अपराध हुए उनकी संख्या 2 लाख 13 हजार 771 थी और आज 1985 में 1 लाख 73 हजार 492 हैं। तो दो लाख से एक लाख 73 हजार हुये हैं। आप कहते हैं अपराध बढ़ रहे हैं। इतने दिनों में आबादी कितनी बढ़ी उसके बावजूद आप कहते हैं बढ़े हैं मैं इसे नहीं मानता हूं कि अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि 1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक अपराध बढ़े हैं। तो मैं नेता विरोधी दल के सामने एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। डकैतियां 1984 में 770 हुई थी और 1985 में 530 हुई, लूट 1984 में 1506 और 1985 में 1494, हत्यायें 1984 में 1545 और 1985 में 1421, दंगा 1984 में 2985 और 1985 में 2046, गृहभेदन 1984 में 4787 और 1985 में 4616 रोड हल्ड-अप में 1984 में 50 आंकड़ा था और आज वह 36 हो गया है। तो रिपोर्ट देखें तो कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसा नेता विरोधी दल ने जो आंकड़े पेश किया है वह ठीक नहीं हैं, इसलिये कम हुआ है। इसलिये असर पड़ रहा है। मैं नहीं कहता कि सब ठीक हो गया है लेकिन असर पड़ा है और कम हुआ है।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कहा कि पुलिस महानिदेशक के पद पर निहायत नकारा किस्म का आदमी थोप दिया गया है जो अनुभवहीन है। तो यह जो डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस के बारे में कहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी अधिकारी के बारे में यहां पर कोई व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए। आपको माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पास लिखकर भेज देना चाहिए कि यह बात हम सदन में उठाना चाहते हैं। जो यहां मौजूद नहीं हैं उससे कैसे आशा कर सकते हैं कि जो चार्ज उसके खिलाफ लगायेंगे वह उनका कैसे जवाब दे देगा, जवाब हमारे माध्यम से आता है इसलिये कोई बात की जाये बड़े अधिकारियों के खिलाफ और ऐसे शब्द स्तेमाल किये जायं कि नकारा किस्म का आदमी है तो यह ठीक नहीं है, आरोप हो तो कह सकते हैं कि जिस पर कार्यवाही हो सकती है, इसलिये ऐसे शब्द स्तेमाल नहीं करना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जो काम नहीं करेगा वह नकारा है और नकारा नहीं है तो आप कहें कि काबिल है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, पुलिस महानिदेशक, श्री अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र, लखनऊ में रहे हैं, हरदोई में रहे हैं, आजमगढ़ में रह चुके हैं। दिल्ली जैसे संवेदनशील स्थान में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य कर चुके हैं। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न पुलिस संगठनों एवं शाखाओं में इन्हें कार्य करने का पूरा अवसर मिला जहां पर इनके कार्य की सदैव सराहना की गयी। वर्ष 1973 में इन्हें पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया एवं सन् 1985 में उन्हें राष्ट्रपति का पुलिस पदक भी मिला है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं, यह सोचने की बात है।

मान्यवर, उनके बेटे के घर में चोरी के सम्बन्ध में भी कहा गया कि 31-12-85 को चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी, तो ऐसा नहीं है बल्कि इसकी रिपोर्ट 1-1-86 को थाना हजरतगंज में की गयी और अपराध संख्या 3/86 धारा 457/380 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ। इसमें जांच पड़ताल पर कुछ नहीं पाया गया है।

मान्यवर, पुलिस महानिदेशक के बयानों के सम्बन्ध में कहा गया, तो मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस महानिदेशक ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं का

अपराधी बताया गया हो । लेकिन अभी मैंने पहले जैसा कहा था कि जो चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि इस तरह से भी लोग कहकर फायदा उठा लेते हैं ।

मान्यवर, यह कहा गया कि आई0 पी0 एस0 में प्रान्तीय कोटा पूरा कर दिया जाये । तो मान्यवर, आई0 पी0 एस0 में जो रूल्स बने हैं, भारत सरकार रूल्स बनाती है और उसके अनुसार काम होता है ।

मान्यवर, साम्प्रदायिक दंगों पर नियंत्रण कर पाने में पुलिस अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाये । यह पहले ही किया गया है कि जहां साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, वहां पर जो भी अधिकारी हैं, चाहे एस0 पी0 हो, एस0 एस0 पी0 हो, जिलाधिकारी हो सबकी जिम्मेदारी ठहराई गई है । इस लिए जो आपने कहा है, पहले ही कहा जा चुका है । आपने कहा है कि राज्य के सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपनी चल-अचल सम्पति को पोषित करने के लिए नियम बनाया जाय । यह अखिल भारतीय सेवाओं में पहले से है और राज्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी आदेश है कि जब वह शुरू में सर्विस ज्वायन करेगा तो उस समय अपनी आय और चल-अचल सम्पति का विवरण देगा और हर पांच साल में उसे ऐसा देना पड़ेगा । इसके अलावा यदि कोई सम्पति एक हजार से ज्यादा है तो उसके लिए वह परमीशन लेता है । विजीलेंस, सी0 आई0 डी0 और इंटलीजेंस को जो सामान्य पुलिस से अलग करने की बात कही गई है, जो लोग फील्ड में नहीं रह पाते हैं, वह वहां पर रहकर जितना अच्छा काम करना चाहिए नहीं कर सकते हैं । इस पर बहुत सा विचार होता रहा है, अब यह देखा गया है कि यही तरीका ठीक है और कोई दूसरा तरीका अपनाया गया तो उससे कोई ज्यादा फायदा हो सकेगा, ऐसी आशा नहीं है । इसलिए जो चल रहा है, ठीक है, इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है ।

बन्दूकों के लाइसेंस के बारे में यह, कहा गया कि यह रोक दिया गया बन्द कर दिया गया है । यह आपको मालूम भी है कि बहुत से लाइसेंस हमारे प्रदेश में इश्यू किए गये हैं । जो रिपोर्ट है हमारे पास प्रदेश की, कुछ जिलों को छोड़कर जहां से सूचना नहीं मिल पायी है, वह इस समय यह है कि 6,61,425 लाइसेंस इश्यू हो गये हैं, जबकि कई जिलों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1412 कारबाइन हैं । तीन साल में, 77, 78 व 79 में यह करीब 963 हो गई 81 में यह लाइसेन्स देना बन्द कर दिया गया है, क्योंकि इससे यह होता था, आज जो कहा जाता है, यह शिकायत आती है कि लोग लाइसेंसी बन्दूक लेकर, ठेका लेने के समय जाकर लोगों को धमकाते हैं, गरीब लोगों और हरिजनों को धमकाते हैं । किसी को लाइसेंस उसके प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, लेकिन वह लाइसेंस दूसरों के लिए खतरनाक हो जाए, उससे ज्यादा बुरी कोई बात नहीं होगी । इसलिए यह किया गया है, देखा जाए कि कैसे हम अपराध कम कर सकते हैं । इससे लोगों को राहत मिली है, और पब्लिक काफी खुश है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल के साम्प्रदायिक घटनाओं के बारे में, साम्प्रदायिक चीजों के बारे में कई दिनों से बात कर रहे थे, हर बात चलती है तो वह साम्प्रदायिक बातों के बारे में ज्यादा कहते हैं । मैं नहीं समझता कि आज क्या स्थिति हो गई है । आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी बातें जितनी कम करें उतना ही अच्छा है । ऐसे लोग जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, जो साम्प्रदायिक बातों में लगे रहते हैं, समाज को बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी भी कड़ी कार्यवाही हो सके, करनी चाहिए

किसी को यह अधिकार नहीं है कि पूरे समाज के वातावरण को बिगाड़ दे। अभी जो कुछ किया गया है, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि किसी के साथ पक्षपात किया गया है। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया है। ऐसा न किया जाता तो जो वातावरण बना है वह न बनता। बहुत लोग बिगाड़ने में लगे रहते हैं। आपने अभी कहा कि क्यों कुछ लोगों को बंद किया गया। यह कहा गया कि 26 तारीख को रैली की जायेगी, तो जब धारा 144 के अन्तर्गत रैली, प्रदर्शनों पर रोक लगी है, तो आपको या किसी को यह कैसे करने दिया जाये। प्रिकाशन लेने के लिए ऐसा किया गया था। हम किसी को जेल में नहीं डालना चाहते हैं, न किसी को हम अपमानित करना चाहते हैं, न किसी को रोकना चाहते हैं अमन चैन स्थापित करने के लिए ही यह प्रयास किया गया है। अभी आजमगढ़ के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि गोरखपुर में कोई रथ निकाला गया। तो रथ निकालने की इजाजत नहीं थी, कुछ लोगों ने निकाला तो इसके लिए जितना प्रिकाशन लिया जा सकता था लिया गया है कि ऐसी बातें होने न पाये। माननीय सदस्य आजमगढ़ जो यह बातें करते हैं वह सही नहीं हैं। इस तरह की बात करने से बात बनती नहीं है, बात बिगड़ता है। तो तनाव की बात नहीं करनी चाहिए। एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि बार-बार हमारे विरोधी दल के नेता साम्प्रदायिक बातों की तरफ जिक्र किया तो मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने इस सम्बन्ध में एक बार कहा था जब वह गृह मंत्री थे उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक सिचु-येशन जो कि स्वराज्य हासिल करने से पहले हमारे देश में या प्रदेश में थी कुछ कुछ, अमर्चे कुछ स्लाइट है। वह फिर उभरती नजर आती है। उसी तरह के एतराज, उसी तरह की शिकायतें उसी तरह की आपत्तियां कदम-कदम पर उठायी जा रही हैं। मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं किसी तरह से प्रेस के जरिये या प्लेटफार्म के जरिये ऐटमासफियर में कोई इजाफा नहीं करना चाहता। लेकिन रिपोर्ट जो है वह यह है कि सन् 1959 से वही साम्प्रदायिक एलीमेंट्स फिर अपना सिर उठा रहे हैं। तो मान्यवर, यह ऐसी चीजें हैं, कोई भी शासन हो, कोई भी नेता हो जब उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है तो वह देखता है कि ऐसी चीजों को बढ़ावा न मिले और ऐसी शक्तियां जो इस तरह का काम करती हैं जो समाज के लिए घातक होता है तो उसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। मान्यवर, यह भी कहा गया है कि पुलिस में जिस तरह से अनुशासन होना चाहिए वह अनुशासन नहीं है। अभी शतरुद्र प्रकाश जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह कहा गया है पुलिस को इस तरह से सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो शरीफ लोग हैं उनके साथ शराफत का व्यवहार और जो अपराधी हैं उनके साथ अपराधी का व्यवहार किया जायगा तो उनको इस बात पर आश्चर्य हो गया। तो इसमें कोई कानून को तोड़ने नहीं जा रहे हैं।

आज पुलिस को किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आज शिकायतें आती हैं कि शिक्षकों के साथ, पत्रकारों के साथ और जो शांतिप्रिय सिटीजन हैं, गांव के किसान हैं, मजदूर हैं उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं होता। तो मान्यवर, यह बुरी बात है। पुलिस रखी जाती है अपराधों को रोकने के लिए, सुरक्षा के लिए और अगर वह किसी को परेशान करती है, किसी तरह का परेशानी पैदा करती है तो यह बहुत बुरी बात है। अगर यह किया गया तो मैंने तय कर लिया है अगर कोई पुलिस का कर्मचारी और अधिकारी किसी आदमी के साथ ठीक व्यवहार नहीं रखेगा, अच्छा आचरण नहीं करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी सख्त कार्यवाही होगी की जायगी। यह बुरी

बात नहीं मानी जानी चाहिये। आप इसको बुरा मान रहे हैं। मान्यवर, अभी जब हमारे माननीय कल्यान सिंह बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्तियों को इसमें बंद किया जाता है, गिरोह बंदी कानून में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होने दिया जायगा और जहां कहीं ऐसी शिकायतें आयेंगी मैं उसको देखूंगा और जो आदमी या जो कर्मचारी जानबूझ कर ऐसा करेगा, किसी को झूठा फंसायेगा तो उसको जितनी सख्त सजा दी जानी चाहिये वह दी जायगी। मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने जेलों के बारे में कहा था कि लोग जेलों से बाहर निकल जाते हैं। मैं इसको देखूंगा। आपकी शिकायत की जांच कराऊंगा और जो भी कार्यवाही होगी उस पर की जायगी।

मान्यवर, यह बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी चीजों का जवाब इतनी जल्दी तो दिया जा सकता नहीं है और साथ ही मैं इतना और कहना चाहता हूं कि आपके जो सुझाव आये हैं, और जो अच्छे सुझाव होंगे तो मैं फिर कहता हूं कि अपने प्रशासन को चुस्त करने में उन सुझावों से सहायता अवश्य लूंगा और जैसा कि आपको मालूम भी है कि इतने बड़े प्रदेश की इस बड़े प्रदेश के बड़े पिछड़ेपन की कितनी समस्याएं हैं, इन सबका समाधान केवल अकेले सरकार ही नहीं कर सकती है, इसमें आप लोगों का और जनता का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब का सहयोग मुझे अवश्य मिलेगा, फिर जो सरकार ने करने को कहा है, वह उसको अवश्य पूरा करेगी, इसीलिये मैं चाहता हूं और उसका पहला कदम यह है कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मुझे माफ करियेगा, दूसरी बातों की वजह से मैं अपने ठिक से हट गया और दूसरी बातें शुरू कर दीं जिसकी वजह से आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी से ग्राम गांगेपुर, मठिया, धुसवा, हैदराबाद, रौशनगंज, दियारा खास राजा आदि गांव कट गये हैं, का मामला आपके सम्मुख रखने से भूल गया था और इस सम्बन्ध में मैंने आपको लिखा भी है कि इन गावों के रहने वालों का बहुत नुकसान हुआ है उस नदी के कटान से। उनके रहने और खाने आदि का भी कोई प्रबन्ध नहीं है, अब गर्मी भी आ रही है, मैंने सुना है कि आपने शायद प्रत्येक परिवार को 50-50 रु0 की सहायता प्रदान की है, इससे मान्यवर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है उनके रहने, खाने, मकानों के निर्माण आदि के सिलसिले में मुआवजा आदि का प्रबन्ध करवाने के क्या आदेश प्रदान करियेगा। दूसरा एक मामला और है आपके ही पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं इलाहाबाद के रहने वाले हैं, दिल्ली में मंत्री हैं, उनके परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, उनके लड़कों ने गरीबों की 22 गुमटियों पर कब्जा कर लिया है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यह कहकर कि इन लोगों ने कमजोर वर्ग के लोगों के, निर्बल वर्ग के लोगों की मदद की है, इस पर भी आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ठीक है, इसको दिखवा लेंगे।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी कहा कि जनपद मेरठ, गोण्डा या अन्य किसी भी स्थान पर जहां पर इस गिरोहबन्दी ऐक्ट के तहत ऐसे लोग बन्दी बनाये गये हैं और जैसी कि

मेरी सूचना है कि इस आदेश के अन्तर्गत प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों को बन्दी बनाया गया है, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सदन में इस बात की फिर से घोषणा करेंगे कि ऐसे जितने भी लोगों को बन्द किया गया है, उन्हें छोड़ दिया जायेगा और उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया होगा, उन्हें इस कानून के तहत नहीं रखा जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल के 4 माह हो चुके हैं और इस अवधि में जितने भी क्षेत्राधिकारी

(व्यवधान)

एक सदस्य--

जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपना बयान दे दिया है, तब यह भाषण किस प्रकार के हो रहे हैं, मेरा मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

बयान नहीं, स्पष्टीकरण तो पूछ सकते हैं, वही स्पष्टीकरण हो रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात का स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे कि आपके कार्यकाल में जिन क्षेत्राधिकारी पुलिस के क्षेत्र में डकैती और हत्याओं की घटनाएं ज्यादा हुई हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो जवाब दे चुके हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे कई बार कह चुका हूं और वास्तव में मेरी जानकारी है कि दुर्गा यादव के जीवन का खतरा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज बनारस जेल के अधिकारियों से आज मिला है, यह हमें विश्वस्त जानकारी है । यह मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना सदन में दे रहा हूं । कृपया इस बारे में शासन को समुचित निर्देश दें ।

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

श्री काशी सिंह ऐरी--

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने घोषणा की कि एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जो भी विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य किये जा रहे हैं, उनके कोई स्थल निरीक्षण के लिए मण्डल आयुक्तों, जिलाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ? क्या ऐसी योजनाओं के निरीक्षण में कम से कम 25 प्रतिशत योजनाओं में माननीय विधायकों को भी सम्मिलित करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 74,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,67,86,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13,55,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--30 गोपन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या 30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 30,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39--नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39--नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 27,72,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 25,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थि किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--82 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 16,28,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--83 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,84,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न संख्या--86 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

चार्ल्स शोभराज के तिहाड़ जेल से भाग जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

बाद में सुन लेंगे ।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आपको बाद में सुन लूंगा यह आचरण ठीक नहीं है । आप अपनी सीट पर जायें ।

(श्री यदुनाथ सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री यदुनाथ सिंह--

तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभ राज भागकर वाराणसी आ गया है । अगर स्काईलैब गिर रहा हो तो आप उसको नहीं सुनेंगे ?

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,30,88,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,30,88,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,27,35,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,27,35,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 41--निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,03,63,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,03,63,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46--प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेत राम गंगवार)--

मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिए 28,68,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 28,68,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 50,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 50,71,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

चार्ल्स शोभराज के तिहाड़ जेल से भाग जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय यदुनाथ सिंह जी ने, जो इस सदन के एक बहुत पुराने सदस्य हैं, यहां पर सूचित किया कि जो चार्ल्स शोभराज दिल्ली की तिहाड़ जेल से भाग गया है, वह बनारस जेल के अधिकारियों से मिला है । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह सूचना इन्होंने किसी जानकारी के आधार पर दी । यह सूचना बहुत गम्भीर है । यदि यह सूचना सही नहीं है तो सरकार को इसका खंडन करना चाहिए । मुझे जानकारी है कि चार्ल्स शोभराज बनारस जेल में भी रहा है । दो दिन पहले जबसे वह दिल्ली जेल से भागा है, इस सम्बन्ध में सब सूबों को सूचित किया गया है । उत्तर प्रदेश को भी हिदायत दी गयी है । माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, वह गम्भीर है । सरकार या तो इसका प्रतिवाद करे या इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे ।

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जो माननीय यदुनाथ सिंह जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है । हम इसको पूरी तरह से दिखवा रहे हैं । सब तरह से जांच-पड़ताल चल रही है और कोई भी ऐसी बात नहीं है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

नियम---51 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्री बलराम यादव की सूचना को, जो आजमगढ़ में पुलिस द्वारा श्री राम वचन की हत्या के सम्बन्ध में है, उसको मैंने स्वीकार किया है और राम नरेश यादव की सूचना जो फैजाबाद में पी० सी० एफ० के कोयले में लाखों रुपयों के घोटाले के सम्बन्ध में है, उसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया है । शेष को अस्वीकार किया है ।

भदोही ऊलेन्स मिल्स लि0, वाराणसी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गबन के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो वक्तव्य है, आज की कार्य सूची में इस सम्बन्ध में मेरा नाम छपा है, लेकिन जो वक्तव्य यहां दिया गया है, उसमें मेरा नाम नहीं छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इस वक्तव्य में भी आपका नाम जोड़ दिया जायगा।

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित—

[भदोही ऊलेन्स मिल्स लि0 का पंजीकरण वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम एवं ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन द्वारा संयुक्त क्षेत्र में कालीन उद्योग को उचित किस्म एवं मूल्य के ऊनी धागे की पूर्ति हेतु किया गया। ऊनी धागे के उत्पादन के साथ-साथ मिल में ऊनी धागे की रंगाई की व्यवस्था भी की गई। इस मिल ने मई 1978 में व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया।

वर्ष 1981-82 से मिल का संचालन एवं प्रबन्ध, प्रदेश की इकाई, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा किया जा रहा है और तब से भदोही ऊलेन्स मिल्स लि0, निगम की एक सहायक कम्पनी है। शासन द्वारा इस मिल को दो करोड़ रुपये की धनराशि अंशपूंजी के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के माध्यम से प्रदान की गई थी। मिल ने इस धनराशि का उपयोग वित्तीय संस्थाओं के ऋण एवं ब्याज के भुगतान में, मिल की विस्तार योजना में तथा मिल की कार्यशील पूंजी के रूप में किया।

महाप्रबन्धक के भ्रष्ट आचरण के बारे में तथा प्रतिष्ठान के 3 करोड़ रुपये के गबन करने के आरोप के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पर वर्तमान में लागू आडिट प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न संस्थाओं द्वारा जैसे कि महालेखाकार द्वारा प्रोप्राइटरी एवं बैलेन्स-शीट आडिट कम्पनी ला बोर्ड द्वारा स्टेचुटरी आडिट एवं निदेशक मंडल द्वारा इंटरनल आडिट एवं टेक्स आडिट, बाहरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्मों से नियमित रूप से कराया जाता है। यह सभी संस्थाएं अपने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं। कम्पनी से सम्बन्धित सभी आडिट्स अद्यावधिक हैं एवं वर्ष 1984-85 को भी बैलेन्स-शीट सम्बन्धी कार्यवाही की जा चुकी है और सम्बन्धित आडिट रिपोर्ट में 3 करोड़ रुपये के गबन करने के आरोप के सम्बन्ध में कोई तथ्य शासन की जानकारी में नहीं है जहां तक इस आरोप का, जिसमें यह बात कही गई है कि प्रबन्धक ने साक्ष्य को नष्ट करने के लिए और अपराध से बचने के लिए ऊलेन्स मिल के भूतपूर्व डिप्टी स्पिनिंग मास्टर से गुन्डों को लेकर अपहरण की साजिश की जिसके फलस्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई और वह जेल भेजे गए, आरोप असत्य है। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार स्थिति यह है कि दिनांक 29 जनवरी, 1986 को मिर्जापुर के ऊन वर्गीकरण एवं क्रय विक्रय केन्द्र में निर्धारित ऊन की सार्वजनिक नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सामान्य प्रबन्ध एवं मिल के कुछ कर्मचारी मिर्जापुर जा रहे थे। कानपुर मुख्यालय से एक प्रतिनिधि जो इस समिति के सदस्य रहते हैं, कानपुर से मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर अपराह्न में 12-15 बजे आ रहे थे और उन्हें साथ लेकर नीलामी हेतु क्रय-विक्रय केन्द्री

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाना था । सामान्य प्रबन्धक एवं इनके अन्य सहयोग मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर मुख्यालय के उपरावत प्रतिनिधि की प्रतीक्षा कर रहे थे और तभी डिप्टी स्पिनिंग मास्टर जो कि इस समय निलम्बित चल रहे हैं, अचानक वहां आये और सामान्य प्रबन्धक के साथ गाली-गलौज करने लगे और अभद्रता से पेश आये । तदुपरान्त भूतपूर्व निलम्बित डिप्टी स्पिनिंग मास्टर ने रेलवे स्टेशन के परिसर में ही स्थित जी0 आर0 पी0 पुलिस स्टेशन में एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जिसके आधार पर जी0 आर0 पी0 पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष ने सामान्य प्रबन्धक से मामले को लेकर पूछताछ की। वर्तमान में इस मामले में पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है ।]

श्री राजकिशोर सिंह--

मान्यवर, इन्होंने तो पूरे मामले को हजम कर दिया । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने आखीर में लिखा है कि जी0 आर0 पी0 पुलिस स्टेशन में एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई, तो जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई, उसका क्या विवरण है और किसके खिलाफ दर्ज कराई गई और किसके बारे में तफ्तीश हो रही है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

वह एफ0 आई0 आर0 धारा 364 और 511 के अन्तर्गत दर्ज हुई ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई वह किसके खिलाफ दर्ज हुई । प्रश्न जो उठाया गया था मान्यवर उसमें यह था कि 3 करोड़ रुपये का संचित घाटा है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 3 करोड़ रु0 का गबन नहीं है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उक्त संस्थान में वाकई 3 करोड़ रु0 का संचित घाटा हो गया है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, इसमें 3 करोड़ रु0 के घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

निलम्बित कर्मचारी ने, जो मिर्जापुर के जी0 आर0 पी0 में एफ0 आई0 आर0 लिखायी है, उसको माननीय मंत्री जी पढ़ दें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उस एफ0 आई0 आर0 को पढ़ दें ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, जो वहां डिप्टी स्पिनिंग मास्टर थे उनके कार्यकलापों की वजह से उनको सस्पेंड किया गया था । जब प्रबन्धक मिर्जापुर जा रहे थे, कानपुर मुख्यालय से एक प्रतिनिधि जो इस समिति के सदस्य रहते हैं, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले थे । यह लोग उनकी वहां प्रतीक्षा कर रहे थे । वहां अकस्मात ही डिप्टी स्पिनिंग मास्टर वहां पहुंच गये और प्रबन्धक के साथ गाली-गलौज करने लगे उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, मान्यवर, उसके उपरान्त जी0 आर0 पी0 में रिपोर्ट दर्ज हुई ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्यों से अलग जा रहे हैं । इनको एफ0 आई0 आर0 पढ़ने में क्या दिक्कत है ? घटना का विवरण तो उसमें लिखा हुआ है । मेरे पास उस एफ0 आई0 आर0 की कापी है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी को उस एफ0 आई0 आर0 को पढ़ने के लिये निर्देशित करें । यह तो तथ्यों से परे जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से कोई फायदा नहीं एक-एक करके बोलें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, उस गिरिराज सरन ने सरकार के पास वहां के वास्तविक घपलों की जांच कराने के लिये एक प्रतिवेदन भेजा । उसके बारे में उनके पास ओरिजनल रिकार्ड हैं । उन ओरिजनल रिकार्ड्स को प्राप्त करने के लिये मिल के जनरल मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर द्वारा उनको ढूंढ़ा जा रहा है । उन्होंने अपहरण किया । उस अपहरण के दौरान बहुत से तथ्य सामने आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप स्पष्टीकरण पूछें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनरल मैनेजर, जिनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज है और जिसकी जांच की जा रही है, क्या 12 मार्च को वह जुडीशियल कस्टडी में मिर्जापुर में लिये गये और उनकी जमानत 14 मार्च को हुई है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

वहां पर जो वह डिप्टी स्पिनिंग मास्टर थे, उन्होंने गाली-गलौज की और मुकामी पुलिस में अपनी एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी । उस संदर्भ में उनको वहां बुलाकर केवल पूछताछ की गयी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, सदन के विशेषाधिकार को भी जान लें ।

(श्री मित्रसेन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी अब आप बैठें । माननीय मित्रसेन जी को सवाल कर लेने दीजिये ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, यह इसमें लिखा है कि जी0 आर0 पी0 पुलिस स्टेशन में एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जिसके आधार पर जी0 आर0 पी0 पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष ने सामान्य प्रबन्धक से मामले को लेकर पूछताछ की । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी, किन, किन लोगों के खिलाफ वह दर्ज करायी गयी और किस दफा में दर्ज करायी गयी ?

[6 बजकर 20 मिनट]-

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं पहले ही कई बार बता चुका हूं कि दफा 364/511 ताजी राते हिन्द के अन्तर्गत रिपोर्ट कराई गई है । प्रबन्धक महोदय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । ऐसी एफ0 आई0 आर0 तो आये दिन एक दूसरे के खिलाफ की जाती हैं ,

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, प्रोपराइटरी और बैलेन्स-शीट का महालेखाकार द्वारा आडिट कराया गया है । क्या माननीय मंत्री जी स्पेशल आडिट कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, स्टेटमेंट को देखने का कष्ट करें । इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पर वर्तमान में लागू आडिट प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न संस्थाओं द्वारा जैसे महालेखाकार द्वारा प्रोप्राइटरी एवं बैलेन्स शीट आडिट कम्पनी ला बोर्ड द्वारा स्टेचुटरी आडिट एवं निदेशक मंडल द्वारा इन्टरनल आडिट एवं टैक्स आडिट, बाहरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्मों से नियमित रूप से कराया जाता है ।

श्री मुल चन्द--

क्या यह सही है कि 12 तारीख को सी0 जी0 एम0 के यहां जनरल मैनेजर हाजिर हुए थे अपनी जमानत के लिए और उनकी जमानत खारिज हो गई थी और वह जेल गये थे ? सिविल जज के यहां से 14 तारीख को उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, पहले माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि सिविल जज का क्या ज्यूरिसडिक्सन होता है और क्रिमनल जज का क्या ज्यूरिसडिक्सन होता है ?

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बतायें कि एफ0 आई0 आर0 में क्या दर्ज किया गया और मुलजिम अदालत में हाजिर हुआ तो किस तारीख को जेल से छूट कर आया ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी बता तो चुके हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की इज्जत करता हूं इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि जो उत्तर वह यहां पर दे रहे हैं, सबसे पहले वह तथ्यों की सही जानकारी कर लें तब आकर यहां पर उत्तर दें । मेरी निश्चित जानकारी है कि जनरल मेनेजर मिस्टर सिन्हा 12 तारीख को सी0 जी0 एम0 के यहां अपनी जमानत के लिए गये थे । और 14 मार्च को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहां से उनको बेल पर रिहा किया गया है ? माननीय मंत्री जी इसके बारे में बतायें ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य बतला रहे हैं, वह बिलकुल सही है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, 12 मार्च को जनरल मैनेजर ने अपने को सरेन्डर किया और 14 मार्च को वह छूटे । नियमों में यह प्राविधान है कि यदि कोई अधिकारी 48 घण्टे तक जेल में रहता है तो वह सस्पेंड हो जाना चाहिए । तो क्या इन्हें निलम्बित किया गया ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मामला न्यायालय के विचाराधीन है न्यायालय का जब फैसला हो जायेगा तो तब उसके बाद कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

निलम्बन उन्होंने नहीं किया । वे कहते हैं कि जब कोर्ट से सजा मिलेगी तब करेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह--

अभी कोर्ट में मामला पहुंचा नहीं है डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से जमानत हुई है, तफतीश जारी है । कोई भी अधिकारी यदि 48 घण्टे जेल में रह लेता तो उसे सस्पेंड होना चाहिये, इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है ? अगर चार्जशीट न्यायालय में पहुंची नहीं है तो न्यायालय के विचाराधीन कैसे हो गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह मेण्डेटरी नहीं है कि सस्पेंड करें ।

श्री राम औतार दीक्षित--

जब कोई मुकदमा किसी के खिलाफ चलता है तो न्यायालय के यहां ही किसके विचाराधीन होता है ?

(घोर व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

जब तक कोर्ट में चार्जशीट न जाय, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट कागनीजेन्स न लें तब तक न्यायालय के विचाराधीन नहीं

माना जाता है, कानून भी यही कहता है ।

श्री राम औतार दीक्षित--

बताना चाहता हूं कि जब "बेल" हो गयी तो कागनीजेन्स तो ले ही लिया ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मुद्दा यह था कि सस्पेंड हुआ था नहीं । उन्होंने कह दिया कि सस्पेंड नहीं करते, जब जांच पूरी हो जायगी तब सस्पेंड करेंगे । यह शासन का अधिकार है कि सस्पेंड करना चाहे तो करें ।

श्री दया प्रसाद वर्मा--

यह तो नियम है, सस्पेंड तो करना ही पड़ेगा, आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर ऐसे बहस नहीं होनी चाहिये ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

एक अधिकारी, जिसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ऐसे अधिकारी को निलम्बित करके जांच न कराने का क्या कारण है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

इसकी तफतीश चल रही है और जो अधिकारी हैं, जो सारा कार्यक्रम चल रहा है, यह निलम्बित अधिकारी के माध्यम से चल रहा है, जब तक उचित जांच नहीं हो जायेगी कोई कार्यवाही नहीं की जायगी ।

श्री किरन पाल सिंह--

अभी इन्होंने कहा कि तफतीश चल रही है, इसके पहले कहा था कि न्यायालय में पहुंच चुका है ।

उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा था कि कागनीजेन्स ले ली कोर्ट ने जब जमानत ली ।

श्री किरन पाल सिंह--

तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सामान्य नियम हैं उसे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आप भी अपनी बात को कह रहे हैं और हम भी अपनी बात कह रहे हैं । लेकिन मान्यवर, आप गलत बात कह रहे हैं ।

श्री मूल चन्द--

यह सारा देश बेच कर खा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मूलचन्द जी, जब किरनपाल सिंह प्रश्न कर रहे हैं तो आप बीच में काहे के लिये खड़े हो गये हैं ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, यह मामला नियम 51 में वक्तव्य के लिये स्वीकार करने के पहले मैंने गृह राज्य मंत्री को डाकूमेन्ट्री एवीडेंस के साथ एक पत्र दिया था, तो मंत्री जी क्या बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उसकी जांच हो रही है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अध्यक्ष द्वारा इसकी जांच करायी जा रही है ।

कु0 कृष्णा रावत, सदस्य, विधान सभा को क्षेत्राधिकारी मोहन लालगंज, श्री महेन्द्र सिंह राठौर द्वारा अपमानित किये जाने के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

विशेषाधिकार की कुछ सूचनायें मिली थीं । मैं पहले उसका निर्णय सुना दूं ।

कुमारी कृष्णा रावत, सदस्या, विधान सभा ने दिनांक 20-11-85 को सी0 ओ0 मोहन लालगंज, श्री महेन्द्र सिंह राठौर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

माननीया सदस्या के अनुसार जब दिनांक 19-10-85 को वह श्रीमती पूर्णिमा सिंह, उप अधीक्षक से उनके कार्यालय में मिलने गयीं तो वहां पर पहले से बैठे श्री महेन्द्र सिंह राठौर ने अपमान किया था।

इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री से भी जानकारी प्राप्त की गयी। गृह राज्य मंत्री, श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ने अवगत कराया है कि उक्त मामले में दोनों पक्षों की ओर से अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं जिसकी विवेचना सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है, जो लम्बित है।

इसके अतिरिक्त जब माननीय सदस्या श्रीमती पूर्णिमा सिंह के कार्यालय में गई थीं तो वह सदन के सदस्य या उसकी समिति के किसी कार्य से नहीं गई थीं और इन परिस्थितियों में विशेषाधिकार हनन के इस प्रश्न को सदन में उठाने की इजाजत देना समीचीन न होगा।

तत्कालीन परिवहन मंत्री श्री संजय के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा है श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ ने परिवहन मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दिनांक 5-10-85 को दिया था। माननीय सदस्य के कथनानुसार परिवहन मंत्री ने वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र के पांचवें सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 व 42 का जो उत्तर दिया है, उसमें पारस्परिक अन्तर है और इस कारण वे असत्य हैं।

माननीय सदस्य ने अशुद्ध उत्तर के चार कारण बताये हैं। मैंने उन सभी कारणों और तर्कों का सूक्ष्म परीक्षण कर लिया है। मेरे विचार से उनमें से केवल एक तर्क को छोड़कर शेष सभी तर्क निराधार हैं।

जिस तर्क में कुछ बल प्रतीत होता है वह यह है कि माननीय परिवहन मंत्री ने अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर में कहा था कि उन्हें माननीय नेता विरोधी दल का पत्र दिनांक 1-4-85 प्राप्त नहीं हुआ था। इसके विपरीत माननीय सदस्य ने परिवहन मंत्री के पत्र दिनांक 2-4-85 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिसमें उक्त पत्र की प्राप्ति स्वीकार की गयी है।

माननीय परिवहन मंत्री ने उपरोक्त त्रुटि के लिये खेद व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17-2-86 को परिवहन मंत्री ने उपरोक्त प्रश्न संख्या 42 के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य भी दे दिया है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं इस मामले को सदन में उठाने की अनुज्ञा देना मुनासिब नहीं समझता।

प्रशासन द्वारा दिनांक 1-10-85 को सचिवालय का गेट बन्द करके सदस्यों को उनके विधायिकी कार्य में बाधा पहुंचाये जाने के विरुद्ध की गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री फजलुल बारी, श्री राम सरन, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री बलराम यादव ने दिनांक 1-10-85 को विशेषाधिकार

अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्यों का कहना है कि दिनांक 1-10-85 को सचिवालय का गेट बन्द करके उपरोक्त सदस्यों को उनके विधायिकी कार्यों में बाधा पहुंचाई गयी। उसी तिथि को श्री दिवाकर विक्रम सिंह ने इसी प्रकार की शिकायत की है। विशेषाधिकार की उपरोक्त सूचनाओं को भेजकर शासन का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। शासन के सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव श्री सुरेन्द्र मोहन तथा उप सचिव श्री एन0 पी0 श्रीवास्तव ने माननीय सदस्यों को हुई असुविधा के लिये खेद व्यक्त किया है तथा उस आदेश की प्रति भी भेजी है जिसमें विधायकों को गेट बन्दी आदेश से मुक्त रखा गया है। पूरे मामले पर गौर से विचार करने के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि माननीय सदस्यों के अधिकारों में बाधा पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। अतः खेद प्रकाश के उपरान्त इन मामलों को मैं समाप्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

[राज्य विद्युत् परिषद् में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। सीधी भर्ती में सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु अर्हता मापदंड एक निश्चित सीमा तक इस आशय से शिथिल किया जाता है ताकि इस वर्ग के अभ्यर्थी अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें। मापदंडों में शिथिलता देने के बावजूद भी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आरक्षित पदों को आगामी वर्षों में चयन हेतु अग्रनीत किया जाता है।

दिसम्बर, 1985 में अवर अभियंता (प्रवरण श्रेणी) से सहायक अभियंता (ई एण्ड एम) के पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन हेतु राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा गठित एक विभागीय चयन समिति की बैठक हुई थी। इस चयन में कुल 171 पदों हेतु चयन किया जाना था जिनमें से 34 पद अनुसूचित जाति तथा दो पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे तथा शेष 133 पद सामान्य अभ्यर्थियों के लिए थे। चयन समिति द्वारा कुल 137 अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनमें 135 सामान्य श्रेणी के तथा 2 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं। अनुसूचित जाति के 32 तथा अनुसूचित जनजाति के 2 पदों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन 34 पदों को अगले चयन हेतु अग्रनीत किया गया है।

उक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है और वे ही अवर अभियंता प्रोन्नति हेतु पात्र माने जाते हैं जिन्होंने अवर अभियंता के पद पर 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं इसमें से न्यूनतम चार वर्षों की सेवा अवर अभियंता (प्रवरण श्रेणी) के पद पर पूर्ण की हो। श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयन में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची अलग से बनाये जाने का प्राविधान नहीं है। इसलिये सम्बन्धित नियमों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की वरिष्ठता क्रम में एक ही सूची तैयार की गयी जिसमें अनुसूचित जाति के केवल 3 ही अवर अभियंता (प्रवरण श्रेणी) पात्रता क्षेत्र में स्थान पा सके, जिन पर प्रोन्नति हेतु विचार किया गया। इनमें से दो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को विभागीय चयन समिति ने उपयुक्त पाया एवं उन्हें सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुमोदित किया। इसी वर्ग के तृतीय अभ्यर्थी को उसकी असन्तोष-जनक सेवावृत्त के कारण प्रोन्नति हेतु अनुमोदित नहीं किया गया। परिषदाज्ञा दिनांक 6-1-86 द्वारा 124 सामान्य अभ्यर्थियों एवं 2 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति सम्बन्धी आदेश जारी कर दिये गये हैं।]

श्री सुन्दर लाल--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के, जो अवर अभियन्ता हैं, उनके प्रमोशन के लिये 10 साल की अवर अभियन्ता के पद पर सेवा और 10 साल सेलेक्शन ग्रेड के पद पर सेवा अनिवार्य है, लेकिन इसके बाद भी प्रमोशन नहीं किया जाता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार के लोगों का प्रमोशन करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रक्रिया है और उसी के अनुरूप कार्य किया जाता है। श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती है। अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिये अवर अभियन्ता के पद पर 10 वर्ष की सेवा और 4 वर्ष सेलेक्शन ग्रेड के पद पर सेवा अनिवार्य है, तब उसका प्रमोशन किया जायेगा।

श्री गया प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जब अवर अभियन्ता, जो अनुसूचित जाति के हैं, जब उनका अवसर आता है तो उनकी इन्ट्री खराब कर दी जाती है तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे अवर अभियन्ता हैं जिनकी रिपोर्ट खराब कर दी गयी है, उनकी संख्या कितनी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

इतनी पूरी जानकारी के लिये समय लगेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई मसला है, तो उसको जरूर देखा जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्रमोशन के लिये एक प्रक्रिया है और वह बदली जाती है जैसा कि आपने स्वीकार किया है। 171 पद हैं, जिनमें से 34 अनुसूचित जाति के लोगों से भरे जाने हैं और आपने जो माप दंड रखा है, उसके अनुसार 3 व्यक्ति आये और उन तीन में दो ही का चुनाव हो सका और जिनका चुनाव नहीं हुआ है, उनको अगले वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है तो क्या शेष 32 पद अगले वर्ष भर लिये जायेंगे। जब आप सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तबदीली करते हैं तो प्रमोशन की प्रक्रिया में भी बदलाव करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन का 1973 का शासनादेश है, उसी तरह की प्रक्रिया बोर्ड में भी अपनाई गयी है। इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और जो निर्णय शासन का होगा वह बोर्ड में भी लागू किया जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह--

इस पर मेरा आपसे कहना यह है कि शासन जो संस्तुति करेगा बोर्ड उसी के अनुसार करेगा तो क्या इस प्रकार की कोई आप संस्तुति करने जा र हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रोन्नति के द्वारा पूरे पद मिल जायेंगे इसके लिए उनको साधारण नियमों से हटकर उनके नियमों में रिलेक्शेसन करने की कोई संस्तुति करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, जैसा मैंने स्पष्ट कहा कि यदि शासन इस पर कोई निर्णय लेता है तो राज्य विद्युत् परिषद् बिल्कुल वही निर्णय, शासन का जो अध्यादेश होगा, उसी को मानेगा। लेकिन शासन के स्तर पर चूंकि अभी इस समय इसकी जानकारी की आवश्यकता होगी कि किस स्तर पर मामला विचाराधीन है, उसे माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे।

श्री मूल चन्द--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपके विभाग में जो आरक्षण का कोटा है वह पूरा हो गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यापक सवाल है।

श्री मूल चन्द--

नहीं मान्यवर, यदि नहीं पूरा हुआ है तो इसकी वजह बता दें जिस कार, नहीं पूरा हुआ है ? जहां आप देखते हैं कि उपयुक्त नहीं मिला तो उसे उपयुक्त बनाने की आप कौन-सी तरकीब अपना रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, इसमें जैसा मैंने कहा कि इसमें शासन जब निर्णय ले लेगा उसी के अनुरूप राज्य विद्युत् परिषद् कार्यवाही करेगा।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर चरित्र-पुस्तिका या करेक्टररोल खराब है तो ऐसे मामलों में पदोन्नति नहीं होती है तो यह सब हटाकर सीधे पदोन्नति करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, यह नीति विषयक प्रश्न है। जो माननीय सदस्य ने पूछा उसके बारे में यहां क्या उत्तर दिया जाय ?

श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, जैसे पिछड़े वर्गों के लिए सी० पी० एम० टी० में रिजर्वेशन का जो आपके शासन का निर्णय था और इस बात को स्वास्थ्य मन्त्री जी ने केवल अपने निजी रूप से स्वास्थ्य विभाग से विचार करके शासनादेश भेज दिया और सी० पी० एम० टी० का आरक्षण खत्म हो गया तो यह जो शासन का निर्णय आपने लिया तो जिसके मातहत आपने कहा कि आप अपने विभाग में इस तरह की संस्तुति करेंगे। उसी तरह से आप अपने विभाग में बिना कैबिनेट डिसीजन के संस्तुति करेंगे कि उनकी प्रोन्नतियां हों और नियमों में रिलेक्शेसन दे दिया जाय और दूसरा आप यह बतायें कि कुल कितने अवर अभियन्ता अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन् इसको दिलवा लिया जायेगा।

श्री सुन्दर लाल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की पदोन्नति में अलग सूची बनाने का प्राविधान है मगर माननीय मन्त्री जी के डिपार्टमेन्ट में ऐसी बात नहीं है मैं एक ओ० ओ० कोट कर रहा हूं जो 21 जून, 1984, कार्मिक अनुभाग-1 का है उसमें अलग सूची बनाने का प्राविधान है क्या मन्त्री जी इसको लागू करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, दो प्रकार से पदोन्नतियां होती हैं एक तो श्रेष्ठता के आधार पर

और एक ज्येष्ठता के आधार पर। जहां तक सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का प्रश्न है वहां पर हम वही प्रक्रिया अपना रहे हैं सूची बनाने की। जहां पदोन्नतियां श्रेष्ठता के आधार पर होती हैं वहां पर वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो शासन बनाता है और वही राज्य विद्युत परिषद् अपना रहा है।

श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, 171 पदों पर चयन हो गया जिसमें से 2 अनुसूचित जाति के लोग लिये गये और 32 पद बाकी रह गये हैं। तो माननीय मन्त्री जी यह बता दें कि ये बकाया पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, इनको कैरी फारवर्ड कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर नहीं भरा जायेगा। वह अनुसूचित जाति के लोगों से ही भरा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
19 मार्च, 1986

अविकृत प्रतिलिपि

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर।)

जनपद इलाहाबाद के विकास खंड, जसरा एवं करछना में विश्व बैंक द्वितीय चरण योजनान्तर्गत चयनित गांवों का विवरण

क्रमांक	नाम विकास खंड	ग्राम का नाम	चयनित नलकूपों की संख्या
1	2	3	4
1	जसरा	1--अमरेहा	1
		2--खटिगया	2
		3--चित्तौरी	2
		4--मरूहा	1
		5--देवरिया	1
		6--सिधवार	2
		7--सुजौना	2
		8--विरवल	1
		9--जगदीशपुर	1
		10--चिल्लागौहानी	3
		11--ओझापट्टी	1
		12--बेलामुण्डी	2
		13--बसेहरा	1
		14--छतेहरा	3
		योग ..	23
2	करछना	1--भण्डौरा	1
		2--डांडी	1
		3--दरबारा	3
		4--भगेड़ा	1
		5--निरिया	1
		6--अरई	2
		7--भुण्डा	2
		8--मझियारी	1
		9--चन्हौली	1
		10--मण्डवा	1
		योग ..	14

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर नीचे पृष्ठ 30 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं0	नहर का नाम	डिस्चार्ज (क्यूसेक)	ग्राम का नाम		जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र में नहर की लम्बाई (कि0 मी0)	जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र में रबी हेतु सफाई का विवरण	
			हेड	टेल		लम्बाई (कि0मी0)	व्यय (रुपये)
1		3	4	5	6	7	8
1	जहांगीरगंज र10	610·0	माउख	गढ़वाल	34·504	शून्य	शून्य
2	हंसवर राजबहा	98·6	साबुकपुर	मकरही	3·200	3·000	4208·00
3	गोकुल माइनर	17·7	नारायणपुर पीतमपुर	समदा	0·500	शून्य	शून्य
4	पटना माइनर	1·00	जमऊपुर	पटना	1·800	1·800	1594·00
5	शिवतारा माइनर	20·0	मुस्तफाबाद	अमादरबेसपुर	10·400	2·000	11638·00
6	भीठी माइनर	15·0	आरोपुर	पहोड़ाशाहपुर	6·100	4·00	11224·00
7	शाहपुर माइनर	16·0	शाहपुर आवराव	माधोपुर	1·140	1·140	5040·00
8	संकरपुर माइनर	33·0	मसेना मिर्जापुर	बिडहर खास	8·600	3·00	9655·00
9	मालपुर माइनर	8·0	रामनगर	महुवर बसेहा गंगा सागर	5·800	5·800	6988·00

10	हाजीपुर माइनर	550	मधूआना	रतुआपार	0·700	0·700	1372·00
11	मगरपुर माइनर	85·0	हुसैनपुर खुर्द	बड़ागांव	10·200	10·200	30043·00
12	नेवारी माइनर	.·0	मामपुर	चन्दनपुर हरिहरपुर	2·600	2·600	1828·00
13	नरियावां माइनर	7·0	जगदीशपुर	तिलकठंडा	0·800	शून्य	शून्य
14	सिंहपुर माइनर	3·0	जहांगीरगंज	सहसा	1·600	1·600	932·00
15	समेसा माइनर	6·0	आदमपुर	सबहु	2·600	1·400	1157·00
16	अम्बारी माइनर	4·0	अल्लापुर	सहाबुद्दीनपुर	1·400	शून्य	शून्य
17	बंगालपुर माइनर	6·0	ऊचेपुर	बंगालपुर जंसी	3·200	3·00	2674·00
18	कटारगढ़ रजबहा	65·0	बसखारी	गोविन्दपुर	13·850	5·000	23508·00
19	सुल्तानपुर माइनर	2·9	डोड़ी	डोड़ी	0·400	0·400	529·00
20	शुक्ल बाजार माइनर	2·5	बुकिया	मरीचा	1·500	1·500	1535·00
21	कौड़ाही माइनर	1·7	कौड़ाही	कसवहा	2·400	1·500	1471·47
			योग	..	112·95	48·640	115396·47

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

क्रम-सं0	जनपद बस्ती के ब्लाक खेसरहा के मिट्टी तेल के फुटकर विक्रेताओं के नाम	न्याय पंचायत	फुटकर मिट्टी तेल के विक्रेताओं की आपूर्ति हेतु सम्बद्ध थोक विक्रेता का नाम व स्थान	खेसरहा ब्लाक से फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं की दूकान की दूरी	थोक विक्रेता से फुटकर विक्रता के दूकान की दूरी
1	2	3	4	5	6
1	श्री मंगल प्रसाद	कुड़जा	मे0 सीता राम परशु राम का तेतरी बाजार, नौगढ़	8 कि0 मी0	37 कि0 मी0
2	श्री बद्री प्रसाद	,,	,,	8 ,,	37 ,,
3	श्री सा0 स0 समिति, खेसरहा	खेसरहा	,,	3 ,,	39 ,,
4	श्री लालमन	,,	,,	3 ,,	39 ,,
5	श्री सत्यनारायन लाल	,,	,,	3 ,,	39 ,,
6	श्री हरि प्रसाद	जवरही	,,	7 ,,	43 ,,
7	श्री स0 स0 समिति, जवरही	,,	,,	9 ,,	45 ,,
8	श्री रामराज	,,	,,	7 ,,	43 ,,
9	श्री बृज लाल	टीकुर	,,	7 ,,	34 ,,
10	श्री श्रीराम त्रिपाठी	,,	,,	7 ,,	35 ,,
11	सा0 स0 समिति, धर्मसिहवा	धर्मसिहवा	,,	14 ,,	50 ,,
12	श्री कृष्ण कुमार	,,	,,	14 ,,	50 ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
13	श्री रासमंथन	,,	,,	14 ,,	50 ,,
14	श्री अली अहमद	,,	,,	14 ,,	50 ,,
15	श्री शब्बीर अहमद	फुलबरिया	,,	10 ,,	46 ,,
16	श्री राम भोग	,,	,,	7 ,,	43 ,,
17	श्री मोती लाल	नासिरगंज	,,	6 ,,	42 ,,
18	श्री मेवा लाल	खेड़ीहा	,,	6 ,,	42 ,,
19	श्री चन्द्र बली	,,	,,	5 ,,	40 ,,
20	श्री नजीबुल्लाह	मरवटिया	मे0 सीताराम परशुराम का तेतरी बाजार	6 ,,	42 ,,
21	श्री राम सूरत	,,	नौगढ़	8 ,,	44 ,,
22	सा0स0 समिति, बेलऊख	बेलऊख	,,	6 ,,	42 ,,
23	श्री गोकरन शुक्ल	,,	,,	8 ,,	44 ,,
24	श्री श्रीराम	सुबही कनपुरवा	,,	1/2 ,,	36 ,,
25	श्री तीरथ नाथ पाण्डेय	,,	,,	1 1/2 ,,	36 ,,
26	श्री मंहगू	,,	,,	4 ,,	32 ,,
27	श्री जगदीश सिंह	बिशनपुर	,,	10 ,,	31 ,,
28	श्री हरिशंकर मिश्र	,,	,,	10 ,,	31 ,,
29	श्री शिव प्रसाद	कलनाखोर	मे0 राधाकृष्ण विमल कुमार, बांसी	20 ,,	34 ,,
30	श्री नवमी प्रसाद	,,	,,	20 ,,	34 ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'अ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

क्रम-सं0	नाम कोल एजेन्ट तथा पता	आवंटित मात्रा (मे0 टन में)		
		1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1	मे0 फेमस कोल कम्पनी, प्रो0 श्री नसीम अहमद पुत्र श्री शुकरुल्ला खां, नजदीक जामा मस्जिद, गांधीनगर, बस्ती	1,000	2,800	..
2	मे0 रामजी सोनी कोल मर्चेन्ट, प्रो0 श्री रामजी सोनी पुत्र श्री राम चन्द्र सोनी, मो0 बभननगांवा, गांधी नगर, बस्ती	11,700	3,000	..
3	मे0 रमेश एण्ड कम्पनी, प्रो0 श्री रमेश पाण्डेय पुत्र श्री शिव बारी पाण्डेय, टाउन एरिया, बांसी, बस्ती	..	5,000	..
4	मे0 अर्चना कोल ट्रेडर्स, प्रो0 श्री तारकेश्वर पाण्डेय पुत्र श्री राणा किशोर पाण्डेय, पिकौरा शिव गुलाम, मालवीय रोड, बस्ती	..	11,828	6,793
5	मे0 शिमला कोल ट्रेडर्स, प्रो0 श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बाबू लाल, मो0 गदहाखार, गांधी-नगर, बस्ती	..	1,899	16,837
6	मे0 प्रकाश कोल कम्पनी, प्रो0 श्री जय प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री राम बचन पाण्डेय, मो0 पिकौरा शिव गुलाम, गांधीनगर, बस्ती	..	10,075	15,944

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(अनुलग्नक एक)

(देखिए अता0 प्र0 सं0 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

क्रम-संख्या	कोल अभिकर्ताओं के नाम
1	मे0 रायल कोल ट्रेडर्स, मो0 गदहाखोर, गांधी नगर, बस्ती ।
2	मे0 दुर्गा कोल सेल्स कारपोरेशन, मोहन निवास, गांधी नगर, बस्ती ।
3	मे0 शक्ति कोल ट्रेडर्स, बांसी, बस्ती ।
4	मे0 विक्रमा कोल ट्रेडर्स ग्राम दसौती, पो0 बायपोखर, बस्ती ।
5	मे0 प्रकाश कोल कं0, पिकौरा शिव गुलाम, मालवीय रोड, बस्ती ।
6	मे0 पूर्वांचल कोल कं0, शोहरतगढ़, बस्ती ।
7	मे0 जैयवाल व्यापार केन्द्र, खड़कुइयां, शोहरतगढ़, बस्ती ।
8	मे0 अर्चना कोल ट्रेडर्स, पिकौरा शिव गुलाम, मालवीय रोड, बस्ती ।
9	मे0 श्रीराम इण्टरप्राइसेज, तेतरी बाजार, बस्ती ।
10	मे0 पूर्वांचल उद्योग विकास, बरगदवा टोला, गढ़मौर, पो0 शिवपति नगर, बस्ती ।
11	मे0 कृष्णा इन्टरप्राइसेज, ग्राम हल्लौरा, पो0 महथा बाजार, बस्ती ।
12	मे0 प्रकाश कोल डिपो, ग्राम जिगना, पो0 मंझरिया विक्रम, बस्ती ।
13	मे0 पाण्डे कोल डिपो, ग्राम पिपरा राम लाल, पो0 ककरापोखर, बस्ती।
14	मे0 कृष्णा कोल एजेन्सी, पथरा बाजार, बस्ती ।
15	मे0 आनन्द कोल सप्लायर्स एवं कमीशन एजेंट, बांसी, बस्ती ।
16	मे0 लाल एण्ड कं0, गनेश आइस मिल फैक्ट्री, गांधी नगर, बस्ती ।
17	मे0 सिंह कोल ट्रेडिंग कं0, ग्राम व पो0 भरवटिया बाबू, बस्ती ।

क्रम-संख्या	नाम लाइसेन्सी	आवंटित मात्रा वर्ष (मै0 टन में)		
		1983-84	1984-85	1985-86 (31-12-85 तक)
1	2	3	4	5
1	मे0 रायल कोल ट्रेडर्स	18465	5899	8127 एवं 1 रेक
2	,, दुर्गा कोल सेल्स कारपोरेशन	5605	..	5916
3	,, शक्ति कोल ट्रेडर्स	7752	3983	767
4	,, विक्रमा कोल ट्रेडर्स	11987	11444	9022
5	,, प्रकाश कोल कम्पनी	10075	15944	4753
6	,, पूर्वांचल कोल कं0	13144	13047	5194
7	,, जैयवाल व्यापार केन्द्र	11687	10895	17198 एवं 1 रेक
8	,, अर्चना कोल ट्रेडर्स	11828	6793	880
9	,, श्रीराम इन्टरप्राइजेज	..	..	1402
10	,, पूर्वांचल उद्योग विकास	..	..	2212
11	,, कृष्णा इन्टरप्राइजेज	..	..	810

उत्तर प्रदेश विधान सभा

12	,,	प्रकाश कोल डिपो	..	..	2213
13	,,	पाण्डेय कोल डिपो	..	..	2213
14	,,	कृष्णा कोल एजेन्सी	..	..	2212
15	,,	आनन्द कोल सप्लायर्स एवं कमीशन एजेन्ट	..	..	2212
16	,,	लाल एण्ड कं0	..	..	..
17	,,	सिंह कोल ट्रेडिंग कं0	..	..	..
18	,,	लखी चन्द्र राम कुमार शोहरतगढ़, बस्ती	2500	..	..
19	,,	सुरेश प्रताप सिंह यशोदा कुटीर, रामेश्वरपुरी, बस्ती	15100	..	..
20	,,	फेमस कोल कं0, निकट जामा मस्जिद, गांधी-नगर, बस्ती	2800	..	..
21	,,	रामणी सोनी कोल मर्चेन्ट, बभनगांवा, गांधी-नगर, बस्ती	3000	..	..
22	,,	रमेश एण्ड कम्पनी, टाउन एरिया, वांसी, बस्ती	5000	..	..
23	,,	शिमला कोल ट्रेडर्स, गांधी नगर, बस्ती	1899	16837	1434

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिए अता० प्र० सं० 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

विवरण

क्रम-संख्या	माह	स्तम्भ 3 में कर्मचारियों/मजदूरों द्वारा सृजित मानव दिवस	स्तम्भ 3 में उल्लिखित सूचना के आधार पर मजदूरों/कर्मचारियों की प्रतिदिन औसत संख्या	स्तम्भ 3 में वेतन/मजदूरी पर व्यय (रुपये)
1	2	3	4	5
1	जनवरी, 1984	99,618	3,213	8,04,888.17
2	फरवरी, 1984	1,13,725	3,921	10,11,010.45
3	जुलाई, 1985	37,433	1,207	3,82,394.50
4	अगस्त, 1985	19,642	633	2,04,615.25
	योग ..	2,70,418	8,974	24,02,907.37

अध्यक्ष पुस्तकालय सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

विवरण

माह	श्रमिक दिवसों की संख्या	माह में औसत श्रमिकों की संख्या कालम 2 / माह के कुल दिन	टी0 आई0 संख्या जिसके द्वारा भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5
				रु0
1—जनवरी, 1984	10469	532	23	1,13,614.50
2—फरवरी, 1984	9994	552	21	1,09,579.00
3—मार्च, 1984	14426	783	28	1,55,623.50
योग ..	34889	1867	72	3,78,817.00
4—अप्रैल, 1984	6715	436	13	74,551.10
5—मई, 1984	11202	591	25	1,22,831.70

अनंत प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
6—जून, 1984	10221	423	14	1,15,509.10
7—जुलाई, 1984	8250	405	19	85,414.70
8—अगस्त, 1984	10364	460	17	1,13,825.70
9—सितम्बर, 1984	9601	454	16	96,115.50
10—अक्तूबर, 1984	8438	400	14	1,01,286.50
11—नवम्बर, 1984	12952	625	21	1,64,843.60
12—दिसम्बर, 1984	11367	632	19	1,41,905.10
13—जनवरी, 1985	15642	677	25	1,95,324.10
14—फरवरी, 1985	13946	658	23	1,74,444.50
15—मार्च, 1985	16390	1090	40	1,99,743.40
योग ..	135088	6851	246	15,85,795.00
16—अप्रैल, 1985	5715	285	9	75,634.00
17—मई, 1985	5757	370	18	73,499.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

18—जून, 1985	15819	1076	26	2,02,118.75
19—जुलाई, 1985	14402	1349	27	2,12,104.35
20—अगस्त, 1985	26052	3415	27	3,39,977.95
21—सितम्बर, 1985	19505	3078	15	2,72,787.95
22—अक्तूबर, 1985	10587	676	17	1,52,242.60
23—नवम्बर, 1985	8225	531	19	1,16,339.30
24—दिसम्बर, 1985	6052	276	18	96,597.50
योग ..	112114	11056	176	15,41,301.30
कुल योग ..	282091	19774	494	35,05,913.30

पी० एस० यू० पी०—1 विधान सभा—11-7-86—813 (पी० डी०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा